राष्ट्रीय अनुसूचित जाति
तथा
अनुसूचित जनजाति आयोग

पांचवी रिपोर्ट
1998-99
खंड- II

विषय सूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
I	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्यों के प्रयासों पर एक नजर	1-15
II	आंध्र प्रदेश	16-22
III	बिहार	23-35
IV	गोआ	36-37
V	गुजरात	38-45
VI	हरियाणा	46-51
VII	हिमाचल प्रदेश	52-59
VIII	जम्मू एवं कश्मीर	60-64
IX	कर्नाटक	65-73
X	केरल	74-80
XI	मध्य प्रदेश	81-90
XII	महाराष्ट्र	91-93
XIII	पूर्वोत्तर क्षेत्र	94-98
XIV	उड़ीसा	99-109
XV	पंजाब	110-118
XVI	राजस्थान	119-125
XVII	सिक्किम	126-130
XVIII	तमिलनाडु	131-133
XIX	उत्तर प्रदेश	134-141
XX	पश्चिम बंगाल	142-145
XXI	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	146-151
XXII	चंडीगड	152
XXIII	दादर एवं नगर हवेली	153-154
XXIV	दमन एवं दीव	155
XXV	दिल्ली	156-169
XXVI	लक्षद्वीप	170-172
XXVII	पांडिचेरी	173-179

अध्याय I

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्यों के प्रयासों पर एक नजर

स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी भारत के राजनैतिक और सामाजिक आन्दोलनों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति चिन्ता का विषय रही है । दरअसल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए स्वतंत्रता केवल एक राजनैतिक उद्देश्य नहीं था, बल्कि जनसाधारण को गरीबी और पतन की अवस्था से उबारने का एक साधन था । राजनीति की मुख्य धारा के आन्दोलन गांधी जी के दृष्टिकोण से प्रभावित थे, जिसमें भारत के निर्धनतम लोगों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था ।

1.2 गांधी जी की भावनाओं को भारत के संविधान के निर्माताओं द्वारा प्रतिध्वनित किया गया और संविधान में राजनैतिक लोकतंत्र के साथ-साथ सामाजिक लोकतंत्र के बीज भी बोए गए थे । 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में डा0 अम्बेडकर ने, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई के एक महान योद्धा थे, अपने अन्तिम भाषण में यह कहा था कि ....

> "हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए । सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ क्या है ? इसका अर्थ है एक ऐसी जीवन- पद्धति, जो स्वतंत्रता, समानता और भाई चारे को जीवन के सिद्धान्त मानती है। स्वतंत्रता, समानता और भाई चारे के इन सिद्धान्तों को त्रिमिति की अलग-अलग मदें नहीं समझा जाना चाहिए । स्वतंत्रता के बिना समानता से व्यक्ति की पहल करने की भावना समाप्त हो जाएगी। वे इस अर्थ में तीन धाराओं का संगम हैं, कि उन्हें एक दूसरे से अलग करने का मतलब है, लोकतंत्र के प्रयोजन को समाप्त करना । स्वतंत्रता को समानता से, और समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता । स्वतंत्रता एवं समानता को भाई चारे से अलग नहीं किया जा सकता। समानता के बिना, स्वतंत्रता से कुछ व्यक्तियों का प्रभुत्व शेष बहुत से लोगों पर हो जाएगा । स्वतंत्रता के बिना, समानता से व्यक्ति की पहल करने के क्षमता समाप्त हो जाएगी । भाई चारे के बिना, स्वतंत्रता और समानता सहज स्वाभाविक वस्तुएं नहीं बन सकतीं । उन्हें लागू करने के लिए किसी सिपाही की जरूरत होगी । हमें यह मान कर चलना चाहिए कि भारतीय समाज में दो चीजों का बिल्कुल अभाव है । इनमें से एक है, समानता । सामाजिक स्तर पर, भारत में हमारा समाज विभिन्न स्तरों की असमानता के सिद्धान्त पर आधारित है जिसका अर्थ है कि कुछ लोगों का स्थान ऊंचा है और अन्य का नीचा । आर्थिक स्तर पर, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके पास अथाह धन-सम्पत्ति है और इसके विपरीत बहुत से लोग घोर दरिद्रता में जीवनयापन करते हैं । 26 जनवरी, 1950 को हम परस्पर-विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं । राजनीति में हमें समानता उपलब्ध होगी और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता । राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत (वोट) और एक वोट एक मूल्य के सिद्धान्त को स्वीकार करेंगे । हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम, अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण, एक

व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धान्त को नकारते रहेंगे । हम कितनी देर तक परस्पर-विरोधों का यह जीवन जीते रहेंगे?"

1.3 स्वतंत्र भारत ने जो संविधान अपनाया, वह 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ । भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय-सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक को भारत को प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के उद्देश्यों में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है । हमारे देश की इस दो अनता को स्वीकार करते हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान के अंदर एक ऐसा ढांचा निर्मित करने का प्रयत्न किया है, जिससे देश में सामाजिक लोकतंत्र का उदय भी हो सके ।

1.4 जैसा कि इस रिपोर्ट के खंड-1 के अध्याय-3 में बताया गया है, भारत के संविधान में लगभग ऐसे सारे समर्थकारी उपबंध मौजूद हैं, जिनसे देश में समतावादी समाज की स्थापना सुनिश्चित की जा सकती है । भारत के संविधान में एक संघीय ढांचा अपना गया है, जिसमें देश के विकास की जिम्मेदारी केंद्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच बांटी गई है । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से केंद्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं । वस्तुतः, विशेष पैकेज सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं, जैसे सरकारी नौकरियों और निर्वाचित प्रतिनिधि निकायों में आरक्षण, उन इलाकों को, जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग बसते हों, सभी सरकारी कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिकता दे कर उनके विकास के लिए बजट में अलग धनराशियों का नियतन सामाजिक-आर्थिक विकास में एक प्रमुख कार्यनीति यह अपनाई गई थी कि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुरूप धनराशियों का नियतन, अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत किया जाए । राज्यों से यह अपेक्षित था कि वे जनजातीय उप-योजना/विशेष संघटक योजना के अंतर्गत धनराशियों का नियतन सुनिश्चित करेंगे, और केंद्रीय सरकार जनजातीय उप-योजना/विशेष संघटक योजना की स्कीमों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए धनराशियों के रूप में अपेक्षित सहायता देगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास की क्षेत्र-सापेक्ष स्कीमों के वित्त पोषण का एक अन्य साधन वित्तीय निगम हैं । सभी राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगमों की स्थापना करके आर्थिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट संस्थात्मक तंत्र का निर्माण किया है, ताकि इन जातियों के लोग आय-सृजन के सक्षम क्रियाकलाप हाथ में ले सकें । भारत सरकार द्वारा 1989 में स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम के माध्यम से अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष समर्थन प्रदान किया गया ।

1.5 उपर्युक्त उपायों के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है । लेकिन यह चिन्ता का विषय है कि इन प्रयत्नों के बावजूद, हमारे संविधान में सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का जो आदर्श रखा गया है, वह एक स्वप्न मात्र बना हुआ है । कुछ अत्यल्प लोगों को छोड़ कर, इन जातियों की बहुत बड़ी संख्या अभाव की स्थिति में जीवन व्यतीत करते हैं । इस तीसरी दुनिया में उनकी दुनिया चौथी और पांचवी है और इन उपेक्षित वर्गों के विकास के निदेशक हमारे समाज पर एक धब्बा हैं । आयोग ने अपनी पहली रिपोर्टों में 32 में से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के कार्य-निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की है । आयोग की पहले की रिपोर्ट में जिन महत्वपूर्ण त्रुटियों का उल्लेख किया गया है, वे इस प्रकार हैं

i राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विशेष संघटक योजना(एस.सी.पी.) और जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के अंतर्गत आवंटित की जाने वाली धनराशियां, योजना आयोग के मार्ग-निर्देशों के अनुसार, कम-से-कम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में हों और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जो स्कीमें तैयार की जाएं, वे अनु0जातियों/अनु0 जनजातियों के परिवारों के लिए वास्तव में लाभदायक हो । यह भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि एस.सी.पी और टी.एस.पी. की धनराशियों का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए न किया जाए और भारत सरकार से मिलने वाली विशेष केंद्रीय सहायता और अनुदानों का पूरा उपयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकतम लाभ के लिए किया जाए ।

ii राज्य स्तर पर नीति-निर्माताओं और प्रशासकों को शिक्षा के सभी स्तरों अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज और व्यावसायिक शिक्षा की ओर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए । अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और शेष लोगों के बीच साक्षरता के स्तरों में विद्यमान भारी अन्तर होने के कारण, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्रक को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए ।

iii अधिकतर राज्यों में भूमि सुधारों को यथोचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोग इस अति महत्वपूर्ण संसाधन से वंचित बने हुए हैं, जो उनके विकास के लिए अत्यावश्यक है । इसके अलावा, बहुत सी विकास-परियोजनाओं के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लोगों को अपनी जमीनों की मिल्कीयत से हाथ धोना पड़ रहा है, जिससे उनकी कठिनाइयों में और वृद्धि हो रही है । विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास किसी भी विकास परियोजना का अभिन्न अंग होना चाहिए और बृहद विकास परियोजनाएं तैयार करने में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए । सरकार को ऐसे प्रभावकारी उपाय करने चाहिएं, जिनसे भूमि के मालिकों और खेती करने वालों को खेतिहर श्रमिकों, सीमान्तिक किसानों की श्रेणी में शामिल होने से रोका जा सके ।

iv अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अक्सर बुनियादी ढांचे और अन्य न्यूनतम सुविधाओ का अभाव होता हैं, जैसे सड़कें, बिजली, रहने का स्थान, सुरक्षित पेय जल, स्वास्थ्य और पोषाहार, सार्वजनिक सफाई, आदि की सुविधाएं। इस संबंध में महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है । इसलिए एस.सी.पी. और टी.एस.पी. की कार्यनीतियों में विकास के इन पहलुओं की ओर ध्यान केन्द्रित करने और ऐसी विशिष्ट स्कीमें और कार्यक्रम तैयार किए जाने की जरूरत है, जिनसे इन कठिनाइयों पर काबू पाने में सहायता मिले ।

v कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, प्राथमिक रूप से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की जिम्मेदारी है । जबकि एक ओर, अपराधों के पंजीयन को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में बढ़ती हुई जागरूकता

का परिचायक समझा जाता है, वहां उसके साथ ही, यह व्यक्तियों और समुदायों के बीच संघर्ष का द्योतक है, जिसका मूल सामाजिक और आर्थिक संबंधों में है । आज, भूमि संबधी विवाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों का एक महत्वपूर्ण कारण हैं । आर्थिक विकास की प्रक्रिया से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछ्ड़ी जातियों के बीच झगड़े पैदा हुए हैं। राज्य सरकारों को न केवल पुलिस प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई करनी है, बल्कि इन विवादों पर काबू पाने के लिए लोक प्रतिनिधियों और आम जनता को भी सक्रिय रूप से शामिल करना होगा ।

1.6 आयोग ने अपनी पहले की रिपार्टों में उन सुरक्षोपायों के संबंध में, जिनकी व्यवस्था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए की गई है, 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक के कार्य-निष्पादन और समाज के इन उपेक्षित वर्गों को अन्य समुदायों के बराबर लाने में उनके कार्य-निष्पादन की विस्तृत समीक्षा की है । अलग-अलग राज्यों से संबंधित अध्याय, अपेक्षित संख्या में उनकी प्रतियों सहित, संबंधित राज्यों के पास भेजे गए थे, ताकि स्थिति में सुधार करने के लिए आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ उन्हें राज्य विधान सभाओं में प्रस्तुत किया जाए । लेकिन, यह गम्भीर चिंता की बात है कि काफी लम्बा समय बीत जाने के बाद भी, आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकारों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । इसलिए यह निश्चय किया है कि इस मामले को मुख्य रिपोर्ट के खंड-2 के रूप में भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न सुरक्षोपायों और विकास की स्कीमों के बारे में राज्यों के कार्य-निष्पादन का संक्षिप्त विवेचन किया गया हो ।

1.7 राज्यों के वर्ष 1997-98 के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करने के बाद, हमारा यह मत बना है कि आयोग की टिप्पणियों और उसके सुझावों का अभी कोई प्रथाव नहीं पड़ा है । अगले भागों में हम राज्यों के कार्यचालन के बारे में आयोग की विशेष चिंताओं के कुछ क्षेत्रों पर चर्चा कर रहे हैं ।

1.8 1970 के दशक में, सरकार ने तीन विशेष तंत्रों की स्थापना की थी अर्थात अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.), अनुसूचित जनजातियो के लिए जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी) और एस.सी.पी और टी.एस.पी. के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.पी) । एस.सी.पी. और टी.एस.पी. का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन समुदायों के कल्याण और उत्थान के लिए पर्याप्त धनराशियों का प्रवाह जो जनसंख्या में इन समुदायों के अनुपात के अनुसार हो, 1991 की जनगणना के अनुसार अब अनुसूचित जातियों के मामले में 16.5 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के मामलों में 8.1 प्रतिशत है । एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के जरिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए अन्य सभी स्रोतों से जुटाई गई राशियों के अलावा, अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि इन समुदायों से संबंधित विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली कमियों को पूरा किया जा सके ।

1.9 एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए 1997-98 के लिए राज्य सरकारों द्वारा सुनिश्चित की गई धनराशियां और एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए दी गई विशेष केंद्रीय सहायता ओर व्यय का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबन्ध-1.1 से 1.4** में दिया गया है । यह देखा जा सकता हे कि राज्य स्तर पर 21 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र एस.सी.पी. के लिए राशियां निर्धारित कर रहे थे । इनमें से 18 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने धनराशियों की उपयुक्त मात्रा ओर उनका प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित करने के

लिए एस.सी.पी. के/ लिए अलग लेखा शीर्ष रखे हुए हैं । लेकिन अधिकतर राज्यों में एस.सी.पी. के लिए निर्धारित की जाने वाली धनराशि राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में नहीं की गई। अधिकांश राज्यों में निर्धारित धनराशियों का पूरा-पूरा उपयोग नहीं किया गया । यह भी नोट किया जा सकता है कि अधिकतर राज्यों में विशेष केंद्रीय सहायता का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया है।

1.10 इसी प्रकार, टी.एस.पी. के संबंध में 18 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों ने धनराशियां अलग से निर्धारित की हैं । लेकिन, निर्धारित धनराशियां राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में नहीं हैं और निर्धारित की गई राशियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया । यह खेद का विषय है कि एस.सी.पी. और टी.एस.पी. की दोनों स्कीमों का जो 20 वर्षों से अधिक समय से लागू हैं, इन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ सका है । इसलिए आयोग पुरजोर सिफारिश करता है कि राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाए:

i. चूंकि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की मौजूदा स्थिति का एक मुख्य कारण धनराशियों की कमी बताया गया है, इसलिए एस.सी.पी./टी.एस.पी. के अंतर्गत धनराशियां निर्धारित करने के बुनियादी मार्गनिर्देशों को संशोधित किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों से कहा जाना चाहिए के वे राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में एस.सी.पी./ एस.टी.पी. के लिए धनराशियों का दुगना नियतन करें और वे धनराशियां एक ही प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएं, जैसाकि महाराष्ट्र में किया जाता है, ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अनुभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्यक्रम विशिष्ट स्प से तैयार किए जाए और अन्तर्क्षेत्रकीय प्राथमिकताओं में उपयुक्त रूप से समन्वय स्थापित किया जा सके ।

ii. लोगों की भागीदारिता से आवंटित, धनराशियों का पूरा और समुचित उपयोग किया जाए और स्कीमें तैयार और कियान्तित की जाएं।

1.11 संसाधनों का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने और उनके अनुपयुक्त उपयोग से कार्यक्रमों के कार्यनिष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और उनके इष्टतम परिणाम नहीं निकले । योजना आयोग और अन्य अभिकरणों द्वारा कतिपय केंद्र-प्रायोजिक कल्याणकारी स्कीमों की जो समीक्षा की गई है, उससे पता चलता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए निर्धारित राशियों का काफी बड़ी मात्रा में अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में भी ग्रामीण विकास और कल्याण कार्यक्रमों के लिए नियत राशियों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किए जाने का संकेत दिया गया है । इसलिए आयोग राज्य सरकारों और जिला प्राधिकारियों को इस बारे में कड़ी हिदायतें जारी किए जाने की जरूरत पर बल देता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निर्धारित और आवंटित राशियों का उपयोग अन्य कार्यों के लिए न किया जाए।

1.12 यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या का 16 प्रतिशत भाग भारत में बसता है, पर भारत अपने जी.एन.पी. का 3.8 प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च करता हे और 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के इसके 46 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं जबकि चीन अपने सकल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 2.6 प्रतिशत

भाग शिक्षा पर व्यय करता है, लेकिन 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के इसके केवल 22 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। विश्व शिक्षा रिपोर्ट, 1998 और जनांकिकीय वर्ष पुस्तिका, 1995, संयुक्त राष्ट्र संघ, न्यूयार्क, के अनुसार तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन " लिटरेसी फैक्ट्स ऐट ए ग्लांस" में दी गई जानकारी के अनुसार, संसार के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के एक तिहाई से कुछ कम अनपढ़ लोग भारत में हैं । स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेकर हमारे लोगों को साक्षर बनाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं । इस प्रकार, कुल साक्षरता प्रतिशतता, जो 1961 में 27.76 प्रतिशत थी, बढ़ कर 1991 में 48.54 प्रतिशत (जम्मू और कश्मीर को छोड़ कर) हो गई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के (52वें) चक्र, 1995-96 के अनुसार साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ कर 54.32 प्रतिशत हो गई है । लेकिन, देश में साक्षरता दरों में बहुत अन्तर है। एक ओर केरल के कोट्टयम जिले में 95.72 प्रतिशत साक्षरता है, जबकि दूसरी ओर मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में यह केवल 19.01 प्रतिशत (1991 की जनगणना के अनुसार) है। यदि हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर की तुलना सामान्य जनता की साक्षरता दर से करें, तो स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। अनुसूचित जातियों की साक्षरता की प्रतिशतता, जो 1961 में 10.27 प्रतिशत थी, बढ़ कर 1991 में 37.41 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित जनजातियों की तदनुरूप दर 1961 में 8.53 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 1991 में 29.60 प्रतिशत हो गई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दरों के बीच भारी असमानता है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 1961 में बहुत कम अर्थात केवल 3.29 प्रतिशत थी जो 1991 में बढ़ कर 23.76 प्रतिशत हो गई है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता दर, जो 1961 में 3.16 प्रतिशत थी, बढ़ कर 1991 में 18.19 प्रतिशत हो गई है । हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि सरकार की सकारात्मक नीतियों के कारण, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चे के नामांकन में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन साक्षरता की प्रतिशतताओं से पता चलता है कि इन सबसे अधिक सुविधाहीन वर्गों की शिक्षा की स्थिति कितनी दयनीय है। अनुबन्ध-1.5 में शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन कर रहे, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी दी गई है, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने की अविलम्ब आवश्यकता है। जैसाकि अनुबन्ध में दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की संख्या चिंताजनक है। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के 1.84 करोड़ और अनुसूचित जनजाति के 98 लाख विद्यार्थियों ने नाम लिखाए, जिनकी संख्या गिर कर माध्यमिक स्तर अनुसूचित जाति के मामले में 58 लाख और अनुसूचित जनजाति के मामले में 24 लाख रह गई और हाई स्कूल के स्तर पर यह संख्या और घट कर क्रमशः 24 लाख ओर 10 लाख रह गई। स्नातक स्तर अनुसूचित जातियों के केवल 4.58 लाख विद्यार्थी और अनुसूचित जनजातियों के 1.70 लाख विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। इससे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा की निराशाजनक स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चलता है। जो आंकड़े दिए गए हैं, वे केवल मात्रात्मक हैं ; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को उपलब्ध शिक्षा की गुणवत्ता एक अन्य पहलू है, जिसके ब्यौरे से एक अन्य मलीन तस्वीर प्रस्तुत होती है। आयोग ने विभिन्न राज्य सरकारों पर बार-बार इस बात पर बल दिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि करने के साथ शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक राज्य सरकारें इन समर्थकारी पहलुओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देंगी, तब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थी आम विद्यार्थियों की तुलना में पिछड़े रहेंगे।

1.13 1987 से 1996 तक की पिछली 10 वर्ष की अवधि में श्रम मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्योरे के अनुसार, जो रोजगार कार्यालयों के सक्रिय रजिस्टरों से लिया गया है, अनुसूचित जातियों के नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या, जो 1987 में 35.8 लाख थी, बढ़ कर 1996 में 52.1 लाख हो गई है, अर्थात 45.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, रोजगार कार्यालयों के सक्रिय रजिस्टरों में दर्ज अनुसूचित जनजाजतियों के नौकरी पाने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या, जो 1987 में 9.5 लाख थी, बढ़ कर 1996 में लगभग दुगनी अर्थात 14.7 लाख हो गई। वर्ष 1996 के अंत में रोजगार कार्यालयों के सक्रिय रजिस्टरों में दर्ज नौकरी चाहने वाले कुल व्यक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की संख्या क्रमशः 13.9 प्रतिशत और 3.9 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों के बारे में रोजगार कार्यालयों के आंकड़ों का राज्यवार ब्योरा **अनुबन्ध - 1.6** में दिया गया है। उससे यह देखा जा सकता है कि अनुसूचित जातियों के नौकरी चाहने वाले सबसे अधिक व्यक्ति तमिलनाडु में पंजीयित है ; इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, आंध प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। रोजगार कार्यालयों में अनुसूचित जनजाजतियों के सबसे अधिक व्यक्ति बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और आंध्र प्रदेश में पंजीयित हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। यह उल्लेख करना भी उचित होगा की नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों की वास्तविक संख्या, रोजगार कार्यालयों में पंजीयित व्यक्तियों की संख्या से कहीं अधिक हो सकती है।

1.14 जनजातीय लोगों के विकास के लिए जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास एक पूर्वापेक्षा है। सड़कों के अभाव के कारण जनजातीय क्षेत्र देश के अन्य लोगों से कटे रहते हैं। बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के अभाव और वहां पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों के कारण भी कर्मचारी इन क्षेत्रों में काम करने के अनिच्छुक होते हैं, और इसके परिणामस्वरूप जनजातीय लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था नहीं हो पाती। उन क्षेत्रों में भी सिंचाई सुविधाओं के अभाव के कारण, जहां इनकी व्यवस्था करना संभव है, कृषि इष्टतम तरीके से नहीं हो पाती और उत्पादकता कम है। पेय जल की व्यवस्था न होने से कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जनजातीय क्षेत्रों में बिजली के अभाव के कारण ये इलाके शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों रूपों में अंधेरे में रहते हैं। इन परिस्थितियों में, जनजातीय लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना एक दूरगामी लक्ष्य बना हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट है कि बुनियादी ढांचे का विकास जनजातीय विकास की कुंजी है।

1.15 इसमें कोई सन्देह नहीं कि उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं में, विशेष रूप से पांचवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय से लेकर अनुसूचित जाजतियों के विकास के संबंध में सुरक्षात्मक और संवर्धनात्मक उपायों की जो कार्यनीति अपनाई गई है, उससे उनके साक्षरता स्तरों में कुछ सुधार हुआ है, सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में कुछ वृद्धि हुई है और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धतता बढ़ी है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्यों के सहयोजन से गरीबी उपशमन के जो कायर्क्रम हाथ में लिए गए हैं उनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों के बहुत से परिवारों को कवर किया गया है। अनुसूचित जाति विकास निगम ने कतिपय अन्य अभिकरणों के सहयोग से, जिनमें वित्तीय संस्थाएं भी शामिल हैं, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के बहुत से परिवारों को सहायता दी है। लेकिन अनुसूचित जातियों के लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले इन लोगों की हालतें में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन के अलावा ये सामाजिक शोषण के शिकार भी हैं।

1.16 अनुसूचित जातियों को सामान्यतः कुछ पारम्परिक धंधों के साथ जोड़ा जाता है। इस बात के बावजूद कि उन्हें शैक्षणिक कार्यक्रमों के लाभ पहुंचाने और उन्हें ऊपर उठाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए बहुत से प्रयत्न किए गए हैं, इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुसूचित जातियों के विकास के क्षेत्र में जो मुख्य समस्याएं निरन्तर बनी हुई हैं, वे हैं : आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक अलगाव। भूमिहीन कृषि मजदूरों, सीमान्तिक किसानों, दस्तकारों, सफाई कर्मचारियों, चमड़ा उतारने वालों, चर्मकारों और असंगठित श्रमिकों जैसे समूहों की ओर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है।

1.17 उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के, वर्ष 1997-98 के कार्य-निष्पादन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियों और राज्य-समीक्षाओं के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष द्वारा व्यक्त विचारों/ दिए गए सुझावों से, जो आगे दी गई हैं, उपर्युक्त बातें प्रमाणित होती हैं।

1.18 इस रिपोर्ट के खंड-1 में सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम, पंचायती राज संस्थाओं के कार्यचालन, गरीबी-उपशमन रोजगार और आय सृजन के संबंध में राज्यों के कार्य-निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि जबकि कुछ राज्यों में पर्याप्त प्रगति हुई है, पर अन्य राज्य उनके लिए निर्धारित अत्यल्प लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इनके साक्षरता स्तरों को ऊपर उठाने, बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने और उनकी आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के व्यापक सुझाव भी इनमें शामिल किए गए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को त्वरित विकास के लिए और उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में मिलाने के लिए प्रत्येक राज्य को सुनियोजित प्रयास करने होंगे, ताकि ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य वाली उपयुक्त नीतियों से नौवीं योजना के त्वरित आर्थिक संवृद्धि के लक्ष्य को पूरा किया जा सके ।

अनुवन्ध-1.1

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान विशेष संघटक योजना परिव्यय तथा व्यय का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनु0जा0 जनसंख्या की प्रतिशतता	1997-98				1998-99			
			राज्य परियोजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना	एस.सी.पी. परिव्यय की प्रतिशतता	एस.सी.पी. व्यय	राज्य परियोजना परिव्यय	विशेष संघटक योजना	एस.सी.पी. परिव्यय की प्रतिशतता	एस.सी.पी. व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	15.93	3585.05	339.72	9.48	111.05	4687.94	573.46	12.23	632.48
2.	असम	7.40	1192.97	88.63	7.43	88.63	1203.00	93.50	7.77	66.38
3.	विहार	14.55	2200.00	354.79	16.13	0.00	3768.00	627.97	16.67	0.00
4.	गुजरात	7.41	4500.00	171.52	3.81	0.00	5450.00	199.55	3.66	165.38
5.	गोवा	2.08	230.00	2.19	0.95	1.99	171.34	1.84	1.07	1.81
6.	हरियाणा	19.75	1576.04	202.65	12.86	165.63	2260.00	365.37	16.17	315.28
7.	हिमाचल प्रदेश	25.34	10008.00	121.11	12.01	126.63	1425.00	172.81	12.13	162.43
8.	जम्मू एवं कश्मीर	8.30	1550.00	155.40	10.03	84.93	1900.00	0.00	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	16.38	4545.01	385.10	8.47	308.82	5353.00	400.50	7.48	318.24
10.	केरल	9.92	2855.00	310.23	10.87	306.69	3100.00	304.01	9.81	297.80
11.	मध्य प्रदेश	14.55	3656.00	307.30	8.41	198.07	3005.42	315.79	10.51	263.09
12.	महाराष्ट्र	11.09	8325.00	600.00	7.21	361.69	11600.73	608.00	5.24	482.65
13.	मणिपुर	2.02	410.00	4.13	1.01	0.23	425.00	0.22	0.05	0.20
14.	उड़ीसा	16.20	2810.00	282.04	10.04	0	3084.43	322.15	10.44	304.31
15.	पंजाव	28.31	2100.01	210.00	10.00	134.54	2500.00	220.00	8.80	57.02
16.	राजस्थान	17.29	3500.00	660.01	18.86	607.42	4100.00	688.74	16.80	606.95
17.	सिक्किम	5.93	200.00	4.22	2.11	0.00	193.60	0.06	0.03	0.06
18.	तमिलनाडु	19.18	4042.60	752.23	18.61	224.35	4500.49	825.53	18.34	713.27
19.	त्रिपुरा	16.36	437.00	40.58	9.29	41.97	440.00	40.88	9.29	43.45
20.	उत्तर प्रदेश	21.05	7080.00	1484.00	20.96	1082.55	10260.96	2159.81	21.05	1349.23
21.	पश्चिम बंगाल	23.62	3922.87	300.38	7.66	204.91	4594.85	235.30	5.12	174.69
22.	चंडीगढ़	16.51	116.87	10.21	8.74	8.31	0.00	12.87	0.00	9.37
23.	दिल्ली	19.05	2325.00	205.01	8.82	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	पांडिचेरी	16.25	218.00	35.47	16.27	0.00	241.00	0.33	0.14	0.33
	योग		62395.42	7026.92	11.26	4153.62	74264.76	8168.69	11.00	5964.42

अनुबन्ध-1.2

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना की जारी की गई विशेष केंद्रीय सहायता

(लाख रुपये)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99	
		जारी की गई	उपयोग की गई	जारी की गई	उपयोग की गई
1.	आंध्र प्रदेश	2680.13	2680.13	3388.78	4335.20
2.	असम	142.18	112.00	596.66	362.00
3.	बिहार	2808.20	4939.40	3620.07	1820.93
4.	गुजरात	1659.99	680.56	371.40	1136.79
5.	गोवा	3.83	1.16	2.72	1.90
6.	हरियाणा	546.41	644.69	741.77	705.93
7.	हिमाचल प्रदेश	256.91	229.60	259.56	229.60
8.	जम्मू एवं कश्मीर	73.87	105.98	132.80	66.69
9.	कर्नाटक	1389.35	1434.61	1820.07	1820.07
10.	केरल	645.94	576.05	724.54	561.23
11.	मध्य प्रदेश	1945.24	1465.66	2237.08	2437.08
12.	महाराष्ट्र	1922.45	1643.61	1673.92	870.94
13.	मणिपुर	6.58	6.58	10.62	8.43
14.	उड़ीसा	1925.47	1925.47	2281.57	2295.99
15.	पंजाब	0	887.82	1119.74	486.47
16.	राजस्थान	2279.81	2308.28	2575.48	2357.68
17.	सिक्किम	4.44	4.44	4.03	6.12
18.	तमिलनाडु	1756.90	1766.97	3236.93	3236.93
19.	त्रिपुरा	106.28	106.50	108.72	102.99
20.	उत्तर प्रदेश	7646.66	5572.47	7518.15	6847.50
21.	पश्चिम बंगाल	2848.78	2848.78	3378.39	3378.39
22.	चंडीगढ़	18.16	18.16	22.00	22.00
23.	दिल्ली	135.43	90.69	201.71	78.87
24.	पाडिचेरी	23.99	25.74	73.29	73.298
	योग	30827.00	30075.55	36100.00	33243.02

1997-98 तथा 1998-99 के दौरान राज्य योजना परिव्यय तथा टी.एस.पी. की प्रतिशतता सहित दी गई राशि दर्शानेवाला विवरण

(करोड़ रुपए)

			1997-98			1998-99		
क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनु0 ज0जा0 जनसंख्या(1991 की जनगणना) की प्रतिशतता	राज्य योजना परिव्यय	टी.एस.पी. को दी गई राशि	टी.एस.पी. को दी गई राशि की प्रतिशतता	राज्य योजना परिव्यय	टी.एस.पी. को दी गई राशि	टी.एस.पी. को दी गई राशि की प्रतिशतता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	आंध्र प्रदेश	6.31	3533.00	191.93	5.43	4678.94	158.09	3.38
2.	असम	12.82	1192.97	132.675	11.12	1128.70	108.66	9.62
3.	बिहार	7.66				2348.42	726.76	30.94
4.	गुजरात	14.92	4500.00	489.06	10.87	5450.00	666.72	12.23
5.	हिमाचल प्रदेश	4.22	1008.00	90.72	9.00	1440.00	122.67	8.51
6.	जम्मू एवं कश्मीर	11.00	1550.00	231.12	14.91			
7.	कर्नाटक	4.26	4545.01	84.98	1.87	5353.00	76.18	1.42
8.	केरल	1.10	2855.00	19.42	0.68	3100.00	61.17	1.97
9.	मध्य प्रदेश	23.27	3657.22	622.21	17.01	3700.00	634.32	17.14
10.	महाराष्ट्र	9.27	5836.20	550.00	9.42	11600.73	561.00	4.83
11.	मणिपुर	34.41	410.00	160.77	39.21			
12.	उड़ीसा	22.21	2883.95	576.62	21.48	2071.23	642.85	31.09
13.	राजस्थान	12.44	3504.13	390.17	11.13	3800.00	384.55	10.12
14.	सिक्किम	22.36	51.57	11.56	22.41	193.60	17.24	8.91
15.	तमिलनाडु	1.03	4000.00	42.45	1.06	4500.00	46.24	1.03
16.	त्रिपुरा	30.95	437.00	125.94	28.81	440.00	120.51	27.38
17.	उत्तर प्रदेश	0.21	7080.00	32.00	0.45	10260.96	49.10	0.48
18.	पश्चिम बंगाल	5.59	3922.34	102.79	2.63	4594.85	79.92	1.74
19.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9.54	255.00	25.52	10.06	320.00	41.22	12.88
20.	दमन एवं दीव	11.54	5957.57	2.73	4.58	33.39	1.40	4.19
	योग		51490.96	3882.64	7.54	65013.82	4499.58	6.92

अनुबन्ध-1.4

टी.एस.पी. को जारी की गई विशेष केंद्रीय सहायता

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई 1997-98	जारी की गई 1998-99
1.	आंध्र प्रदेश	2581.54	2728.47
2.	असम	1460.00	2069.56
3.	बिहार		0.00
4.	गुजरात	2632.77	3689.70
5.	हिमाचल प्रदेश	521.89	689.44
6.	जम्मू एवं कश्मीर	521.89	739.22
7.	कर्नाटक	500.00	686.64
8.	केरल	196.12	408.17
9.	मध्य प्रदेश	9207.83	9476.17
10.	महाराष्ट्र	3400.89	3532.21
11.	मणिपुर	950.00	779.52
12.	उड़ीसा	5576.21	5911.86
13.	राजस्थान	2341.13	3475.72
14.	सिक्किम	60.00	60.00
15.	तमिलनाडु	243.71	295.91
16.	त्रिपुरा	885.00	977.77
17.	उत्तर प्रदेश	112.91	57.54
18.	पश्चिम बंगाल	1600.39	2222.10
19.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	118.00	133.90
20.	दमन एवं दीव	50.75	65.10
	योग	32961.00	38006.00

अनुबन्ध-1.5

वर्ष 1998-99 की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्तरों पर गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों की भर्ती दर्शानेवाला विवरण

क्रम सं0	शैक्षणिक स्तर	गैर अनु0जा0/अनु0ज0जा0 विद्यार्थी			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग	छात्र	छात्राएं	योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	प्राथमिक स्तर (1-5)	46275063 (73.79%)	35909502 (73.35%)	62630763 (65.67%)	11122643 (17.74%)	8376932 (18.39%)	19499575 (17.57%)	5312353 (8.47%)	3989384 (8.26%)	9301737 (8.38%)
2.	मिडिल (6-8)	18672002 (76.44%)	12989875 (79.46%)	31661877 (78.47%)	3747547 (15.61%)	2387673 (14.62%)	6135220 (15.20%)	1588783 (7.94%)	967478 (5.92%)	2556261 (6.33%)
3.	मैट्रिक/ माध्यमिक स्तर (9-10)	9127255 (80.08%)	5792617 (82.12%)	14919872 (80.86%)	1618225 (14.20%)	902010 (12.79%)	2520235 (13.65%)	652184 (5.72%)	359564 (5.10%)	1011748 (5.48%)
4.	उच्चतर माध्यमिक स्तर (11-12)	3647873 (83.85%)	2285861 (87.08%)	5933734 (85.06%)	499254 (11.47%)	246859 (9.40%)	746113 (10.70%)	203719 (4.68%)	92335 (3.52%)	296054 (4.24%)
5.	इन्टर, विश्वविद्यालय से पूर्व/जूनियर कालेज/स्नातक से पूर्व	1312120 (86.49%)	732532 (89.05%)	2044652 (87.38%)	144820 (9.55%)	63703 (7.74%)	208523 (8.92%)	60112 (3.96%)	26406 (3.21%)	86518 (3.70%)
6.	बी.ए., बी.ए. (आनर्स)	1493994 (81.13%)	1345223 (90.29%)	2839217 (85.22%)	249850 (13.56%)	99040 (6.65%)	348890 (10.47%)	97924 (5.31%)	45626 (3.06%)	143554 (4.31%)
7.	बी.एस.सी.,बी.एस.सी. (आनर्स)	750067 (90.69%)	414510 (92.24%)	1164577 (97.56%)	61539 (7.44%)	28205 (6.27%)	89744 (0.70%)	15469 (1.87%)	6704 (1.49%)	22173 (1.73%)
8.	बी.कॉम, बी.कॉम (आनर्स)	859640 (92.58%)	403858 (93.56%)	1263498 (92.46%)	52996 (5.71%)	22688 (5.26%)	75684 (6.00%)	15882 (1.71%)	5053 (1.17%)	20935 (1.54%)

9.	वी.ई/वी.एस.सी(इंजी)/ वी.आर्किटेक्चर	221291 (87.92%)	53813 (88.15%)	275104 (87.97%)	24021 (9.54%)	6172 (10.11%)	30193 (9.65%)	6381 (2.53%)	1063 (1.74%)	7444 (2.38%)
10.	बी.एड/बी.टी	52901 (80.59%)	43466 (91.58%)	96367 (84.38%)	9366 (14.26%)	3638 (5.43%)	13004 (11.39%)	3378 (5.15%)	1450 (2.99%)	4823 (2.23%)
11.	एमवीवीएस/आयुर्वेद	77737 (87.83%)	48578 (88.45%)	126315 (88.08%)	7791 (8.80%)	4824 (8.78%)	12615 (8.80%)	2958 (3.37%)	1516 (2.76%)	4474 (3.12%)
12.	एम.ए.	130017 (75.81%)	120611 (89.37%)	250628 (81.80%)	33489 (19.53%)	10604 (7.89%)	44093 (14.39%)	7985 (4.66%)	3701 (2.74%)	11686 (3.81%)
13.	एम.एस.सी	68473 (89.17%)	45335 (90.56%)	113808 (89.72%)	6877 (8.96%)	3257 (6.50%)	10134 (7.99%0	1435 (1.87%)	1469 (2.93%)	2904 (2.29%)
14.	एम.कॉम	52779 (89.34%)	21867 (93.34%)	74646 (90.20%)	4967 (8.41%)	1467 (6.19%)	6434 (7.77%)	1328 (2.25%)	349 (1.47%)	1677 (2.03%)
15.	पी.एच.डी/डी.एस.सी/ डी. फिल	30160 (94.08%)	13050 (94.77%)	43210 (94.28%)	1429 (4.46%)	469 (3.40%)	1898 (4.14%)	468 (1.46%)	252 (1.83%)	720 (1.57%)
16.	शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में भर्ती	51873 (76.13%)	50404 (83.18%)	102277 (79.46%)	10756 (15.78%)	6814 (11.25%)	17570 (13.64%)	5512 (8.09%0	3376 (5.57%)	8888 (6.90%)
17.	पोलीटेक्निक संस्थानों में भर्ती	260984 (87.85%)	50545 (84.40%)	311529 (87.22%)	27225 (9.16%)	7838 (13.04%)	35063 (9.82%)	8861 (2.98%)	1721 (2.86%)	10582 (2.96%)
18.	तकनीकी, उद्योग, कला एवं शिल्प विद्यालयों में भर्ती	315222 (87.80%)	49071 (83.11%0	364293 (82.63%)	45237 (6.61%)	7386 (12.51%)	52623 (11.94%)	21341 (5.59%)	2586 (4.38%)	23927 (5.43%)

स्रोतः शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के वर्ष 1998-99 के चुनिदा शिक्षा आंकड़े

अनुबन्ध-1.6

राज्यवार अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी काम की तलाश में रोजगार कार्यालयों के आंकड़े-1996

(हजार में)

क्रम सं0	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति वैध रजिस्टर की तुलना में अनु.जातियों को दी गई प्रतिशतता	अनु.ज.जा. वैध रजिस्टर की तुलना में अनुसूचित जनजातियों को दी गई नौकरियों की प्रतिशतता
		पंजीकरण	नौकरी दिलवाई गई	वैध पंजीकरण	पंजीकरण	नौकरी दिलवाई गई	वैध पंजीकरण		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आंध्र प्रदेश	76.9	3.3	498.4	12.5	1.5	108.0	0.7	1.4
2.	अरुणा. प्रदेश	@	-	0.2	0.8	@	3.5	-	-
3.	असम	8.7	0.2	74.0	15.5	0.2	128.5	0.3	0.2
4.	बिहार	43.6	1.0	415.4	33.2	5.1	234.2	0.2	2.2
5.	गोवा	0.3	0.1	1.1	-	-	-	9.1	-
6.	गुजरात	31.8	2.1	195.2	25.3	6.2	83.3	1.1	7.4
7.	हरियाणा	35.7	1.1	118.3	@	-	@	0.9	-
8.	हिमाचल प्रदेश	21.7	0.8	123.9	2.0	0.1	13.3	0.6	0.8
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.3	@	7.4	0.1	@	1.1	-	-
10.	कर्नाटक	28.0	2.4	222.8	6.7	0.7	42.3	1.1	1.7
11.	केरल	17.9	1.0	367.5	1.9	0.1	26.7	0.3	0.4
12.	मध्य प्रदेश	57.1	2.2	303.4	50.4	3.5	221.7	0.7	1.6
13.	महाराष्ट्र	86.5	4.4	604.9	20.8	1.2	130.3	0.7	0.9
14.	मणिपुर	0.3	@	2.3	9.6	0	77.4	-	0.3
15.	मेघालय	0.1	@	0.4	5.4	0.1	22.7	-	0.4
16.	मिजोरम	-	-	-	10.6	0.3	49.3	-	0.6
17.	नागालैंड	0.1	@	0.3	7.2	0.1	19.7	-	0.5
18.	उड़ीसा	29.0	0.6	130.8	16.8	0.8	81.3	0.5	1.0
19.	पंजाब	44.1	1.3	158.7	@	-	@	0.8	-
20.	राजस्थान	37.5	2.1	130.9	17.7	1.3	62.7	1.6	2.1
21.	सिक्किम							-	-
22.	तमिलनाडु	82.1	3.8	669.9	1.1	0.1	8.5	0.6	1.2
23.	त्रिपुरा	0.5	-	13.8	0.7	-	16.3	-	-
24.	उत्तर प्रदेश	91.1	3.4	457.4	2.3	0.1	11.3	0.7	0.9
25.	पश्चिम बंगाल	24.3	1.5	511.9	5.3	0.4	93.5	0.3	0.4
26.	अं.व नि. द्वीप समूह	-	-	0.7	-	-	-	-	-
27.	चंडीगढ़	1.5	0.2	32.5	@	@	@	0.6	-
28.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	दिल्ली	23.1	0.2	166.8	4.7	0.1	25.1	0.1	0.4
30.	दमन व दीव	0.1	-	0.3	@	@	0.3	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	6.4	-	-
32.	पाडिचेरी	-	-	-	@	-	@	-	-
	योग	742.4	31.8	5208.9	250.6	22.0	1467.4	0.6	1.5

टिप्पणी: **@ 50 से कम की संख्या** **$ वर्ष के अंत में**

स्रोतः श्रम मंत्रालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण महा निदेशालय द्वारा प्रकाशित रोजगार कार्यालय आंकड़े 1996-97

अध्याय II

आंध्र प्रदेश

परिचय

आंध्र प्रदेश की आबादी 6.65 करोड़ है और जनसंख्या की दृष्टि से यह हमारा पांचवां सबसे बड़ा राज्य है। अनुसूचित जातियों के 1.06 करोड़ लोग हैं और अनुसूचित जनजातियों के 0.42 करोड़, अर्थात् राज्य की कुल जनसंख्या का क्रमशः 15.93 और 6.31 प्रतिशत। अनुसूचित जातियों के व्यावसायिक वर्गीकरण के विश्लेषण से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश (अर्थात् 72 प्रतिशत) कृषि मजदूर हैं। केवल 12.8 प्रतिशत खेतिहर हैं। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों में उनकी आबादी के 46.57 प्रतिशत लोग कृषि मजदूर हैं और 41.19 प्रतिशत खेतिहर। योजना आयोग के आकलन के अनुसार 1993-94 के दौरान, ग्रामीण इलाकों में 79.49 लाख लोग और शहरी इलाकों में 74.47 लाख लोग, अर्थात् राज्य की कुल आबादी का क्रमशः 15.92 प्रतिशत और 38.33 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे थे। अनु.जा./अनु.जन.जाति के लिए इन आंकड़ों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। तथापि अन्य राज्यों की तरह अनुमानतः इन आंकड़ों में काफी बड़ा अनुपात अनु.जाति/अनु.जन.जाति का है। 1991 की जनगणना की अनुसार अनु0जाति/अनु0जनजाति में साक्षरता दर क्रमशः 31.59 व 17.16 थी।

विकास

2.2 अनु.जाति तथा अनु.जन.जाति के लिए क्रमशः एससीपी तथा टीएसपी के अंतर्गत पृथक योजनाओं के माध्यम से विकास के प्रयास किए जाते हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान 3585 करोड़ रूपए की कुल राज्य योजना में से एससीपी के अंतर्गत केवल 340 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए थे जो राज्य की वार्षिक योकजना का 9 प्रतिशत है जबकि राज्य में अनु0जाति की जनसंख्या का प्रतिशत 15.90 है और यह बात भी इतनी ही गंभीर है कि उस कम निर्धारित राशि में से भी केवल 111 करोड़ रूपए (32.7 प्रतिशत) का उपयोग किया गया। इस अविध के दौरान टीएसपी के तहत आवंटन रूपए 192 करोड़ (5%) था और टीएसपी में से खर्चा रू. 94 करोड़ (आवंटन का 49%) था। इस **प्रकार न केवल एससीपी तथा टीएसपी के लिए दी गई राशि राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुरूप नहीं है, बल्कि उसका ठीक से उपयोग भी नहीं हुआ है। राज्य सरकार को चाहिए कि एससीपी तथा टीएसपी के लिए परिव्यय की राशि निर्धारित करते समय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि अनु.जा./अनु.जन.जा. के विकास के लिए आवंटित राशि का पूरा - पूरा उपयोग किया जाए।**

साक्षरता

2.3 1991 की जनगणना से पता चलता है कि अनु.जा./अनु.जन.जाति तथा सामान्य जनता के बीच साक्षरता की दरों में बहुत अंतर है। साक्षरता की दृष्टि से यह राज्य देश में 26वें स्थान पर है। सामान्य महिला साक्षरता बहुत कम है और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के बारे में स्थिति और भी खराब है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हैः-

कोटि	अखिल भारतीय				आंध्र प्रदेश	
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
सामान्य	52.21	64.13	39.29	44.09	55.13	32.72
अनु.जा.	37.41	49.91	23.76	31.59	41.88	20.92
अनु.जन.जा.	29.60	40.65	18.19	17.16	25.25	08.68

2.4 इस समुदाय के साक्षरता में और उनको दी जाने वाली शिक्षा की गुणता में भी सुधार के लिए राज्य ने कई कदम उठाए हैं। राज्य ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पृथक आवासीय स्कूल सोसाइटियां स्थापित की है। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अन्य कार्यक्रम यह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के मेधावी लड़कों तथा लड़कियों को पब्लिक स्कूलों में और निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही अन्य सर्वोत्तम उपलब्ध शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश दिया जाए। सारा खर्चा समाज जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जाता है। **यह एक बहुत अभिनव योजना प्रतीत होती है जिसे अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है।**

2.5 इसी प्रकार राज्य में अनु.जा./अनु.जन.जाति के स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले छात्रों के लिए (वापस पाठ्यशाला) को नाम का एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया है। बच्चों को ग्रीष्म शिविरों में दाखिल करके दो महीने तक सघन शिक्षण दिया जाता है और फिर निकट की पाठ्यशालाओं में भर्ती करा दिया जाता है। वर्ष 1997-98 के दौरान रूपए 9.45 करोड़ का खर्चा करके इस योजना में लगभग 42,014 बच्चों को शामिल किया गया था। **वापस पाठ्यशाला की इस अभिनव योजना पर अन्य राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र भी विचार कर सकते हैं।**

स्वास्थ्य

2.6 स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 1997-98 के दौरान 1872 लाख रूपए के कुल आवंटन में से 456 लाख रूपए अर्थात् 24.4% एससीपी के तहत निर्धारित्त किए गए थे। किंतु सारी राशि का उपयोग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने पर किया गया । वर्ष 1997-98 में आंध्र प्रदेश राज्य में एससीपी तथा टीएसपी के अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या नीचे लिखे अनुसार थीः-

योजना	पी.एच.सी.	सी.एच.सी.	एस.एच.सी.
स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या	1254	176	11680
जनजातिय उप योजना	113	8	849
विशेष घटक योजना	166	17	1122

2.7 आंध्र प्रदेश राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य संकेतक इस प्रकार हैं -

जीवन संकेतक	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय औसत
अशोधित जन्म दर (अंतिम)	24.2	28.3
अशोधित मृत्यु दर (अंतिम)	8.4	9.0
शिशु मृत्यु दर	1,000 में 66	1,000 में 72
आयु संभाविता (88-92)	60.2 वर्ष	58.2 वर्ष

(स्रोतः आर्थिक सर्वेक्षण (1997-98), आंध्र प्रदेश सरकार)

2.8 उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि केवल समस्त आबादी के लिए संकेतक उपलब्ध हैं। अनु.जा. तथा अनु.जन.जाति के लिए अलग से कोई आंकड़े नहीं है और न ही अन्य महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतकों को शामिल किया गया है यथा अनु.जा. तथा अनु.जन.जा. में मातृ मृत्यु दर और

संक्रामक रोगों का प्रसार। राज्य के स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपर्युक्त संकेतकों पर अलग से आंकड़े एकत्र तथा संकलित करें और महिलाओं से संबंधित जानकारी भी एकत्रित करें।

2.9 आदिवासी इलाकों में महामारियां खूब फैलती है। आयोग के राज्य कार्यालय के अनुसार जनवरी से जून, 1997 के बीच जनजातियों में पेचिश तथा मलेरिया से लगभग 60 मौते हुई थीं। जुलाई 1997 में पडेरू के आदिवासी इलाकों में मलेरिया फैलने की सूचना मिली थी। आदिम जनजातीय लोगों के लगभग 900 गांव और 600 अन्य गांव ऐसे हैं जहां मलेरिया का प्रकोप रहता है और सामान्यतः वह हर वर्ष जुलाई में सबसे अधिक होता है। राज्य सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए अपेक्षित कार्रवाई की है यथा संशिल्ट पायरेथॉरिड का छिड़काव, मलेरिया तथा गैस्ट्रोएंटराईटिस के उपचार के लिए दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक, रक्त के नमूनों की तत्परतापूर्वक जांच और पडेरू एजेंसी में अतिरिक्त चिकित्सा तथा अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की नियुक्ति भी की गई। इसके अतिरिक्त, एक विशेष पोषण योजना के तहत हर प्रभावित परिवार को दो माह तक 25 किग्रा चावल और 2 किग्रा दाल दी गई थी। राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय भी किए थे यथाः

i. आईटीडीए के लिए चिकित्सा अधिकारियों के 50 अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं।

ii. आईटीडीए इलाकों में (पुरुष) बहु-उद्देश्यी स्वास्थ्य सहायक (एमपीएचए) के सभी रिक्त पद भरे जा रहे हैं।

iii. प्रत्येक वास-स्थान के लिए एक की दर से 8000 से अधिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मानदेय के आधार पर नियुक्त के आदेश जारी किए गए हैं।

iv. स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर मॉनिटरिंग के लिए पीएचसी स्तर तथा उप-केंद्र स्तर की समितियां स्थापित की गई हैं।

v. आंध्र प्रदेश की प्रथम निर्देशित स्वास्थ्य सेवा परियोजना (एपीईआरपी) के अंतर्गत आदिवासी इलाकों में पीएचसी के लिए कुल निवेश 50 करोड़ रूपए है।

vi. राज्य के 79 प्रमुखतः जनजातीय पीएचसी में विश्व बैंक से विशेष सहायता प्राप्त एक मलेरिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

2.10 जनजातीय इलाकों में ग्राम स्वास्थ्य गाइड व्यवस्था (ग्राम स्वास्थ्य सेवक) को फिर शुरू करना चाहिए। जिन संस्थानों में अनु0 जाति तथा अनु0 जनजाति के लोग रहते हैं, वहां अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों को पर्याप्त मानदेय देकर ग्राम स्वास्थ्य सेवक के रूप में नियुक्त किया जाए ताकि इलाके के निवासी उन तक सरलता से पहुंच सकें।

2.11 राज्य के महिला तथा शिशु कल्याण विभाग को निम्नलिखित के बारे में भी आंकड़े एकत्र तथा संकलित करने चाहिएः राज्य स्तर पर शिशुओं, प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे और प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं के पोषण के स्तर, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग एकत्रित किए जाए पोषण स्तर तथा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लड़का/लड़की के अलग ब्यौरो से महिलाओं की पोषण स्थिति का आकलन किया जा सकेगा क्योंकि उन्हें विकास के हर चरण में उपेक्षित किया जाता है। आंकडों को देखकर आई.सी.डी.एस.योजना को अधिक केन्द्रित करने में सहायता मिलेगी।

बाल श्रम

2.12 आंध्र प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या 16.62 लाख है जो देश में सबसे अधिक है। बाल श्रम मुख्यतः आर्थिक पिछड़ेपन तथा घोर गरीबी के कारण है जिससे बच्चों को पाठ्यशाला जाने की बजाय आर्थिक गतिविधियों में अपने माता-पिता की सहायता करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश में बाल श्रमिक की संख्या का जिला वार व्यौरा नीचे लिखे अनुसार है -

क्र. सं.	जिला	बाल श्रमिकों की संख्या	क्र. सं.	जिला	बाल श्रमिकों की संख्या
1.	श्री काकुलम	59955	13.	चितूर	62730
2.	विजियानगरम	62627	14.	कुडप्पा	43762
3.	विशाखापटनम	70130	15.	अनंतपुर	92255
4.	पूर्व गोदावरी	75970	16.	कुर्नूल	112037
5.	पश्चिम गोदावरी	83397	17.	महबूबनगर	124617
6.	कृष्णा	81247	18.	रंगारेड्डी	52160
7.	गुंटूर	118275	19.	हैदराबाद	14930
8.	प्रकासम	73920	20.	मेदक	65000
9.	नेल्लूर	51443	21.	निजामाबाद	58154
10.	आदिलाबाद	55253	22.	करीमनगर	87563
11.	वारंगल	75090	23.	खम्मभ	67015
12.	नालगोंडा	74410		जोड़	**16,61,940**

स्रोतः श्रम आयुक्त, आंध्र प्रदेश सरकार

2.13 जोखिम वाले व्यवसायों में लड़कियों के प्रति भेदभाव अधिक स्पष्ट है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। किंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हर अनुजा/अनु.जन.जा. परिवार में बच्चों की संख्या बहुत अधिक होगी जिसके कारण हैं निरक्षरता कम आयु में विवाह, बाल श्रमिक द्वारा अर्जित मजदूरी से परिवार को मिलने वाली आय और समग्र गरीबी। बाल श्रम के बारे में निम्निलिखित उपाय करने चाहिएः-

i. **बाल श्रमिकों में अनु.जा. तथा अनुजन.जा की संख्या का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाए और लड़कों/लड़कियों के व्यौरे अलग-अलग एकत्रित किए जाए।**

ii. **सर्वेक्षण में जोखिम वाले तथा जोखिम रहित कामों में लगे अनु.जा. तथा अनु.जन.जा. के व्यक्तियों की संख्या का पता लगाया जाए।**

iii. **बाल श्रम के कारणों का, विशेषतः अनु.जा./अनु.जन.जा. में बाल श्रम का पता लगाया जाए।**

2.14 **सभी राज्य सरकरों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से सर्वेक्षण एक समय-बद्ध से करें और आयोग को भेजें।**

2.15 **राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा निम्नलिखित उपायों पर भी विचार किया जा सकता है -**

(क) अनु.जाति/अनु.जन.जाति के जिन बाल श्रमिकों का पता चले उन्हें समाज कल्याण/आदिवासी कल्याण छात्रावासों/ आश्रम स्कूलों में भर्ती करा दिया जाए। इसे प्रोत्साहित करने के लिए बाल श्रमिकों की पूरी उपस्थिति सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन्हें विद्यालय भेजने के लिए उनके माता-पिताओं को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं।

(ख) गरीबी उन्मूलन योजनाओं को तेजी से लागू करने की आवश्यकता है।

(ग) बाल श्रमिकों के माता-पिताओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान पूरी तरह सुनिश्चित किया जाए।

(घ) बाल श्रम से संबंधित 1986 के अधिनियम को लागू करने में तेली लाई जाए और अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

(ङ) नीतियों के अनुसार कार्यक्रम को लागू करने, मॉनिटर करने तथा उसका आकलन करने के लिए राज्य सरकार के श्रम विभाग में एक अलग कोष्ठ बनाया जाएं।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान आईआरटीपी, जेआरवाई, आईएवाई, एमडब्लूएस तथा ईएएस के अंतर्गत वास्तविक तथा वित्तीय लक्षयों और उपलब्धियों का व्यौरा -

योजना का नाम	कुल वास्तविक लक्ष्य		भौतिक उपलब्धि			वित्तीय आबंटन (लाख में)	किया गया खर्चा		
	युनिट	संख्या	कुल	अनु.जा	अनु.ज.जा.		कुल	अनु.जा	अनु.ज.जा.
आई आर डी.पी.	लाभभोगियों की संख्या (लाखों में)	151188	73551	59303	14248	612.26	3864.30	2985.33	878.97
जे.आर.वाई.	----	—	317.82	92.22	45.27	2267.84	19373.94	—	—
आई.ए.वाई	लाभभोगियों की संख्या	128133	104115	—	—	8360.44	14792.02	—	—
दस लाख कुआं योजना	—	—	12670	6994	2409	5070.61	4390.73	1975.94	992.41
रोजगार आश्वासन योजना	लाख श्रम दिन	—	262.70	181.91	80.79	209.25 (करोड़)	—	86.70 (रू0 लाखों में)	33.32 (रू0 लाखों में)

*स्रोतः पंचायत राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कमजोर वर्ग आवास निगम

2.16 आई.आर.डी.पी. तथा आई.ए.वाई. के अंतर्गत लक्ष्यों की अपेक्षा उपलब्धियां कम रही हैं और इसी प्रकार सभी योजनाओं में वित्तीय आवंटन की तुलना में खर्चा कम रहा है, सिवाए ई.ए.एस. के जिसके बारे में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। **संबंधित विभागों को अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का और किए गए खर्चे का पूरा संख्यकिय डाटा रखने के प्रयास करने चाहिएं ताकि उचित आकलन किए जा सकें।**

आंध्र प्रदेश अनुसूचित सहकारी वित्त निगम

2.17 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए और उनके लिए संस्थागत वित्त जुटाने के लिए 1974 में इस निगम का गठन किया गया था। यह निगम अनु0 जाति और अनु0 जनजातियों को आर्थिक कार्यकलापों जैसेकि जमीन खरीदने और उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई, रेशम के कीट पालन, मुर्गी पालन, दुग्ध डेरी, लघु मशीन की दुकान, चप्पल उद्योग, कपड़ा उद्योग बनाने, हैंडलूम, हैन्डीक्राफ्टस, छोटे होस्टल, समान खरीदने या यात्री वाहन आदि आय के स्रोतों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। गरीबी उन्मूलन की इन स्कीमों के लिए निगम ने पिछले 24 वर्षों में 1750 करोड़ रुपए की सहायता दी हे और इससे 30.10 लाख अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी है । 1997-98 में 97832 परिवारों की मदद की गई थी।

2.18 मैला उठाने वालों की पुनर्वास की स्कीम के तहत 14901 व्यक्ति की पहचान की लेकिन अभी तक सिर्फ 6764 लोगों को 18 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। 1997-98 के दौरान 504 मैला उठाने वाले व्यक्तियों की सहायता गई थी। इस स्कीम के कार्यान्वयन की गति बहुत धीमी है।

सेवा सुरक्षण

2.19 सरकारी तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 20.1 प्रतिशत है। सब से अधिक अनुपात , 21.03 राज्य सरकार में पाया गया, उसके बाद स्थनीय निकाय 20.48 प्रतिशत, न्यायपालिका में 10.45 प्रतिशत और सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का 7.96 प्रतिशत स्थान आता है।

2.20 राज्य सरकारों तथा संबंधित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का कुल प्रतिनिधित्व 3.78 प्रतिशत था। यहां भी अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व, राज्य सरकार में 4.64 प्रतिशत, था, उसके बाद 2.52 प्रतिशत के साथ स्थानीय निकायों का, 2.04 प्रतिशत के न्यायपालिका का और 0.7 प्रतिशत के साथ सहायता-प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का नंबर आता है।

2.21 आयोग की आंध्र प्रदेश राज्य पर चौथी रिपोर्ट 1996-97 तथा 1997-98 खण्ड II में दी गई पदोन्नतियों में आरक्षण का पालन न करने से संबंधित दी गई सिफारिशों को दोहराया जाता है।

अत्याचार

2.22 1995 से 1997 तक आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारो के मामलों में वृद्धि हुई है। दर्ज किए गए मामलों की संख्या 1996 में 1997 थी जो 1997 में बढ़ कर 2149 हो गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 की धारा 15 क के

अधीन हैदराबाद के सिवाय अन्य सभी ज़िलों में विशेष चलती फिरती अदालतों की स्थापना की है। किंतु मजिस्ट्रेटो, पीठासीन अधिकारियों तथा सहायक सरकारी अभियोजकों के अधिकांश पद खाली पड़े हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विभिन्न चलती फिरती अदालतों में लगभग 919 मामले बकाया हैं।

2.23 राज्य सरकार ने अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार उनन्य विशेष अदालतें स्थापित नहीं की हैं। राज्य ने अधिनियम के अनुसार अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान भी पूरी नहीं की है। 1997 के अंत में विभिन्न अदालतों में 1984 मामले बकाया थे। नेल्लूर, करनूल, गुड्डपाह, मेदक, करीमनगर, कृष्णा, निज़ामाबाद, महबूनगर, गंटूर आदि ज़िलों में बकाया मामलों की संख्या अधिक है। स्थिति को सुधारने के लिए आयोग के निम्नलिखित सुझाव हैः

1. आंकड़ों के रख-रखाव, जागरूकता पैदा करने और तत्परतापूर्वक कार्रवाईकरने के लिए एक सुदृढ़ मॉनीटर कक्ष की आवश्यकता है।
2. अत्याचारों के मामलों को निपटाने के लिए पी.ए.ओ. अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार हर ज़िले में उप पुलिस अधीक्षकों के पर्याप्त पद बनाए जाएं।
3. अत्याचार संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए एक समयबद्ध कार्य-योजना तैयार करने की और उन क्षेत्रों में अधिक गहन मॉनीटरिंग की आवश्यकता है।
4. सिविल अधिकार संरक्षण (पी.सी.आर.) अदालतों के लिए स्वीकृत सभी पदों को अग्रता के आधार पर भरा जाएं।
5. मुख्यमंत्री के अधीन राज्य स्तर की सतर्कता तथा समिति की बैठक हर तिमाही में बुलाई जाएं।

अध्याय III

बिहार

बिहार खनिज पदार्थों की दृष्टि से देश का एक सर्वाधिक समृद्ध राज्य है। इसके परिणाम स्वरूप, बिहार में खनिज-आधारित कम्पनियों वाले बहुत से बड़े-बड़े औद्योगिक नगर, जैसे बोकारों स्टील सिटी, जमशेदपुरा और रांची उभर कर आए है। लेकिन इसके बावजूद, बिहार देश का एक सबसे कम विकसित राज्य है। इसका कारण यह है कि ये उद्योग अत्यधिक पूंली-प्रधान प्रोसेस उद्योग हैं, और उप-संविदाकारों/सहायक उद्योगों के रूप में, इनका "फैलाव (स्प्रैड इफेक्ट)" बहुत कम है। जिनसे स्थानीय लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार का सृजन हो सकता है।

3.2 1991 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की संख्या 14.6 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 7.7 प्रतिशत के बराबर है।

3.3 साक्षरता की दर बहुत कम है; सामान्य साक्षरता दर 38.5 प्रतिशत (1991) और महिला साक्षरता दर 22.2 प्रतिशत है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, उनकी साक्षरता की दर क्रमशः 19.5 प्रतिशत और 26.8 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 7.1 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं में साक्षरता की दर 14.8 प्रतिशत है। दक्षिण बिहार में ईसाइयत के प्रभाव के कारण अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर अनुसूचित जातियों की साक्षरता की दर से ऊंची है।

3.4 बिहार में गरीबी ओर बेरोजगारी का स्तर बहुत चिंताजनक है। अनुसूचित जातियों के लोग इन समस्यांओं से सबसे अधिक गम्भीर रूप से प्रभावित हैं। 86 प्रतिशत से भी अनुसूचित जाति के लोगों की गुजर-बसर कृषि पर निर्भर है, हालांकि उनमें से अधिकतर लोगों के पास अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है। या तो वे पूरी तरह से भूमिहीन हैं, अथवा पट्टे की भूमि पर बंटाई के आधार पर खेती करते हैं। इसके अलावा, ऐतहासिक रूप से, अनुसूचित जातियों के लोग ऐसी जमीनों पर बसें हुए हैं, जिनकी उत्पादकता कम और अनिश्चित है, अर्थात वे इलाके बाढ़ प्रवण और सूखा- प्रवण हैं। उनकी क्रय-शक्ति की कमी का परिचय न केवल उनके रहन-सहन के स्तर से बल्कि उन पर चढ़े भारी कर्जे की मात्रा से भी मिलता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन गांवों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का बाहुल्य है, वहां अभी भी पेयजल, सफाई, विद्युतीकरण, सड़कों, आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है, जिसके कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगा अपने आपको बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं और वे निरन्तर न केवल उत्पीड़न बल्कि भीषण अत्याचारों के शिकार होते है।

विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.)

3.5 अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए विशेष संघटक योजना कार्यान्वित की जा रही है। विशेष संघटक योजना का परिव्यय राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया है। लेकिन यह देखा गया है कि राज्य के वे अभिकरण, जो वास्तव में व्यक्ति और परिवार-उन्मुख स्कीमों को क्रियान्वित करते हैं, व्यवहार में अनुसूचित जातियों के लिए इन अनुपात में धनराशि आरक्षित नहीं करते और न ही उस अनुपात में वित्तीय परिव्यय खर्च करते हैं। यह

महसूस किया जाता है कि सभी सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रकों में इस अनुपात में धनराशि को आवंटित और समान रूप से खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन उन क्षेत्रकों में, जैसे चमड़े के क्षेत्रक में, जहां अनुसूचित जातियों के लोग बहुत बड़े पैमाने पर कार्यरत हैं, विशेष संघटक योजना का परिव्यय बाकी सभी क्षेत्रकों के औसत परिव्यय की अपेक्षा काफी अधिक होना चाहिए; लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है इसके अलावा उन क्षेत्रकों में, जहां विभाज्य आवंटन करना संभव नहीं है, संबंधित अनुभागीय योजनाओं (सेक्शनल लान) में रोजगार, पशिक्षण ओर अन्य लाभों में अनुसूचित जातियों के लिए वैकल्पिक हिस्से की व्यवस्था होनी चाहिए। खेद की बात है कि व्यवहार में ऐसा नहीं होता।

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

3.6 विशेष केन्द्रीय सहायता का, जो भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक अतिरिक्त राशि के रूप में प्रदान की जाती है, उद्देश्य अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के लिए राज्यों द्वारा किए जाने वाले सम्पूण् प्रयासों का परिवर्धन करना है। लेकिन इस बारे में राज्य सरकार का कार्य-निष्पादन बहुत निराशाजनक है। वर्ष 1996-97 के अंत की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकार के पास विशेष केन्द्रीय सहायता की 3240.56 लाख रूपए की खर्च न की गई राशि बची हुई थी। इसके बावजूद वर्ष 1997-98 में राज्य को 2803.20 लाख रूपए की और राशि प्रदान की गई। इस प्रकार, 1997-98 में राज्य सरकार के पास कुल 6048.76 लाख रूपए की राशि उपलब्ध थी। इसमें से राज्य सरकार द्वारा वास्तव में कितनी राशि इस्तेमाल/खर्च की गई, इसकी जानकारी आयोग के पास नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने उस वर्ष किए गए खर्च की जानकारी नहीं भेजी है।

जनजातीय उप-योजना

3.7 वर्ष 1997-98 का राज्य योजना परिव्यय 2200 करोड़ रूपए का था। राज्य सरकार द्वारा 1997-98 के वित्तीय वर्ष के बारे में जनजातीय उप-योजना के परिव्यय के इस्तेमाल विभिन्न् क्षेत्रकों के लिए उसकी मात्रा की जानकारी मुहैया नहीं की गई है।

जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता

3.8 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, उस मंत्रालय ने वर्ष 1997-98 के दौरान बिहार राज्य को जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता की कोई राशि विमोचित नहीं की थी। लेकिन राज्य सरकार के पास विशेष केन्द्रीय सहायता की 8221 73 लाख रूपए की, फिर से मान्यता प्रदान की गई राशि उपलब्ध थी, जिसमें से उस वर्ष केवल 1359.86 लाख रूपए की राशि (16.54 प्रतिशत) वास्तव में खर्च की गई। इसके अलावा, 42408 व्यक्तियों/परिवारों और 221 यूनिटों के भोतिक लक्ष्य की तुलना में वर्ष के दौरान 8557 व्यक्तियों /परिवारों को लाभ पंहुचाया गया और 66 युनिटों(26.86 प्रतिशत) को पूरा किया गया। ट्रेक्टरों के वितरणा, सौर्य पम्प सेटों की व्यवस्था, दुग्ध प्रशीतन संयंत्र की स्थापना, स्कूल में गहरी खुदाई, आदि जैसी स्कीमों के जरिए व्यक्तियों के समूह (जिन्हें यूनिट कहा जाता है) को लाभ पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार, मक्खी पालन, मुर्गीफार्म, मछली पालन, खुम्भी अथवा बांस की खेती, सिलाई की मशीनों और टाइपराइटर मशीनों, आदि के वितरण की स्कीमों के जरिए व्यक्तियों/परिवारों को लाभ पहुंचाया जाता है। इन स्क़ीमें के बावजूद, बिहार की राज्य सरकार वर्ष के दौरान उपलब्ध विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि का पूरा इस्तेमाल करने में विफल रही है।

अनुच्छेद 275 (1)

3.9 वर्ष 1997-98 में भारत सरकार से संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान के रूप में 641.8 लाख रूपए की रारशि प्राप्त हुई। राज्य सरकार के पास वर्ष 1996-97 की, फिर से मान्यता प्रदान की गई 2185.5 लाख रूपए की राशि भी उपलब्ध थी। इस प्रकार, राज्य सरकार के पास इनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत कुल 2827.294 लाख रूपए की राशि उपलब्ध थी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान इसमें से 2727.294 लाख रूपए (85.85 प्रतिशत) लघु सिंचाई, वानिकी, बागबानी, ग्राम और लघु उद्योग, मात्स्यिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला संस्कृति, खेल-कूद, सवरोजगार ओर मानीटरिंग तथा मूल्यांकन के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए आवंटित किए गए। बिजली से चलने वाले हलों, एस.टी.डी. बथों, बैलगाड़ियों, टाइपिंग मशीनों, फोटो-प्रतिलिपि मशीनों के वितरण की स्कीमों और ढ़ाबे, पत्र पत्रिकाओं की दूकानें, टेंट हाउस, सजावट करने वाली दुकानें खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की स्कीमों के जरिए अनुसूचित जनजातियों के लोगों को स्व-रोजगार मुहैया करने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन राज्य सरकार वर्ष 1997-98 में **अनुच्देद 275 (1)** के अन्तर्गत उपलब्ध राशियों का भी पूरा इस्तेमाल करने में विफल रही।

3.10 राज्य सरकार के कार्य5निष्पादन से पता चलता है कि वह विकास के मोर्चे पर गम्भीर नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्थिति में सुधार करने में क्रियान्वयन प्रणाली तथा इसके अलावा वित्तीय और भौतिक मानीटरिंग प्रणाली दोनों चरमरा गई हैं और उन्हें पुनर्जीवित करने और मजबूत संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत जो लाभ पहुंचाने का उद्देश्य है, वे उनसे अधिकांशतः वंचित हैं।

निगम

3.11 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए वित्तीय सहायता तीन निगमों के माध्यम से मुहैया की जाती है, जो विशेष रूप से इस प्रयोजन से गठित किए गए हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के माध्यम से 1997-98 में निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की गईः-

क्र.सं.	सकीम का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां		
		भौतिक	वित्तीय	लाभभोगियों की संख्या	सब्सिडी	मार्जिन मनी ऋण
1.	सब्सिडी स्कीम	15000	709.70	760	38.89	-
2.	गरिमा	4000	599.41	72	6.19	2.53
3.	आटो-रिक्शा	-	-	211	12.66	33.09
4.	प्रशिक्षण	-	-	536	12.41	-

3.12 स्कीम के स्वरूप के आधार पर 5000 रूपए से 15000 रूपए तक की सब्सिडी देकर, निगम अनुसूचित जातेयों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को लाभकारी स्व-रोजगार सथापित करने में सहायता देता है। मैला उठाने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास की ऐसी ही स्व-रोजगार स्कीमों को "गरिमा"

स्कीमों का नाम दिया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवाओं को आटो-रिक्शाओं की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

3.13 वाहन चालन (ड्राइविंग), बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, कपड़ों की सिलाई, आदि जैसे विभिन्न व्यवसायों को प्रशिक्षण देने की भी एक स्कीम है। सव-रोजगार की स्कीमों के अन्तर्गत किसी परियोजना में व्यक्ति अथवा प्रयोजक का हिस्सा (20प्रतिशत तक) भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के युवा को निगम द्वारा तकन नह ऋण रूप दिया जाता है।

3.14 जैसाकि जाहिर हे, निगम वर्ष 1997-98 के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका है। एन.एस.एफ.डी.सी. भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों को अपनी राशियां एस.सी.डी.सी. के माध्यम से वितरित करता है। इन राशियों को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार के एस.सी.डी.सी. द्वारा एन.एस.एफ.डी.सी. से ऋण के रूप में ली जाने वाली राशियों के लिए गारंटी देनी पड़ती है। लेकिन, राज्य सरकार ने केवल आटो-रिक्शा स्कीम के लिए गारंटी दी है। राज्य सरकार ने अन्य स्कीमों के लिए राज्य द्वारा गांरटी दिए जाने के बारे में बिहार राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम के अनुरोध की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। 30 करोड़ रूपए की ब्लाक गांरटी (निगम द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए जाने वाले ऋणों के लिए गारंटी) दिए जाने के बारे में निगम का प्रस्ताव भी राज्य सरकार के पास लम्बित है। आयोग ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। किन्तु, राज्य सरकार द्वारा अभी तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

3.15 बिहार राज्य जनजाति विकास निगम लिमिटेउ द्वारा जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में सहकारी जनजातीय समितियों के संवर्धन के लिए इसी प्रकार की सहायता दी जा रही है। लेकिन निगम एन.एस.एफ.डी.सी. द्वारा किए जाने वाले वित्तपोषण का लाभ नहीं उठा सका, क्योंकि इस भामले में भी राज्य सरकार की गारंटी उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग ने इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया था। लेकिन राल्य सरकार ने कोई घ्यान नहीं दिया है। निगम अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सौन्दर्य-उपचार, बेंत/बांस की बुनाई, कम्प्यूटर, आदि जैसे विभिन्न वयवसायों का प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जनजातियों के 1298 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर 11.83 लाख रूपया व्यय हु। लेकिन, चूंकि कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए इन लाभभोगियों के भविष्य की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा 1997-98 में हाथ में लिए गए महत्वपूर्ण क्षेत्रकीय कार्यक्रमों की समीक्षा

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3.16 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रमुख स्कीमें ये हैः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम, सूखा-प्रवणा क्षेत्र कार्यक्रम, सामुदायिक विकास काय्रक्रम, और पंचायतें 1 वर्ष 1997-98 में बिहार की राज्य सरकार ने कुल 1398.0 करोउ रूपए व्यय किए, जिसमें से 2313 करोड़ रूपए भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, जो कुल राशि के 60.45 प्रतिशत के बराबर है। निम्नलिखित विवरण में यह दिखाया गया है कि 1997-98 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास स्कीमों के अन्तर्गत कितनी धनराशि उपलब्ध थी और कितना व्यय किया गया:

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	स्कीम का नाम	उपलब्ध धनराशि	व्यय	व्यय की प्रतिशतता
1.	जवाहर रोजगार योजना	501.325	361.738	72.16
2.	इंदिरा आवास योजना	301.691	217.558	72.16
3.	बुनियादी न्युनतम सेवाएं	540.281	276.333	51.15
4.	रोजगार बीमा योजना	355.395	241.684	68.00
5.	जलधारा योजना	113.171	70.574	62.36
6.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	192.498	123.964	64.00
7.	ट्राइसेम	12.197	8.586	70.40
8.	डी.डब्ल्यू.ए.सी.आर.ए.	11.457	5.525	48.25
9.	सूखा-प्रवण क्षेत्र कायर्क्रम	14.366	4.781	33.26
10.	विधायक योजना	103.986	29.364	28.23
11.	संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्रकार्यक्रम	128.773	57.758	44.86
12.	गंगा कल्याण योजना	37.213	0.000	-
	जोड़	2312.353	1397.865	60.45

(स्रोतः- बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट)

3.17 उपर्युक्त तथ्यों से यह पता चलता है कि बिहार सरकार वर्ष 1997-98 में विभिन्न प्रकार की ग्रामीण विकास स्कीमों के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशियों का उपयोग समूची ग्रामीण जनता के लिए नहीं कर सकी है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर किए गए व्यय का ब्यौरा राज्य सरकार द्वारा भेजा नहीं गया हैं।

3.18 कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास स्कीमों के भौतिक लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों की जानकारी नीचे दी गई है:

स्कीम का नाम	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि कुल	प्रतिशतता	अनुसूचित जाति	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति	।तिशतता
जवाहर रोजगार योजना	546.64 लाख कार्यदिवस	533.04	97.5	212.91	39.94	113.87	21.36
इंदिरा आवास योजना यूनिट	109983	103506	94.11	52800	51.01	26080	25.50
दस लाख कूओं की स्कीम	(संख्या)	23307	-	7647	32.81	9283	39.83
रोजगार आश्वासन	(लाख कार्य दिवस)	420.447	-	170.154	40.47	74.298	17.67
बुनियादी न्यूनतम सेवाए	168645	95031	56.35	51490	54.18	7811	8.22
आई.आर.डी. पी. (मुख्य) परिवार	306348	196849	64.26	57452	29.19	32258	16.39
ट्राइसेम के प्रशिक्षणार्थी	56370	36662	65.04	11350	30.96	4451	12.14

(स्रोतः- बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट)

3.19 उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 1997-98 में जवाहर रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धियां हुई हैं, लेकिन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, आई.आर.डी.पी. और ट्राइसेम के अन्तर्गत समीक्षाधीन वर्ष में कुल निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में क्रमशः 56.36 प्रतिशत, 64.26 प्रतिशत और 65.04 प्रतिशत उपलब्धियां हुई हैं। जवाहर रोजगार योजना, दस लाख कूओं की स्कीम और बुनियादी न्यूनतम सेवाएं स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों की संख्या लगभग 60 प्रतिशत है। रोजगार आश्वासन स्कीम के अन्तर्गत केवल 50 प्रतिशत लाभभोगी और आई.आर.डी.पी. तथा ट्राइसेम के अन्तर्गत केवल 40 प्रतिशत लाभीगी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के है। राज्य सरकार वर्ष के दौरान कहीं भी 100 प्रतिशत के करीब भौतिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी है।

कृषि

- **फसलों की खेती**

3.20 वर्ष 1997-98 में इस क्षेत्रक के लिए 743 लाख रूपए नियत किए गए थे, जिसमें से 223.20 लाख रूपए (30.0 प्रतिशत) जनजातीय उप-योजना के लिए और 112.00 लाख रूपए (15.05 प्रतिशत) विशेष संघटक योजना के लिए अलग निर्धारित किए गए थे। वर्ष 1997-98 में जनजातीय उप-योजना और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किए गए खर्च और प्राप्त की गई भौतिक उपलब्धियों की जानकारी नीचे दी गई है:

(लाख रुपये)

मद	नियत राशि	व्यय	प्रतिशतता	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
जनजातीय उप-योजना	223.20	3.89	1.74	8000	296	3.7
विशेष संघटक योजना	112.00	1.41	1.26	10000	371	3.71

(स्रोतः राज्य सरकार के कृषि विभाग से प्राप्त सूचना)

3.21 उपर्युक्त त्थ्यों से पता चलता है कि बिहार राज्य की सरकार ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपर्युक्त स्कीमों के लिए टी.एस.पी. और एस.सी.पी. के अन्तर्गत नियम धनराशि में से अत्यल्प राशि का इस्तेमाल किया है।

बंधुआ मजदूर

3.22 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकार के साथ 50:50 के खर्च के अनुपात के आधार पर किया जा रहा है। प्रत्येक बंधुआ मजदूर का पुनर्वास 10,000/- रूपए खर्च करके किया जाता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बंधुआ मजदूरों में से प्रत्येक को विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि में से 6250/- रूपए की राशि इसके अलावा दी जाती है। बंधुआ मजदूरों को 100/- रूपए प्रति मास की दर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन परने का भी अधिकार होता है।

3.23 बिहार में बंधुआ मजदूर उत्सादन अधिनियम, 1976 के लागू होने के समय से वर्ष 1997-98 के अंत तक कुल 13742 बंधुआ मजदूरो का पता लगाया गया है। मुक्त कराए गए इन बंधुआ मजदूरों में से 12279 मजदूरों का 1997-98 के अंत तक पुनर्वास किया गया है। वर्ष 1997-98 में केवल 24 बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया और 75 बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास किया गया।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

3.24 वर्ष 1997-98द में इस क्षेत्रक के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्कीमों के लिए जो आवंटन किए गए और जो व्यय किया गया, वह इस प्रकार है:

(लाख रूपए)

क्र.सं.	मद	आवंटन	व्यय	व्यय की प्रतिशतता
1.	अनुसूचित जातियों के लिए	4574.01	2973.13	65.00
2.	अनुसूचित जनजातियों के लिए	31280.02	1740.08	54.74
	जोड़	7754.03	4713.21	60.78

(स्रोतः बिहार सरकार के कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना)

3.25 उपर्युक्त से यह पता चल सकता है कि बिहार राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों के लिए नियत राशि के केवल 65 प्रतिशत ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत राशि के केवल 54.72 प्रतिशत भाग का उपयोग किया जा सका। वर्ष 1997-98 के दौरान छात्रवृत्तियां प्रदान करने, छात्रावासों के निर्माण और अनुरक्षण से संबंधित कई शैक्षिणिक स्कीमों को कार्यान्वित किया गया।

3.26 अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों, जैसे लघु सिंचाई, ग्राम और लघु उद्योग, स्वास्थ्य, आवास और अन्य सामाजिक सेवा के क्षेत्रकों के संबंध में वर्ष 1997-98 के वित्तीय तथा भौतिक लक्षयों और उनके बारे में प्राप्त उपलब्धियों की सूचना राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

सेवा संबंधी सुरक्षोपाय

3.27 बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति का नियमन "बिहार रिजर्वेशन आफ वेकेंसीज़ इन पोस्ट्स एण्ड सर्विसेज़ (फार शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज़) एक्ट, 1991" द्वारा होता है। इस अधिनियम के अनुसार, किसी प्रतिष्ठान में ऐसी सेवाओं और पदों पर, जिन्हें सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना हो, सभी नियुक्तियां निम्नलिखित तरीके से की जाती हैं

(क) योग्यता (मेरिट) की श्रेणी से .... 50 प्रतिशत

(ख) आरांक्षेत श्रेणी से ...... 50 प्रतिशत

3.28 50 प्रतिशत वाली आरक्षित श्रेणी में, 14 प्रतिशत रिक्त पद अनुसूचित जातियों के लिए, और 10 प्रतिशत पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित श्रेणी का जो उम्मीदवार अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाएगा, उसकी गिनती योग्यता की श्रेणी के 50 प्रतिशत पदों के तहत की जाएगी, आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों के अन्तर्गत नहीं।

3.29 राज्य सरकार की सेवाओं और बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

3.30 समीक्षाधीन अवधि में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर किए गए अत्याचारों के कुद महत्वपूर्ण मामलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

i) पटना जिले के रानी तालाब पुलिस थाने के अन्तर्गत कब-हैबसपुर गांव में 23.3.97 को कथित रूप से रणवीर सेना द्वारा अनुसूचित जातियों के 10 व्यक्तियों की हत्या की गई। एक अनु0 जाति का व्यक्ति घायल भी हुआ।

ii) 19.8.1997 को पलामू जिले के पनकी और बालूमठ पुलिस थानों में उग्रवादियों द्वारा अनुसूचित जातियों के पांच व्यक्तियों का उपहरण किया गया और उनकी हत्या की गई।

iii) 13.8.97 को भागलपुर जिले के पीरपेंटी पुलिस थाने के अन्तर्गत झुरकुसिया गांव में जमींदारों द्वरा अनुसूचित जनजातियों के 5 व्यक्तियों की हत्या की गई।

iv) 23.8.97 को नवादा जिले के पकरीबन वान पुलिस थाने के अन्तर्गत एक गांव में भूमि के झगड़े में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

v) 2.9.97 को जहानाबाद जिले में एक हमले में अनुसूचित जातियों के तीन व्यक्तियों सहित आठ व्यक्तियों की हत्या कर दी गई।

vi) 1 और 2 दिसम्बर, 1997 के बीच की रात को जहानाबाद जिले के मेहंदिया पुलिस थाने के अन्तर्गत लक्ष्मणापुर बेथ गांव में रणवीर सेना के समर्थकों द्वारा किए गए एक सशस्त्र हमले के दौरान अनुसूचित जातियों के 32 व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों के 4 व्यक्तियो सहित 52 व्यक्ति जख्मी हुए।

3.31 उपर्युक्त से पता चलेगा कि बिहार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ कितने वयापक रूप से अपराध ओर अत्याचार होते हैं। स्थिति बहुत गम्भीर है। केन्द्र सरकार और राज्य, सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के वधाई और कार्यकारी उपाय किए जाने के बावजूद, अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लोग विभिन्न सामाजिक और आर्थिक कारणों से अनेक किस्म के अत्याचारों और जनजातियों पर अधिकतर अत्याचार भूमि संबंधी विवादों ओर समाज के सामंतवादी स्वरूप के कारण होते हौ। राजय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर लोग खेतिहर मजदूर हैं, जो जमींदारों के खेतों में काम करते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मजदूरों द्वारा यह मांग किए जाने पर कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाए, जमीदारों द्वारा उन्हें जमीन से बेदखल करके, उनके घर जला कर ओर कुछ मामलों में उन पर हमला और हत्याचा करके उन पर अत्याचार किए जाते हैं।

3.32 राज्य सरकार के गृह (पुलिस) विभाग में डी.आई.जी. के सतर के एक अधिकारी के अधीन एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष स्थापित किया गया है। डिवीज़न, जिला, उप-डिवीजन ओर खंउ स्तरों पर भी ऐसे कक्ष स्थापित किए गए हैं। लेकिन पर्याप्त कर्मचारी न होने ओर पर्याप्त रूप से सुसज्जित न होने के कारण वे प्रीवकारी सिद्ध नहीं हो रहे।

3.33 पिछले कुछ वर्षों में बिहार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं, जो पअना, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, गलनुर में स्थित हैं, जो अत्याचार -प्रवणा जिले हैं। लेकिन इन विशेष पुलिस थानों का प्रभाव अभी देखने में नहीं आया है, क्योंकि इन पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे पर्याप्त जनशक्ति, गांड़ियों, वायरलेस टेलीफोन, मालखाना, आदि का आव है। इन पुलिस थानों की मानीटरिंग करने के लिए राज्य के कल्याण विभाग में एक हरिजन कक्ष स्थापित किया गया है। वर्ष 1996 में बिहार राज्यमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों के कुल 2054 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 1865 (90.8 प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जातयों से और 189 (9.2प्रतिशत) मामलों का संबंध अनुसूचित जनजातियों से था। इसी प्रकार, वर्ष 1997 में बिहार के 37 जिलों में अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के कुल 1060 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें, से 1024 मामले (96.6प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों के बारे में थे। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों का अनुपात वर्ष के दौरान 28.58 प्रतिशत था, जो और घट कर 1997 में 17.92 प्रतिशत हो गया।

3.34 वर्ष 1996 के कुल 3271 मामलों में से 1830 मामलों में चालान किए गए और 697 मामलों का अन्ततः छोड़ दिया गया। इस प्रकार, 1996 में पुलिस द्वारा 2527 (77.24प्रतिशत) मामले निपटाए गए। इसी प्रकार, वर्ष 1997 में 1060 मामलों में से 592 मामलों में चालान किए गए और 88 मामले अंततः छोउ दिए गए। 1996 की तुलना में 1997 में प्रलिस द्वारा निपटाए गए मामलों की प्रतिशतता काफी कम है। **आयोग का मत है कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिएं कि पुलिस द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के मामलो का निपटान शीघ्रता से किया जाए। आयोग ने समीक्षाधीन अवधि में दलितों पर हुए अत्याचार के दो प्रमुख मामलों की जांच मौके पर जा कर की। जांच के निष्कर्ष इस प्रकार हैं -**

i) आयोग ने पटना जिले के रानी तालाब पुलिस थाने के अन्तर्गत हैबसपुर गांव के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों पर हुए अत्याचार के उस मामले की जांच घटना-स्थल पर जा कर की, जो 23.3.97 को हुआ था। जांच से पता चला कि इनमें से 10 व्यक्तियों की हत्या 23.3.97 को तथाकथित रणवीर सेना (ऊंची जाति के जमींदारों के एक समूह) द्वारा की गई थी। इन घटनला के शिकार निर्दोष और गरीब लोग थे। इनका किसी राजनैतिक दल से कोई संबंध नहीं था। यी महसूस किया गया कि यह घटना बड़ी सुनियोजित थी, लेकिन इसे फिर भी टाला जा सकता था, यदि जिला प्रशासन सतर्क होता ओर तेली से कार्रवाई करता। यह मामलो आई.पी.सी. की धाराओं, शस्त्र अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। शिकार हुए व्यक्तियों के सभी परिवारों को दस-दस हजार रूपए का मुआवजा दिया गया और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजुर की गई, जैसाकि अधिनियम में उपबंध है, इर इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान दिए गए। लेकिन उत्पीड़ित व्यक्तियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार ⁄.कद अथवा वस्तु के रूप में अथवा दोनों रूपों में राहत प्रदान नहीं की गई। यह भी देखा गया कि इस मामले की तफतीश केवल पुलिस निरीक्षक के स्तर के एक अधिकारी द्वारा की गई, जबकि "अत्याचार निवारण नियमों" के उपबंधों के अनुसार इस की तफतीश पुलिस उप-अधीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी।

ii) आयोग ने जहानाबाद जिले के महेंदिया पुलिस थाने के अन्तर्गत लक्ष्मणपुर भाटे गांव में दलितों पर हुए अत्याचार के मामले की, जो 1 और 2 दिसम्बर, 1997 की रात को हुआ था, भी घटना-स्थल पर जा कर जांच की। जांच से प्रकट हुआ कि अनुसूचित जातियों के 32 व्यक्तियों सहित 58 व्यक्तियों की हत्याचा हुई थी और अनुसूचित जातियों के 4 व्यक्ति घायल हुए थे। घटना के शिकार व्यक्ति निर्दोष और गरीब लोग थे यह घटना पूर्व-नियोजित और सुसंगठित रूप से हुई थी इस घटना का कोई तात्कालिक कारण नहीं था यह बताया गया कि यह अपराध तथा कथित रणवीर सेना के समर्थकों, द्वारा किया गया था। यह मामला आई.पी.सी., शस्त्र अधिनिय और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत दर्ज किया गया था। इस मामले की तफतीश पुलिस उप-अधीक्षक के स्तर के अधिकारी द्वारा की गई थी। प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 1-1 लाख रूपए की वित्तीय राहत प्रदान की गई थी और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और रोजगार, आदि की व्यवस्था की गई, जैसा कि अत्याचार निवारण नियमों में उपबंधित हैं। राज्य सरकार द्वारा इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन देखा गया कि अनुसूचित जातियों के उन व्यक्तियों के, जो घटना के शिकार हुए, निकटतम संबंधियों का पुनर्वास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया।

3.35 इन जांचों से पता चला है कि राज्य की राजनैतिक स्थिति इन "सेनाओं" के निर्माण के लिए जिम्मेदार है और ये सेनाएं ऊंची और नीची दोने प्रकार की जातियो के प्रति वफादार हैं। जब उच्च जातियों की सेना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों का वध करती है, तो नीची जातियों की सेना बदला लेती है और इस प्रकार समय-समय पर लड़ाईयों और हत्याएं होती रहती हैं। राज्य की पुलिस इन अत्याचारों से निपटने में प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के राज्य कार्यालय द्वारा निपटाए गए अत्याचार के मामले

3.36 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के पटना-स्थित राज्य कार्यालय ने वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अतयाचार के कुल 50 मामलों के बारे में कार्रवाई की, जो उसके ध्यान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों/समाज कल्याण संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों के रूप में और समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों के रूप में आए। पटना स्थित राज्य कार्यालय द्वारा वर्ष 1997-98 में अत्याचार के जिन मामलों के बारे में कार्रवाई की गई, उनका अपराध-वार ब्योरा इस प्रकार हैः-

क्रम संख्या	अपराध का स्वरूप	मामलों की संख्या
1.	हत्या	14
2.	बलात्कार	06
3.	आगजनी	06
4.	गम्भीर चोट	12
5.	अन्य अपराध	21
	जोड़	**59**

विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का निपटान

3.37 बिहार राज्य की सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के उपबंधों के अन्तर्गत अत्याचारों के मामलों के शीघ्र विचारण के लिए अब तक 15 विशेष न्यायालय सापित किए हैं। अन्य जिलों में बिहार सरकार के विधि विभाग की दिनांक 10.2.95 की अधिसूचना संख्या 340/जे. द्वारा प्रथम अपर जिला और सत्र न्यायाधीशों को मामलों के विचारण के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

3.38 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत बिहार में वर्ष 1995, 1996 और 1997 के दौरान विशेष अदालतों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों के निपटाए जाने की स्थिति की जानकारी नीचे दी गई हैः-

वर्ष	चालान किए गए मामलों की कुल संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामालों का प्रतिशतता	लम्बित मामलों की संख्या	अभ्युक्ति
1995	3138	160	5.09	2839	85 मामले अन्य न्यायालयों के अंतरित
1996	4300	535	12.44	3698	67 मामले अन्य न्यायालयों को अंतरित
1997	5059	428	8.46	4525	106 मामले अनया न्यायालयों को अंतरित

(स्रोतः बिहार के 41 न्यायाधीशों में से 40 न्यायाधीशों संबंधि सूचना के आधार पर, पटना उच्च न्यायालय के महा पंजीयक से प्राप्त सूचना)

3.39 उपर्युक्त तथ्यों से पता चलता है कि विशेष न्यायालयों द्वारा 1995-97 के वर्षों के दौरान मामलों के निपटान की स्थिति बिल्कुल संतोषजनमक नहीं थी। कम मामलों के निपटाए जाने के जो कारण बताए गए हैं, वे इस प्रकार हैं-

i) अभियुक्तों का हाजिर न होना।

ii) गवाहों को पेश न करना।

iii) गिरफ्तारो के बारंटो की तामील न होना।

iv) विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के अलावा, सत्र विचारण, आपराधिक मामलों, अपीलों अथवा पुनरीक्षण हकदारों की अपीलों आदि के मामलों को भी निपटाते हैं। इसलिए उनके पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) के अधिक मामलों को निपटाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता।

3.40 विशेष अदालतों द्वारा कम मामलों के निपटाए जाने और लम्बित मामलों की भारी संख्या के कारणों को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुझाव है कि राज्य सरकार को कारगर कदम उठाने चाहिएं ताकि विशेष न्यायालय लम्बित मामलों का तेजी से निपटान कर सकें, और ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने चाहिएं जो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उपबंधों के अनतर्गत आने वाले मामलों का विचारण करें, ताकि मामलों का निपटान तेली से किया जा सके।

3.41 आयोग ने वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य में विन्न स्तरों पर बैठकें की और राज्य में स्थापित विभिन्न समितियों, कक्षों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुलिस थानों, विशेष न्यायालयों के कार्यचालन और अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इन विचार-विमर्शों और दौरों के दौरान निम्नलिखित तथ्य सामने आएः-

- बिहार राज्य अनुसूचित जाति सलाहकार बोर्ड अथवा सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारा) अधिनियम कार्यान्वयन समिति की वर्ष में एक भी बैठक नहीं हुई।
- राज्य सरकार का प्रस्ताव था कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुलिस थाने के आधार पर 14 ऐसे और पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। लेकिन ये पुलिस थाने अभी तक खोले नहीं गए हैं।
- मौजूदा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुलिस थानों में गाड़ियों, वायरलेस सेटों और टेलीफोन, आदि बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।
- पुलिस थानों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कक्षों को सुदृढ़ बनाए जाने की अविलम्ब आवश्यकता है, ताकि उनके कार्यचालन को प्रभावकारी बनाया जा सके।
- राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार वाले संवेदनशील इलाकों की पहचान नहीं की गई है।
- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लोगों पर हुए अत्याचारों के सभी मामलों की तफतीश पुलिस उप-अधीक्षक के स्तर के अधिकारियो द्वारा नहीं किए गए, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार ऐसा किया जाना जरूरी है।

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के उन मामलों के संबध में भी जिनमें एफ. आई. आर. दायर की गई थी, पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफ. आई.आर. में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के नाम और उसकी धाराओं का उलले, सही रूप में नहीं किया गया था। इस कमी को दूर करने के लिए पुलिस कर्मियों को जानकारी/मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उन्हें कारगर रूप से प्रशिक्षित करने की अविलम्ब आवश्यकता है।

- अत्याचार निवारण और पी.सी. आर. अधिनियम के अन्तर्गत मामले अधिक पूरी तरह से रजिस्टर करने और तद्पश्चात उनका शीघ्रता से निपटान करने की जरूरत है। अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आम तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के उपबंधों के अनुसार वितीय सहायता प्राप्त नहीं होती।

3.42 **इस वस्तु-स्थिति को देखते हुए, आयोग का मत है कि बिहार सरकार को पी.ओ.ए. कार्यान्वयन समितियों और अन्य समितियों की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुलिस थानों और कक्षों को मजबूत और कार्यशीलबनाने, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष न्यायालय स्थापित करने और उन्हें चालू करने, और ऊपर उल्लिखित अन्य कमियों को दूर करने के लिए तत्काल और कारगर कदम उठाने चाहिंए/ उपाय करने चाहिएं।**

अध्याय IV

गोवा

गोवा राज्य में, जो 30 मई, 1987 को भारत संघ का 25 वां राज्य बना। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 2.08 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 0.03 प्रतिशत है। चूंकि अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या नगण्य है, इसलिए राज्य में केवल विशेष संघटक योजना को कार्यान्वित किया जाता है।

आर्थिक विकास

4.2 इस राज्य में साक्षरता की दर देश की सबसे ऊंची साक्षरता दरों में से एक है और यहां तक कि अनुसूचित जातियों की साक्षरता की दर पुरूषों के मामले में 58.58 प्रतिशत और स्त्रियों के मामले में 40.22 प्रतिशत है, जो अखिल भारतीय स्तर से ऊंची है। अन्य राज्यों की तरह, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। अनुसूचित जातियों के दो प्रमुख समूहों, अर्थात महार और चम्बार जातियों का पीढ़ियों से चला आ रहा व्यवसाय टोकरियां बनाना, कपड़ा बुनना और चमड़ा तैयार करना है।

4.3 हालांकि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कोइ विशेष समस्याएं नहीं हैं, फिर भी यह एक तथ्य है कि अनुसूचित जाति समाज, कुल मिलाकर, आम लोगों की तुलना में आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। 1996 में गोवा सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे के अनुसूचित जातियों के परिवारों का एक सर्वेक्षण कराया गया था। अनुसूचित जातियों के 53.48 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे। बारदेज़ तालुका में सबसे अधिक, अर्थात 707 परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे और इसके बाद पेरनम (498), सालसीट(287) ओर बिकोलिम (188) का स्थान आता है।

4.4 गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की सूची उन सभी निदेशालयों के पास भेजी गई है, जो विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत योजनाएं कार्यान्वित करते हैं, ताकि उन परिवारों को अपना जीवन-स्तर ऊंचा उठाने के लिए सहायता दी जाए। यह सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जातियों के इन 2285 परिवारों को गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता दी जाए।

4.5 राज्य सरकार ने जुलाई, 1984 में परिवार कार्ड प्रणाली शुरू की थी, ताकि लाभभोगियों की बार-बार की जाने वाली गणना (मल्टीपल काउंटिंग) को समाप्त किया जाए ओर यह पता लगाया जा सके कि अनुसूचित जातियों के कितने परिवार गरीबी की रेखा को पार कर पाए हैं। यद्यपि यह योजना सफल नहीं हुई है, यह सुझाव दिया जाता हैं कि सरकार को इस योजना के कार्यान्वयन का बारीकी से अनुवीक्षण करना चाहिए।

4.6 अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के वित्तीय सुधार की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, गोवा राज्य अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग विकास वित्त निगम 2.4.90 को पंजीयित किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत, 10,000/- रूपए तक का ऋण ब्याज की 6 प्रतिशत दर पर दिए जाता है। निगम द्वारा जितने लाभभोगियों की सहायता की गई है, उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है।

4.7 अनुसूचित जातियों के लोगों के लाभ के लिए एन.एस.एफ.डी.सी. के साथ एक संयुक्त ऋण योजना के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता दी जाती है। इकाई लागत 1 लाख रूपए है। यह अनुभव किया जाता है कि जब तक ये लाभ प्राप्त करने के लिए आय की सीमा, जो इस समय 11,000 रूपए है, बढ़ाई नहीं जाती, तब तक विभिन्न ऋण सहायता योजनाओं के अन्तर्गत वांछित संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती। अतः राज्य सरकार को आय-सीमा को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, ताकि अनुसूचित जातियों के अधिक परिवार इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

4.8 राज्य सरकार, एकीकृत ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन भी कर रही है, जहां उनका निष्पादन सामान्यतया अच्छा नहीं रहा है। तथापि, राज्य सरकार को अनुसूचित जाति समुदाय के विकास के लिए अधिक निधियों का आबंटन सुनिश्चित करना चाहिए।

सेवाओं में सुरक्षोपाय

4.9 राज्य द्वारा भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन "क" और "ग" समूह की सेवाओं में अपेक्षित प्रतिशतता प्राप्त नहीं हुई है। गोवा को मई, 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और तब तक यह एक संघ राज्यक्षेत्र था और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण केन्द्रीय सरकार के प्रतिरूप पर आधारित था। जब राज्य बना तो सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए 2 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए, जो जनसंख्या में उनके अनुपात के अनुसार थे। अनुसूचित जातियों को इस परिवर्तन के बारे में व्यथित है और उनकी मांग है कि आरक्षण की पहले वाली ऊंची प्रतिशतता आश्रय की जाएं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

4.10 राज्य में समीक्षा वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

अध्याय V

गुजरात

1991 की जनगणना के अनुसार, गुजरात की जनसंख्या 4.13 करोड़ है । राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 7.43 प्रतिशत और 14.92 प्रतिशत है ।

5.2 हालांकि राज्य में सामान्य साक्षरता दर में वृद्धि हुई, लेकिन सामान्य साक्षरता दर और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर के बीच अन्तर बना हुआ है । 1991 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्रमशः 61.07 प्रतिशत और 36.45 प्रतिशत थी । हालांकि अनुसूचित जातियों के पुरूषों की साक्षरता दर सामान्य जनसंख्या की साक्षरता दर (69.29 प्रतिशत) के बराबर है, लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और महिलाएं इस मामले में पिछड़ी हुई हैं । राज्य सरकार को अनुसूचित/अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों और महिलाओं के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए ।

5.3 यद्यपि अनुसूचित जातियों के लोग राज्य के सभी जिलों में बिखरे हुए हैं, लेकिन अनुसूचित जनजातियों के लोग पूर्वी सीमावर्ती जिलों में संकेन्द्रित हैं । अनुसूचित जनजातियों के 92 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के 62 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं । हालांकि गुजरात के जनजातीय लोग मुख्यतः कृषि कार्य करते हैं, लेकिन गौण वन उत्पादों का संग्रह, दस्तकारी और नैमित्तिक श्रमिकों के रूप में काम करना भी, उनके आजीविका के महत्वपूर्ण स्रोत हैं । अनुसूचित जातियों के लोग बुनाई, दर्जीगिरी, मैला उठाने, टोकरियां बनाने, जूते बनाने, आदि के कार्य करते हैं। लेकिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लोगों का मुख्य पेशा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के रूप में करना है । दोनों समुदायों के लोग बेरोजगारी और अपूर्ण रोजगार की समस्याओं से ग्रस्त हैं । राज्य की अनुसूचित जातियां अस्पृश्यता के कलंक के शिकार हैं जिसके परिणामस्वरूप उन पर अत्याचार होते हैं और उनका उत्पीड़न होता है । यह भी देखने में आया है कि अनुसूचित जातियों के लोग सवर्ण हिन्दुओं द्वारा तंग किए जाने के कारण बहुत बड़ी संख्या में गांवों से शहरी इलाकों में जाते रहे हैं । जनजातीय लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में मुख्यतः रोजगार प्राप्त करने के लिए, जाते रहे हैं । 1998 में राज्य सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के 37.6 प्रतिशत परिवार और अनुसूचित जातियों के 9.6 प्रतिशत परिवार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते थे ।

आर्थिक विकास-एससीपी/टीएसपी का कार्यान्वयन

5.4 एससीपी के अंतर्गत प्रत्येक विभाग अनुसूचित जातियों के विकास के लिए आवश्यकताओं पर आधारित कार्यक्रम तैयार करता है । वर्ष 1996-97 और 1997-98 में एससीपी के लिए नियत की गई धनराशियों और उनके व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	एससीपी के लिए धन का प्रवाह			
		प्रतिशत	प्रतिशत प्रवाह	व्यय	प्रतिशतता
1996-97	3378.00	101.92	3.02	94.53	92.65
1998-98	4500.00	171.52	3.81	120.78	70.41

उक्त वर्षों में एस.सी.पी के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता इस प्रकार थी

क्रम संख्या	वर्ष	स्वीकृत की गई विशेष केन्द्रीय सहायता	व्यय
1.	1996-97	278.90	664.58
2.	1997-98	1659.99	680.56

5.5 एससीपी के लिए निर्धारित परिव्यय के विश्लेषण से यह पता चलता है कि परिव्यय राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में नहीं था । राज्य सरकार ने बताया है कि चूंकि अनुसूचित जातियों के लोग समूचे राज्य भर में फैले हुए हैं, इसलिए केवल अनुसूचित जातियों के लिए क्षेत्र-आधारित विकास परियोजनाएं हाथ में लेना कठिन है। इसलिए राज्य सरकार एस.सी.पी के अंतर्गत केवल व्यक्तियों और परिवारों पर आधारित स्कीमों के हाथ में ले रही है । वर्ष 1997-98 में 28 क्षेत्रकों में व्यय की प्रतिशतता काफी संतोषजनक रही है । यह भी देखा गया है कि 1997-98 में विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग, नियत की गई राशि से कम रहा है । एससीपी स्कीमें अलग-अलग विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । समाज कल्याण विभाग का, जो नोडल विभाग है, स्कीमों को तैयार किए जाने अथवा उनके कार्यान्वयन पर कोई नियंत्रण नहीं है । आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि नियत की गई समूची राशि समाज कल्याण विभाग के सचिव को उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि धनराशियों का उपयुक्त उपयोग सुनिश्चित किया जा सके । यह सिफारिश एक बार फिर दुहराई जाती है ।

5.6 राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के जीवनयापन का सामान्य स्तर अपेक्षित स्तर से बहुत नीचा है, इसलिए विशेष संघटक योजना का बुनियादी लक्ष्य उनके आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

i) गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी,

ii) अनुसूचित जातियों के लिए उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण,

iii) सभी क्षेत्रकों में पर्याप्त अवसरों की व्यवस्था करके विकास की कार्यनीति का विविधीकरण,

iv) पर्याप्त शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करके मानव संसाधनों का विकास,और

v) शोषण के खिलाफ भौतिक और वित्तीय सुरक्षा की व्यवस्था । उपर्युक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार का एससीपी के अंतर्गत पर्याप्त धनराशियां नियत करने और कृषि पर आधारित और उससे सम्बद्ध क्रियाकलापों जैसे पशुपालन , डेरी, सहकारिता और कृषि के यांत्रिकीकरण को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है । खादी और ग्रामोद्योगों, रेशम कीट पालन, हथकरघा और लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने के प्रयास भी किए जाएंगे ।

5.7 गुजरात में 9 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्र हैं, जिनके अंतर्गत राज्य की 82.44 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या आ जाती है । राज्य के जनजातीय विकास विभाग ने राज्य और

परियोजना स्तर पर एक न्यूक्लीयस बजट निर्धारित किया है, जिसके अंतर्गत जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए कुछ नूतन कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा टीएसपी के लिए नियत की गई धनराशि के विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि नियत की गई धनराशि जनजातीय जनसंख्या की प्रतिशतता से कमहै । विशेष केंद्रीय सहायता का उपयोग काफी संतोषजनक रहा है । एससीपी के मामले की तरह, टीएसपी की समूची राशि जनजातीय विकास विभाग को आवंटित करके इस विभाग को ओर अधिक प्राधिकार दिए जाने की जरूरत है । इससे जनजातीय विकास विभाग का सचिव प्रत्येक विभाग की स्कीमों की संवीक्षा यह देखने के लिए कर सकेगा कि क्या वे अनुसूचित जनजातियों के लिए उपयुक्त हैं, और उनका उपयुक्त कार्यान्वयन भी सुनिश्चित कर सकेगा ।

5.8 1996-97 और 1997-98 में राज्य योजना परिव्यय और टीएसपी के लिए नियत राशियों और व्यय की जानकारी नीचे दी गई है :

(करोड़ रूपये)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	टी.एस.पी के लिए प्रवाह	राज्य योजना की तुलना में प्रतिशतता	टी.एस.पी से व्यय
1996-97	3378	339.00	11.00%	340
1997-98	4500	475.35	10.56%	431

और 1996-97 और 1997-98 में टी.एस.पी. के लिए दी गई विशेष केंद्रीय सहायता इस प्रकार थीः

(करोड़ रूपये)

वर्ष	परिव्यय	व्यय
1996-97	26.43	29.48
1997-98	26.34	29.64

5.9 राज्य सरकार इस अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रियान्वित की जा रही विकास की स्कीमों के विश्लेषण से पता चलता है कि 1997-98 में अनुसूचित जातियों के कुल 3906 व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों के 13824 व्यक्तियों को इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए गए। वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को 100-100 वर्ग गज के 6678 भू-खंड दिए गए । ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण की ग्रामीण युवा-राष्ट्रीय स्कीम नामक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण युवा अपने स्वयं के उद्यम शुरू कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें । वर्ष 1997-98 में 1553 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया । इस स्कीम में वित्त, औजार, उपस्कर, कच्ची सामग्री, आदि देने की भी व्यवस्था है । जनजातीय किसानों के लिए, बीजों, उर्वरकों की निविष्टयों का किट, जो आधा एकड़ भूमि की खेती के लिए पर्याप्त हो, देने की एक सब्सिडी-स्कीम भी है । इसी प्रकार, उन्नत कृषि उपकरणों की लागत के 50 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी भी दी जा रही है । बैलों, बैलगाड़ियों की खरीद, क्यारी बनाने और धन की खेती, आदि केलिए सब्सिडी देने की भी अन्य स्कीम हैं ।

5.10 कुछ प्रमुख क्षेत्रकों में राज्य सरकार का कार्य-निष्पादन, उसके द्वारा दी गईसूचना के अनुसार, इस प्रकार था:

स्वास्थ्य

- राज्य में 224 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 894 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 7274 उप-केन्द्र स्थापित किए गए हैं । जनजातीय क्षेत्रों में 57 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की कमी है, जिनके लिए चालू वर्ष के बजट में व्यवस्था की गई है ।

- गुजरात ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में, जिनमें जनजातीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं, चिकित्सा अधकारी के अधिकतर स्वीकृत पदों को भर लिया है । चिकित्सा-कार्मिकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे उच्च वेतनमान (समयबद्ध पदोन्नति), पुनर्नियोजन, गैर-सरकारी चिकित्सकों की संविदा के आधार पर और अंशकालिक नियुक्ति, चुने हुए जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले डाक्टरों को 500 रूपए का ग्रामीण भत्ता/ चिकित्सा-संवर्ग के खाली पदों को दैनिक वाल्क-इन साक्षात्कार के जरिए भरा जा रहा है । इसके अलावा, सरकार ने चिकित्सा-शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से तीन वर्ष के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा करने का बांड भराने की व्यवस्था की है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों के अंतर्गत शामिल जनसंख्या और क्षेत्र

मद	सामान्य		जनजातीय क्षेत्र	
	मानदंड	उपलब्धि	मानदंड	उपलब्धि
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र		739		250
उप-केन्द्र		5345		1929
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र		169		55
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (जनसंख्या प्रति यूनिट	30000	28200	20000	25600
उप केंद्र(जनसंख्या प्रति यूनिट	50000	4100	30000	2900

- उन जनजातीय क्षेत्रों में, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना सम्भव नहीं है, 44 चल स्वास्थ्य उपचर्या यूनिट चलाए जा रहे हैं ।

शिक्षा

5.11 मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों जैसी विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के अलावा, राज्य सरकार होस्टलों में रहने वाले छात्रों को खाद्य सहायता देती है । अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां भी दी जाती हैं । प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 350 रूपये से 500 रूपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्तियां और 100 रूपए प्रति मास की दर से वित्तीय सहायता भी दी जाती हैं । वर्ष 1997-98 में 3395 लड़कियों ने इन छात्रवृत्तियों से लाभ उठाया है । 1997-98 में लगभग 5.59 लाख जनजातीय विद्यार्थियों को 150 रूपये प्रति विद्यार्थी की दर से निःशुल्क पुस्तकें और

कपड़े दिए गए । राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाएः

- सरस्वती साधना योजना (हाइ स्कूल की लड़कियों को मुफ्त बाइसिकल)
- प्राथमिक स्कूलों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मुफ्त वर्दियां (आय की उच्चतम सीमा 1500 रूपए)
- अनुसूचित जातियों के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए डा0 अम्बेडकर ऋण स्कीम
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आदिकालीन (प्रिमिटिव) समुह को अपेक्षाकृत ऊंची दर से छात्रवृत्तियां
- अनुसूचित जातियों के कालेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा लड़कों (1728) के 34 और लड़कियों (308) के 9 होस्टलऔर अनुसूचित जनजातियों के कालेज जाने वाले विद्यार्थियों के लिए लड़कों (2321 विद्यार्थी) के 28 और लड़कियों (1629 विद्यार्थी) के 22 होस्टल राज्य सरकार द्वारा चलाए जाते हैं ।
- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में अनुसूचित जातियोंकेलिए 81 आश्रम स्कूल और अनुसूचित जनजातियों के लिए 515 आश्रम स्कूल हैं । अनुसूचित जातियों के लिए 34 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50 सरकारी होस्टल हैं ।

सरदार सरोवर परियोजना-विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

- राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि अभिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है । लेकिन सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है ।

कृषि भूमि

- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को, जिनकी 25 प्रतिशत भूमि डूब गई हो, भूमि की उच्चतम सीमा अधिनियम की सीमा के अधीन न्यूनतम 5 एकड़ भूमि ।
- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों को, जिनकी 25 प्रतिशत भूमि डूब गई हो और जो शेष भूमि को अभिग्रहण करना चाहते हों, उपर्युक्तानुसार भूमि आवंटित की जाएगी ।
- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों से, जिन्हें उक्त सुविधा के भाग के रूप में भूमि अलाट की जाएगी, मुआवजे की आधी राशि वसूल की जाएगी और शेष राशि 20 वर्षों की किस्तों में ब्याज के बिना ली जाएगी ।

ग्रामताल भूमि

- परियोजना से प्रभावित किसान परिवार को 3 गुंथा भूमि और किसानों से भिन्न परिवारों को 2 गुंथा भूमि निःशुल्क दी जाएगी ।

स्कूल

- पुर्नवास स्थल पर प्रति 100 किसानों के लिए एक स्कूल ।

पंचायत घर, समाज भवन अथवा सार्वजनिक इमारत

➢ प्रति 500 परिवारों के लिए उपर्युकत में से कोई एक ।

औषधालय

➢ प्रति 500 परिवारों के लिए एक औषधालय, लोक स्वास्थ्य विभाग की सलाह से निर्धारित किया जाएगा ।

बाल उद्यान (चिल्ड्रन पार्क)

➢ प्रति 500 परिवारों केलिए पार्क के लिए एक भू-खंड ।

तालाब

➢ जहां तकनीकी रूप से संभव हो, वहां परियोजना से प्रभावित लोगों के समूह के लिए परकोलेशन टैंक की सुविधा ।

पेय जल

➢ परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की बस्ती के लिए एक कुआं और एक आवज ।

पुनर्वास अनुदान

➢ 750/- रुपये प्रति परिवार, जिसमें से 400 रुपये प्रव्रजन (माइग्रेशन) से पहले और 350/- रूपए उसके बाद ।

सड़कें

➢ यातायात को देखते हुए, तारकोल के पहुँच मार्ग ओर बजरी की आंतरिक सड़कें ।

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लोगों के गांवों में पेय जल की सुविधाओं की स्थिति

5.12 राज्य में अनुसूचित जनजातियों की लगभग 5884 और अनुसूचित जातियों की लगभग 5153 बस्तियां हैं । राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की उन बस्तियों की स्थिति, जहां पेय जी की कठिनाइयां हैं और 1-9-97 को कवर न हुई (एन.सी.) और आंशिक रूप से कवर की गई (पी.सी) बस्तियों की स्थिति इस प्रकार थी:-

1.	1-4-97 को कवर न हुई और आंशिक रूप से कवर हुई बस्तियों की संख्या	3205
2.	कवर न हुई और आंशिक रूप से कवर हुई बस्तियों की कवरेज	
	वर्ष 1997-98	487
	वर्ष 1998-99	639
	वर्ष 1998-99	636
	जोड़	1762
3.	1-4-2000 को एन.सी.पी.सी. बस्तियों की संख्या जो कवर होनी बाकी है ......(1)......(2)	1443बस्तियां
4.	एन.सी.पी.सी. बस्तियां, जिन्हें 2000-2001 में कवर करने का प्रस्ताव है	400बस्तियां
5.	बाकी सभी एन.सी.पी.सी बस्तियां, जिन्हेंमार्च, 2004 तक कवर करने का प्रस्ताव है	1042बस्तियां

5.13 वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जनजातियों की 480 बस्तियों में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लक्ष्य की तुलना में, राज्य सरकार ने 487 बस्तियों में इन सुविधाओं की व्यवस्था की । लेकिन 22 करोड़ रूपए की व्यवस्था का पूरा उपयोग नहीं किया गया । वास्तविक व्यय केवल 10.07 करोड़ रूपए का हुआ । अनुसूचित जातियों की बस्तियों में कार्य-निष्पादन बेहतर हुआ । वर्ष 1997-98 में 250 बस्तियों को कवर करने के लक्ष्य की तुलना में, 423 बस्तियों में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था की गई । 8 करोड़ रूपए की व्यवस्था की तुलना में 10.56 रूपए का व्यय हुआ । राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वर्ष 2004 तक अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की सभी बस्तियों में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाएगी ।

5.14 गुजरात अनुसूचित जाति विकास निगम गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है । निगम एन.एस.एफ.डी.सी द्वारा यथानुमोदित विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है । इसी प्रकार, गुजरात जनजातीय विकास निगम दुधारू पशुओं, बैलों और बैलगाड़ियों, मात्स्यिकी, मुर्गीपालन और कुटीर उद्यागों, आदि जैसी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए सहकारी जनजातीय समितियों को विभिन्न प्रकार के ऋण दे रहा है। जनजातीय विकास निगम द्वारा एन.एस.एफ.डी.सी. की स्कीमों का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

सेवाओं में सुरक्षोपाय

5.15 सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 7 प्रतिशत और 14 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है । आरक्षण की व्यवस्था राज्य में जिला स्तर तक श्रेणी- III और IV की सेवाओं में लागू है । लेकिन, आम तौर पर अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की प्रतिशतता सिवाय श्रेणी IV के पदों के सभी श्रेणीयों में निहित प्रतिशतता से बहुत कम है । इसलिए यह जरूरी है कि राज्य सरकार और उसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए । आयोग ने यह भी देखा है कि जिला स्तर के स्वायत्त निकाय उपयुक्त रूप से रोस्टर नहीं रख रहें । राज्य सरकार को इन मामलों को ओर ध्यान देना चाहिए ।

अत्याचार

5.16 पुलिस के पास पंजीयित कराए गए अत्याचार के मामलों के ब्योरे से पता चलता है कि राज्य में अत्याचारों और अस्पृश्यता के मामलों में वृद्धि हो रही है । 1996 में अनुसूचित जातियों के लोगों से संबंधित मामलोंकी संख्या 1782 थी, जो बढ़ कर 1997 में 1844 हो गई । इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों की संख्या, जो 1996 में 488 से कम हो कर 388 हो गई थी, बढ़ कर 1997 में 400 हो गई । पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पंजीयित मामलों की संख्या भी 18 से बढ़ कर 22 हो गई । दोषसिद्धि के मामलों की तुलना में, जो बिल्कुल नगण्य है, बरी होने के मामले काफी अधिक हैं । राज्य सरकार को अत्याचार के मामलों, विशेष रूप से बलात्कार के मामलों की संख्या में वृद्धि के कारणों का पता लगाने के लिए स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए और इनकी पुनरावृत्ति को रोकने केलिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने चाहिएं । अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की भी आवश्यकता है ।

5.17 राज्य में अत्याचार के मामलों और पी.सी.आर. मामलों को मॉनीटर करने और उनकी जांच करने के तंत्र में, समाज कल्याण विभाग में एक उप-निदेशक की अध्यक्षता में एक पी.सी.आर.कक्ष और राज्य स्तर पर पुलिस के महानिदेशक और महानिरीक्षक के तहत एक डी.आई.जी. (अनु.जा./अनु.ज.जा. और कमजोर वर्ग पी.ओ.ए. कक्ष) शामिल है । जिला स्तर पर, उप-पुलिस अधीक्षकों की अध्यक्षता में विशेष जांच कक्ष के ऐसे 15 पद हैं । तीन सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक 6 जिलों का प्रभारी है ।

5.18 पी.सी.आर. मामलों और अत्याचारों के मामलों की समीक्षा और मॉनीटरिंग जिला स्तर पर सतर्कता समितियों द्वारा और राज्य स्तर पर सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है । मामलों की समीक्षा करने के लिए राज्य के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति भी है ।

5.19 आयोग की चौथी रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और पुलिस के रोजमर्रा के कार्यचालन में सुधार करने के लिए बहुत से सुझाव दिए गए थे । इन सिफारिशों को फिर से दोहराया जाता है ।

अध्याय VI

हरियाणा

प्रस्तावना

हरियाणा राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 1991 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 1,64,63,648 और अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 32,50,933 है, जो राज्य की जनसंख्या के 19.75 प्रतिशत के बराबर है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आबादी नहीं है।

6.2 राज्य में साक्षरता की सामान्य दर (1991 की जनगणना के अनुसार) 55.85 प्रतिशत है और अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 39.22 प्रतिशत है, जो राज्य की सामान्य साक्षरता दर से बहुतकम है। लेकिन अनुसूचित जातियों की अखिल भारतीय साक्षरता दर अर्थात 37.41 प्रतिशत की तुलना में राज्य की स्थिति कुछ बेहतर है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं की साक्षरता की दर 24.15 प्रतिशत है जो अनुसूचित जातियों की महिलाओं की 23.76 की अखिल भारतीय साक्षरता दर के लगभग बराबर ही है।

विकास और कल्याण के कार्यकलाप

6.3 चूंकि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोग नहीं हैं, इसलिए अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छठी योजना से ले कर केवल विशेष संघटक योजना ही तैयार की जाती है। अनुसूचित जातियों के विकास के दो अन्य साधन हैं हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और विशेष केन्द्रीय सहायता।

विशेष संघटक योजना

6.4 वर्ष 1997-98 में, 1576.40 करोड़ रूपए के राज्य योजना परिव्यय में से विशेष संघटक योजना के लिए 202.65 करोड़ रूपए की राशि देना तय किया गया था, जिसमें से वास्तविक व्यय 165.15 करोड़ रूपए का हुआ। कुल योजना परिव्यय की तुलना में एस.सी.पी. के परिव्यय का अनुपात 12.85 प्रतिशत और एस.सी.पी. के लिए किए गए आवंटन की तुलना में एस.सी.पी. के अन्तर्गत किए गए व्यय का अनुपात 81.49 प्रतिशत था। इस प्रकार, राज्य योजना परिव्यय में से एस.सी.पी. के लिए किए गए 12.85 प्रतिशत आवंटन की राशि अनुसूचित जाति की जनसंख्या (19.75 प्रतिशत) के हिसाब से बहुत कम थी, और वह भी पूरी इस्तेमाल नहीं की गई। **राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एस.सी.पी. के लिए किया जाने वाला आवंटन अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार हो; राज्य सरकार को भविष्य में इस राशि का पूरा इस्तेमाल करने के लिए भी उपाय करने चाहिएं।**

6.5 राज्य सरकार की विभिन्न विकास स्कीमों के अन्तर्गत 1997-98 में खर्च की गई राशि की जानकारी नीचे दी गई है:

	विकास की स्कीमें	एस.सी.पी. के अन्तर्गत इस्तेमाल की गई राशि की प्रतिशतता
1.	कृषि ओर संबद्ध सेवाएं	10.3 %
2.	ग्रामीण विकास	40.6%
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	15.27%
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	7.02%
5.	ऊर्जा	2.29%
6.	उद्योग और खनिज	10.68%
7.	परिवहन	0.02%
8.	विकेन्द्रीकृत आयोजन	25%
9.	वैज्ञानिक और आर्थिक सेवाएं	नहीं
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	नहीं
	जोड़	30.70

6.6 यह देखा जा सकता है कि ग्रामीण विकास और विकेन्द्रीकृत आयोजन की स्कीमों के अन्तगर्त व्यय की प्रतिशतता काफी संतोषजनक है। लेकिन सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, आदि की स्कीमों के अन्तर्गत व्यय की प्रतिशतता 0.02 प्रतिशत से 7.02 प्रतिशत तक ही है और वैज्ञानिक और आर्थिक सेवाओं और सामान्य आर्थिक सेवाओं के अन्तर्गत कोई खर्च नहीं किया गया है। **ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण और विकास के लिए एस.सी.पी. के अन्तर्गत धन का आवंटन करने और धनराशि का इस्तेमाल करने के दोनों मामलों में गम्भीर नहीं है। इस संबंध में मात्रात्मक और गुणात्मक दानों दृष्टियों से सुधार किए जाने की आवश्यकता है।**

हरियाणा हरिजन कल्याण निगम

6.7 हरियाणा हरिजन कल्याण निगम 2 जनवरी, को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया था; इसका एकमेव उद्देश्य राज्य के अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आर्थिक लाभों का पैकेज उपलब्ध करना है। निगम कई स्कीमें कार्यान्वित करता है, जिनमें से कुछ की जानकारी नीचे दी गई है:

मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास की स्कीम

6.8 योजना के अनुसार, निगम ने हरियाणा राज्य में मैला उठाने वालों तथा उनके आश्रितों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया है। इस प्रकार निगम सर्वेक्षण सूची के अनुसार पहचान किए गए मैला उठाने वालों/ आश्रितों को वित्तीय सहायता देती है।

6.9 निगम ने राज्य के 18जिलों में तीसरा सर्वेक्षण किया तथा यह देखा कि राज्य में 40,000 मैला ढ़ोने वाले और उनके आश्रित जन हैं। निगम ने उनकी उन्नति के लिए कई स्कीमें शुरू की हैं। पिछले 5 वर्षों में विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

क्रम संख्या	वर्ष	निगम के प्रशिक्षण केन्द्र	प्राइवेट दूकान/वर्कशाप	आई.टी.आई./ सरकारी संस्था	जोड़
1.	1993-94	798	35	-	833
2.	1994-95	1325	561	107	1993
3.	1995-96	455	323	49	827
4.	1996-97	472	110	-	482
5.	1997-98	281	94	-	375
		3231	1123	156	4510

6.10 जैसा कि देखा जा सकता है, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनतर्गत, मैला ढ़ोने वाले जितने व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है। मैला उठाने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए, उनमें से काफी अधिक व्यक्तियों को विशेष रूप से आई.टी.आई. और अन्य सरकारी संस्थाओं से प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता है।

वित्तीय सहायता

6.11 निगम ने वर्ष 1997-98 तक 11090 लाभभोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान की, ताकि वे डेरी फार्मिंग, सिले-सिलाए वस्त्रों की दूकानें, टेलीविजन मरम्मत आदि के कार्य शुरू कर सकें। ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(लाख रूपए में)

वर्ष	मामलों की संख्या	सब्सिडी	मार्जिन मनी	बैंक ऋण	जोड़	औसत सहायता (रूपयों में)
1993-94	1295	54.08	16.11	37.53	107.72	8318.00
1994-95	1411	66.11	21.49	45.06	132.66	9401.00
1995-96	4735	348.22	109.74	265.08	723.04	15270.00
1996-97	1790	147.89	45.97	112.47	306.33	17113.00
1997-98	1859	168.18	56.82	152.21	377.21	20291.00
जोड़	11090	784.48	250.13	612.35	1646.96	14850.00

6.12 यह देखा जा सकता है कि इस स्कीम के अन्तर्गत लिए किए गए मामलों की संख्या में, वर्ष 1995-96 की तुलना में 1996-97 ओर 1997-98 के दौरान कमी हुई है। निर्धारित लाभभोगियों के साथ निगम द्वारा स्थापित सम्पर्क के दौरान यह पता चला कि इनमें से 60 प्रतिशत व्यक्तियों को सहायता दी जा सकती है, और बाकी 40 प्रतिशत सहायता के पात्र नहीं हैं, क्योंकि वे या तो नाबालिग हैं, या निगम से पहले ही सहायता प्राप्त कर चुके हैं, या चूककर्ता हैं, या उन्हें नौकरी मिल गई हैं, या वे बाहर चले गए हैं या उनकी सहायता लेने में रूचि नहीं है।

विशेष केन्द्रीय सहायता

6.13 भारत सरकार ने इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 से 1996-97 तक राज्य सरकार को 4582.92 लाख रूपए की राशि रिलीज की, जिसमें से केवल 3236.19 लाख रूपए का इस्तेमाल किया गया। राज्य सरकार को इस सहायता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

शिक्षा

6.14 बेसिक, माध्यमिक और मैट्रिक कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या नीचे दिखाइ गई है:-

30.9.1997 को नामांकन की स्थिति

कक्षा	कुल लड़के	अनुसूचित जाति	कुल लड़कियां	अनुसूचित जाति
1	2	3	4	5
I से V	11.10	2.85	9.86	2.57
VI से VIII	5.25	0.97	3.92	0.66
IX से X	2.39	0.31	1.55	0.17
XI से XII	1.16	0.12	0.70	0.05

6.15 राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा की सुविधाओं में सुधार करने के लिए 1992-97 की अवधि में 87 प्राथमिक स्कूलों का उन्नयन उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूलों के रूप में किया गया और विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के 227 पदों के लिए मंजूरी दी गई।

6.16 30.9.1997 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर क्रमशः 28.35 प्रतिशत ओर 24.51 प्रतिशत थी, जबकि गैर-अनुसूचित जातियों के लोगों के मामलें मे यह दरें क्रमशः 20.20 प्रतिशत ओर 10.11 प्रतिशत थीं। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पर्याप्त प्रोत्साहन देकर, और पुस्तक-बैंक सुविधाओं का पूरा इस्तेमाल करके और छात्रावास की स्कीमों, आदि द्वारा, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर को कम किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को शिक्षा के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर अध्यापकों के रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष अभियान चलाना चाहिए। राज्य सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां विभिन्न कक्षाओं के लिए 10/- रूपए से 425/- रूपए प्रति मास तक देती है। 9वीं तथा 12वीं कक्षा में अनुसूचित जाति की छात्राओं को भी योग्यता छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। लेखन-सामग्री की वस्तुएं खरीदने के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं।

6.17 वर्ष 1996-97 के दौरान सभी विद्यार्थियों के लिए स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर नामांकन 1,10288 विद्यार्थी था जिनमें से 9,271 विद्यार्थी अनुसूचित जाति समुदायों से थे, जो राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशतता से काफी कम है।

6.18 अस्वच्छ व्यावसायों में लगे व्यक्तियों के प्रतिपाल्यों (वार्ड) को 25/-रूपए से 50/-रूपए प्रति मास तक के वजीफे दिए जाते हैं और इसके अलावा मेट्रिक-पूर्व-स्टेज पर 500/- रूपए प्रति वर्ष की दर से तदर्थ अनुदान भी दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के

लिए एक स्कीम शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत मेट्रिकोत्तर स्तर से स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1000/-रूपए से 2000/-रूपए तक की राशि दी जाती है।

6.19 **राज्य सरकार को इन स्कीमों के प्रभाव का जायज़ा लेने के लिए जिला-वार सर्वेक्षण करना चाहए और ऐसे अध्यापकों को, जो अनुसूचित जातियों में शिक्षा को बढ़ावा देने के काम के प्रति समर्पित हों, प्रोत्साहन के रूप में कुछ धनराशि देने पर विचार करना चाहिए और इसके अलावा महिलाओं की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।** मेट्रिकोत्तर स्तर से स्नातकोत्तर स्तर के अनुसूचित जातियों के योग्य विद्यार्थियों को 1000/-रूपए से 2000/- रूपए तक की प्रोत्साहन राशि देने की स्कीम एक सराहनीय स्कीम है, जिसे अन्य राज्य भी अपना सकते हैं।

सामाजिक विकारा

6.20 **राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं, लेकिन इनके लिए आवंटित राशि और उसके उपयोगके बारे में आयोग को कोई जानकारी नहीं दी गई, और इसलिए इस बात को आंका नहीं जा सकता कि अनुसूचित जातियों के लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है। राज्य सरकार को चाहिए कि वे आयोग को नियमित रूप से सूचना भेजे।**

i) अनुसूचित जातियों के उन लोगों को 5000/- रूपए की सब्सिडी, जिनके पास मकान या 50 वर्ग गज का भू-खंड न हो।

ii) अनुसूचित जातियों की बस्तियों के पर्यावरण में सुधार करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने के वास्ते ग्राम पंचायतों को 50,000/- रूपए तक का अनुदान।

iii) अनुसूचित जाति की विधवा की, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रही हो, लड़कियों की शादी के लिए 10,000/-रूपए की वित्तीय सहायता।

iv) अन्तर्जातीय विवाहों के लिए 25,000/- रूपए की प्रोत्साहन राशि।

v) अनुसूचित जातियो के कल्याण के लिए असाधारण काम करने वाली पंचायत को 5000/- रूपए की अदायगी।

vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के अन्तर्गत, अतयाचारों के शिकार अनुसूचित जातियों के व्यक्तियो को 15,000/- रूपए से 2 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता।

सेवाओं में आरक्षण

6.21 राज्य्र सरकार ने राज्य और उसके उपक्रमों के अन्तर्गत सेवाओं और पदों में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। सीधी भर्ती में श्रेणी I से IV तक के पदों में 20 प्रतिशत आरक्षण और केवल श्रेणी III और IV के पदों में पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

6.22 अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध 37 जातियों में चमार, जाटिया, रेगर, रैगर रामदासिया, और रविदासी को ब्लाक-बी में और शेष 36 जातियों को ब्लाक-ए में रखा गया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों को इस तर्क के आधार पर ब्लाक ए और बी में विभाजित किया है कि अनुसूचित जातियों में ब्लाक ए की अनुसूचित जातियां अपेक्षाकृत अधिक पिछड़ी हुई हैं ओर सीधी भर्ती में

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटें में से **50 प्रतिशत पद** ब्लाक ए की अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को दिए जाते हैं।

6.23 1.1.98 की स्थिति के अनुसार, राज्य **सरकार की** सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व के आंकड़ों के अवलोकन से पता **चलता है कि** समूह क,ख, ग और घ के पदों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व, **राज्य में** उनकी 19.75 प्रतिशत की जनसंख्या की तुलना में, क्रमशः 6.03 प्रतिशत, 6.94 प्रतिशत, **12.78 प्रतिशत और** 27.41 प्रतिशत है। **इससे प्रकट होता है कि समूह क और ख में अनुसूचित जातियों के रिक्त पदों का भारी बैकलॉग है और समूह ग में भी काफी कमी है; रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने की** जरूरत है।

6.24 1.1.97 की स्थिति के अनुसार, राज्य के **स्वामित्वधीन** उपक्रमों में समूह क, ख, ग और घ के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः **2.84 प्रतिशत**, 5.47 प्रतिशत, 13.51 प्रतिशत और 21.29 प्रतिशत है। **अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए विशेष भर्ती अभियान तथा अ.ए. पर अधिक रियायतों के रूप में अधिक जोरदार प्रयत्न करने पर विचार किया जाना चाहिए और इस संबंध में उठाए गए उपायों की जानकारी आयोग को** दी जानी चाहिएं।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

6.25 हरियाणा सरकार ने प्रत्येक जिला **मुख्यालय में सबसे** वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालतों को, अत्याचार अधिनियम के अन्तर्गत **अपराधों के विचारण** के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया है। वर्ष 1995, **1996 और 1997 में पुलिस द्वारा** पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत क्रमशः 3, 4,और 4 मामले दर्ज किए **गए। 1997 में** न्यायालय के सम्मुख लाए गए 16 मामलों में से 3 मामलों में अभियुक्तों को **बरी कर दिया गया** और 13 मामले विचाराधीन हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (**अत्याचार निवारण**) **अधिनियम**, 1989 के अन्तर्गत पुलिस द्वारा 1995, 1996 ओर 1997 में क्रमशः **21,16 और 32 मामले** पंजीकृत किए गए। 1997 में अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत **44 मामलों में चालान दायर** किए गए, जिनमें आगे लाए गए 22 मामले भी शामिल हैं। 1997 के अंत तक **दस मामलों में अभियुक्त** बरी हो गए, 2 में दोष सिद्धि हुई और शेष 32 मामले विचारण के लिए **लम्बित पड़े हैं। इस प्रकार**, यह देखा जा सकता है कि बहुत से मामले अभी भी न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं।

6.26 हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति और **अनुसचित जनजाति** (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 को 1.4.96 से अपना लिया है। राज्य सरकार ने **अत्याचार निवारण** नियम 4 के अन्तर्गत विशेष अभियोजकों की नियुक्ति नहीं की है। **लेकिन, उक्त नियमों के नियम 5 में यह उपबंध है कि किसी मामले के पंजीकरण के बाद, कोई राजपत्रित पुलिस अधिकारी जांच के लिए अत्याचार की बारदात के स्थल का दौरा करेगा और मामले को विशेष रूप से रिपोर्ट किया गया मामला समझा जाएगा। आयोग का मत है कि अभियोजन की प्रक्रिया के उपयुक्त मानीटरिंग के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति** (अत्याचार **निवारण**) **नियमों के नियम 4 के अन्तर्गत विशेष अभियोजक नियुक्त** किए जाने चाहिएं।

अध्याय VII

हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य ऊबड़ खाबड़ और पहाड़ी है और इसके 12 जिले हैं, जो 55,673 वर्ग किलोमीटर के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। राज्य की कुल जनसंख्या 51.71 लाख है, जिसमें 47.22 लाख लोग (91.32 प्रतिशत) गांवों में और 4.49 लाख लोग (8.68 प्रतिशत) शहरों में रहते हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 13.10 लाख है जो राज्य की कुल जनसंख्या के 25.34 प्रतिशत के बराबर है। अनुसूचित जातियों की बहुत बड़ी संख्या अर्थात 12.27 लाख लोग (93.66 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और केवल 0.83 लाख (6.34 प्रतिशत) लोग शहरी इलाकों में रहते हैं।

7.1 अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 2.18 लाख अर्थात राज्य की कुल जनसंख्या की 4.22 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों के अधिसंख्यक लोग (69 प्रतिशत) जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में रहते हैं, जो राज्य के 23.655 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले हुए हैं।

7.2 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता की दर सामान्य व्यक्तियों में 63.86 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर 53.20 प्रतिशत और 47.09 प्रतिशत थी । राज्य में सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर क्रमशः 52.17 प्रतिशतए 41.02 प्रतिशत और 31.18 प्रतिशत है ।

विशेष संघटक योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप

7.3 विशेष संघटक योजना के लिए अभी तक कोई एक समेकित मांग शुरू नहीं की गई है, लेकिन विशेष संधटक योजना के अन्तर्गत की गई बजट-व्यवस्था को दर्शाने के लिए एक लघु लेखा-शीर्ष खोला गया है।

7.4 विशेष संघटक योजना की राशि का किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं है और यह प्रयास किया जाता है कि विशेष संघटक योजना के लिए निर्धारित राशि का पूरा उपयोग किया जाए और इसका कहीं अन्य उपयोग न किया जा सके।

7.5 आठवीं पंचवर्षीय योजना, वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय की जानकारी नीचे दी गई हैः-

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राज्य योजना	विशेष संघटक योजना पर व्यय	प्रतिशतता
कुल आठवीं योजना (1992-97)	2502	303	12.12
1997-98	1008	128	12.47
1998-99	1440 (प्रत्याशित)	173 (प्रत्याशित)	12.00

7.6 उपर्युक्त से पता चलता है कि आठवीं योजना की अवधि में और वर्ष 1997-98 और 1998-99 में विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत जो व्यय हुआ, वह राज्य की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की तुलना में कम था। **विशेष संघटक योजना के परिव्यय और दोनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।**

7.7 अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, राज्य के निम्नलिखित स्थूल उद्देश्य हैं, जिन्हें पूरा करने के प्रयास नौवीं योजना के दौरान किए जा रहे हैं-

i) अनुसूचित जातियों के पास जो भी परिसम्पत्तियां हों, उनका संरक्षण।

ii) परिसम्पत्तियों (भूमि) का अन्तरण।

iii) उनकी रोजगारसक्षमता और उत्पादकता के बढ़ाने के लिए उन्हें नए हुनर सीखने में सहायता देना।

iv) उनकी बस्तियों में न्यूनतम आवश्यकताओं और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना।

7.8 विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को निम्नलिखित सहायता और रियायतें दी जा रही हैः-

i) अनुसूचित जातियों के किसानों को उत्पादन संबंधी निविष्टियां (उर्वरकों को छोड़ कर) 50 प्रतिशत सब्सिडी पर और उर्वरक 40 प्रतिशत सब्सिडी पर देकर कृषि-उत्पादन बढ़ाने में सहायता देना। इसके अलावा, उन्हें उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी अपनाने में सहायता दी जा रही है, जैसे यंत्रीकृत कृषि, सुधरे बीजों का इस्तेमाल, पौधों के संरक्षण के उपाय आदि। इसके अलावा, उन्हें बागवानी संबंधी निविष्टियां मुहैया की जाती हैं ताकि उन्हें अपने खुद के फलों के बगान लगाने में सहायता दी जाए। अनुसूचित जातियों के अनपढ़ और ग्रामीण युवकों को एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण की अवधि में 300 रूपए प्रति मास की दर से वित्तीय सहायता भी दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा बागबानी की विभिन्न निविष्टियों की लागत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाती है।

ii) मक्खी-पालन की स्कीम के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों के लोगों को आधुनिक मक्खियों के छत्तों, मधुमक्खी पालन के लिए आवश्यक उपकरणों और औजारों की लागत पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है, जिसकी अधिकतम राशि 1000/- रूपए प्रति परिवार होती है। इसी प्रकार, अनुसूचित जातियों के किसानों को खुम्भियां उगाने के यूनिटों की स्थापना के लिए निम्नलिखित दरों पर सब्सिडी दी जाती हैः

क)	ट्रे पर और अधिकतम 400 ट्रे के लिए खाद (कम्पोस्ट) पर सब्सिडी	50 प्रतिशत
ख)	कीटनाशकों/पौधा संरक्षण उपकरण पर सब्सिडी	50 प्रतिशत
ग)	खुम्भी घर की पूंजीगत लागत पर सब्सिडी	10 प्रतिशत (2500 रू0 की अधिकतम राशि के अध्यधीन)
घ)	ऋण की ब्याज-दर पर सब्सिडी	3 प्रतिशत
ड)	निकटतम रोडहैड तक कम्पोस्ट के परिवहन पर सब्सिडी	100 प्रतिशत (अधिकतक 600 ट्रे के लिए)

पशुपालन

7.9 अनुसूचित जातियों के लोगों को दुधारू पशुओं और अन्य पशुओं के बारे में परिवहन प्रभारों के लिए 100 प्रतिशत की सब्सिडी के अलावा, 50 प्रतिशत की सब्सिडी, 5000/- रूपए प्रति परिवार की उच्चतम सीमा के अधीन, दी जाती है। इसके अलावा, छः महीनों तक 700/- रूपए तक का सन्तुलित आहार 50 प्रतिशत सब्सिडी पर दिया जाता है। चैककराफट, दुध की बाल्टियों, आदि जैसे उपकरण भी 50 प्रतिशत की सब्सिडी पर मुहैया किए जाते हैं।

मछलीपालन

7.10 अनुसूचित जातियों के मछुवारों को मछली पकड़ने के उपस्करों, जैसे नावों और जाल, आदि के लिए, जलाशय मछुवारा कार्यक्रम के अन्तर्गत 2500/- रूपए की राशि तक 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। तालाबों में मछली पालने वालों को तालाबों/जलाशयों आदि के निर्माण/मरम्मत के लिए भी 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। मछली-पालकों को ट्राउट मछलियां पालने का काम हाथ में लेने के लिए भी ऐसी सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जातियों के मछली पालकों को केज कल्चर के विकास के लिए भी 5000/- रूपए की अधिकतम राशि तक सब्सिडी उपलब्ध की जाती है।

ग्रामोद्योग और लघु उद्योग

7.11 इस क्षेत्रक के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैः-

i) 35 प्रतिशत की दर पर पूंजी निवेश सब्सिडी, इस शर्त के साथ कि सब्सिडी की राशि 10,000 रूपए से अधिक नहीं होगी।

ii) सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी।

iii) अन्य उद्यमों के संबंध में 6 प्रतिशत और 4 प्रतिशत ब्याज की दरों की तुलना में, केवल 1 प्रतिशत की ब्याज दर पर सीमान्त राशि (मार्जिन मनी)।

iv) मशीनों की ढुलाई और उनके प्रतिष्ठापन पर 100 प्रतिशत सब्सिडी।

v) खंड़ों में निर्धारित किए गए परिवारों के लिए आई.आर.डी.पी. के कवरेज की पद्धति पर, आर.आई.पी. स्कीमों के अन्तर्गत सब्सिडी के अंश को 33 प्रतिशत से बढ़ा कर 50 प्रतिशत किया जाना।

vi) लघु उद्योगों के क्षेत्रक में जेनरेटिंग सेटों की खरीद के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रूपए है।

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

7.12 हिमाचल प्रदेश की सरकार को आठवीं योजना की अवधि (1992-97) में केन्द्रीय सरकार से 18 करोड़ रूपए प्राप्त हुए, जिसकी तुलना में राज्य सरकार ने 19 करोड़ रूपए का व्यय किया। यह अतिरिक्त राशि कृषि, बागबानी, सहकारिता और ऊर्जा, आदि की स्कीमों के अन्तर्गत खर्च की गई। वर्ष 1997-98 में राज्य सरकार को 2.61 करोड़ रूपए दिया गया। लेकिन व्यय फिर अधिक अर्थात

2.71 करोड़ रूपए हुआ। **राज्य सरकार के लिए यह श्रेय की बात है कि रिलीज की गई लगभग सभी राशियां उन प्रयोजना के लिए इस्तेमाल की गई, जिनके लिए वे उपलब्ध की गई थी।**

जनजातीय उप-योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए किए गए क्रियाकलाप

7.13 हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। विकास प्रशासन के प्रयोजन से, समूचे जनजातीय उप-योजना क्षेत्र को पांच एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आई.टी.डी.पी.) में विभाजित किया गया है। ये पांच एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाए हैं, किन्नौर, लाहौल, स्पिती, पांगी और भरमौर। किन्नौर को छोड़ कर, जो तीन सामुदायिक विकास खंडों में फैला हुआ है, शेष एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में से प्रत्येक में एक सामुदायिक विकास खंड है। बिखरे हुए जनजातीय लोगों के लिए, छठी योजना के दौरान संशोधित क्षेत्र विकास नीति (मौडीफाइड एरिया डवेलपमेंट एप्रोच) तैयार की गई थी, जिसका उद्देश्य जनजातीय लोगों की बहुलता वाले ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्रों (पाक्टे) को कवर करना था, जिनकी आबादी 10,000 हो और जिसमें से 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक लोग जनजातियों के हों। चम्बा जिले में ऐसी दो आबादियों(पाक्टे) का पता लगाया गया था। इन बस्तियों का क्षेत्रफल 891 वर्ग किलोमीटर है और अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या के 61 प्रतिशत लोग इन एम.ए.डी.ए. क्षेत्रों में बसे हुए हैं।

7.14 सिंगल लाइन प्रशासन पहले पांगी में 1986 में लागू किया गया और 15 अप्रैल, 1988 से इसे सभी पांचों एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में लागू कर दिया गया।

7.15 हिमाचल प्रदेश जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति पर 1974-75 में अमल करना शुरू किया और 1987-88 तक समूची जनजातीय जनसंख्या को इसके दायरे मे ले आया गया। प्रारम्भ में 1974-75 में जनजातीय उप-योजना कुल राज्य योजना के 3.65 प्रतिशत के बराबर अर्थात 111.81 लाख रूपए की थी।

7.16 राज्य सरकार ने 1996-97 से यह फैसला किया है कि कुल राज्य योजना परिव्यय का 9 प्रतिशत भाग जनजातीय विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा और वह बाद में 5 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना को अपनी स्वयं की प्राथमिकताएं निर्धारित करने और धनराशि केवल उन स्कीमों के लिए नियम करने की छूट होगी जो उस क्षेत्र के लिए प्रासंगिक हों।

7.17 आठवीं योजना और वर्ष 1997-98 के दौरान जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत किए गए आवंटन और व्यय की जानकारी नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राज्य योजना	जनजातीय उप-योजना के लिए आवंटन	व्यय	विशेष केन्द्रीय सहायता	कुल व्यय
आठवीं योजना (1992-97)	3340	300	298	20	318
1997-98	1008	90	90	343	9343

7.18 विशेष केन्द्रीय सहायता की 20 करोड़ रूपए की राशि के अलावा, 56.51 लाख रूपए और 107.08 लाख रूपए की काफी बड़ी राशि जनजातीय पाकेटों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के लोगों और जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय पाकेटों के बाहर बिखरे हुए अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विकास के लिए खर्च की गई।

7.19 एस.सी.पी./एस.सी.ए. के अन्तर्गत शामिल सामान्य स्कीमों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास के लिए निम्नलिखित मुख्य स्कीमें हाथ में ली गई हैं-

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/ अनूसूचित जनजाति विकास निगम

7.20 निगम की मौजूदा अधिकृत शेयर पूंजी 30.00 करोड़ रूपए है, जिसका अंशदान राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा 51:49 के अनुपात में किया जाना है। 31.3.98 को निगम की कुल चुकता पूंजी 1954.45 लाख रूपए थी। निगम को केन्द्रीय सरकार के अंशदान के रूप में 31.03.98 तक 1110.02 लाख रूपए प्राप्त हुए थे।

7.21 निगम इस समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और उसके संगठनों को वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों से अथवा भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम से वित्तीय सहायता दिलाता है। निगम द्वारा इस समय निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैः-

स्व-रोजगार योजना

7.22 अपनी स्थापना के समय से लेकर निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के 1,61,314 व्यक्तियों और अनुसूचित जनजातियों 14,449 व्यक्तियों को मार्जिन मनी ऋण के रूप में क्रमशः 2038.92 लाख रूपए और 239.86 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी गई। इसके अलावा, मार्च, 1998 के अंत तक अनुसूचित जातियों के 23,356 परिवारों और अनुसूचित जनजातियों के 1696 परिवारों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में क्रमशः 866.04 लाख रूपए और 67.63 लाख रूपए संवितरित किए गए।

हिमस्वाभिमान योजना

7.23 इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 से 1997-98 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 586 व्यक्तियों को 1233.98 लाख रूपए के ऋण मंजूर किए गए।

उच्च अध्ययन के लिए ब्याज-मुक्त अध्ययन ऋण

7.24 यह स्कीम 1992-93 में शुरू की गई थी और मार्च, 1998 के अंत तक 157 विद्यार्थियों को कुल 29.23 लाख रूपए के ऋण दिए गए थे।

अन्य संवर्धनात्मक और समर्थनकारी क्रियाकलाप

7.25 वर्ष 1996-97 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 2949 व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष 1997-98 में "दलित वर्ग व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना" नामक एक नई स्कीम शुरू की गई और वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 1040 युवाओं को इस स्कीम के अन्तर्गत प्रशिक्षण देने के लिए शामिल किया गया।

लघु विक्रय-केन्द्र योजना (शाप-शेड स्कीम)

7.26 इस स्कीम के अन्तर्गत निगम ने नगर पालिकाओं/एन.ए.सी./खंड समितियों और ग्राम पंचायत को शाप/शेड बनाने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दिए, ताकि ये दूकानें आदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को अवांटन की जाएं। अब तक 17 स्थानीय निकायों को 234 शाप/शेड बनाने के लिए 43.03 लाख रूपए की सहायता दी जा चुकी है। 163 दूकानें बनाई गई थीं, जिनमें से 141 दूकानें मार्च, 1998 के अंत तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पात्र लाभभोगगियों को अवांटित कर दी गई थीं।

हस्त-शिल्प विकास योजना

7.27 यह स्कीम 1997-98 में शुरू की गई थी और उस वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 91 लाभभोगियों को 3.29 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी गई थी।

मैला उठाने वालों का पुनर्वास

7.28 मार्च, 1998 के अंत तक अनुसूचित जातियों के 1142 व्यक्तियों को 192.32 लाख रूपए की धनराशियां दी गई थीं और 1582 युवाओं को 69.10 लाख रूपए के व्यय से विभिन्न व्यवसायों (ट्रेड) का प्रशिक्षण दिया गया था।

7.29 हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम स्व-रोजगार और कतिपय अन्य स्कीमों के मामलों में सीधें ऋण देता है एस.सी.पी./टी.एस.पी. के अन्तर्गत 128.53 लाख रूपए और 32.00 लाख रूपए की वार्षिक योजना में से निगम ने अप्रैल से दिसम्बर, 1998 तक की अवधि में एस.सी.पी./टी.एस.पी. के अन्तर्गत क्रमशः 44.62 लाख रूपए (34.72 प्रतिशत) और 14.02 लाख रूपए (43.81 प्रतिशत) का व्यय किया ।

शिक्षा

7.30 अधिक से अधिक बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लाने के उद्देश्य से, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए कई प्रोत्साहन स्कीमें शुरू की हैं। प्राथमिक, मिडल और मैट्रिक-पूर्व कक्षाओं के विद्यार्थियों को वजीफे देने के अलावा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को आई.आर.डी0.पी. छात्रवृत्तियों भी दी जाती हैं। आई.आर.डी.पी. छात्रवृत्तियों मिडल स्कूलों के लड़कों के लिए 250 रूपए से लेकर कालेज में पढ़ने वाले और होस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों के 2400 रूपए प्रति वर्ष तक होती है; लड़िकयों के लिए मिडल स्कूल छात्रवृत्ति 500 रूपए प्रति वर्ष की और होस्टर में रहने वाली लड़कियों के लिए 2400 रूपए प्रति वर्ष की होती है। अनुसूचित जातियों के लिए स्कूल की अवस्था(स्टेज) के लिए 4 निःशुल्क होस्टल स्थापित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान के विषयों के शिक्षण की कक्षाए (कोचिंग क्लास) भी आयोजित की जाती हैं। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं और इसके साथ-साथ निःशुल्क लेखन-सामग्री भी प्रदान की जाती है। जनजातीय क्षेत्रों में कन्या-विद्यार्थियों को वर्दियां भी दी जाती हैं। स्कूल स्तर तक सबको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहान और योग्यता के आधार पर वजीफे भी दिए जाते हैं। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप, **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की**

दर, राष्ट्रीय औसत से काफी कम हो गई है। लेकिन, सामान्य लोगों और अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के बीच साक्षरता दरों के बीच के अन्तर को न्यूनतम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी और जोरदार प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों में साक्षरता को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। राज्य सरकार इन जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की दरों को बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

आरक्षण संबंधी नीति

7.31 प्रत्येक विभाग के अध्यक्ष को उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवा संबंधी मामलों के बारे में सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नामजद किया गया है।

7.32 वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नकली प्रमाणपत्रों के आधार पर राज्य-सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने का कोई मामला हिमाचल प्रदेश की सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

7.33 राज्य सरकार की सेवाओं में, 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के बारे में निम्नलिखित सूचना भेजी गई थी:-

समूह	कुल कर्मचारी	प्रतिशत संख्या			
		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
I	5389	573	10.63	265	4.91
II	2251	266	11.83	106	4.70
III	92910	14272	15.36	3841	4.13
IV (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	18882	4100	21.71	1124	5.95

7.34 यह देखा गया है कि समूह-IV की सेवाओं को छोड़ कर, अन्य सभी समूहों में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता निर्धारित कोटे से कम है। राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में स्थिति और भी खराब है।

7.35 राज्य सरकार की सेवाअं में 661 (अनुसूचित जाति) और 285 (अनुसूचित जनजाति) बैकलाग रिक्तियों को और बोर्डों और निगमों में समूह क, ख, ग और घ के 496 (अनुसूचित जाति) और 302 (अनुसूचित जनजाति) बैकलाग पदों को भरने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जाने चाहिएं।

अत्याचार

7.36 हिमाचल प्रदेश की सरकार ने दिनांक 30.1.1990 की अधिसूचना संख्या होम(सी) एफ(II)-16/98 द्वारा शिमला, सिरमौर, सेलन, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और चम्बा के जिला और सत्र

न्यायालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया है।

7.37 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसके द्वारा किए गए अनेक निवारक उपायों के कारण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किए जाने वाले अपराधें में दिन-प्रति-दिन कमी हो रही है। सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जांच करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर पुलिस मुख्यालयों में विशेष कक्ष स्थापित किए हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों को हिमाचल प्रदेश की विधान सभा की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है। इन मामलों की तफतीश के बारे में, पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की हिदायतें दी गई हैं। यह निदेश दिए गए हैं कि जहां ऐसा करना वांछनीय हो, उन मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता मुहैया की जाए। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग अत्याचार और उत्पीड़न के मामलों की सूचना निकटतम पुलिस चौकी/पुलिस थाने को देने के अलावा, सीधे जिला राजस्व/सिविल अधिकारियों और राज्य/जिले के पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग को दे सकते हैं। यह आदेश दिया गया है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और पी.ओ.ए. अधिनियम, 1989 की प्रतियां पुलिस स्टेशनों/खंड मुख्यालयों में प्रदर्शित की जाएं, ताकि न केवल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को, बल्कि आम जनता को भी इन अधिनियमों के उपबंधों से सुपरिचित कराया जा सके।

7.38 राज्य सरकार द्वारा आयोग को दी गई सूचना के अनुसूचित वर्ष 1997 और 1998 में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के क्रमशः 57 और 47 मामले पुलिस के पास पंजीकृत कराए गए। शिक्षा के प्रसार और सामाजिक-आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश में अस्पृश्यता कम हो रही है। वर्ष 1997 और 1998 में पी.ओ.ए. अधिनियम के अन्तर्गत क्रमशः 19 और 13 मामले दर्ज कराए गए। लेकिन न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों की संख्या काफी अधिक है। वर्ष 1997 और 1998 में, दर्ज कराए गए कुल 104 मामलों में से अत्याचार के 77 मामलों में पुलिस द्वारा न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किए गए। इन 77 मामलों में से 74 मामले विचारण के लिए लम्बित हैं। एक मामले में दोषसिद्ध हुआ और दो मामलों में अभियुक्त बरी हो गए। इसी प्रकार, पी.ओ.ए. अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीसत कुल 32 मामलों में से 5 मामले न्यायालयों में लम्बित हैं और शेष मामले निपटा दिए गए थें।

7.39 राज्य सरकार को ऐसी उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए जिससे मामले न्यायालयों में जमा न हों।

अध्याय VIII

जम्मू और कश्मीर

जम्मू और कश्मीर राज्य में 14 जिले, 119 खंड और 6445 आबादी वाले गांव हैं 1987 में भारत के महा पंजीयक द्वारा कराई गई विशेष जनगणाना के अनुसार राज्य की कुल 77.19 लाख की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 6.41 लाख अर्थात् राज्य की कुल जनसंख्या की लगभग 8.30 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 7.90 लाख अर्थात् 11.00 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों के लोग मुख्यतः जम्मू प्रभाग में बसे हुए हैं। उनमें से अधिकतर लोग जम्मू, उधमपुर और कठूआ जिलों में हैं। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कारगिल में 100 प्रतिशत, लेह में 93 प्रतिशत, पुंछ में 40 प्रतिशत, उधमपुर और कठूआ जिलों में 14 प्रतिशत तथा कुपवाड़ा में 12 प्रतिशत है। अन्य जिलों में उनकी संख्या 2 से 8 प्रतिशत तक है। संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 के अन्तर्गत 12 समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में घोषित किया गया है और 13 समुदायों को अनुसूचित जातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

एस.सी.पी ओर टी.एस.पी. के लिए धन का प्रवाह

एस.सी.पी. (विशेष संघटक योजना)

8.2 वर्ष 1997-98 में कुल राज्य योजना परिव्यय 1550.00 करोड़ रूपए का था और उसमें से एस.सी.पी. के लिए 155.40 करोड़ रूपए अर्थात् 10 प्रतिशत के बराबर राशि निर्धारित थी। एस.सी.पी. के लिए दी गई राशि में से केवल 54.83 प्रतिशत थी वर्ष 1998-99 में प्रस्तावित राज्य योजना परिव्यय 1900 करोड़ रूपए का था और एस.सी.पी. के लिए 103 करोड़ रूपए अर्थात् केवल 5.42 प्रतिशत राशि रखी गई थी। वर्ष 1998-99 में एस.सी.पी. के लिए दी गई राशि भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी। **इसलिए, जम्मू और कश्मीर के बारे में आयोग की तीसरी रिपोर्ट, 1994-95 ओर 1995-96 (खंड II) में दी गई सिफारिश फिर से दोहराई जाती है।** राज्य सरकार को राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, एस.सी.पी. के लिए दी जाने वाली धनराशियों में वृद्धि करनी चाहिए, अनुसूचित जातियों को उनका समुचित हिस्सा प्राप्त हो सके। इसके अलावा, राज्य सरकार को व्यय कम होने के कारणों का पता लगाना चाहिए और उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

8.3 राज्य सरकार ने एस.सी.पी. कार्यक्रम को तैयार करने ओर उसके कार्यान्वयन में रह गई त्रुटियों को दूर करने, जिनका अनुभव आठवीं योजना के दौरान हुआ था, और कार्यक्रम के प्रशासन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के संबंध में सुधारात्मक उपाय करने के उद्देश्य से एक कार्यनीति तैयार की है। तदनुसार, जिला एस.सी.पी. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, जिलों को अलग-अलग भौतिक तथा वितत्तीय लक्ष्यों की सूचना देने, नियमित रूप से निरीक्षण, आदि के बारे में जिला विकास आयुक्तों को विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ऐसी विशेष स्कीमों का पता लगाने के प्रयास किए जाएंगे, जो लक्ष्यगत समूहों के लिए प्रासंगिक हों।

8.4 राज्य की अर्थव्यवस्था का सन्तुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए, योजना और विकास विग ने वार्षिक योजना परिव्यय तथा क्षेत्रकीय आबंटन तय करने और जोर दिए जाने वाले क्षेत्र/प्राथामिकताएं निर्धारित करने के बाद प्रत्येक जिला आयुक्त को योजना की उच्चतम राशि ओर उसके साथ-साथ क्षेत्रकीय ब्यौरों तथा जिला योजनाओं को तैयारी करने के लिए विस्तृत मार्गनिर्देशों

और प्राथमिकताओं की सूचना दे दी है। जिला योजनाओं में सभी क्षेत्रकों, जैसे कृषि, बागबानी, ग्रामीण विकास, वन लघु सिंचाई, पशुपालन/ भेड़ पालन, लघु उद्योग, सड़क और पुल (ग्रामीण), लोक स्वास्थय इंजीनियरी, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को शामिल किया गया है।

टी.एस.पी. (जनजातीय उप-योजना)

8.5 जनजातीय उप-योजना की कार्य-नीति राज्य में ,1990-91 में, राज्य के लोगों के कुछ जातीय समूहों के अनुसूचित जातियों के रूप में घोषित किए जाने के तुरन्त बाद, शुरू की गई थी। टी.एस.पी. की कार्यनीति का उद्देश्य जनजातियों के विकास पर विशेष जोर देना और उनकी सामाजिक-आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करना तथा विकास कार्यक्रमों की गति में तेजी लाना है, ताकि जनजातीय लोगों को समाज के अन्य विकसित वर्गों के समकक्ष लाया जा सके।

8.6 वर्ष 1997-98 में राज्य योजना परिव्यय में से टी.एस.पी. के लिए 231.12 करोड़ रूपए की राशि दी गई थी, जो योजना परिव्यय के 14.91 प्रतिशत के बराबर थी। व्यय के ब्योरे की जानकारी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

8.7 राज्य सरकार ने इस वर्ष से टी.एस.पी. और एस.सी.पी. को तैयार करने के लिए एक भिन्न कार्यनीति अपनाई हे, जिसके प्राचल ये हैं-

(i) यह योजना किसी जिले अथवा क्षेत्र में कुल जनसंख्या की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में परिव्ययों के अलग निर्धारण पर आधारित होगी।

(ii) मुख्यतः वे क्षेत्रक हाथ में लिए जाएंगे, जिनका पूंजीगत भाग काफी अधिक होगा और जो ग्रामीण आधार वाले होंगे, जैसे कृषि, बागबानी, पशु/भेड़ पालन, वन, लघु सिंचाई, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, जी.एण्ड बी., शिक्षा, स्वास्थय, पी.एच.ई., समाज कल्याण, अन्य पिछड़े वर्ग, पोषाहार और स्व-रोजगार।

(iii) एस.सी.पी. और टी.एस.पी. में वे कार्यक्रम/स्कीमें शामिल होंगी, जो एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए मिलने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत हाथ में ली जानी हों।

(iv) उन क्षेत्रों के लिए जहाँ इन समुदायों के लोगा भारी संख्या में बसे हुए हों, संबंधित जिला विकास आयुक्तों द्वारा अलग स्कीमें निर्धारित की जाएंगी और उन्हें संबंधि जिला सलाहकार बोर्डों से अनुमोदित कराया जाएगा।

(v) सारी प्रारम्भिक कार्रवाईयां जिला योजनाओं के साथ-साथ पूरी की जाएंगी और एस.सी.पी./टी.एस.पी. को तैयार करने की प्रक्रिया वही होगी, जो जिला योजना को तैयार करने के लिए होती है

8.8 एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए धनराशियों का प्रवाह, लेह और कारगिल के मामले को छोड़ कर, केवल पूंजी भाग से होता है, राजस्व भाग से नहीं। यह सुझाव दिया जाता है कि एस.सी.पी. ओर टी.एस.पी. के लिए धनराशियों का प्रवाह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातिगें की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार कुल राज्य योजना परिव्यय के पूंजी और राजस्व दोनों भागों से होना चाहिए।

एस.सी.पी. ओर टी.एस.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

8.9 भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना प्रयासों की एक अतिरिक्ति राशि के रूप में दी जाती है यह मुख्यतः कृषि, बागबानी, रेशमकीट पालन, पशुपालन, भेड़ पालन, सहकारिता, लघु सिंचाई, भूमि-संरक्षण, आदि जैसे क्षेत्रकों की परिवार-उन्मुख और आय-सृजनकारी स्कीमों के लिए होती है और इस सहायता के कुछ भाग का इस्तेमाल आय सृजन करने वाली स्कीमें से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1997-98 से विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्य योजना परिव्यय का भाग बना दिया गया है। **विशेष केन्द्रीय सहायता को राज्य योजना परिव्यय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता को, उसके व्यय के साथ, अलग दिखाया जाना चाहिए और वह एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के राज्य योजना बजट का भाग नहीं होनी चाहिए।**

8.10 वर्ष 1997-98 और 1998-99 में एस.सी.पी. के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:

(लाख रूपए)

वर्ष	विमोचित राशि	इस्तेमाल की गई राशि
1997-98	73.87	105.98
1998-99'	81.41 (सितम्बर, 98 तक)	53.53

8.11 1997-98 और 1998-99 में टी.एस.पी. के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि इस प्रकार है:-

(लाख रूपए)

वर्ष	विमोचित राशि
1997-98	521.8
1998-99	412.97

8.12 राज्य सरकार द्वारा उपयोगी की जानकारी नहीं दी गई है।

जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग विकास निगम

8.13 जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग विकास निगम की स्थापना 1986 में मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के उन लोगों के उत्थान के उद्देश्य से की गई थी, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करते हों।

8.14 इस निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 10.00 करोड़ रूपए की है, जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार का हिस्सा 49.51 के अनुपात के आधार पर है। मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में निगम की चुकता पूंजी 928 लाख रूपए की थी (489.32 लाख रूपए भारत सरकार द्वारा और

439.76 लाख रूपए राज्य सरकार द्वारा चुकता थे)। राज्य सरकार विततीय वर्ष के दौरान 70 लाख रूपए की अपने हिस्से की शेयर पूंजी का अंशदान करने के लिए वचनबद्ध है। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, (अर्थात 1997-2002) में सरकार के निगम की शेयर पूंजी को 10.00 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 20.00 करोड़ रूपए कर देने का प्रस्ताव है, क्योंकि इसके क्रियाकलापों में कई गुना वृद्धि हो गई है। निगम द्वारा अनुसूचित जातियों के लोगा की उन्नति के लिए आय सृजन करने वाली स्कीमों को हाथ में लेने के लिए वित्त की व्यवस्था निम्नलिखित स्रोतों से की जाती है:-

(i) राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा 51:49 के अनुपात के आधार पर मुहैया की गई शेयर-पूंजी। नौवीं योजना के लिए राज्य सरकार के अपने हिस्से के रूप में 3.00 करोड़ की व्यवस्था योजना में की गई है।

(ii) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त सब्सिडी।

8.15 निगम ने गरीबी कम करने के लिए कृषि क्षेत्रक की उन स्कीमें, औद्योगिक क्षेत्रक की 35 स्कीमें और सेवा क्षेत्रक की 49 स्कीमें तैयार की हैं और वह अनुसूचित जातियों के लाभभोगियों को विभिन्न प्रकार के आय-सृजनकारी यूनिट स्थापित करने के लिए, बैंकों के सहयोजन (बैंक टाई-अप) के जरिए सब्सिडी (मार्जिन मनी) प्रदान कर रही है। अनुसूचित जातियों के प्रत्येक लाभभोगी को 0.06 लाख रूपए की अधिकतम राशि के अध्यधीन, यूनिट-लागत के 50 प्रतिशत के बराबर सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 में स्थापित किए गए आय-सृजनकारी यूनिटों की संख्या और दी गई सब्सिडी की जानकारी नीचे दी गई है:-

स्थापित यूनिटों की समुदाय-वार संख्या

क्र.सं0	वर्ष	अनु.जा.	अन्य पि.व	अनु.ज.जा.	जोड़	सब्सिडी
1.	1997-98	782	251	684	1717	रू. 88.01 लाख
2.	1998-99	758	154	564	1476	रू. 79.57 लाख

8.16 आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के 8272 लाभभोगियों को लाभ पहुंचाया गया और उन्हें आय सृजन करने वाले यूनिट स्थापित करने के लिए 376.61 लाख रूपए की सब्सिडी दी गई। नौवीं योजना की अवधि में 12.48 करोड़ रूपए के व्यय से आय सृजन करने वाले 20800 यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1997-98 के लिए निगम का अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लाभभोगियों के लिए 176.00 लाख रूपए के व्यय (सब्सिडी के संघटक) से आय सृजन करने वाले 3200 यूनिट स्थापित किए जाने का लक्ष्य है।

सेवाओं में सुरक्षोपाय

8.17 अधिसूचना संख्या एस.आर.ओ. 205, दिनांक 2.7.1991 द्वारा यथासंशोधित, अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) नियम, 1990 द्वारा राज्य में प्रत्येक श्रेणी और ग्रेड के पदों के लिए सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार पदोन्नति के मामले में सभी श्रेणियों और ग्रेड़ों के पदों के लिए, जिनका

अधिकतम वेतनमान 3800/5 रूपए से अधिक न हो, अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। 1970 की अधिसूचना संख्या 37 जी.आर. और 1970 की अधिसूचना संख्या 60 जी.आर. द्वारा स्वीकृत, जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग (आरक्षण) नियम, 1970 द्वारा सेवाओं में सीधी भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की और सरकार के विभिन्न संस्थापनों में पदोन्नति के मामले में 4 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

8.18 सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के ब्योरे की जानकारी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

अत्याचार

8.19 वर्ष 1997 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किए गए अपराधें के मामलों का ब्योरा इस प्रकार है:-

श्रेणी	हत्या	चोट	बलात्कार	पी.सी.आर. अधिनियम	पी.ओ.ए. अधिनियम	अन्य	जोड़
अनु. जा.	-	-	2	0	0	6	8
अनु.ज.जा.	-	4	2	-	-	5	11

स्रोत:- नेशनल क्राइम स्टेटिस्टिक्स (राष्ट्रीय अपराध अभिलेख कार्यालय, गृह मंत्रालय) आंकड़े अनन्तिम हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट।

8.20 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का चंड़ीगढ़-स्थित फील्ड कार्यालय जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध करता रहा है। लेकिन बार-बार अनुरोध किए जाने के बाद, यह खेद की बात है कि सरकार ने कोई सूचना नहीं भेती है। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य सरकार कृपया ब्योरा एकत्र करने के लिए विशेष प्रयास करे और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मामलों के बारे में रिपोर्ट भेजे।

अध्याय IX

कर्नाटक

1991 की जनगणना के अनुसार, कर्नाटक की जनसंख्या 449.77 लाख थी । इसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 73.69 लाख और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 19.16 लाख थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या की क्रमशः 16.38 प्रतिशत और 4.26 प्रतिशत है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग राज्य के 27 जिलों में फैले हुए हैं । अनुसूचित जनजातियों के 16 प्रतिशत लोग चित्रदुर्ग जिले में रहते हैं, इसके बाद रायचूर और बेल्लारी जिलों का स्थान आता है । केवल 2.75 लाख अर्थात 14 प्रतिशत जनजातीय लोग, 1991 की जनगणना के अनुसार, आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में रहते हैं । पांच जिलों अर्थात दक्षिण कन्नड, उदीपी, मैसूर, चिकमगलूर और कोडागू में 5 आई.टी.डी.पी. हैं जो 23 सामुदायिक खंडों में बंटे हुए हैं । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता का स्तर, राज्य में सामान्य साक्षरता स्तर से बहुत नीचा है । 1991 की जनगणना के अनुसार, सामान्य लोगों की 56 प्रतिशत साक्षरता दर की तुलना में, अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर 38 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर 36 प्रतिशत है । सामान्य महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 26 प्रतिशत और 24 प्रतिशत है । अनुमान है कि राज्य के 35 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से से नीचे जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें से 60 प्रतिशत लोग अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

एससीपी और टीएसपी का क्षेत्रकीय विश्लेषण

9.1 वर्ष 1997-98 के दौरान एस.सी.पी. के अंतर्गत स्कीमों के क्रियान्वयन के बारे में कुछ प्रमुख विभागों के कार्य-निष्पादन का क्षेत्रीय विश्लेषण इस प्रकार है:

एस.सी.पी.क्षेत्रकींय विश्लेषण 1997-98

(रू0 लाखों में)

क्र.सं.	विभाग	नियतन	व्यय
01	कृषि	298.28	191.64
02	बागवानी	265.75	256.34
03	पशु पालन	212.36	199.27
04	भू-संरक्षण	86.13	67.36
05	मात्स्यिकी	37.70	32.40
06	वन	190.75	176.39
07	सहकारिता	96.24	154.65
08	आई. आर. डी. पी.	1134.29	680.14
09	ट्राईसेम	114.98	74.54
10	रेशम उत्पादन	263.52	251.18
11	खादी और ग्रामोद्योग	792.43	177.54
12	आवास	2744.25	1305.31
13	अनुसूचित जातियों का कल्याण	16461.12	16371.95
14	गंदी बस्तियो की सफाई	1400.00	604.17

9.2 उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि जबकि सहकारिता विभाग की उपलब्धि लक्ष्य से अधिक है, कई अन्य क्षेत्रकों जैसे कि कृषि, आई.आर.डी.पी., खादी और ग्रामोद्योग, आवास, गन्दी बस्तियों के सफाई आदि के कार्य-निष्पादन में काफी अधिक सुधार की आवश्यकता है क्योंकि इन क्षेत्रकों में, नियत राशि का केवल 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक उपयोग किया है । इसी प्रकार, अन्य क्षेत्रकों के लिए भी यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उनके लिए नियम धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया जाए । समाज कल्याण, मात्स्यिकी, रेशम उत्पादन और आवास के सिवाय, उपर्युकत सभी विभाग भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी पिछड़े हुए हैं ।

9.3 टी.एस.पी. के अंतर्गत धनराशियों का उपयोग मुख्यतः गरीबी के उपशमन, बुनियादी ढांचे के विकास, सामाजिक-आर्थिक विकास, जनजातीय संस्कृति की रक्षा और संवर्धन और कल्याण के लिए किया गया है । वर्ष 1997-98 में टी.एस.पी. कि लिए 8858.09 लाख रूपए की राशि नियत की गई थभ् । इसमें राज्य योजना से मिलने वाली राशि और विशेष केंद्रीय सहायता की राशि शामिल है। इसमें से केवल 7369.55 लाख रूपए व्यय (अनन्तम) किए गए हैं । 23900 लाभभोगियों के लक्ष्य की तुलना में, अनुसूचित जातियों के 22455 लोगों को कृषि विकास, बागवानी विकास, पशुपालन, मात्स्यिकी, वानिकी और वन्य जीवन, आई.आर.डी.पी., उद्योग, वाणिज्य, रेशम उत्पादन और भू-संरक्षण, आदि के क्षेत्रों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता दी गई है ।

1997-98 के लिए टी.एस.पी. का क्षेत्रीय विश्लेषण

(रू0 लाखों में)

क्र.सं.	विभाग	आवंटन	व्यय	वास्तविक लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि
01	कृषि	191.92	67.15	488	809
02	पशुपालन	140.65	108.72	138	1083
03	रेशम उत्पादन	87.03	85.25	1415	1362
04	अनुसूचित जनजाति का कल्याण	—	—	1063	5138
05	बागबानी	154.81	146.20	3249	3063
06	मृदा संरक्षण	19.90	18.41	331	98

9.4 उपर्युक्त सभी विभागो में टी.एस.पी. प्रवाह की राशि से किया गया खर्चा दिए गए आबंटन के अनुसार नहीं है। किंतु यह खुशी की बात है कि कुछ विभागों में उपलब्धि काफ़ी संतोषजनक रही है, विशेषतः पशुपालन तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण में। दक्षिण कन्नड़ तथा गुलबर्गा ज़िलों में एस.सी.पी. और टी.एस.पी. की समीक्षा से पता चलता है कि आई.टी.डी.पी. स्तर पर कुछ पद खाली थे जिन्हें तत्काल भरने की आवश्यकता है राशि के कम उपयोग होने का मुख्य कारण यह बनाया गया है कि राशि वित्तीय वर्ष के अंत में जारी की जाती है। समीक्षा रिपोर्ट से पता चलता है कि कोरगा जनजाति का पारंपारिक व्यवसाय टोकरियां बुनना है किंतु अब वे बीड़िया बनाने लगे हैं। वे टी.बी. जैसी संक्रामक बीमारियों के शिकार हो गए हैं। इसके लिए स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूकता की, और इस व्यवसाय को कम जोखिम-भरा बनाने के लिए कुछ नए उपायों की आवश्यकता है।

9.5 गुलबर्गा के ज़िला प्रशासन ने सफ़ाई कर्मचारियों के बच्चों के पुनर्वास के लिए एक नीति के रूप में उन्हें ऑटो रिक्शा चलाने के मानकों में ढील दी है इस काम के लिए जिला प्रशासन सराहना का पात्र है।

9.6 निर्मल कर्नाटक योजना के माध्यम से सरकार निजी स्वच्छता और शौचालयों के प्रयोग के बारे में जागरूकता फैला रही है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लाभ भोगियों की उचित भागीदारी के बिना लागू की जा रही है।

शिक्षा

9.7 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों में, राज्य कल्याण विभाग द्वारा चिकित्सा, इंजीनियरी, दंत-चिकित्सा, बी.एड. तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विधार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। क्योंकि इन पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित फीस बहुत अधिक है, अतः माता-पिता को प्रवेश के समय पूरी फीस का भुगतान करने में कठिनाई होती थी, यधपि दी गई फीस की प्रतिपूर्ति बाद में सरकार द्वारा कर दी जाती थी। प्रतिपूर्ति के लिए बहुत समय लगता था, कई बार वर्षों इस कठिनाई को दूर करने के लिए कर्नाटक सरकार अपने आदेश दिनांक 11.8.97 द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विधार्थियों द्वारा प्रवेश के समय दी जाने वाली राशि पहले ही दे देने के लिए सहमत हो गई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विधार्थियों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा यह सही दिशा में उठाया गया कदम है और इससे उच्च शिक्षा स्तर पर पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में कमी आएगी।

आर्थिक विकास

9.8 स्वतंत्रता का 50 वां वर्ष मनाने के लिए कर्नाटक सरकार ने 15.8.97 से "स्वास्थी " ग्राम योजना नाम से एक नइ योजना शुरू की है। "स्वास्थी " भूमि, जल, सफाई, पेड़, आवास तथा आधारभूत ढांचा का धोतक है। स्वास्थी ग्राम के लिए निधि की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है: 40 प्रतिशत नीजी प्रवर्तकों से, 50 प्रतिशत राज्य का अंशदान और 10 प्रतिशत स्थानीय स्रोतों से। इसके कार्यान्वयन तंत्र में ग्राम स्तर पर स्वास्थी संघ है, ज़िला स्तर पर स्वास्थीसमिति और राज्य स्तर पर स्वास्थी प्राधिकार मैसूर ज़िले में उडबूर गॉव को विकास के लिए 14.9.97 से स्वास्थी योजना के अंतर्गत लिया गया है। वहाँ अगस्त 1997 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की एक बड़ी घटना हुई थी। स्वास्थी योजना के अंतर्गत मोस्का स्टील ने 3 गांव अपनाए हैं, हुडको ने दो गांव, एम.एस.आई.एल. ने एक गांव पता चला है कि आई.टी.सी., टाटा आदि स्वास्थी के अंतगर्त गांव अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं।

9.9 केंद्र द्वारा एक सामान्य स्कीम के रूप में " गंगा कल्याण स्कीम " शुरू कर दिए जाने के बाद "दस लाख कुआं योजना " बंद कर दी गई है जिससे अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को सब से अधिक लाभ हुआ था (आठवीं योजना में 86 प्रतिशत ने और 1997-98 में 81 प्रतिशत ने) अतः यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जब गंगा कल्याण को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम के सिवाय अन्य एजेंसियों द्वारा एक सामान्य स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाए तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का हिस्सा उपर्युक्त स्तर पर बना रहे।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम

9.10 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति निगम के कार्य-निष्पादन की समीक्षा से पता चलता है कि व्यक्तिगत सिंचाई कुओं के सिवाय अन्य सभी योजनाओं में लक्ष्य की अपेक्षा वास्तविक उपलब्धि कम रही है। 1994-95 से 1997-98 तक निगम द्वारा धनराशि का आबंटन तथा खर्चा नीचे लिखे अनुसार हैः

आबंटन तथा खर्चा

(रू0 लाखों में)

वर्ष	जारी की गई राशि	खर्चा	लाभभोगियों की सं.
1994-95	3981.03	1988.65	38017
1995-96	4890.02	4397.72	57369
1996-97	6629.65	4799.01	40069
1997-98	3976.97	7475.64	39142

9.11 1997-98 के दौरान एन.एस.एफ.डी.सी. ने रू0 7081.82 लाख खर्च कर के 20528 यूनिटों की सहायता की। 145.96 लाख रू0 31.3.98 तक एन.एस.एफ.डी.सी. को वापस कर दिए गए थे। सावधि ऋण /सीड पूंजी के रूप में उपलब्ध कराई गई। 3720.13 लाख रू0 की कुल धनराशि में से 2836.20 लाख रू0 निवल संवितरण है। 31.3.98 को धनराशि का वास्तविक उपयोग केवल 1600.89 लाख रू0 था। के.एस.सी.एस.टी.डी.सी. को चाहिए कि एन.एस.एफ.डी.सी.द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूरा पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास करे।

9.12 मौजूदा कार्यविधि के कारण आवेदन पत्रों पर कार्रवाई करने में बहुत समय लगता है। निगम में कार्रवाई करने वाले कर्मचारियों की भी कमी है। हाल के वर्षों में आवेदन पत्रों की संख्या कई गुणा बढ़ गई है। कुछ राज्यों में राज्य निगमों के जिला कार्यालयों में प्राप्त आवेदन पत्र सीधे उनके प्रधानकार्यालयों को भेज दिए जाते हैं जो उन्हें एन.एस.एफ.डी.सी. को भेज देता है इस प्रकार हर स्तर पर कार्रवाई करने में लगने वाले समय की बचत होती है और विलंब नहीं होता। फिर भी कार्यविधि को सुचारू तथा अधिक सरल बनाने की गुंजाइश है और इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

9.13 कर्नाटक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम के ऋण संबंधी आवेदन-पत्र में वित्त के विभिन्न स्रोतों, ब्याज की दर, निगम तथा एन.एस.एफ.डी.सी. की अनुमोदित स्कीमों कार्रवाई संबंधी प्रक्रिया और समय सीमाओं आदि के बारे में कोई ब्यौरा नहीं होता । **हमारा सुझाव है कि ऋण के आवेदन-पत्र में यह सारी सूचना होनी चाहिए।**

9.14 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभ भोगियों को बैंकों, के.एस.एफ.सी. तथा एन.एस.एफ.डी.सी. के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराता है। के.एस.एफ.सी. से वित्त पोषित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों के अध्ययन से पता चलता है कि 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति लाभभोगी 2 लाख रू0 से कम की कोटि में ही ऋण ले रहे हैं और 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान इस कोटि के अंतर्गत दिया गया कुल ऋण समस्त ऋणों का केवल 4 प्रतिशत था जब कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आबादी कुल आबादी के 20 प्रतिशत से अधिक है।

के.एस.एफ.सी.की स्थापना से 1995-96 तक **समस्त ऋण में अनुसूचित** जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आबंटित हिस्सा केवल 2.8 **प्रतिशत था और अनुसूचित** जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभ भोगियों की संख्या के.एस.एफ.सी. के **कुल लाभ भोगियों** की 12.2 प्रतिशत थी। के.एस.एफ.सी. द्वारा लिया जा रहा ब्याज बहुत अधिक है। (14 प्रतिशत और इससे अधिक)। **कर्नाटक में एन.एस.एफ.डी.सी द्वारा और अधिक कार्य करने की गुंजाइश है। के.एस.सी.एस.टी.डी.सी को चाहिए कि एन.एस.एफ.डी.सी की सहायता का अधिक उपयोग करे।**

9.15 प्राथमिकता के क्षेत्र अधीन में भारतीय रिज़र्व **बैंक तथा नाबार्ड** के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय सहायता दे कर निर्धन **ग्रामवासियों और समाज** के कमजोर वर्गों की मदद करते हैं। किंतु गत कुछ वर्षों के दौरान कर्नाटक में **प्राथमिकता** के क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को दी गई कुछ अग्रिम **राशियों में कमी आई है।** 31.3.98 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का हिस्सा केवल **4.36 प्रतिशत था। बैंक प्राधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आगामी वर्षों में प्राथमिकता क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसुचित जनजाति को दी जाने वाली राशियों** में सुधार **हो।**

9.16 कर्नाटक राज्य ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए हरे रंग के राशन कार्ड की एक स्कीम शुरू की है। राशन की दुकान के स्तर पर सात सदस्यों की एक सतर्कता समिति भी है जिनमें एक-एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का है। अन्य राज्यों को भी ऐसी प्रणाली शुरू करनी चाहिए।

आवास

9.17 राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित **जनजाति** को आबंटन के लिए तीन प्रकार के मकान बनाए जा रहे है। ये है आश्रय मकान, डा0 **अम्बेडकर** मकान, और इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) मकान इन स्कीमों के साथ-साथ राज्य **ने छप्पर** वाले घरों की दशा सुधारने के लिए 'नेरालिना भाग्य' नाम की एक अन्य स्कीम **शुरू की है। अम्बेडकर** मकान केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को वितरण के लिए **बनाए जाते हैं।** डा. अम्बेडकर मकानों के एक युनिट की लागत 20,000/- रू0 है। इसमें से नगरीय **इलाकों में** 19,000 /- रू0 और ग्रामीण इलाकों में 10,000/- रू0 सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा एस.सी.पी./टी.एस.पी.की धनराशि से दे दिया जाती है। स्वच्छ शौचालय बनाने के लिए 1000/- रू0 **केंद्रीय सरकार द्वारा** दिए जाते है। दिसंबर 1997 के अंत तक 25,000 डा. अम्बेडकर मकानों के **लक्ष्य की तुलना में** वास्तविक उपलब्धि 585 थी और 37652 आई.ए.वाई. मकानों के लक्ष्य की तुलना में **दिसंबर 1997** के अंत तक उपलब्धि केवल 29,809 थी। वर्ष 1996-97 से यह **योजना अनुसूचित जनजाति के लिए** भे खोल दी गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनुसूचित जनजाति **के लोगों के लिए मकानों के** निर्माण पर 200 लाख रू0 खर्च किए जा चुके हैं, ग्रामीण इलाकों में डा. **अम्बेदकर मकानों के** निर्माण पर 457.30 लाख रू0 और शहरी इलाकों में आश्रय मकानों के **निर्माण पर 200 लाख** रू0 खर्च किए गए। टी.एस.पी. के तहत ग्रामीण आवास के लिए रू0 25 लाख **और आश्रय योजना** को रू0 216.70 लाख इमदाद के रूप में दिए गए हैं।

9.18 राज्य आवास विभाग के अनुदेशों के अनुसार **कर्नाटक** थल सेना निगम छः ज़िलों अर्थात बिदार, गुलबर्गा, रायचूर, बेलारी, बीजापुर तथा **उत्तर कन्नड़ में** उपर्युक्त तीनों प्रकार के मकानों का निर्माण करता है। अन्य ज़िलों के ग्रामीण **इलाकों में यह काम ज़िला** पंचायत या लोक निर्माण विभाग स्कंध या खण्ड विकास अधिकारी करता है। **सरकार ने प्रत्येक ज़िले में मकानों के निर्माण के लिए**

एक ही एजेंसी रखने का निर्णय किया है। इस निर्णय से उत्तरदायित्व निर्धारित करने में और मकानों को पूरा करने तथा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने में बहुत मदद मिलेगी।

9.19 आश्रय योजना के तहत कुछ मकान, जो बैंगलूर शहर के भीतर ऑस्टिन टाउन के जयराजनगर तथा सीमेंट लेन में वन रहे है, 7 वर्ष के बाद भी आज तक पूरे नहीं हुए हैं। जिन लोगों को इस ज़मीन से मकानों के निर्माण के लिए बेदखल किया गया था, वे निर्माण पूरा होने में विलंब के कारण कठिनाई झेल रहे हैं। निर्माण की प्रक्रिया को तेज़ करने के प्रयास किए जाएं। आयोग के क्षेत्र कार्यालय ने यह मामलों राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया है किंतु स्थिति को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

9.20 बेलथागंडी तालुक में आवास योजना के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि समाज कल्याण विभाग ने रू0 20.000/- प्रति युनिट की लागत के हिसाब से नए मकानों की स्वीकृति दे कर अनेक कोरगा जनजातियों की मदद की थी। मकानों के निर्माण के लिए अपनाई गई विधि थी लाभभोगियों को शामिल करना । लेकिन लाभभोगियों ने केवल इस कारण से उन मकानों में रहना शुरू नहीं किया है कि उनके पास मकान का मुख्य दरवाज़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। विभाग के कर्मचारियों की यह राय है कि मकान के लिए शेष राशि को तभी जारी किया जा सकता है जब निर्माण कार्य के इस अंश को लाभभोगी द्वारा पूरा कर लिया जाएं। किंतु मकान को पूरा करने और उसे उपयोग में लाने के उद्देश्य से विभाग दरवाज़ों की आपूर्ति कर सकता था और उसके खर्चे का समायोजन लाभभोगियों को दी जाने वाली शेष राशि से कट सकता था। दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है। **जिन मकानों का निर्माण कार्य अधुरा पड़ा है, उनकी तत्काल समीक्ष की जाए और हर मामले में कमियों का पता लगा कर निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई की जाए।**

भूमि

9.21 अनुसुचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिकतम सीमा (वाली भूमि के अंतरण पर निषेध) अधिनियम, 1978 के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भूमि के अंतरण पर निषेध है। भूमि मंजूरी नियमावली, 1969 में यह प्रावधान है कि अनुदान में दी गई ज़मीनों को आवंटन के 15 वर्ष बाद, और ज़िलें के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से आवंटन के 5 वर्ष बाद बेचा जा सकता है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य तो अच्छा था किंतु इसने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के लिए बहुत परेशानी पैदा कर दी है जो सचमुच अपनी जमीन को बेचने के इच्छुक थे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अनुदान में मिली ज़मीन के अंतरण में होने वाली कठिनाइयों के कारण भूमि अनुदान नियमावली के प्रावधान अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर भी लागू करके उन्हें 15 वर्ष बाद सरकार की पूर्व-अनुमति से अंतरण की इजाज़त दे दी गई है। अब कर्नाटक सरकार ने अपने आदेश सं. आर. डी. 24 एल.जी.पी. 97 दिनांक 9.3.98 द्वारा यह अधिकार डिवीज़न के आयुक्तों को दे दिया है। यदि 15 वर्ष पूरे हो गए हो तो डिवीज़न के आयुक्त ज़मीन के अंतरण की अनुमति दे सकते हैं। तथापि, यह भी निर्धारित है, कि जिन मामलों में 15 वर्ष पूरे न हुए हों, उनमें सरकार की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यह भी निर्धारित है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहे उसे इस शर्त पर अनुमति दी जाएगी की वह अर्जित राशि से किसी अन्य स्थान पर कृषि भूमि खरीदेगा। इस प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हाथों से ज़मीन के निकलने को रोका जा रहा है। **फिर भी, इस बात का अध्ययन करने की आवश्यकता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को अनुदान में मिली ज़मीन कहां तक उनके अपने कब्ज़े में है।**

9.22 कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन 1996-97 के अंत तक वितरित 1,31,024 एकड़ भूमि में से 94,571 एकड़ जमीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को वितरित की गई है। नवीनतम जानकारी (1997-98) के अनुसार 119107 एकड़ ज़मीन भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा अन्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र व्यक्तियों को वितरित कर दी गई है।

9.23 एन.एस.एस. के प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार 26.46 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 34.74 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के पास कोई ज़मीन नहीं है जब कि अन्य लोगों में यह अनुपात 45.92 प्रतिशत है। अधिकांश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति भू-स्वामी लघु तथा सीमांत किसान हैं। भूमि वितरण तथा नियमन के बारे में अनेक क़ानून होने के बावजूद अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का भू-स्वामित्व बहुत कम है। अधिशेष भूमि और वितरण के लिए उपलब्ध सरकारी भूमि भी कम होती जा रही है। इसे महसूस करते हुए कर्नाटक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम ने "**भूमि क्रय तथा वितरण स्कीम**" शुरू की है। इस स्कीम के अंतर्गत निगम उन लोगों से ज़मीन खरीद लेता है जो उसे बेचने के इच्छुक हो और फिर उसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को वितरित कर देता है। खरीद की वर्तमान दर 50000/- रू0 प्रति एकड़ है। निगम 2 एकड़ शुष्क भूमि या एक एकड़ आर्द्र भूमि आबंटित करता है यह 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत इमदाद की योजना है। ऋण दर समान वार्षिक किस्तों में 6 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ लौटाना होता है 1990-98 के बीच निगम ने 16918.6 एकड़ शुष्क भूमि और 3103 एकड़ आर्द्र भूमि का वितरण किया । वर्ष 1997-98 में निगम का लक्ष्य 1650 अनुसूचित जाति तथा 780 अनुसूचित जनजाति लाभभोगियों का था (पिछले शेष + वर्तमान)। अनुसूचित जाति को इमदाद तथा ऋण के रूप में 625 लाख रू0 की सहायता और अनुसूचित जनजाति को इमदाद तथा ऋण के रूप में 390 लाख रू0 की सहायता देने का प्रस्ताव है। ज़मीन का पंजीकरण गृह-स्वामियों के नाम किया जाता है। इसके अतिरिक्त भावी लाभभोगी को ज़मीन खरीदने से पहले दिखा दी जाती है जिसे खरीदने का प्रस्ताव हो ताकि खराब ज़मीन न खरीद ली जाएं।

सेवा में सुरक्षोपाय

9.24 कर्नाटक राज्य में राज्य सेवाओं तथा उपक्रमों में सीधी भर्ती में भी और पदोन्नति में भी अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण है और अनुसूचित जनजाति के लिए 23 प्रतिशत किंतु राज्य सेवाओं तथा उपक्रमों में वर्ग "क" तथा "ख" में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अभी निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है। **वर्ग "क" तथा "ख" संवर्गों में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का यथोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को विशेष उपाय करने होंगे।**

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार

9.25 वर्ष 1997-98 में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अधीन अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के 1303 मामले दर्ज किए गए थे। उनका ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों का स्वरूप

क्रं सं.	अत्याचारों का स्वरूप	1997-98 के दौरान दर्ज किए मामलों की संख्या		योग
		अ. जा	अ. ज. जा	
1	हत्या	25	7	32
2	हिंसा	5	2	7
3	बलात्कार	20	1	21
4	आगज़नी, संपत्ति के साथ छेड़छाड़	21	-----	21
5	पी.ओ.ए. अधिनियम के अन्य मामले	1176	46	1222

9.26 कर्नाटक सरकार ने (1) गुलबर्गा, (2) रायचुर, (3) बीजापुर तथा (4) कोलार में चार विशेष अदालतें स्थापित हैं जो अन्य ज़िलों में निर्दिष्ट विशष अदालतों के अतिरिक्त हैं। कर्नाटक सरकार बैंगलूर ग्राम, टुमकुर तथा अन्य स्थानों पर (स्थान सरकार के विचाराधीन है) विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां बकाया मामलों की संख्या अधिक है। 1997-98 के दौरान 7 नए ज़िले बन जाने से कर्नाटक में ज़िलों की संख्या 27 हो गई है। किंतु राज्य में जिलों के पुनर्गठन के बाद कोई विशेष अदालतें स्थापित नहीं की गई है।

9.27 अप्रैल 1998 के अंत में कर्नाटक में विशष अदालतों तथा अन्य अदालतों द्वारा पी.ओ.ए. अधिनियम के मामलों का निपटान नीचे लिखे अनुसार है:-

पी.ओ.ए. अधिनियम के अंतर्गत मामलों का निपटान

अग्रानीत मामलों की सं.	3615
प्राप्त मामलों की सं.	348
योग	3863
दोषसिद्धि	3
बरी	204
अन्य निपटान	4
जोड़	211
अप्रैल 98 के अंत में बकाया	3652

9.28 पी.सी.आर अधिनियम, 1955 के अंतर्गत विशेष अदालतों तथा अन्य अभिहित अदालतों द्वारा मामलों का निपटान नीचे लिखें अनुसार है:-

पी.सी.आर. अधिनियम के अधीन मामलों का निपटान

अग्रानीत मामलों की सं.	3613
प्राप्त	63
जोड़	3676
दोषसिद्धि	1
बरी	42
अन्य निपटान	2
जोड़	45
मार्च 1998 के अंत में बकाया	3651

9.29 जिन ज़िलों में विशेष अदालतें स्थापित की गई है उनमें पी.ओ.ए. तथा पी.सी. आर. के बहुत अधिक मामले बकाया हैं और इसके लिए उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा अपेक्षित है।

देवदासियां

9.30 कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1998 में अपने आदेश सं. डब्लू. सी. डी. 252 डब्लू. सी.डी. 97 द्वारा देवदासी प्रथा के उन्मूलन की निगरानी के लिए राज्य स्तर की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में 8 सरकारी और 8 गैर-सरकारी सदस्य हैं। समिति को एक कार्य- योजना तैयार करने और देवदासी प्रथा के उन्मूलन के लिए उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। अनुमान है कि कर्नाटक में 30,000 देवदासियां हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास निगम की 1997-98 के दौरान 2568 देवदासियों की मदद करने का लक्ष्य था, किंतु मार्च 1998 में वास्तविक उपलब्धि केवल 320 थी अर्थात् उपलब्धि स्तर केवल 13 प्रतिशत रहा। किंतु 10 लाख रू0 के वित्तीय आवंटन की तुलना में निगम ने रू0 12.69 लाख़ इमदाद के रूप में और रू0 6.29 लाख हाशिया राशि के रूप में खर्च किए है। महिला विकास निगम ने अप्रैल 1997 से फरवरी 1998 के दौरान 677 देवदासियों की सहायता की है और विभिन्न योजनाओं के कार्यन्वयन पर रू0 66.57 लाख खर्च किए है यथा आवास-एवं-कार्य स्थलों का निर्माण, स्वायलंबी समूहों की स्थापना तथा जागरूकता के अन्य कार्यक्रम चलाना।

अध्याय X

केरल

केरल अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में से एक है, जिसकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 290.98 लाख है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या लगभग 28.87 लाख और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 3.20 लाख है, अर्थात राज्य की कुल जनसंख्या के क्रमशः 9.92 प्रतिशत और 1.10 प्रतिशत के बराबर है। लेकिन देश के सबसे अधिक साक्षर लोग यहीं है। कुल साक्षरता की दर 89.81 प्रतिशत है, जबकि अखिल भारत की दर 52.21 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्रमशः 79.66 प्रतिशत और 57.22 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 74.31 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता की दर 51.07 प्रतिशत है, जबकि सामान्य महिला साक्षरता दर 86.13 प्रतिशत है।

विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) और जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.) के लिए धनराशि

10.1 1997-98 में एस.सी.पी. के लिए निर्धारित धनराशि भारत सरकार के मार्गनिर्देशों और राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष के दौरान परिव्यय और व्यय इस प्रकार था:-

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. का परिव्यय	एस.सी.पी. का व्यय
1997-98	2885	283.27 (9.92%)	310.12*

* इसमें केन्द्र का हिस्सा शामिल है, इसलिए व्यय अधिक है।

10.2 स्कीमों को विकेन्द्रीकृत किया गया है और उन्हें 1997-98 से "जन योजना अभियान (पीपुल प्लान कैम्पेन)" के अनुसार जिला स्तर पर आवंटित किया गया है। अधिकतर स्कीमें कार्यान्वयन के लिए स्थानीय निकायों को अन्तरित कर दी गई थीं। स्कीमों को ग्राम पंचायतों, खंड पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर पालिकाओं अथवा नगर निगमों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। कार्यान्वयन आकरणों का कार्य-क्षेत्र स्पष्टता से निर्धारित किया गया है, जैसाकि नीचे दिखाए गए ब्यौरे से देखा जा सकता है:

i) प्रौढ़ शिक्षा स्कीमों, गांवों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों में गलियों व बाजारों में प्रकाश और पेय जल के कूओं की व्यवस्था करने का काम ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।

ii) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आवास सुविधाओं में सुधार के लिए वित्तीय सहायता देने का काम खंड पंचायत का होगा।

iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहकारी समितियां स्थापित करने का काम जिला पंचायत का होगा।

iv) समाज के कमजोर वर्गों के लिए कानूनी सहायता कक्षों की व्यवस्था करने, शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की स्कीमें शुरू करने का काम नगरपालिकाओं और नगर निगमों का होगा। हालांकि आयोजन की विकेन्द्रीकृत प्रणाली अथवा जनयोजना का प्रशंसा केन्द्रीय योजना आयोग और अन्यों द्वारा की गई है, लेकिन जिला स्तर की बैठकों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा देखा गया है कि पंचायत -कार्यालयों में अभी भी स्टाफ की कमी है और अधिकारियों को स्कीमें तैयार करने आदि में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है। **इसलिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय निकायों द्वारा स्कीमों का कारगर कार्यानवयन किए जाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी तैनात किए जाए।**

टी.एस.पी के लिए धनराशि

10.3 टी.एस.पी. का कार्यान्वयन 1976 से किया जा रहा है। इस समय केरल में 7 आई.टी.डी.पी. हैं। 8 जनजातीय विकास कार्यालय और 48 जनजातीय विस्तार कार्यालय हैं। जनजातीय विस्तार कार्यालय सबसे निचले स्तर पर स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विकास विषयक विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने वाला प्राथमिक अभिकरण है। इस आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के निष्कर्षों के अनुसार ये कार्यालय स्टाफ की कमी के कारण अपना काम प्रभावकारी रूप से नहीं कर पाते है। वर्ष 1997-98 में टी.एस.पी. के अन्तर्गत 63.08 करोड़ रूपए (2.21प्रतिशत) का नियत किया गया। राज्य **ने 1996-97 से टी.एस.पी. के अन्तर्गत पूलिंग प्रणाली शुरू की है। इस प्रणाली में यह परिकल्पित है कि वित्तीय वर्ष के शुरू में ही राज्य की योजना राशियों की लगभग 2 प्रतिशत राशि टी.एस.पी. के लिए अलग रख दी जाए और यह राशि अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को उपलब्ध करा दी जाती है। इसके लिए एक अलग बजट-शीर्ष निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जनजाति विकास विभाग का निदेशक ओर अन्य विभागाध्यक्ष इस धनराशि का प्रचालन (आपरेट) कर सकते हैं, लेकिन पूल की गई राशियों का अन्तर्क्षेत्रकीय समायोजन केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग के सचिव की अनुमति से ही किया जाता है। राज्य में 1995-96 से 3-स्तरीय पंचायत प्रणाली के लागू होने के समय से, टी.एस.पी. की राशियां सीधे स्थानीय निकायों को दे दी जाती हैं। वर्ष 1997-98 में टी.एस.पी. की 67 प्रतिशत राशि स्थानीय निकायों को दी गई थी। 1997-98 में स्थानीय निकायों को 39 करोड़ रूपए सहायता अनुदानों के रूप में दिए गए थे।**

10.4 टी.एस.पी. राशियों के आवंटन के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य स्तर की स्कीमों के लिए 2216.82 लाख रूपए के परिव्यय में से, 1418.00 लाख रूपए ग्राम विकास के लिए आवंटित किए गए थे। 31.12.98 तक राज्य स्तर की स्कीमों पर केवल 1111.58 लाख रूपए व्यय हुआ था।

एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

10.5 आठवीं योजना के दौरान 2312.05 लाख रूपए जारी किए गए और एस.सी.पी. के लिए पिछले कई वर्षों के दौरान दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की खर्च न की गई राशि के आगे लाए जाने के कारण 2351.87 लाख रूपए खर्च किए गए। वर्ष 1997-98 में, अर्थात पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष भी, एस.सी.पी. के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता को केवल 89 प्रतिशत उपयोग किया गया। विशेष केन्द्रीय सहायता का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। वर्ष 1997-98 में एस.सी.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग इस प्रकार हुआ:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	रिलीज की गई विशेष केन्द्रीय सहायता	इस्तेमाल की गई विशेष केन्द्रीय सहायता
1997-98	647	576 (89%)

10.6 आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने एस.सी.पी. के लिए मिली विशेष केन्द्रीय सहायता के उपयोग के बारे में 1997-98 में यादृच्छिक आधार पर एक अध्ययन किया। 5.75 लाख रूपये अक्कुलम में बोट क्लब के लिए लगड़ी के प्लेटफार्म के नवीकरण/मरम्मत के लिए और पैडल नाव, रो नाव, वाटर साइकिल, आदि की खरीद के लिए खर्च किया गया। धनराशि जिलाधिकारी द्वारा त्रिवेन्द्रम की जिला पर्यटन संवर्धन परिषद को उपलब्ध कराई गई थी। सरकार को विलम्ब के कारणों का पता लगाना चाहिए ओर प्रणाली को दोषरहित बनाने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

10.7 वर्ष 1997-98 के दौरान टी.एस.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग इस प्रकार किया गया:-

(लाख रुपए में)

वर्ष	बजट व्यवस्था	आवंटन	व्यय
1997-98	250	196	232

10.8 आयोग के त्रिवेन्द्रम स्थित फील्ड कार्यालय ने मार्च 1999 में त्रिवेन्द्रम की जनजातीय पट्टी में एकल अध्यापक वाले स्कूल का दौरा किया। एकल अध्यापक वाले स्कूल जनजातीय उपयोजना के लिए मिलने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता से चलाए जाते हैं। यह देखा गया कि यह स्कूल कई दिनों तक बन्द रहा, जिसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं थी, क्योंकि अध्यापक (जो अनुसूचित जनजाति का था) को जंगल के क्षेत्र में, जहां हाथियों का संकट था, पैदल लम्बा फासला तय करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में जनजातियों के किसी स्थानीय व्यक्ति को अध्यापक नियुक्त करना वांछनीय है। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कोई पर्यवेक्षण नहीं किया जाता। अभिलेखों से पता चलता था कि अध्यापकों और आया के वेतन अदा किए गए थे और पोषाहार खाद्य (जैसे मध्याह्न भोजन की स्कीम) की सप्लाई के लिए अदायगी की गई थी, लेकिन वास्तव में स्कूल काम नहीं कर रहा था। जनजातीय क्षेत्रों में एकल अध्यापकों वाले 22 स्कूल चल रहे हैं। **सिफारिश की जाती है कि सरकार को एकल अध्यापकों वाले स्कूलों के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी चाहिए। राज्य को टी.एस.पी. के अन्तर्गत एस.सी.ए. स्कीम के कार्यान्वयन की निगरानी करनी चाहिए।**

10.9 एस.सी.पी. के 250 लाख रूपए के परिव्यय में, जिला क्षेत्रक का परिव्यय 172.35 लाख रूपए ओर राज्य क्षेत्रक का परिव्यय 77.65 लाख रूपए था। 31.12.98 की स्थिति के अनुसार, जिला क्षेत्रक की राशि का पूरा इस्तेमाल कर लिया गया था, लेकिन राज्य क्षेत्रक में केवल 59.43 लाख रूपए का व्यय हुआ था। 32.65 लाख रूपए मुख्यालय में आवश्यकता आधारित स्कीमों के लिए आरक्षित किया गया था और इसमें से केवल 2.75 लाख रूपए की राशि वर्ष के दौरान खर्च की गई। **शेष राशि वापस कर दी गई है। विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।**

10.10 जिला क्षेत्रक के अन्तर्गत एकल अध्यापकों वाले स्कूलों की स्थापना (10.18 लाख रूपए) आदिकालीन जनजातीयों के विकास (38.92 लाख रूपए) और तिरूनेल्ली की एकल माताओं के पुनर्वास (37.90 लाख रूपए) को प्राथमिकता दी गई है। जहां तक मुख्यालय की स्कीमों का संबंध है, रबड़ की खेती (35 लाख रूपए) और जनजातीय स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गई है।

जनजातीय लोगों की भूमि का अन्य संक्रामण

10.11 यह एक मुख्य मुद्दा है, **जिसका सामना केरल** के जनजातीय लोगों को करना पड़ रहा है। केरल जनजातीय भूमि के अन्यसंक्रामण **की समस्या** पर आयोग की तीसरी और चौथी रिपोर्ट में 2(भाग -II) विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। **इन रिपोर्टों में दिए गए सुझावों को फिर से दोहरया जाता है।**

10.12 केरल भूमि बोर्ड से उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1,37,744 एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा 94,845 एकड़ भूमि अपने कब्जे में ली गई। वर्ष 1997-98 में 143 एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों, 3 एकड़ भूमि अनुसूचित जनजातियों और 148 एकड़ भूमि अन्य को वितरित की गई।

झाडू देने वालों और मैला उठाने वाले व्यक्तियों की मुक्ति

10.13 जहां तक मैला उठाने वालों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की स्कीम के कार्यान्वयन का संबंध है, अब तक मैला उठाने वाले 1339 व्यक्तियों को सहायता के लिए निर्धारित किया गया है। निगम प्राधकारियों ने सूचित किया है कि मैला उठाने वाले में केवल 235 की पुनर्वास में रूचि है और शेष व्यक्तियों ने लिखित अथवा मौखिक रूप से अपनी अनिच्छा व्यक्त की है। बैंकों की सहायता के लिए जिन 235 मामलों की सिफारिश की गई थी उनमें से केवल 145 मामलों को मंजूरी दी गई है ओर शेष मामलें बैंकों के पास लम्बित पड़े हैं। बैंक प्राधिकारियों द्वारा सहयोग न दिया जाना, इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए, एक बड़ी गम्भीर समस्या है। **यह सिफारिश की जाती है कि के.आई.आर.टी.ए.डी.एस. (टी.आर.आई. की तरह की राज्य सरकार की (एजेंसी) को मैला उठाने वाले व्यक्तियों की अनिच्छा के कारणों का अध्ययन करना चाहिए और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय करने चाहिएं।**

एस.सी.पी./टी.एस.पी. स्कीमों का निगरानी और मूल्यांकन

10.14 एस.सी.पी./टी.एस.पी. स्कीमों की समीक्षा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा सवार्धिक रूप से की जाती हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग के प्रधान सचिव द्वारा बुलाई जाने वाली बैठकों में सभी कार्यानवयन विभागों के अध्यक्ष भाग लेते हैं। **लेकिन आयोग के राज्य कार्यालय को इन समीक्षा बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता है। राज्य सरकार को चाहिए कि इन समीक्षा बैठकों में आयोग के स्थानीय कार्यालयों को बुलाया जाए।**

10.15 जहां तक मूल्यांकन का संबंध है, राज्य योजना बोर्ड और के.आई.आर.टी.ए.डी.एस. (टी.आर.आई के समान) ऐसे दो अभिकरण हैं, जो मूल्यांकन अध्ययन करते हैं।

गरीबी उपशमन कार्यक्रम

10.16 आई.आर.डी.पी. के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 में 25800 परिवारों के लक्ष्य की तुलना में 44191 परिवारों को सहायता दी गई। अनुसूचित जातियो के 14460 परिवारों (56.04 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजातियों के 1096 परिवारों (4.24 प्रतिशत) को क्रमशः 814.98 लाख रूपए और 62.66 लाख रूपए की सहायता दी गई। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित 12834 मकानों में से, 7122 मकान (55.49प्रतिशत) और 926 मकान (7.21 प्रतिशत) क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लोगों को दिए गए। इसी प्रकार दस लाख कूओं की स्कीम के

अन्तगर्त जो 3976 कूएं खोदे गए, उपमें से 2475 (62.24 प्रतिशत) और 329 (8.27 प्रतिशत) कूएं क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिए गए हैं।

शिक्षा

10.17 केरल उच्च साक्षरता वाला राज्य है। सामान्य साक्षारता दर 90 प्रतिशत है, लेकिन अनुसूचित जातियों की साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम अर्थात 79 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर और भी कम अर्थात 57 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा संबंधी विभिन्न रियायतें दिए जाने के बावजूद, सामान्य साक्षरता दर और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर के बीच असमानता बनी हुई है। इसके दो विशिष्ट कारण हैं, स्कूल स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति बच्चों के नामांकन का अनुपात कम होना और गैर-अनुसूचित जातियों और गैर-अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों का अधिक अनुपात। इनसे संबंधित आंकड़े नीचे सारणी 1 और 2 में दिए गए है।

सारणी-1

नामांकन अनुपात

शिक्षा स्तर		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		1997-98 के अनुसार अन्य	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
क)	प्राथमिक स्तर (I-IV)	10.96	10.38	1.38	1.34	87.66	86.98
ख)	मिडल स्तर (VI-VIII)	11.03	10.93	1.00	0.99	87.97	88.08

सारणी-2

बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों का अनुपात

शिक्षा का स्तर	अनु0 जाति		अनु0 जनजाति		1995-96 के अनुसार अन्य	
	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
प्राथमिक	1.6	2.8	7.9	10.6	1.08	1.13
मिडिल	8.7	6.5	12.6	10.4	5.07	3.26
माध्यमिक	23.2	15.2	28.0	18.7	17.3	10.00

10.18 अनुसूचित जातियों के लिए 115 मैट्रिक-पूर्व स्कूल, 9 माडल रिहायशी स्कूल , 2 आश्रम स्कूल और 22 एकल अध्यापक वाले स्कूल हैं। इन सभी संस्थाओं का नियंत्रण और प्रबंध अनुसूचित जनजाति निदेशालय द्वारा किया जाता है। जनवरी, 1998 में आयोग के त्रिवेन्द्रम में स्थित राज्य कार्यालय ने मालाप्पुरम जिले में मंजेरी नामक स्थान पर स्थित एक आश्रम स्कूल का दौरा किया था। यह एक मैट्रिक-पूर्व स्कूल व होस्टल है, जो अनन्य रूप से आदि जनजातियों, अर्थात कट्टूनायकन के लिए है। यह देखा गया कि वहां स्थान पर्याप्त नहीं था। अनुसूचित जनजाति निदेशालय की इस समस्या को हल करने के लिए नीलम्बूर के निकट एक नई इमारत बनाने की योजना है। आश्रम

स्कूलों में कुल नामांकन क्षमता 820 सीटों की है। लेकिन 1997-98 में केवल 763 सीटें भरी गई। **सीटों का पूरा उपयोग करने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिएं।**

10.19 नामांकन को प्रोत्साहन देने और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर को नियंत्रित करने के लिए, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने 1997-98 में दो स्कीमें कार्यान्वित की थीं। 100 जनजातीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कपड़ों का एक जोड़ा मुफ्त दिया गया था। "जनजातीय बच्चों के नामांकन के लिए सहायता" नामक एक नई योजनागत स्कीम 1997-98 से शुरू की गई है। इस स्कीम के अन्तर्गत कपड़े छात्रवृत्तियां चप्पलें, छतरियां, आदि मुहैया की जाती हैं। बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 10 रू0 प्रति विद्यार्थी को दिए जाते हैं। 30 लाख रूपये इस उद्देश्य हेतु निश्चित हैं । **इस प्रोत्साहन योजन के कारगर कार्यान्वयन के लिए इसके प्रभाव का मानीटरिंग किया जाना चाहिएं।**

10.20 अध्यापकों के संवर्ग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। 1997-98 में हाई स्कूल स्तर तक के 187088 अध्यापकों में से 6642 (3.5 प्रतिशत) अध्यापक अनुसूचित जातियों के और 354 (0.18 प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों के थे। प्राथमिक, मिडल और माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जातियों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 3.45 प्रतिशत, 0.3 प्रतिशत और 4.45 प्रतिशत था और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 0.1 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत और 0.18 प्रतिशत था। **यह भी देखा गया है कि जनजातीय अध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले अध्यापकों के लिए जनजातीय विशेषताओं को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। राज्य सरकार को अध्यापन के व्यवसाय में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 8 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की निर्धारित प्रतिशतता को पूरा करने के प्रयत्न करने चाहिएं।**

सेवा संबंधी सुरक्षोपाय

10.21 केरल राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्रमशः 8 प्रतिशत और 2 प्रतिशत का आरक्षण है। पदोन्नतियों में को आरक्षण नहीं है। राज्य सरकार द्वारा 1997 और 1998 के वर्षों के बारे में अब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए है।

10.22 आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट (1994-95 और 1995-96, खंड II) में सिफारिशे की थी कि राज्य सरकार को मौजूदा समूह प्रणाली के स्थान पर समूह क, ख, ग और घ के बारे में सूचना संकलित करनी चाहिए। आयोग के राज्य कार्यालय को अभी तक सूचना मुहैया नहीं की गई है।

अत्याचार

10.23 पुलिस महा निदेशक के कार्यालय में एक पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक विशेष कक्ष है। यह कक्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के सभी मामलों के बारे में कार्रवाई करता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त करतां है,' और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करता है। यह कक्ष विभिन्न मामलों के बारे में, जिनमें अत्याचार संबंधी आंकड़े एकत्र करना भी शामिल है, जिला पुलिस अधीक्षक के साथ सम्पर्क भी बनाए रखता है। इस कक्ष के पुलिस अधीक्षक की सहायता के लिए दो-तीन कर्मचारी हैं ओर कक्ष अपने कार्यों का निर्वहन कारगर ढ़ंग से ओर शीघ्रतापूर्वक नहीं कर पाता। अत्याचार के बहुत से मामले संबंधित पुलिस स्टेशनों के पास जांच ओर रिपोर्ट के लिए भेजे जाते हैं। अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से प्राप्त अत्याचारों की शिकायतों की उपयुक्त ढ़ग से जांच नहीं की जाती। यह कक्ष स्वतंत्र रूप से जांच नहीं कर सकता। इसके अलावा, पुलिस के अपर महा निदेशक का भी

एक पद है। लेकिन व्यावहारिक रूप से, कोई भी मामला अपर महा निदेशक के स्तर पर नहीं जाता, जिससे अत्याचार की स्थिति की मानीटरिंग किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

10.24 कासरगोड, वायानाड और पलक्कड जिलों में से प्रत्येक में एक विशेष चल (मोबाइल) दस्ता है। प्रत्येक कक्ष की अध्यक्षता एक सर्कल निरीक्षक द्वारा की जाती है ओर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त करने पुलिस स्टेशनों में पंजीकृत एफ.आई.आर. के मामलों की जाँच करने और अनसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उपबंधों के बारे में जानकारी देने और संबंधित पुलिस अधिकारियों के पास मामले दर्ज कराने में उनकी सहायता करने के लिए कुछ कर्मचारी हैं। हाल ही में, केरल सरकार ने सर्कल इन्सपेक्टरों के पदों का उन्नयन करके उन्हें उप पुलिस अधीक्षकों के पद बना दिया है। सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की समीक्षा करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन भी किया है।

10.25 वर्ष 1997 और 1998 में राज्य में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के क्रमशः कुल 785 और 753 मामले और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार के कुल 149 और 142 मामले दर्ज किए गए थे।

क्रम संख्या	अपराध की किस्म	1997		1998	
		अनु. जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1.	हत्या	7	6	5	-
2.	गम्भीर चोट	16	-	16	2
3.	बलात्कार	90	26	77	20
4.	आगजनी	6	2	11	2
5.	अन्य अपराध निम्न के अन्तर्गत दर्ज किए गए				
(क)	केवल आई.पी.सी. अथवापी.ओ.ए. या पी.सी.आर. के साथ आई.पी.सी.	421	90	419	89
(ख)	अनु.जा./अनु. ज.जा अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	238	25	222	29
(ग)	पी.सी.आर. अधिनियम, 1995 केवल	7	0	3	-
	उप जोड़ (क)+(ख+(ग)	666	115	644	118
	कुल जोड़	785	149	753	142

10.26 उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि 1998 में 1997 की तुलना में अत्याचार के मामलों में कोई कमी नहीं हुई है। राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए कड़े से कड़े उपाय करने चाहिएं।

अध्याय XI

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश अपने आकार और जनजातीय तथा अनुसूचित जाति की जनसंख्या दोनों ही दृष्टियों से एक विशाल राज्य है, यह राज्य देश के बीचों-बीच स्थित है और इसलिए इसके पड़ोसी राज्यों से सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के स्वरूप तथा इसकी गति की प्रभावित करते है। जिससें इस राज्य के विकास और सामाजिक गतिशीलता का अपना एक विशिष्टस्वरूप है। अतः मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विकास-प्रक्रिया की समीक्षा करने का कोई भी प्रयास इस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए। यह राज्य 4.43 लाख वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें आबादी वाले 71526 गांव है, प्रशासनिक प्रयोजनो के लिए इसके 61 जिले, 384 तहसीलें और 530 विकास खण्ड हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या 661.81 लाख थी जिसमें से अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 14.54 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या 23.27 प्रतिशत थी।

11.2 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता की प्रतिशतता क्रमशः 35.08 प्रतिशत और 21.54 प्रतिशत थी जबकि पूरे राज्य की साक्षरता की प्रतिशतता 44.20 प्रतिशत थी, जहां तक पुरूषों और स्त्रियों की साक्षरता का संबंध है उनमें यह प्रतिशतता क्रमशः 58.12 प्रतिशत तथा 28.85 प्रतिशत थी, अनुसूचित जनजाति में पुरूषों तथा महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 32.16 प्रतिशत तथा 10.73 प्रतिशत थी जोकि अपेक्षाकृत बहुत कम थी।

समस्याएं और बाधाएं

(i) जनजातीय उप-योजना कार्य नीति के तहत एक त्रुटिहीन (फूलएफ) कार्यविधि तैयार की गई है किन्तु जनजातीय और अनुसूचित जाति कल्याण विकास विभाग अब तक इसे कारगर ढंग से कार्यन्वित करने में सफल नहीं हुआ है। पंचायत राज योजना के तहत जनजातीय उप-योजना कार्यनीति और उपाय के प्रति सभी विभागों के बीच एक आम सहमति होना जरूरी है ;

(ii) राज्य के जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के वास्ते राज्य की विभिन्न एजेंसियों के बीच और केन्द्र संरकार के साथ अधिक तालमेल रखने की आवश्यकता है;

(iii) वनों और जनजातीय लोगों के बीच प्रतीकात्मक संबंध धीरे-धीरे कमजोर पड़ते जा रहे है बहुत बड़ी संख्या में जनजातीय लोग अपनी आजीविका के लिए अभी भी वनों और लघु वन-उपज पर निर्भर करते है। परन्तु वनों की लगातार अधिक हो रही विकृति के कारण और वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य क़ानूनों और नियमों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, वन क्षेत्रों की रखवाली और अधिक कड़ी कर दी गई है जिससे जनजातीय लोगों और वन प्रबंधकों के बीच संघर्ष

तेज हो गया है। सरकार द्वारा नियुक्त किए गए विभिन्न आयोगों ने वन अर्थव्यवस्था का जनजातीय अर्थ-व्यवसथा तथा वन कार्यों और उनके उपयोग के साथ आपसी संबंध तर्कसंगत बनाने पर जोर दिया है। इस समस्या को हल करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय इस ओर ध्यान दें। इसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य के उन सभी 1358 वन गावों की बाबत गंभीरतापूर्वक विचार करने तथा वे सभी सुविधाएं देने की आवश्यकता है जिन्हें राजस्व गांवों के मुहैया करवाया जाता है। इन गांवों में रहने वाले जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक हालत बहुत ही खराब है।

(iv) अनुसूचित जाति के किसानों के पास आम तौर पर छोटी और सीमांत जोतं होती है जों अनुसूचित जाति के पास कुल जोतों का 72.25प्रतिशत है। अनुसूचित जाति की भू-जोतों का औसत आकार 1.82 हेक्टेयर है। इसलिए वे कृषक के गहन ओर विकसित तरीके अपनाने की स्थिति में नही हैऔर उन्हे पर्याप्त वित्तीय संसाधन और योजनाओं के पैकेज उपलब्ध करने की आवश्यकता है, सिंचाई क्षमता भी बढ़ानी होगी।

(v) अनुसूचित जाति के कृषि श्रमिक बेहद असंगठित है और उनका भारी शोषण किया जा रहा है। कर्ज़ के बोझ नें उनकी स्थिति और भी बदतर बना दी है;

(vi) अनुसूचित जाति के लोग अलग इलाकों में रहते है और वे मुख्य गांव से अलग-थलग है। इन इलाकों में आम तौर पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है। नगरों तथा शहरों में वे ज्यादातर गंदी बस्तियों में रहते है, जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। कुपोषण, गंदगी में रहने और काम करने की वजह से उनका विभिन्न बीमारियां लगने की संभावना अधिक रहती है और इस ओर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है; तथा

(vii) पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मौसमी प्रवास की समस्या बहुत गंभीर है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लोग कम काम के मौसम में अस्थायी रूप से चले जाते हैं पर अपनी भूल से जगह से संबंध जोड़े रखते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ से लोग स्थायी रूप से प्रवास कर रहे है। उपयुक्त क़ानून न होने के कारण इन जनजातीय/अनुसूचित जाति के प्रवासी लोगों का ठेकेदार शोषण करते है।

1997-98 में जनजातीय उप-योजना(टी एस पी) तथा विशेष संघटक योजना (एस सी पी) का कार्यान्वयन

जनजातीय उप-योजना (टी एस पी)

11.3 वर्ष 1997-98 के लिए राज्य में जनजातीय उप-योजना लागू करने के लिए एक विस्तृत बजट व्यवस्था तैयार की गई है। राज्य योजना से जनजातीय उप-योजना को दिया गया धन, किए गए आबंटन, किए गए खर्च और व्ययगत विधियों के लिए प्रावधान थेः-

(रू0 करोड़ों में)

क.	जनजातीय उप-योजना के तहत बजट प्रावधान	622.21
ख.	विभागों को किया गया आबंटन	561.99
ग.	(ख) से (क) की प्रतिशतता	90.32%
घ.	व्यय	531.68%
ङ	प्रावधान से व्यय की प्रतिशतता(घ से क)	85.45%
च.	आवंटन से व्यय की प्रतिशतता (घ से ख)	94.61%
छ.	बचत/व्ययगत राशि	40.14%
ज.	आबंटन से बचत/व्ययगत राशि की प्रतिशतता(छ से ख)	7.14%

11.4 देखा यह गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाने के बाद भी एकीकृत जनजाति क्षेत्र परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मंडल गठित करने के बाद भी एकीकृत जनजाति विकास उपाय से कारगर ढंग से सफलता प्राप्त नहीं हुई है। प्रभावी मानीटर प्रणाली विकसित नहीं की जा सकी किन्तु कार्य साधारण तथा रोटीन ढंग से चल रहा है जिसका परिणाम यह हुआ है कि जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

- **महाराष्ट्र पद्धति अपनाने के बाद भी राज्य की जनजातीय आबादी की प्रतिशतता (23.27प्रतिशत) के बराबर जनजातीय उप-योजना के लिए धनराशी आबंटित नहीं की गई।**

- 561.99 करोड़ रूपए में से केवल 531.68 रूपयों का उपयोग किया गया जो जनजातीय उप-योजना के तहत कुल बजट का 85.45 प्रतिशत है।

- 13 विकास विभागों ने वित्त वर्ष के अंत में 40.14 करोड़ रूपए छोड़ दिए या व्ययगत होने दिए। सार्वजनिक वितरण क्षेत्र और जनजाति कलयाण क्षेत्र ने अधिकतर राशि का अभ्यर्पण किया अर्थात् क्रमशः 7.69 करोड़ रूपए और 18.35 करोड़ रूपए।

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

11.5 विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 102.75 करोड़ रूपए आबंटित किए गए। इसमें से भारत सरकार ने 92.08 करोड़ रूपए जारी किए जिनमें से 71.39 करोड़ रूपए अर्थात 77.55 प्रतिशत रूंपए खर्च किए जा सके और निधियां न जारी किए जाने तथा वितीय/प्रशासनिक मंजूरियां विलम्ब से जारी किए जाने के कारण 23.36 करोड़ रूपए का अभ्यर्पण किया।

अनुच्छेद 275 (1)

11.6 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत किए गए उपबंधों के अनुसार, भारत सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान 5.62 करोड़ रूपए जारी किए, विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया गया आबंटन 12.00 करोड़ रूपए था जिसके लिए 13.90 करोड रूपए (115.83प्रतिशत)खर्च किए गए 6 करोड़ रूपए दक्षिण बस्तर में सड़कों का निर्माणकरने के लिए दिए गए थे किन्तु केवल 1.08 करोड़ रूपयों का उपयोग किया जा सका। 100 करोड़ रूपए बस्तर में अन्य कल्याण कार्यों के लिए दिए गए थे परन्तु इसमें से 6.9 करोड़ रूपए खर्च किए गए। स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने बस्तर में परियाजनाओं

की योजना ठीक प्रकार से नहीं बनाई और एक योजना के लिए उद्दिष्ट धनराशि को दूसरी योजना पर खर्च किया जाता रहा है।

विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.)

11.7 विशेष संघटक योजना के तहत 307.30 करोड़ रूपए की व्यवस्था की गई है जो कि राज्य योजना के कुल वित्त आबंटनों का 11.71 प्रतिशत है। किए गए आबंटन और खर्चों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि:-

- 228.00 करोड़ रूपए अर्थात 82.78 प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया है;
- केवल कृषि तथा संबंद्ध क्रिया कलापों और ऊर्जा क्षेत्रों पर उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक रहा है;
- सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ग्रामीण विकास, उद्योग और खनन तथा सामाजिक क्षेत्र के तहत व्यय 85 प्रतिशत से लेकर 8876 प्रतिशत तक रहा है; तथा
- सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत किए गए कुल व्यय में से, 66.76 प्रतिशत व्यय अनुसूचित जाति क्षेत्र की कल्याणकारी स्कीमों के तहत, 81.77 प्रतिशत व्यय स्कूली शिक्षा तथा 47.19 प्रतिशत व्यय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत हुआ है इस प्रकार समग्र व्यय पैटर्न संतोषजनक रहा है।

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

11.8 भारत सरकार ने 19.45 करोड़ रूपए जारी किए जिसमें से उन विभिन्न क्षेत्रों द्वारा विशेष घटक योजना के तहत 9.58 करोड़ रूपए खर्च किए जा सके जिन्हें बजट में निकायां आबंटित की गई थी । 9.87 करोड़ रूपए वित्त विभाग द्वारा धन निकालने पर लगाई गई रोक और प्रशासनिक मंजूरी विलम्ब से जारी किए जाने के कारण अभ्यार्पित कर दिए गए/व्ययगत होने दिए गए ।

निगम (कार्पोरेशन)

11.9 अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगो को वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लि0 (एम पी एस एफ डी सी) द्वारा और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा प्रदान की जाती है। परन्तु देखा यह गया है कि ये दोनों संस्थाएं एन एस एफ डी सी या नाबाड द्वारा दिए गए ऋणों से लाभ नहीं उठा सकीं। मंजूर की गई विभिन्न एन एस एफ डी सी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश सहकारी अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लि. को दिए गए 13.81 करोड़ रूपयों में से यह आयोग केवल 4.24 करोड़ रूपयों का उपयोग कर पाया। इसी प्रकार एम पी एस एफ डी सी तथा एन एस एफ डी सी द्वारा दिए गए 13.89 करोड़ रूपये में से केवल 6.13 करोड़ रूपयों का ही उपयोग कर सका। मध्य प्रदेश चमड़ा विकास निगम का कार्य-निष्पादन भी निराशाजनक रहा है। वर्ष 1997-98 में राज्य सरकार द्वारा निगम को दिए गए 35 लाख रूपयों में से चमड़ा व्यवसाय में लगे अनुसूचित जाति परिवारों के हित लाभ के जिए कोई धनराशि खर्च नहीं की है।

प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मूल्यांकन

11.10 राज्य अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम ने राज्य के दुर्ग और रायपुर ज़िलों में झाड़ूकशों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना के विभिन्न पहलुओं और इसके कार्यान्वयन और कार्यनीति का मूल्यांकन अध्ययन करने का काम सामाजिक विकास परिषद नई दिल्ली को वर्ष 1996 में सौंपा था। इस अध्ययन में दो ज़िलों में 200 लाभ ग्रहियों के नमूने लिए गए। मूल्यांकन अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार थेः-

- विभिन्न ट्रेड़ों के अंतर्गत इन जिलों में चुनिंदा झाड़ूकशों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कराते समय इनके (प्रशिक्षणार्थी) मानसिक रूझान और प्रायोगिक जानकारी हासिल करने की योग्यता को ध्यान में नहीं रखा गया। इस लिए प्रशिक्षण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।
- प्रत्येक ट्रेड के लिए प्रशिक्षण-अवधि भी निर्दिष्ट नहीं की गई थी क्योंकि प्रशिक्षण ट्रेड के प्रकार तथा प्रवीणता के न्यूनतम स्तर पर निर्भर करता है।
- प्रशिक्षणार्थियों का चयन करते समय क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया था वास्तविकता यह है कि जिन ट्रेड़ों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करना था उनके लिए आवश्यकता पर आधारित सर्वेक्षण नहीं किया गया। उदाहरण के लिए प्रशक्षित प्रशिक्षणार्थियों को कुछ समय के लिए विभिन्न संस्थानों (सरकार या गैर-सरकारी) में प्रशिक्षु के रूप में प्रायोजित किया जाना चाहिए था। अनेक कारणों में से यह एक कारण था जिसकी वजह से प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थि उस ट्रेड़ विशेष में विपणन-प्रवीणता हासिल न कर पाए जिसमें उन्हें प्रशिक्षित किया गया था।
- एन एस सी एफ डी - निगम ने प्रशिक्षित झाड़ूकशों के क्रियाकलापों को समय-समय पर अनुवीक्षण नहीं किया।
- अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसा कि "ट्राइसेम" आदि की तुलना में छात्रवृत्ति की दर कम है इसलिए यह प्रशिक्षण झाड़ूकशों को अपनी ओर आकर्षित नही कर सका।
- विभिन्न स्कीमों के तहत परियोजनाओं के लिए मंजूर किए गए ऋणों के संबंध में समानता नहीं रखी गई है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अधीन कर्ज की अधिकतम सीमा एक लाख रूपए है जबकि झाड़ूकश स्कीम के अधीन ऋण की अधिकतम सीमा 50,000 रूपए है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम आर्थिक सहायता 10,000 रूपये है और हाशिया राशि 7,500 रूपए/बैंक, रोजगार, व्यवसाय/धंधे के लिए कर्ज के रूप में कम राशि प्रदान करते है। और
- उन्हें (प्रशिक्षणार्थि/ लाभग्राही) स्थायी तौर पर और पर्याप्त रूप से लाभप्रद रोजगार दिलाने के लिए कोई अनुवर्ती उपाय नहीं किए गए हैं।

शिक्षा

दाखिला लेने के अनुपात

11.11 प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में दाखिला लेने का अनुपात संतोषजनक नहीं है मध्यम स्तर पर भी अनुसूचित जाति/ अनुसुचित जनजाति के लड़के और

लड़कियों का प्रवेश अनुपात बहुत कम है। इसका एक कारण यह है कि माध्यमिक विधालयों की संख्या कम है अर्थात प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में नहीं है।

11.12 वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य सरकार ने 11.07 लाख अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। यहाँ पर इस बात का विशेष उल्लेख करना जरूरी है कि माध्यमिक स्तर पर महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने के लिए "कन्या साक्षरता योजना" स्कीम क्रियान्वित नहीं की गई है क्योंकि दिसंबर 1997 तक बजट प्रावधान नहीं किया गया था। डी पी ई पी के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को सार्वामौमिक बनाने के लिए 34 जिलों को शामिल किया गया है और 7,456 प्राथमिक विधालय खोजे गए है। जैसाकि ऊपर बताया गया है ऐसा करने के बाद भी प्रवेश अनुपात पूरा नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लड़के तथा लड़कियों के लिए अलग-अलग रिहायशी सुविधाएं अर्थात 10 वीं पूर्व छात्रावास, आश्रम विद्यालय, मैट्रिकोतर छात्रावास उपलब्ध कराए गए है। परन्तु ऐसे रिहायशी संस्थानों की संख्या राज्य में लड़कियों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि ब्लाक, तहसील, जिला तथा मंडलीय मुख्यालय में यह रिहायशी संस्थान योजनाबद्ध तरीके से नहीं खोले जाते।

पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले छात्र

11.14 प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को बीच में ही छोड़ कर जाने वाले छात्रों की संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में काफ़ी अधिक है। 30.09.97 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा को बीच में ही छोड़े कर जाने वालों की स्थति इस प्रकार है:-

श्रेणी	प्राथमिक	माध्यमिक
अनुसूचित जातियां	32.74	21.78
अनुसूचित जनजातियां	47.80	22.90
गैर-अनुसूचित जातियां/जनजातियां	23.22	16.52

एक ही कक्षा में रूके रहने के कारण

- अनियमित उपस्थिति,
- घरों में अध्ययन के लिए वातावरण न होना
- माध्यमिक स्तर पर एक ही कक्षा में रूके रहना इसलिए अधिक है क्योंकि परीक्षा विभागीय बोर्ड द्वारा कराई जाती है और फेल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जाती है।

शिक्षा को बीच में ही छोड़ने के कारण

- आम तौर पर माता-पिता की ग़रीबी;
- अतिरिक्त आमदनी जुटाने के लिए माता-पिता अपने बच्चों का काम पर भेजना बेहतर समझते हैं;
- बच्चे कृषि कार्यों में माता-पिता की मदद करते है ;

- माता-पिता का गांव छोड़ कर बाहर चले जाना;
- बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना;
- कम आयु में शादी होना;
- घर से स्कूल की दूरी; तथा
- बालिकाओं के लिए अलग माध्यमिक विद्यालय न होना।

सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

11.15 राज्य में विभिन्न पद-श्रेणियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में निर्धारित आरक्षण-कोटा इस प्रकार है:

	पद-श्रेणी	सीधी-भर्ती	पदोन्नति
अनुसूचित जाति	श्रेणी I तथा II	15%	15%
	श्रेणी III तथा IV	16%	16%
अनुसूचित जनजाति	श्रेणी I तथा II	18%	18%
	श्रेणी III तथा IV	20%	20%

11.16 राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए लोक सेवाओं तथा पदों में रिक्तियों के आरक्षण के लिए तथा इनसे संबंधित या इनके प्रासंगिक विषयों के लिए राज्य सरकार ने एक अधिनियम प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 नामक अधिनियम 1 जुलाई, 1994 को लागू हुआ। उपर्युक्त आरक्षण प्रतिशतता को उपर्युक्त अधिनियम में आवश्यक उपबंध शामि ल करके विधि मान्यता प्रदान कर दी गई है। इस अधिनियम में शामिल किया गया एक महत्वपूर्ण उपबंध अधिनियम के अधीन जिम्मेदारियों पूरी न करने के लिए दण्ड से संबंधित है। 01.01.96 से 01.01.98 तक की अवधि में कुल पिछले बचे (31.12.97 को मौजूद) पदो में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 77.93 प्रतिशत पद इन वर्गों की भर्त्ती के लिए चलाए गए विशेष अभियानों के जरिए भर लिए गए है। इसमें से अनुसूचित जातियों के 91.93 प्रतिशत पद और अनुसूचित जनजातियों के 84.10 प्रतिशत पद इस अवधि के दौरान भरे गए है। 01.01.1998 को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 2716 पद अभी भी रिक्त थे। सरकारों को इन पिछले बचे पदों को भरने के प्रयास करने चाहिएं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

11.17 वर्ष 1997 में अत्याचार तथा भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अन्य अपराधों सहित सूचित किए गए अपराधों की संख्या 7747 रही है; इस से 16.48 प्रतिशत अपराध अत्याचारों के तथा शेष 6470 अर्थात 83.52 प्रतिशत अपराध भारतीय दण्ड संहिता के तहत अन्य उपराध की श्रेणी के अंतर्गत सूचित किए गए है, इसके अलावा अत्याचार के 1277 मामलों में से 811 मामले अर्थात 63.50 प्रतिशत मामले अनुसूचित जातियों के विरूद्ध हुए है और शेष 466 अर्थात 36.50 प्रतिशत मामले अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध हुए है। अत्याचार के मामलों के स्वरूप का विश्लेषण करने

पर पता चला है कि 709 मामले अर्थात 55.52 प्रतिशत मामले बलात्कार के है और इनमें से 395 (55.79 प्रतिशत) मामले अनुसूचित जातियों के विरूद्ध सूचित किए गए है और बाकी अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध सूचित किए गए है। आई.पी.सी.(भारतीय दण्ड संहिता के तहत 6470 मामलों में से 4688 मामले (72.45 प्रतिशत) अनुसूचित जातियों तथा शेष मामले अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध सूचित किए गए है।

11.18 अत्याचार तथा अन्य आई.पी.सी. के तहत सूचित किए गए मामलों के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए राज्य कार्यालय ने 26 ज़िलों से सूचना एकत्रित की है इन आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि:-

i) इन 26 ज़िलों में अत्याचारों तथा आई.पी.सी. के तहत अन्य अपराधों के अंतर्गत कुल 3385 मामले सूचित किए गए है: इन कुल मामलों में से 2257 (66.87प्रतिशत) मामले ऐसे है जिनमें अत्याचारों के शिकार अनुसूचित जाति के लोग रहे है ओर शेष मामलो में अनुसूचित जनजाति के लोग:

ii) सेहोर, उज्जैन और गुना ज़िले का वहाँ प्रथम, द्वितीय और तीसरा स्थान है जहाँ से अत्याचार के अधिकतम मामलें सूचित किए गए है। कुल मिलाकर सेहोर में 844 अर्थात 24.93 प्रतिशत, उज्जैन में 650(19.19) तथा गुना में 401 अर्थात 11.84 प्रतिशत मामले सूचित किए गए है, और

iii) अत्याचार के मामलों में बलात्कार के अधिकतम मामले सागर जिले में सूचित किए गए है अर्थात 23 मामले जिनमें इनकी शिकार अनुसूचित जाति की महिलाएं रही है इसके बाद दूसरा स्थान सेहोर का है जिनमें अनुसूचित जाति की 17महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है जहाँ तक अनुसूचित जनजातियों का संबंध है, बलात्कार के अधिकतम मामले अर्थात 15 मामले प्रत्येक शाहडोल और मांडला जिलों से सूचित किए गए है, इसके बाद धार में 14 मामले, रायसेन में 12 तथा सियोनी ज़िले में 10 मामले सूचित किए गए है।

रायपुर, कनकेर, बस्तर, इंदौर, रतलाम, धार, झाबुआ, खारगोन और भोपाल में अपने दौर के दौरान माननीय अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी दिए गए अनुदेश और सुझाव

मैट्रिकोत्तर छात्रावास/आश्रम

i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लकड़े और लड़कियों के लिए पहले से खोले गए छात्रावासों/ आश्रमों का उचित तरीके से रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।

ii) छात्रों को दिया जाने वाला आगमन भत्ता छात्रावास में उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

iii) भवनों का रख-रखाव बहुत घटिया है लघु उद्योग निगम द्वारा रायपुर में बनाया गया मैट्रिकोत्तर छात्रावास का नया भवन अत्यंत घटिया है विशेषकर तकनीकी दृष्टि से इसका निर्मान घटिया है।

iv) छात्रावासों के बिजली के बिल कई वर्षों से अदा नहीं किए गए है। बिजली पर किए गए खर्च को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को प्रतिमास 20 रूपए की दर

से भुगतान किया जाता है जो बहुत कम है। छात्रों द्वारा साझी रसोई नहीं चलाई जाती और वे खाना, चाय काफी बनाने के लिए हीटरों का प्रयोग करते है। इसी वजह से बिजली बिलो का भुगतान बकाया है। राज्य सरकार को बिजली के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ानी चाहिए।

v) बी.ए. अंतिम वर्ष और एम.ए. (अंग्रेजी, गणित, तथा पूर्ण सामान्य ज्ञान में) छात्रों को स्पष्ट रूप से अनुशिक्षण की आवश्यकता है जोकि जिसकी व्यवस्था गैर सरकार संस्थाओं को करनी चाहिएं।

vi) रायपुर का परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जहाँ अखिल भारतीय प्रतियोगिताओ के लिए छात्रों को तैयार करने की दृष्टि से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लड़कों को अनुशिक्षण दिया जाता है, उसका प्रबंध बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं किया जाता। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा तुरंत निवारण कार्रवाई की जानी चाहिए।

vii) रायपुर विश्वविधालय में कई संवर्गों के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पद रिक्त पड़े है। राज्य सरकार इन पदों को भरने की और ध्यान नहीं दे रही है।

viii) सभी ज़िलों में सामान्य वर्ग के बच्चों की तुलना में प्राथमिक और माध्यमिक विधालय स्तर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों में शिक्षा बीच में छोड़ कर जाने की दर ऊँची है, कुल मिला कर भर्त्ती , पढ़ाई जारी रखने और उपलब्धियों संबंधी दरें भी संतोषजनक नहीं है कुल मिलाकर ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों तथा महिलाओं में साक्षरता दर 0 से लेकर 5 प्रतिशत तक है।

पेय जल

11.19 जिले में पेय जल की स्थिति भी गंभीर है जगदलपुर (बस्तर) में 1200 गांव और 5800 उप-गांव पेय जल की समस्याओं का सामना कर रहे है। अभुज में स्थिति और भी खराब है। नक्सलियों के कारण विकास कार्य ठप्प पड़े हैं। रतलाम ज़िले में 5501 समास्याग्रस्त उप-गांव है, गर्मियों के दौरान लगभग 30 प्रतिशत हेंडपम्प खराब रहते है। झबुआ में 1326 समस्याग्रस्त गांव है।

स्वास्थ्य

11.20 रायपुर, कनकेर, बस्तर, धार, रतलाम और झाबुआ ज़िलों में डाक्टरों के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। दवाइयों की खरीद के लिए दी गई धनराशि पर्याप्त नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रसूति के मामले परम्परागत दाइयां देखती है, उन्हें केवल 25 रूपयों का भुगतान किया जाता है जोकि बहुत कम है। इन दाइयों को न्यूनतम मज़दूरी दर पर भुगतान किया जाना चाहिए, झाबुआ में शिशु मृत्यु दर अपेक्षाकृत अधिक है जो कि गंभीर समस्यों की घोतक है

वैयक्तिक पालिसी

11.21 अनुसूचित जाति क्षेत्रों में कार्यकर रहे कर्मचारियों के लिए तैयार की गई वैयक्तिक पालिसी कारगार नहीं है और इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार को तत्काल इस ओर ध्यान देश चाहिए।

लघु सिंचाई

11.22 लघु सिंचाई की स्थिति संतोषजनक नहीं, इन क्षेत्रों में मुश्किल से 5 से लेकर 10 प्रतिशत भूमि की सिंचाई होती है। बस्तर में लगभग 90 प्रतिशत भूमि एकतंत्री है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण, बस्तर जिले में 80 प्रतिशत लघु सिंचाई योजनाओं को मंजूरी नहीं दी जा रही है। झाबुआ ज़िले में बेहतर सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में कूएं खोदने और टेंको की आवश्यकता है रतलाम ज़िले में माइक्रो सिंचाई स्कीम उचित प्रकार से कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

नक्सलियों की समस्या

11.23 नक्सली समस्या का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है:

- **क्षेत्र और वहाँ के लोगो की ठोस जानकारी/बोध होना।**
- **पुलिस व्यवस्था जिसमें सौहार्द संबंध हो और जो विकास क्रियाकलापों से जुड़ी हो,** तथा
- **लोगों/क्षेत्र की आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित करना, जनसंसाधनोंके अंतर्गत बुनियादी सुविधाएं और आधारित संरचना सृजित करना।**

उपर्युक्त उपाय एक साथ किए जाएं।

अध्याय XII

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 11.09 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 9.27 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते है। राज्य की 64.87 प्रतिशत की सामान्य साक्षरता दर की तुलना में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता की दर क्रमशः 56.46 और 36.79 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता की दर बहुत कम, अर्थात 24.03 प्रतिशत है, जबकि राज्य में कुल मिला कर, महिलाओं की साक्षरता-दर 52.3 प्रतिशत है।

12.2 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां राज्य की जनसंख्या के सबसे अधिक असुविधाग्रस्त वर्ग हैं। अनुसूचित जातियों के लोग पीढ़ियों से गहरे साभाजिक कलंक के शिकार हैं और हीन भावना से ग्रस्त हैं। हालांकि सरकार उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न कर रही है, लेकिन उनका तेजी से विकास करने में अनेक बाधाएं हैं।

12.3 अनुसूचित जनजातियों के लोग एकान्तवास की भावना से ग्रस्त हैं क्योंकि वे जंगलों के भीतर और पहाड़ों पर दुर्गम स्थानों पर रहते हैं और आमतौर पर समाज की मुख्य धारा से कटे रहते हैं। इसलिए जनजातीय लोगों के विकास की गति, अपेक्षाकृत धीमी है।

आर्थिक विकास

12.4 डा0 बाबासाहेब अम्बेडकर के समय से चलने वाले सामाजिक सुधार के विभिन्न आन्दोलनों के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए उत्तरोत्तर अधिक संगठित होते जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति निहित स्वार्थवश नहीं हो पाती जो कि राज्य में अत्याचारों, दंगों और झगड़ों का मुख्य कारण हैं । जनजातीय लोगों के लिए वृहद-परियोजनाओं जैसी बांध परियोजनाओं से भी भारी खतरा पैदा हो रहा है, और यह देखा गया है कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम बहुत धीमा और अप्रभावकारी होता हैं। चन्द्रपुर और गढ़चिरोली के जंगलों में नक्सलवादियों की गतिविधियों के कारण, जनजातीय विकास के कार्य में जुटे कार्यान्वयन अभिकरणों के लिए इन क्षेत्रों में पहुंचना कठिन हो गया है। अमरावती जिले के मेलघाट, डारनी और चिकलधारा क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के शिशुओं की मृत्यु और भूख से मृत्यु होने के समाचार, समाचार पत्रों में प्रति वर्ष प्रकाशित होते रहते हैं, जिसके लिए स्वास्थ्य-रक्षा और पोषाहार के कार्यक्रमों को निरन्तर रूप से चलाए जाने की आवश्यकता है।

विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.)

12.5 आमतौर पर यह देखा गया है कि विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत नियत की गई राशि कभी भी राज्य की जनसंख्या की प्रतिशतता के स्तर तक नहीं पहुंची। कृषि और संबंधित सेवाओं और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में धनराशियों का इस्तेमाल भी केवल 73 प्रतिशत और 74 प्रतिशत तक ही रहा है। आयोग की पहले की रिपोर्टों में इस बात पर बल दिया जा चुका है कि एस.सी.पी. के अन्तर्गत संसाधनों का नियतन जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर किए जाने और

इनका उपयुक्त उपयोग किए जाने की जरूरत है । इसी प्रकार, एस.सी.ए. का उपयोग भी नियत राशियों से कम रहा है। **जांच करने पर यह पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को धनराशि रिलीज करने में अनुचित रूप से विलम्ब हुआ इसलिए राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धनराशियां समय पर रिलीज की जाएं।**

जनजातीय उप-योजना (टी.एस.पी.)

12.6 राज्य के जनजातीय विकास विभाग को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए 1992 में उस का पुनर्गठन किया गया था। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जनजातीय लोगों के कल्याण की सभी योजनाएं जनजातीय क्षेत्र परियोजना प्रशासन के साथ सलाह करके तैयार की जाएं। टी.एस.पी. के परिव्यय का 85 प्रतिशत भाग जिला स्तर की योजनाओं के लिए जिला परियोजना विकास आयुक्त को दिया जाता हौ परियोजना स्तर की कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सख्त मानीटरिंग और समीक्षा करने की परिकल्पना भी की गई है। 1.5.1995 से नव संजीवन योजना नामक एक नई योजना का कार्यान्वयन शुरू किए जाने से स्वास्थ्य, पोषाहार, खाद्य, रोजगार, अनाज, बैंकों आदि के क्षेत्रों में सभी स्कीमों को समन्वित रूप से और तेजी से कार्यान्वित करना संभव हो गया है।

निगम

12.7 महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय सहायता के माध्यम जनजातियों का आर्थिक विकास करने के लिए शबरी आदिवासी विकास महामंडल का गठन किया है। निगम जनजातियों के लोगों को ऋण और तकनीकी सहायता देकर उन्हें अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में मदद देता है।

12.8 अनुसूचित जातियों और नव बौद्ध लोगों के आर्थिक विकास के लिए, ऐसा ही एक अन्य वित्तीय निगम कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जैसे ऋण सब्सिडी योजना, वाणिज्यिक पायलट प्रशिक्षण योजना, बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले छात्रों कों टाइपिंग, आशुलिपि, मोटरचालन, मरम्मत, आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की योजना।. यह निगम एन.एस.एफ.डी.सी. की योजनाओं के लिए माध्यम अभिकरण (चेनेलाइज़िंग एजेंसी) भी है।

12.9 महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। यह देखा गया है कि शिक्षा पर अधिक बल दिए जाने से प्राथमिक स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ-साथ माध्यमिक स्कूलों में नामांकन में भी वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों की तुलना में 1997-98 में स्कूलों में अधिक लड़कियों ने प्रवेश लिया है । राज्य सरकार ने पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, आदि संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की ओर पर्याप्त ध्यान दिया है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति निगम के माध्यम से प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के द्वारा और अन्य प्रकार की सहायता दे कर जनजातीय लोगों के कौशल को ऊंचा उठाने और उनकी आय अर्जित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनजातीय विकास निगम ने जनजातीय क्षेत्रों में दूर-दराज के स्थानों में बहुत से वसूली केन्द्र खोले है, ताकि जनजातियों के लोग अपने कृषि-उत्पाद और गौण वन-उत्पाद उचित कीमतों पर बेच सकें। जनजातीय विकास निगम इन उत्पादों की तत्काल अदायगी सुनिश्चित करता है, और उसने जनजातीय लोगों में स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, एकाधिकार वसूली योजना के अन्तर्गत गौण वन-उत्पादों की 26 नई मदें निर्धारित की हैं।

12.10 लेकिन, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महाराष्ट्र में जनजातियों के 85 प्रतिशत लोग कृषि-कार्य करते हैं (40प्रतिशत किसान है ओर 40 प्रतिशत कृषि मजदूर हैं), कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुनियोजित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि अधिकतर जनजातीय परिवार अपनी आय के मुख्य साधन और व्यवसाय के रूप में कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन जनजातीय कृषि की प्रौद्योगिकी बहुत निम्न स्तर की हे, उसमें संसाधनों की बहुत कम निविष्टि की जाती है ओर इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की कृषि-उत्पादकता ऊंची नहीं है। इसके अलावा, जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं अत्यन्त सीमित हैं।

12.11 राज्य सरकार को जनजातीय क्षेत्रों में अधिक संसाधनों और सिंचाई-सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए।

सेवा संबंधी सुरक्षण

12.12 जैसाकि अन्य राज्यों में देखा गया है, सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के कोटे को भरने में काफी बड़ा बैकलाग है। आयोग अपने इस दृढ़ मत को दोहराता है कि ओर समय गंवाए बिना इस बैकलाग को समाप्त किया जाना चाहिए।

अत्याचार

12.13 राज्य में नागरिक अधिकार प्रवर्तन तंत्र के अध्यक्ष मुम्बई राज्य पुलिस मुख्यालय में आई.जी.पी. (पी.सी.आर.) हैं। इसके छः रेंज मुख्यालय है और वृहत मुम्बई कमिश्नरी में एक अलग रेंज मुख्यालय हैं। इनके अध्यक्ष डिप्टी एस.पी.(पी.सी.आर.) हैं। नागरिक अधिकार प्रवर्तन संगठन नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम, 1955 ओर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन के लिए काम करता है।

12.14 सरकार ने पी.ओ.ए. अधिनियम, 1989 के अन्तर्गतअपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय निर्धारित करने के लिए जनवरी, 1990 में अधिसूचना जारी की थी। इसी प्रकार, सभी जिला सरकारी वकीलों को अत्याचारों के मामलों की पैरवी करने के लिए विशेष सरकारी अभियोजक के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है। इन जिलों और सरकारी अभियोजकों को संवेदनशील मामलों, जैसे अत्याचार के मामलों और इसके साथ-साथ अन्य मामलों को निपटाना होता है। **राज्य सरकार को चाहिए कि वह आयोग के इस सुझाव पर विचार करे कि इन मामलों को निपटाने के लिए अननय विशेष न्यायालय स्थापित किए जाएं।**

12.15 यह देखा गया है कि 1997 में 1114 मामलें पंजीकृत किए गए। पहले के मामलों को मिला कर, न्यायालयों में लम्बित पड़े कुल मामलों की संख्या 7305 थी। हालांकि राज्य सरकार ने आयोग को सूचित किया है कि छः जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया। राष्ट्रीय आयोग ने पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत पंजीकृत उन मामलों का ब्योराभेजने के लिए कहा था, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समीक्षा करने के बाद वापस लेने का प्रस्ताव था, लेकिन अभी तक आयोग को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

12.16 राज्य सरकार को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)नियम, 1955 के अनुसार, अत्याचार के शिकार व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए किए गए उपायों की जानकारी भी देनी चाहिए।

अध्याय XIII

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सात राज्य, अर्थात असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इसका कुल क्षेत्र फल लगभग 2,55,037 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जनंसख्या 3,15,47,314 है, जिसका संबंध अनेक धार्मिक, भाषाई और जातिय समूहों से है। यहां हम देखते हैं कि एक सौ से अधिक जनजातियों इकठ्ठी रहती है, जो सौ भिन्न-भिन्न बोलियां बोलती हैं और जिनकी अलग-अलग सांस्कृतिक विशेषताएं है, जो एक-दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन यही एक ऐसा अकेला क्षेत्र है जहां एकता और समानता की अन्तर्निहित भावना ने अलग-अलग रंगों और किस्मों के धागों को एक साथ बुन कर एक नए रूप में ढाल किया है। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अनेकता में एकता का एक अनुपम उदाहरण है। 1991 के जनगणाना के अनुसार, इन 7 राज्यों के बुनियादी तथ्य **अनुबन्ध-13.1** में दिए गए हैं। इन तथ्यों से पता चलता है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र समूचे देश के सामान्य अर्ध-विकसित ढ़ांचे के अन्तर्गत एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, फिर भी यह पिछड़ेपन का एक दिलचस्प उदाहरण है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न है, लेकिन उपयुक्त उपयोग न होने के कारण, इन संसाधनों का उपयोग आम जनता की भलाई के लिए अभी किया जाना है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह एक समृद्ध इलाका है, जहां गरीब लोग रहते हैं। यह तथ्य कि इसकी 4000 किलोमीटर से अधिक लम्बी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तिब्बत, मयमनार, बंगलादेश और भुटान के साथ जुड़ी हुई है, यह मामले को और अधिक पेचीदा बना देता है।

13.2 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जातीय स्थति अद्वितीय है। इस क्षेत्र में इस समय अनुसूचित जातियों की व्यापक आधार वाली 109 श्रेणियां हैं ; असम-23, अरूणाचल प्रदेश-12, मणिपुर-29, मेघालय-14 मिजोरम-7, नागालैंड-5 और त्रिपुरा-19। जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, प्रत्ज्येक राज्य में अनुसूचित जातियों की निम्नलिखित संख्या सूचीबद्ध है; असम-16, अरूणाचल प्रदेश -16, मणिपुर-4, मेघालय-16, मिजोरम-4, त्रिपुरा 12। यद्यपि अरूणाचल प्रदेश और मेघालय के राज्यों में 16 अनुसूचित जातियों और मेघालय में 4 अनुसूचित जातियों को मान्यता प्रदान की गई है सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इन राज्यों में उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य हैं। उपर्युकत के अलावा, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे जातीय समूह बसे हुए हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन उनमें से कई धीरे-धीरे मुखर हो रहे हैं और उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल न किए जाने के औचित्य पर प्रश्न-चिह्न लगा रहे हैं।

साक्षरता

13.3 यद्यपि यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है, किन्तु यह तथ्य है कि "उत्तर-पूर्वी की सात बहनों" ने निरक्षता के विरूद्ध अभियान में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के तिरपनवें दौर के अनुसार, जो 1997 में किया गया था, मिजोरम का छोटा सा जनजातीय राज्य केरल को पछाड़ कर देश का सर्वाधिक साक्षर राज्य बन गया है। यदि मिजोरम साक्षरता की दृष्टि से देश का सबसे पहला राज्य है तो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र समूचे रूप से देश का सबसे अधिक साक्षर क्षेत्र है, जो इस क्षेत्र के स्वास्थ्य, विद्युत, संचार, परिवहन, और अन्य विकास संबंधी निर्देशकों के बिल्कुल विपरीत है।

13.4 6/7 वर्षों की अवधि (1991-1997) में, उत्तर पूर्वी राज्यों ने, बिना किसी अपवाद के, साक्षरता के राष्ट्रीय पैमाने पर अपनी स्थिति (रैंकिंग) को सुधारने में भारी प्रगति की है। जबकि

औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर, जो 1991 में 52.2 प्रतिशत थी, बढ़ कर 1997 में 62 प्रतिशत हो गई, लेकिन उत्तर-पूर्व में साक्षरता-दर 1991 की 58 प्रतिशत से बढ़ कर 1997 में 77 प्रतिशत हो गई। सिवाय अरूणाचल प्रदेश के, अन्य सभी उत्तर-पूर्वी राज्य 62 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर हैं। निम्नलिखित सारणी से उत्तर-पूर्व में साक्षरता में हुई वृद्धि की जानकारी प्राप्त होती है:

राज्य	1991 में साक्षरता-दर	1997 में साक्षरता दर	प्रतिशत वृद्धि
मजोरम	82.27	95	12.7
नागालैंड	61.65	84	22.4
मेघालय	49.10	77	27.9
मणिपुर	59.89	76	16.1
असम	52.89	75	22.1
त्रिपुरा	60.44	73	12.6
अरूणाचल प्रदेश	41.59	60	18.4

समस्याएं

13.5 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनेक समस्याएं हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

i) भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक रूप से, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग बहुत प्राचीन समय से एक-दूसरे से स्वतंत्र रहे हैं। लेकिन आर्थिक विकास की व्यावहारिक आवश्यकताओं से यह सचाई रेखांकित होती है कि इस क्षेत्र के सात अलग राजनैतिक इकाइयों में गठित होने के बावजूद, इनमें से कोई एक भी एक-दूसरे से अलग-थलग हो कर नहीं रह सकता।

ii) उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के चारों ओर चार विदेशी राज्य स्थित हैं। इस क्षेत्र के लोग विदेशी सूचना-माध्यमों के शत्रुतापूर्ण प्रचार से आक्रान्त हैं, जो अक्सर देश की प्रभुसत्ता और अखंडता के प्रतिकूल होता है। देश के किसी अन्य क्षेत्र की स्थिति सामरिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, जितनी कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की। प्रतिरक्षा की दृष्टि से यह देश का बहुत संवेदनशील और कमजोर भाग है। उत्तर-पूर्व के किसी एक भाग को होने वाला खतरा समूचे भारत के लिए खतरा है।

iii) इस क्षेत्र के राज्य विदेशियों के बड़ी मात्रा में प्रवेश की समस्याओं से भी ग्रस्त हैं। स्थानीय लोगों में अपनी पहचान गंवा बैठने का जो डर और आशंका है, उसे संदेह दूर किया जाना चाहिए।

iv) इस क्षेत्र के सभी राज्यों में रहन-सहन के आम स्तर से वहां के सामान्य आर्थिक पिछड़ेपन का पता चलता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से सम्पन्न है, लेकिन उनका उपयुक्त उपयोग न होने के कारण यहां की आम जनता उनके लाभों से वंचित है।

v) परिवहन संबंधी कठिनाइयां उत्तर-पूर्व में समृद्धि और विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा रही हैं।

vi) आर्थिक पिछड़ेपन के कारण बेरोजगारी की समस्या से भी इस क्षेत्र पर बहुत बुरा असर हुआ है। बहुत से राज्यों में कोई उद्योग और कल-कारखाने और विकास की परियोजनाएं नहीं हैं, विशेष रूप से शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बहुत कम हैं और इसके अलावा आर्थिक गतिरूद्धता की समस्या है। ये बातें अलगाव, उपेक्षा और वंचन की बढ़ती हुई भावना के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके कारण युवाओं के एक वर्ग में निराशा पैदा हो गई है, जो कुछ युवकों द्वारा हिंसा का मार्ग अपनाए जाने के रूप में प्रकट होती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में आतंकवादी और अलगाववादी क्रियाकलापों के कारण आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या और अधिक बिगड़ गई है।

vii) उत्तर-पूर्व के लोगों के विकास के लिए शान्ति और प्रगति का वातावरण एक परम आवश्यक है। यदि उत्तर-पूर्व का देश के अन्य उन्नत भागों के समान विकास होगा, तो निराशा, उपेक्षा और अलगाव की मौजूदा समस्या स्वयं दूर हो जाएगी और उससे देश के अन्य भागों के साथ उसके भावनात्मक एकीकरण को मजबूत बनाने में योगदान मिलेगा।

आयोग के विचार/ सुझाव

13.6 उत्तर-पूर्व आर्थिक दृष्टि से अल्प-विकसित क्षेत्र है। इस क्षेत्र के दूर स्थित होने के कारण उत्तर-पूर्व और देश के शेष भागों के बीच काफी बड़ा अन्तर पैदा हो गया है। विद्रोह की समस्या के कारण, जिसने पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र को जकड़ रखा है, विकास कार्यों की प्रगति में बाधा आई है। विद्रोह को दबाने के उपायों और इसके साथ-साथ विकास-कार्यों के दायरे को बढ़ाने और शेष देश के साथ भावनात्मक एकता को मजबूत बनाने के उपायों को, जो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा अब कई वर्षों से किए जा रहे हैं, और जोर दार बनाया जाना चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के त्वरित आर्थिक विकास के पहले कदम के रूप में इस क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके।

13.7 जैसाकि एस.सी.पी./टी.एस.पी. के व्यय के बारे में अनुबंध I से IV पाठ एक में दिए गए ब्योरे से देखा जा सकता है, उत्तर-पूर्व के बहुत से राज्यों में आवंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। अनेक मामलों में, विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हो रहा। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए टी.एस.पी./एस.सी.पी. की राशियों और विशेष केन्द्रीय सहायता की राशियों का पूरा-पूरा इस्तेमाल किया जाए।

13.8 राज्यों में बुनियादी ढांचे के अभाव और बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए, जिसके कारण कई आन्दोलन हुए हैं, आयोग का यह विचार है कि वे त्वरित औद्योगीकरण से इन राज्यों की बहुत सी समस्याएं हल हो सकती हैं। आयोग अपनी पहले की सिफारिशों को दोहराता है कि इस क्षेत्र की समस्याओं को कम करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन हाथ में लिया जाए:-

i **मेडिकल कालेज खोलना।**

ii **आई.आई.टी., गुवाहाटी का निर्माण जल्दी पूरा करना।**

iii इस क्षेत्र के बागबानी और सुरभि (एरोमेटिक) और चिकित्सा संबंधी विशाल कच्ची सामग्री को प्रोसेस करने और उन्हें न केवल देश के अन्य भागों में बेचने बल्कि भुटान, बंगलादेश और मयमनार आदि देशों को निर्यात करने के लिए उन्हें मूल्य-वर्धित उत्पादनों में बदलने के लिए, स्थानीय लोगों को पूरी तरह शामिल करके सहकारी प्रोसेसिंग और विपणान समितियां स्थापित करना। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अतिरिक्त अवसरों का सृजन होगा। मेघालय और मिजोरम में बेरोजगार युवकों की भारी संख्या को देखते हुए, जो माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्कों की स्थापना करना।

iv इस क्षेत्र के अन्दर और इस क्षेत्र और शेष देश के बीच सड़कों और दूर-संचार व्यवस्था में सुधार।

v रोजगार के सृजन के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाएं स्थापित करना।

13.9 अनुमान है कि उत्तर-पूर्व की पहाड़ियों में लगभग 90,000 हेक्टैयर क्षेत्र में झूम खेती की जाती है। इससे बहुत बड़े पैमाने पर वन नष्ट हुए हैं अर्थात वनों की कटाई और उसके परिणामस्वरूप भूमि का कटाव और पर्यावरण का अवसय हुआ है। इसलिए राज्य सरकार ने जनजातीय लोगों को यह मनाने के लिए कदम उठाए हैं कि वे स्थाई जगह पर खेती करें। इस संबंध में राज्य सरकार को सहायता देने के लिए भारत सरकार ने झूम खेती वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय वाटर-शेड विकास कार्यक्रम नामक एक केन्द्र-प्रायोजित स्कीम शुरू की है। लेकिन यह बात ध्यान में रखी जानी चाहिए कि झूम खेती इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों के लिए जीवन की एक पद्धति बन चुकी है और इस क्षेत्र के लोगों को आजीविका के वैसे वैकल्पिक साधन मुहैया किए जाने होंगे, जिनका उल्लेख पिछले पैरा में किया गया है, यदि उन्हे झूम खेती की प्रथा से मुक्त कराया जाना है।

13.10 आयोग का राज्यों, केन्द्रीय सरकार और जातीय संघषों में उलझे जनजातीय समूहों के नेताओं से अनुरोध है कि वे सामान्य स्थिति बहाल करने का हल ढूढें। इन झगड़ों से प्रभावित जनजातीय लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को यह कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें जनजातीय उप-योजनाओं के अन्तर्गत लाभभोगियों के रूप में शामिल किया जाए

13.11 उत्तर-पूर्वी परिषद को अपने स्कीम तैयार करते समय आयोग को भी शामिल करना चाहिए।

अनुबन्ध-13.1

1991 की जनगणना अनुसार उत्तरी-पूर्वी राज्यों के आधारभूत तथ्य

राज्य	कुल जनसंख्या	अनु0जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	अनु0 जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	साक्षरता दर	जिलों की सं0
असम	2,24,14,332	1,659,412	7.40	28,74,441	12.87	52.87	23
अरुणाचल प्रदेश	8,64,558	4,052	0.47	5,50,351	63.66	41.59	13
मणिपुर	18,37,149	37.105	2.02	6,32,173	34.41	47.60	8
मेघालय	17,74,778	9,072	0.51	15,17,927	85.53	49.10	7
मिजोरम	6,89,756	691	0.10	6,59,565	94.75	82.27	9
नागालैंड	12,09,546	शून्य	शून्य	10,60,822	87.70	61.65	8
त्रिपुरा	27,57,205	4,51,116	16.36	8,53,345	30.95	60.44	4

अध्याय XIV

उड़ीसा

देश में सब से अधिक जनजातीय आबादी की दृष्टि से उड़ीसा का तीसरा स्थान है। राज्य की 3.17 करोड़ की कुल आबादी में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 16.20 प्रतिशत और 22.21 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर क्रमशः 36.78 प्रतिशत और 22.31 प्रतिशत थी।

एस.सी.पी.तथा टी.एस.पी. को निधियों का प्रवाह

14.2 1996-97 और 1997-98 के दौरान राज्य में टी.एस.पी. को धनराशि के प्रवाह की प्रतिशतता अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की तुलना में कम थी। 1997-98 के दौरान टी.एस.पी. के अधीन धनराशि का उपयोग भी बहुत कम हुआ जोकि केवल 66 प्रतिशत था। 1995-96 से 1997-98 तक मिलने वाली धनराशि का प्रवाह भी राज्य में अनुसूचित जातियों की आबादी की प्रतिशतता के मुकाबले बहुत कम है। परन्तु इसमें से किए गए खर्च की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है हांलांकि इस/इन वर्षों में भी नियत की गई पूरी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका । अनूसूचित जातियों के मुख्य व्यावसायिक समूहो के लिए यथा-बुनकर, मोची, मछुआरों आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रम चलाए गए है। इन कार्यक्रमों में उत्पादन और विपणन बढ़ाने तथा जन संसाधनों के विकास पर जोर दिया गया है। अनुसुचित जातियों में खस्ता हालत वाले समूहों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एस.सी.पी.तथा टी.एस.पी. को आबंटित धनराशि का प्रभावी और उचित उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से इन धनराशियों का दूसरे कार्यों पर उपयोग रोकने के लिए संबंधित कार्य-शीर्षों के अधीन अलग-अलग लघु लेखा शीर्ष रखे गए है। इस कार्रवाई के कारण यह देखा गया है कि एस.सी.पी. के अधीन निधियों का उपयोग उत्सावर्धक रहा है जैसाकि उपर्युक्त व्यय स्थति से पता चलता है। किन्तु टी.एस.पी. के अधीन यह उपयोग 1995-96 में 54प्रतिशत, 1996-97 में 98 प्रतिशत तथा 1997-98 में केवल 66 प्रतिशत हुआ है।

शिक्षा

14.3 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को शिक्षा जारी रखने के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवत्तियों दी जाती है। वर्ष1997 के दौरान 5.57 लाख अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 39.06 करोड़ रूपए खर्च किए गए । अनुसूचित जाति और अनुसूचित्त जनजाति के 55782 छात्रों के हित लाभ के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के तहत 8.04 करोड़ रूपए खर्च किए गए । **इस स्कीम की समीक्षा करने पर यह पता चलता हैकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा समय पर अधिक छात्रवृत्तियां जारी किए जाने की आवश्यकता है।**

आर्थिक विकास और टी.डी.सी.सी.

14.4 जनजातीय लोगों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा लघु वन उपज (एम.एफ.सी) से मिलता है। इसलिए 1973 में अपनी स्थापना के समय से ले कर ही उड़ीसा का जनजातीय विकास सहकारी निगम जनजातीय लोगों से उनके द्वारा एकत्रित लघु वन उपज तथा अधिशेष कृषि उपज की खरीद और बिक्री करने में और उचित कीमत पर अनिवार्य वस्तुएं दिलाने में उनकी सहायता करता आया है।

इससे उनका बेईमान व्यापारियों तथा बिचौलियों द्वारा शोषण से बचाव होता है यह निगम जनजातियों से सीधे ही लघु वन उपज एकत्रित करने और राज्य सरकार द्वारा अनुमादित कीमत पर उन्हें भुगतान सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है। पता चला है कि वन रायलटी और क्रय/विक्रय कर के रूप में टी.डी.सी.सी द्वारा जितनी भी राशि का भुगतान किया जाता है राज्य सरकार उसकी प्रतिपूर्ति कर रही है। किन्तु नियमानुसार कार्यविधि यह है कि राज्य सरकार से प्रतिपूर्ति सुविधा का लाभ टी.डी.सी.सी द्वारा तभी उठाया जा सकता है जब वह इन देय राशियों का वास्तव में भुगतान कर दे। निधियों की तंगी के कारण,टी.डी.सी.सी वन रायलटी और करों के रूप में 55.00 लाख रूपए की पूरी अपेक्षित राशि जमा नहीं कर पाता। यह वन रायलटी तथा करों को कुछ हिस्सा ही जमा करा पायी है। सुझाव है पहले वन रायलटी और कर जमा कराने और बाद में उसकी प्रतिपूर्ति पर जोर देने की बजाय, कल्याण विभाग द्वारा टी एस पी के अधीन एक अलग निधि नियम कर के उसमें से वन विभाग को वन रायलटी तथा करों का भुगतान किया जा सकता है। यदि ऐसा कर दिया जाए तो टीडीसीसी अपने पास उपलब्ध सारी धनराशि का उपयोग प्राप्ति मौसम शुरू होते ही जनजातीय लोगों से लघु वन उपज प्राप्त करने के लिए कर सकेगी। परंतु इससे भी बड़ा मसला यह है कि टी डी सी सी इस समय भारी वित्तीय संकट का सामना कर रही है जिसके कारण हैं-कुप्रबंध, संबंधित अधिकारियों की उदासीनता और वेतन का बहुत भारी बिल। राज्य सरकार को उचित वित्तीय राहत प्रदान करके टी डी सी सी को फिर से पटरी पर लाने के लिए आगे आना चाहिए। महुआ के बीज, नीम के बीज, कुसुम-बीज करंजिया बीज तथा साल बीज इस समय टी डी सी सी से भिन्न अन्य एजेंसियों द्वारा एकत्र किए जाते हैं। राज्य सरकार को राज्य में भरपूर मात्रा में मिलने वाली ऐसी सभी महत्वपूर्ण लघु वन उपज एकत्र करने के लिए टी डी सी सी को भी इजाजत देने पर विचार करना चाहिए। कई बार जनजातीय लोगों को अपने द्वारा एकत्रित लघु वन उपज चलते फिरते ऐसे खरीदारों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है जो उनके घरों की फेरी लगाते हैं और वे अपनी धन की जरूरत पूरी करने के लिए सड़क पर बैठी ऐसी ही एजेंसियों को इस उपज को टी डी सी सी द्वारा प्रस्तावित दरों से भी कम दरों पर बेच देते हैं। **इस खामी को दूर करने के लिए टी डी सी सी को अपने एकत्रीकरण अधिकार को नीचे गांव/उपगांव स्तर तक बढ़ा देने चाहिए।**

14.5 भुवनेश्वर स्थित नानाकृष्ण चौधरी विकास अध्यन-केंद्र ने 1997-98 के दौरान "लघु वन उपज के वाणिज्यकीकरण के आयाम" विषय पर कियोंझर जिले में बांसापल ब्लॉक के ऊपरी वैतरणी तथा गुप्तगंगा और गोनासिक ग्रामों में रहने वाले जुआंग लोगों के बीच एक अध्ययन किया था। अध्ययन से यह पता चला कि लघु वन उपज को एकत्र करने, खपत तथा बिक्री आदि पर जनजातीय समुदायों में प्रचलित कर्मों, रीतियों, सामाजिक कानूनों तथा सांस्क़तिक मानदण्डों का सीधा प्रभाव है। इसमें यह तकर् भी दिया जाता है कि व्यापारयों के जरिए मुक्त विपणन कार्य नीति तथा टी डी सी सी के माध्यम से राज्य द्वारा प्राप्ति दोनों ने प्राथमिक जनजातीय संग्राहकों के सौदेबाजी स्तर को नकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। इसलिए अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के साथ-साथ क्षेत्र में उपलब्ध लघु वन उपज की बिक्री किसी एक एजेंसी को सौंपने के साथ-साथ गांव-गांव और अंतर-गांव स्तरों पर सहकारी समतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

14.6 रायगढ़ जिले में काशीपुर ब्लॉक के मण्डी बीसी महिला मण्डल द्वारा वन लघु उपज एकत्र करने से संबंधित विषय पर एक रोचक मामला सामने आया है जहां पर महिलाओं ने झाड़ू घास प्राथमिक संग्राहकों से खरीदने का फैसला किया। ऐसा उन जनजातीय संग्राहकों को बचाने के लिए किया गया - जिन्हें एकत्रित की गई लघु वन उपज व्यापारियों को बेचने तथा उनके द्वारा लगाई गई मनचाही कींमत स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। एग्रा गाम (एक स्थानीय गैर सरकारी

संस्था) की सहायता से मण्डी बीसी महिला मण्डल ने जनजातीय महिलाओं को उड़ीसा रूरल डेबलपमेंट आफ मार्किटिंग सोसाइटी (ओ आर एम ए एस) के इस वादे के साथ झाडू बांधने के लिए प्रशिक्षण देना आरंभ किया कि वह झाडू उनसे खरीदेगा। 28 मई, 1995 को जब झाडू बांधने का प्रशिक्षण केवल एक सप्ताह के लिए ही चला था, अपने विधि प्रवर्त्तन अधिकारी के साथ और टी डी सी सी के लोग वहां पर आए और उनके भण्डारय गोदाम का ताला तोड़ कर मण्डीबीसी महिला मण्डल का पूरा स्टॉक उठा ले गए। जब महिला मण्डल के सदस्यों ने उसका विरोध किया और वे सड़कों पर बैठ गई तो उन्हें गालियां और धमकी दी गई। अंततः उन्हें झूठे पुलिस मामलों में बुक कर दिया गया। जबर्दस्त विरोध होने के बाद राज्य सरकार ने वन विभाग को झाड़ुओं का पकड़ा गया स्टॉक वापस करने का आदेश दिया और साथ में मण्डल को यह सुझाव दिया कि वे इस स्टॉक को 2 प्रतिशत कमीशन पर टी डी सी सी को बेच दें। इस बात पर जोर देते हुए कि उनका माल खुले बाजार में प्रतियोगी कीमतों पर बेचने का अनुमति दी जाए, महिलाओं ने राज्य सरकार के इस एकतरफा दमन के सामने घुटने टेकने से इंकार कर दिया और अपने वर्ष भर का स्टॉक बिना बेचे वहां से चली गई। इस विषय पर एकता दर्शाते हुए इस क्षेत्र की सभी महिलाओं ने मण्डी बीसी की महिलाओं का साथ दिया और "अमा संगठन" नामक ब्लॉक स्तरीय परिसंघ के रजिस्ट्रीयकरण के लिए आवेदन किया। तत्कालीन वन सचिव ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को 1996-97 की अवधि के लिए काशीपुर रेंज के लिए झाडू घास का पट्टा प्राप्त हो जाए। बताया गया है कि इसके परिणामस्वरूप यह परिसंघ सराहणीय कार्य कर रहा है और इसने झाडू बांधने के लिए 100 लोगों को रोजगार दे रखा है।

14.7 राज्य सरकार को निम्नलिखित सुझावों पर विचार करना चाहिए:

- i) **जनजातीय उपज को बेचने के लिए राज्य में समूचे सहकारिता ढांचे को पिछले अनुभव के आधार पर नया रूप दिया जाना चाहिए।**
- ii) **वसूली मूल्य-बाजार परिस्थितियों के संदर्भ में नियत किया जाना चाहिए और लघु वन उपज के संग्रहण को मांग के अनुरूप प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।**
- iii) **लघु वन उपज को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हुए मूल्य वाधित परिष्कृत तैयार सामान के उत्पादन में जनजातीय लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। इससे जनजातीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।**
- iv) **लघु वन उपज की पैकेजिंग विपणन तथा बिक्री का काम राज्य के टी डी सी सी के माध्यम से जनजातीय लोगों को सौंपा जा सकता है।**
- v) **राज्य टी डी सी सी को लघु वन उपज के लिए केवल एक संग्रहण एजेंसी ही नहीं होना चाहिए अपितु जहां तक लघु वन उपज का संबंध है इससे आर्थिक क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की सहायता करनी चाहिए जैसा कि प्रसंस्करण। मूल्य वर्द्धित सुविधाएं स्थापित करना और इन सुविधाओं को चलाने के लिए जनजातीय महिलाओं को प्रशिक्षण देना।**
- vi) **जनजातीय महिलाओं को लघु वन उपज के संग्रहण और विपणन के लिए महिला सहकारी समितियां बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।**

14.8 जिन अन्य राज्यों में जनजातीय लोग लघु वन उपज का संग्रहण करते हैं वहां भी पुरुष और महिलाएं इसी प्रकार के परिसंघ बना सकते हैं और उड़ीसा के "अमा संगठन" द्वारा शुरू किए गए आर्थिक क्रिया कलाप कर सकते हैं।

बंधुआ मजदूरी

14.9 1976 में अपनी स्थापना से लेकर मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति और उनके पुनर्वास के व्योरे इस प्रकार हैं -

	अनु.जाति.	अनु.जन.जाति	अन्य	जोड़
पहचाने गए व्यक्तियों की सं.	13591	19834	16693	50118
छुड़ाए गए व्यक्तियों की सं.	13297	19167	16563	49027
पुनः बसाए गए व्यक्ति की सं.	12791	18411	15705	46907

बाल श्रमिक

14.10 1991 की जनगणना के अनुसार उउस में 8,31,644 बाल श्रमिक हैं। इस में 6,04,817 लड़के तथा 2,26,847 लड़कियां शामिल हैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में अलग-अलग ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं किन्तु अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकतर बाल श्रमिक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में से होंगे।

आवास

14.11 वर्ष 1997-98 में, इन्दिरा आवास योजना के तहत 50023 मकान बनाए गए थे जिनमें से 19066 (38.11प्रतिशत) मकान अनुसूचित जातियों तथा 20393 (40.76 प्रतिशत) मकान अनुसूचित जनजातियों के लिए थे।

आई आर डी पी

14.12 1997-98 के दौरान आई आर डी पी के तहत लक्षित परिवारों की संख्या 74874 थी ओर उपलब्धि 75343 के लिए हुई। अनुसूचित जाति के 17979 (24प्रतिशत)परिवार तथा अनुसूचित जाति के 18934 (25 प्रतिशत) परिवार लाभान्वित हुए।

भूमि

14.13 राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों की जमीन का हस्तांतरण रोकने और विनियमित करने के लिए उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजातियों द्वारा) अचल समपति का हस्तांतरण (1956 का विनियम) अधिनियम 4 अक्तूबर 1956 से लागू किया गया। 1956 के विनियम 2 के तहत सक्षम प्राधिकारी को स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा दायर किए गए किसी आवेदन पत्र पर कार्यवाही शुरू करने और हस्तांतरण गैर-कानूनी होने पर जमीन वापस दिलाने के अधिकार दिए गए हैं। सक्षम प्राधिकारी को अनुसूचित जनजातियों की जमीन पर अनधिकृत कब्जा रखने वाले व्यक्तियों को बेदखल करने के अधिकार भी दिए गए है और दोषियों को जुर्माना करने और सख्त केद की सजा देने की भी व्यवस्था की गई है।

14.14 कानून में त्रुटियां दूर करने और अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों की जमीन का अवैध हस्तांतरण रोकने के लिए 1997 के उड़ीसा विनियम उड़ीसा सरकार, विधि विभाग की तारीख 27.03.97 की अधिसूचना संख्या 7894 (विधान) में 'उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र (अनुसूचित जनजातियों

द्वारा) अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण संशोधन विनियम, 1996 में संशोधन करके 1956 के विनियम-2 में निम्नलिखित निवारक उपबंध किए गए हैं-

i) यदि हस्तांतरण के बाद अनुसूचित जनजाति के सदस्य की कुल शेष भूमि एक मानक एकड़ से कम रह जाती है तो वह अपनी जमीन हस्तांतरित नहीं करेगा।

ii) आर डी सी/समाहर्ता को स्वप्रेरण से संशोधन करने का अधिकार सौंपा गया है ताकि मूल न्यायालयां द्वारा पारित अवैध आदेशों को 5 वर्ष की अवधि में ठीक किया जा सके।

iii) जनजातीय जमीन के गैर-कानूनी कब्जे के लिए जुर्माने की राशि प्रति वर्ष प्रति एकड़ 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है।

iv) सिविल मुकदमेबाजी को रोकने के लिए यह उपबंध किया गया है कि किसी भी सिविल न्यायालय की किसी ऐसे मुकदमे या कार्यवाही को सुनने या उस पर निर्णय देने की अधिकारिता नहीं होगी जो किसी भी तरीके से ऐसे अधिकारी/अन्य प्राधिकारी से संबंधित हो जिसे इन विनिमय के तहत उस पर निर्णय देने का अधिकार दिया गया हो।

14.15 संशोधन करने के लिए सर्वेक्षण कार्य और बंदोबस्त कार्य करने के लिए कोई समय अंतराल निर्धारित नहीं किया गया है। किसी क्षेत्र के संबंध में पहले दौर का काम पूरा करने के बाद दूसरा संशोधन कार्य करने का दौर आम तौर पर 20 वर्ष बाद किया जाता है।

14.16 जनजातीय लोगों का भू-अभिलेख अद्यतन बनाने के लिए इन्हें दूसरों से अलग करके शुरू नहीं किया जाता क्योंकि सर्वेक्षण और वंदोबस्त की इकाई गांव होता है और यह कार्य साथ-साथ जुड़े गांवों के आकार पर किया जाता है।

14.17 इस विनियम के लागू होने से जून 1998 तक की प्रगति का ब्यौरा इस प्रकार है:-

शुरू किए गए मामलों की कुल संख्या	84,941
निपटाए गए मामलों की कुल संख्या	81,875
लाभान्वित अनु.जनजाति लोगों की संख्या	44,142
कुल क्षेत्र जिसे बहाल करने के आदेश दिए गए (एकड़ों में)	40048,44

14.18 निम्नलिखित सारणी में 1995 से 1998 के दौरान 1956 के विनियम 2 के तहत पता लगाए और निपटाए गए मामलों की संख्या दिखाई गई है।

वर्ष	पता लगाए गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
1995-96	2982	2157
1996-97	1138	1084
1997-98	659	1806

14.19 1995-96 से 1997-98 के दौरान ओ.एल.आर. अधिनियम 1960 की धारा 23 और 23 (क)के तहत शुरू किए गए निपटाए गए और इनसे लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या नीचे दी गई हैं -

वर्ष	शुरू किए गए कुल मामले		निपटाए गए मामले		लाभान्वित व्यक्ति		बहाल किया गया क्षेत्र (एकड़)	
	अनु.जा.	अनु.जन.जा.	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अनु.जा.	अनु.ज.जा.
1995-96	636	811	611	665	33	319	647	445
1996-97	1762	735	1835	977	24.2	1128	2230	2398
1997-98	590	279	722	509	779	326	70	792

अधिकतम सीमा वाली अधिशेष भूमि का आवंटन

14.20 अधिकतम सीमा कानून के तहत सरकारी अधिशेष भूमि में से 70 प्रतिशत भूमिहीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को आवंटित करने के लिए अलग रखी जाती है। जिस गांव में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या गांव की कुल आबादी के 70 प्रतिशत से अधिक हो वहां इन समुदायों के लिए आरक्षित की जाने वाली जमीन की प्रतिशतता उनकी आबादी की प्रतिशतता के बराबर होगी। एक भूमिहीन व्यक्ति को अधिशेष भूमि में से 0.70 मात्र एकड़ क्षेत्र दिया जाता है। यदि अपने परिवार के सभी सदस्यों सहित किसी व्यक्ति के पास कुछ जमीन हो तो उसके परिवार द्वारा धारित भूमि सहित उस व्यक्ति को दी जाने वाली जमीन किसी भी हालत में 0.70 एकड़ मानक से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित सारणी में 1995-96 से 1997-98 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वितरित की गई अधिकतम सीमा वाली अधिशेष भूमि के ब्योरे नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां	
	लाभग्राहियों की संख्या	क्षेत्र (एकड़ में)	लाभग्राहियों की संख्या	क्षेत्र (एकड़ों में)
1995-96	344	265	341	365
1996-97	731	363	407	297
1997-98	254	179	304	242

सरकारी परती भूमि और गृह स्थलों का आवंटन

14.21 भूमिहीन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने प्रत्येक भूमिहीन परिवार को कृषि प्रयोजनों के लिए दो एकड़ तक सरकारी परती भूमि आवंटित करने के लिए कदम उठाए हैं। इस प्रयोजन के लिए भूमिहीन व्यक्ति की परिभाषा में वह व्यक्ति आता है जिसके पास उसके साथ एक ही घर में रहने और खाने वाले उसके परिवार के सभी सदस्यों द्वारा काश्तकार या रैयत के रूप में कुल भूमि 2 एकड़ से कम हो और जिसके पास कृषि के अतिरिक्त आजीविका का कोई लाभप्रद साधन न हो। कृषि प्रयोजनों के लिए इस प्रकार के भू-बंदोस्त के लिए कोई सलामी वसूल नहीं की जाती सिवाय ऐसी जमीन के जिसे किसी सिंचाई परियोजना से लाभ मिल रहा हो या मिलने की

संभावना हो। निम्नलिखित सारणी में 1995-96 से 1997-98 के दौरान कृषि प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सरकारी परती भूमि का आवंटन दर्शाया गया है।

वर्ष	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां	
	लाभग्राहियों की संख्या	आवंटित क्षेत्र (एकड़)	लाभग्राहियों की संख्या	आवंटित क्षेत्र (एकड़)
1995-96	1189	1399	3641	3947
1996-97	1224	1527	2906	3162
1997-98	772	605	1365	1271

14.22 निम्नलिखित सरणी में 1995-96 से 1998-99 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को गृह स्थलों का आवंटन दर्शाया गया है।

वर्ष	अनुसूचित जातियां		अनुसूचित जनजातियां	
	लाभग्राहियों की संख्या	आवंटित क्षेत्र (एकड़ में)	लाभग्राहियों की संख्या	आवंटित क्षेत्र (एकड़ों में)
1995-96	6559	270	9249	370
1996-97	10637	---	15977	---
1997-98	9402	---	12470	---
1998-99 (31.1.99तक)	63215	2294	86374	3217

14.23 15 अगस्त, 1989 से 26 जनवरी, 1999 तक राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-स्थान वाली जमीनों के आपत्तिहीन अति उल्लघंनों के निपटान के लिए एक गहन अभियान चलाया था। **अधिकतम सीमा वाली अधिशेष भूमि के लाभग्राहियों को उचित सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और यदि पिछला मालिक कोई अतिउल्लंघन करें तो उस पर विधि प्रवर्त्तक एजेंसियों को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।**

रायगढ़ जिले में एल्युमिन परियोजनाओं के लिए जनजातीय लोगों की जमीन का अधिग्रहण करना

14.24 काशीपुर क्षेत्र में बाफलीमल पहाड़ियों के चारों ओर उड़ीसा के रायगढ़ जिले में जहां बाक्साइट के प्रचूर भण्डार हैं तीन एल्युमिना परियोजनाएं प्रस्तावित है। इस समय उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल लिमिटेड, टाटा इंडाल-एक्शन आफ कनाडा और नार्वे का नोर्श हाइड्रो का संयुक्त उद्यम, ने रायगढ़ जिले के काशीपुर तहसील में 2155 एकड़ प्राइवेट जमीन के अधिग्रहण के लिए आवेदन किया है। एल एण्ड टी तथा आदित्य विरला दो अन्य समूह हैं जो इसी जिले में एल्युमिना परियोजनाएं स्थापित करना चाहते हैं इनमें से आदित्य बिरला ग्रुप ने आई डी सी ओ (उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्कचर डेवलपमेंट कार्पोरेशन) के माध्यम से पुहन्डी और फुलजुबा गांव में 988 एकड़ प्राइवेट जमीन के अधिग्रहण के लिए आवश्यक मांग पत्र दाखिल कर दिया है। एल एण्ड टी ने भूमि के अधिग्रहण के लिए अभी तक कोई मांग पत्र दाखिल नहीं किया है।

14.25 रायगढ़ जिला प्रशासन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्कल एल्युमिना लिमिटेड (यू ए आई एल) ने अभी तक 2155 एकड़ जमीन अधिग्रहण की है जिनमें से 858 एकड़ जमीन अनुसूचित जनजातियों की तथा 712 एकड़ जमीन अनुसूचित जातियों की है। जिन अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है उनकी संख्या क्रमशः 913 तथा 634 है। उनकी जमीन का अधिग्रहण करने के लिए अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों को दिया गया मुआवजा क्रमशः 2.60 करोड़ रुपए तथा 2.22 करोड़ रुपए है। विस्थापित जनजातीय लोगों तथा उक्त परियोजना से प्रभावित अन्य लोगों के पुनर्वास के लिए विस्तृत योजना अभी उड़ीसा सरकार के विचाराधीन है। परंतु जनजातीय लोगों को जिन समस्याओं का समाना करना पड़ सकता है वे इस प्रकार हैं-

परियोजना के सामाजिक प्रभाव

14.26 अधिकाशं भू-स्वामी किसान हैं और कृषि पर निर्भर करते हैं और यही उनकी अजीविका का मुख्य साधन है। बताया गया है कि 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं उत्कल एल्युमिना इंटरनेशल लिमिटेड के अनुसार प्रभावित लोगों की संख्या इस प्रकार है -

नुकसान किस प्रकार का है	प्रभावित लोगों की संख्या
निजी स्वामित्व वाली जमीन (गृहस्थल तथा/अथवा खेती के लिए)	1024 पंजीकृत मालिक
गृहस्थल (जिसके कारण कही और बसना पड़े)	110 परिवार/घर + 3 प्रतिशत अतिरिक्त वयस्क व्यक्ति जिन्हें अलग परिवारों के रूप में घोषित किया गया है।
कुल भू-जोतों का 50 प्रतिशत या अधिक (गंभीर रूप से प्रभावित)	315 घर (जिसमें उपर्युक्त घर छिनने वालों में से 69 परिवार शामिल हैं)

14.27 आधिकारिक परियोजना दस्तावेजों में केवल वहीं लोग प्रभावित लोगों के रूप में दर्ज किए गए हैं जिनकी जमीन या गृहस्थल चले गए हैं। न तो इनमें वटाई-फसल से संबंधित नुकसान का उल्लेख है और न ही रोजगार के अवसरों का जो भूमि अधिग्रहण के बाद उनसे छिन जाएंगे।

14.28 ऐसे तीन गांव हैं (रेमीवेडा, केंडुकंटी और डोम करोल) जिन्हें कहीं और जमीन दी जाएगी। इनमें एक (रेमीबोडा) जनजातीय गांव है जिसमें खोण्ड लोग रहते हैं। इसमें 39 परिवार हैं। अन्य दो गोंवों में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं।

14.29 प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को काम देने के वायदे और मुआवजे की राशि से गांव के अधिकांश प्रभावित लोग संतुष्ट नहीं हैं। श्री मचकुंद दुबे के नेतृत्व में सामाजिक विकास परिषद के दल ने (दल के अन्य सदस्य डा. बी एस नेगी, श्री डी.बंद्योपाध्या और श्री बी.न. युगांधर थे) 11 से 18 जनवरी तक भूवनेश्वर तथा रायगढ़ का दौरा किया था । इस दल ने संक्षेप में बताया है कि लगता है कि लगभग सभी ग्रामवासियों को अपनी जमीन से गहरा लगाव था । वे एक अनिस्चत भविष्य को लेकर अपनी जमीन को हरगिज नहीं छोड़ना चाहते थे । उन्हें इस बात पर भारी संदेह था कि उन्हें कम्पनियों में नौकरी दी जाएगी । जो भी हो, नौकरियां जमीन की तरह नहीं होती, जिसे भावी पीढ़ियों को सौंपा जा सकता है । प्रतिपूर्ति की राशि तो और भी कम समय तक के लिए होती है ।

14.30 इस प्रकार एक ओर परियोजना से **प्रभावित हो** सकने वाले लोगों तथा दूसरी ओर राज्य सरकार और कम्पनियों के बीच बिल्कुल **विश्वास नहीं** है । ऐसा आंशिक रूप से अतीत के निराशाजनक अनुभवों के कारण और उस **घटिया तरीके को** व्यवहार जो उनके साथ किया जा रहा है और अंशतः उनके अस्तत्व को घेरे खड़ी आर्थिक और सामाजिक अनिश्चतताओं के कारण भी है।"

पर्यावरणीय प्रभाव

परियोजना घटक	**प्रभाव किस प्रकार का है**
खनन	(क) इंद्रावती नदी में अधिक गाद बनना (ख) नदियों/जल स्रोतों के जल की गुणवत्ता कम होना (ग) मौसमी जल प्रवाह कम होना (घ) भू-तल स्तर नीचे चला जाना (ड.) अधिक शोर और कम्पन का स्तर बढ़ना (च) वायु में सल्फर डाइआक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइ-आक्साइड अधिक होना।
एल्युमिना रिफाइनरी	(क) वाक्साइड/चूने को उठाने-रखने, तोड़ने, कैल्सीनेशन आदि से हवा में तिरने वाले कण उत्पन्न होना। (ख) सल्फर डाईआक्साइड/नाइट्रोजन डाईआक्साइड निकलना। (ग) रिफाइनरी से निः स्रोतों का निकास (घ) कोलयार्ड से कोयले की धूल युक्त अप्रवाह
लाल कींच एकत्र करने का क्षेत्र और आस्क पांड़	(क) वर्षा के दौरान पानी का अधिक अप्रवाह (ख) आस्क में मौजूद भारी धातुओं की वजह से जल संदूषित होना
टाउनशिप क्षेत्र	(क) बारह नदी में निःस्रोतों का निकास (ख) टाउनशिप में उत्पन्न ठोस अपशिष्ट से प्रदूषण

14.31 रायगढ़ तथा कोरापुर जिले पांचवी अनुसूची के क्षेत्र हैं। भारतीय संविधान के तहत उड़ीसा के राज्यपाल की उन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा उन्नति के लिए और और " शांति तथा अच्छी सरकार " के लिए विशेष जिम्मेदारी है । जैसा कि पांचवी अनुसूचित जाति के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है अधिग्रहण किए जाने वाले क्षेत्र अथवा पुनर्वास और पुनः बसने (आर एण्ड आर) पैकेज अथवा कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं के सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में परियोजनाओं से प्रभावित लोगों से परामर्श नहीं किया गया था। आर एण्ड आर का कोई स्वीकार्य पैकेज तैयार करने में समुदाय के लोगों को बिल्कुल शामिल नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम 1996 में प्रस्तावित ग्राम सभाओं से परामर्श करने संबंधी विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया अथवा उनकी ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया।

14.32 पुनर्वास की हॉल की किसी भी प्रवृति तथा अपेक्षा को ध्यान में नहीं रखा गया जैसा कि जब कभी संभव हो जमीन के बदले जमीन देना, सामुदायिक पुनर्वास रोजगार सुरक्षा, आजीविका संबंधी जरूरतों की रक्षा संसाधनों में हकदारी न तो कंपनियों और न ही सरकार ने प्रभावित लोगों या उनके बीच कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को जानकारी उपलब्ध कराई। विस्थापित लोगों को विश्वास में लिया जाना चाहिए और राहत और पुनर्वास पैकेज अनिश्चवर्त स्थानीय समुदायों के ग्रुपों के साथ विचार-विमर्श करके यथा समय कम से कम समय में तैयार किए जाने चाहिए ताकि उन्हें कम से कम कठिनाई हो।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सेवाओं में आरक्षण

14.33 राज्य सरकार तथा इसके उपक्रमों के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए " उड़ीसा पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण अधिनियम 1 जुलाई 1976 से लागू है। पदों की सभी श्रेणियों में प्रारंभिक नियुक्ति तथा पदोन्नतियों के लिए अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 22.50 तथा 16.25 प्रतिशत है। परंतु पदों की सभी श्रेणियों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता से बहुत कम है और अनुसूचित जातियों के मामले में समूह "ग" और "घ" पदों को छोड़कर, स्थिति वैसी ही है। आरक्षण नीति पूरी तरह से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां विशेष भर्ती अभियान चला कर भरनी चाहिए।

जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादन शुल्क नीति

14.34 अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को अपने वास्तविक उपयोग के लिए निर्धारित सीमाओं तक शराब बनाने की अनुमति दी गई हैं किन्तु बेचने के लिए नहीं। जनजातीय क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में पैदा होने वाले महुआ के फूलों का उपयोग करने और आय का संसाधन जुटाने के लिए तथा अवैध तरीके से शराब बनाने की रोकथाम करने के लिए महुआ पुष्प प्रणाली पर आधारित " आउट-स्टिल सिस्टम " एक जुलाई 1996 से राज्य के 9 जिलों में फिर से शुरू कर दिया गया है जिनके नाम हैं - सम्बलपुर, नरगढ़, झरसुगुडा, देवगढ़, बोलनगीर, सोनपुर, कालाहांडी, नौपाड़ा तथा बौध शराब की बुराइयों का सबसे अधिक प्रभाव परिवार की महिलाओं पर पड़ता है। अतः शराब पीने के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा की जानी चाहिए ताकि समय बीतने के साथ जनजातीय लोगों की शराब पीने की लत कम होती जाएं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

14.35 उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1998 के अंत तक 4606 मुकदमे विशेष न्यायालयों में निर्माणधीन थे। विशेष न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि पी.ओ.ए. अधिनियम 1989 लागू होने से लेकर 1997 तक एक वर्ष में लगभग औसतन 112 मामले निपटाए गए हैं। मामले निपटाए जाने की दर बहुत धीमी होने के अलावा, अधिकांश मामलों में दोषी छूट जाते हैं। इस अधिनियम के तहत जुल्म का शिकार हुए व्यक्तियों को निर्धारित नियमों के अनुसार धन की राहत भी नहीं दी जा रही है। जांच करने में असाधारण विलम्ब होने के कारण भुक्तभोगी को समय पर राहत भी नहीं मिल पाती। पूरे वर्ष 1998-99 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 100 लोगों को 3.90 लाख रुपए की राहत दी गई। पी ओ ए अधिनियम के नियम 7 के तहत जांच करने की शक्तियां उप पुलिस अधीक्षकों को सौंपी गई हैं। राज्य में उप पुलिस अधीक्षकों की संख्या सीमित है और उन पर काम का अत्यधिक बोझ है। तेजी से और कारगर तरीके से काम करना तो दूर रहा, अत्याचार के मामलों में जांच करने में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अतः उड़ीसा सरकार का यह विचार है कि ऐसे मामलों में जांच करने का प्राधिकार पुलिस स्टेशनों के प्रभारी को देने के लिए पी ओ ए नियमावली, 1995 के नियम 7 में संशोधन किया जाए। इससे मामले शीघ्र निपटाने और बकाया मामले निपटाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में सामाजिक न्याय और प्राधिकरण मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से विचार जानने चाहिए और तदनुसार नियम तैयार करने चाहिए।

14.36 अत्याचार के शिकार लोगों के लिए पुनः सम्पूर्ण पुनर्वास की एक स्थायी स्कीम होनी चाहिए ताकि अत्याचार होते ही यह स्वतः लागू हो जाए। इससे अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को वास्तविक मदद मिलेगी। इस स्कीम में अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों, मृत व्यक्ति या अशक्त हुए व्यक्ति के परिवार की आय जुटाने की पूरी क्षमता बहाल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह क्षमता रोजगार उपलब्ध करके अथवा स्वरोजगार द्वारा प्रदान की जाए और यह परिवार की आय अर्जित करने की पूर्ण क्षमता बहाल होने तक अत्याचार के शिकार व्यक्ति के परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होगी। बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिए उनके पहुंची मानसिक क्षति को ध्यान में रखकर विशेष व्यवस्था, आगजनी के शिकार व्यक्तियों के लिए पक्के मकान और तुरंत राहत और सहायता प्रदान करने के लिए समाहर्ताओं (कलेक्टरों) को पूरी शक्तियां प्रत्यायोजित करना कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, इससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में विश्वास और सुरक्षा की भावना पेदा की जा सकती है।

अध्याय XV

पंजाब

पंजाब राज्य का भौगोलिक क्षेत्र 50,362 वर्ग किलोमीटर का है और इसके 17 जिले हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल जनसंख्या 2.03 करोड़ है, जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 0.57 करोड़ (28.31 प्रतिशत) है। राज्य में अनुसूचित जनजातियां नहीं हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में सामान्य श्रेणी की जनसंख्या की साक्षरता दर 58.5 प्रतिशत थी जबकि अनुसूचित जाति में यह 41.09 प्रतिशत थी । अनुसूचित जाति की महिलाओं की साक्षरता दर 31.03 प्रतिशत थी जबकि सामान्य श्रेणी की महिलाओं में साक्षरता दर 50.41 प्रतिशत थी।

अनुसूचित जातियों का विकास

विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.)

15.2 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए छठी योजना के समय से विशेष संघटक योजना तैयार की जाती है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए दो अन्य साधन हैं, पंजाब राज्य अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम तथा विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता।

15.3 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) और 1997-98 के दौरान विशेष सघटक योजना के अन्तर्गत किए गए आवंटन और व्यय की जानकारी नीचे दी गई है:—

(करोड़ रूपए)

वर्ष	कुल राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. के लिए सम्मत राशि	कुल योजना परिव्यय की तुलना में एस.सी.पी. के परिव्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान एस.सी.पी. के अन्तर्गत हुआ व्यय	एस.सी.पी. के परिव्यय की तुलना में एस.सी.पी. के अन्तर्गत हुंए व्यय की प्रतिशतता
आठवीं योजना (1992-97)	7375.00	961.06	13.07	447.98	46.46
1997-98	2100.00	210.00	10.00	134.59	64.09

15.4 आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किया गया आवंटन कुल राज्य योजना परिव्यय के केवल 13.07 प्रतिशत के बराबर था और इसमें से भी केवल 46.46 प्रतिशत राशि वास्तव में इस्तेमाल की गई, जबकि राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 28.31 प्रतिशत है। इससे पता चलता है कि अनुसुचित जातियों के विकास को बहुत नीची प्राथमिकता दी गई थी। नियम की गई इस अत्यल्प राशि में से भी केवल 46.46 प्रतिशत राशि उपयोग में लाई गई। इसी प्रकार, वर्ष 1997-98 में विशेष संघटक योजना के लिए केवल 10 प्रतिशत राशि आवंटित की गई और इसमें से केवल 64.09 प्रतिशत राशि वास्तव में इस्तेमाल की गई। इसलिए विशेष संघटक योजना के लिए राज्य की योजना से नियम की जाने वाली राशि में वृद्धि किए जाने और नियम की

गई राशि का पूरा उपयोग किए जाने की जरूरत है। राज्य सरकार ने राज्य के बजट में अलग बजट शीर्ष "789-एस.सी.पी." खोला है, लेकिन विशेष संघटक योजना की राशियों का सामान्य क्षेत्रक की स्कीमों के लिए उपयोग किए जाने पर कोई रोक नहीं है। राज्य सरकार के कल्याण विभाग को और विशेष रूप से एस.सी.पी. निदेशालय को अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग नियमित रूप से करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियम की गई राशि का पूरा-पूरा उपयोग हो और इन राशियों का उपयोग दूसरे क्षेत्रकों के लिए न किया जाए। एस.सी.पी. निदेशालय को मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि वह जिला स्तर पर अनुसूचित जातियों के लिए क्रियान्वित की जा रही स्कीमों का उपयुक्त रूप से मानीटरिंग कर सके और राज्य मुख्यालय में जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के बीच कड़ी के रूप में काम कर सके। एस.सी.पी. की राशियों के व्यपवर्तन/समर्पण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इन राशियों के कम इस्तेमाल की जानकारी जिला और राज्य स्तर के संबंधित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में दी जानी चाहिए।

विशेष केन्द्रीय सहायता

15.5 आठवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता और उसके व्यय की जानकारी नीचे दी गई है:-

(करोड़ रूपए)

वर्ष	दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता	व्यय
आठवी योजना (1992-97)	46	32
1997-98	0.00	9

स्रोतः- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 1998-99 की वार्षिक रिपोर्ट।

15.6 राज्य सरकार को विशेष केन्द्रीय सहायता समय पर जारी कराने के लिए समय पर कार्रवाई करनी चाहिए और विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि का उपयोग वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर करना चाहिए।

अनुसूचित जातियों का कल्याण

15.7 पंजाब की राज्य सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित करती है। ब्योरा नीचे दिया गया है:-

I विभिन्न शैक्षणिक स्कीमों के अन्तर्गत सरकार द्वार 1997-98 में निम्नलिखित राशियां व्यय की गई-

i दो होस्टलों के निर्माण के लिए 20.00 लाख रूपए।

ii खेल-कूद के लिए अवार्ड देने की स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 10265 विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए 30.80 लाख रूपए मुहैया किए गए।

iii प्राथमिक कक्षाओं की कन्या-विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति छात्रवृत्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुसचित जातियों की 3.10 लाख कन्या विद्यार्थियों को कवर करने के लिए 1550.00 लाख रूपए दिए गए।

II अनुसूचित जातियों की लड़कियों को उनके विवाह के समय शगुन देने की स्कीम के अन्तर्गत जिला विकास और योजना बोर्डों द्वारा 2000.00 लाख रूपए की व्यवस्था की तुलना में, 1973.59 लाख रूपए जारी किए गए। 31.3.1998 तक 27,858 लाभभोगियों को 1,420.76 लाख रूपए संवितरित किए गए।

III अनुसूचित जातियों के लिए धर्मशालाओं के निर्माण की स्कीम के अन्तर्गत राज्य के 1,22,342 गांवों में से 1,20,99 गांवों में अनुसूचित जातियों की धर्मशालाओं की व्यवस्था की गई है।

IV ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के बेघर व्यक्तियों के लिए मकान की स्कीम के अन्तर्गत नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान 60,000 मकान (12000 मकान प्रति वर्ष) मुहैया करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1997-98 में 12,000 आवास-यूनिटों के निर्माण के लिए 60.00 करोड़ रूपए राशि अलग निर्धारित की गई थी। बाद में संशोधित करके इसे 44.00 करोड़ रूपए कर दिया गया, जिसमें से 20.44 करोड़ रूपए 31.3.98 तक खर्च किए जा चुके थे। इस राशि से निर्मित यूनिटों को ब्योरा मुहैया नहीं किया गया है।

V कन्या-शिशुओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की स्कीम (कन्या जाग्रति ज्योति स्कीम) के अन्तगर्त गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की कन्याओं को, जिनका जन्म 26 जनवरी, 1996 को अथवा उसके बाद हुआ हो, उनकी माताओं के नाम पर जीवन बीमा निगम के 5000/- रूपए के मूल्य की पांच सौ यूनिट खरीद कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। 6 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर बच्चे को 12 वर्ष की आयु तक 1200/- रूपए प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी ; उसके बाद उसमें वृद्धि हो जाएगी और 18/21 वर्ष की आयु तक 2400/- रूपए प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। कन्या द्वारा मेट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद, युनिटों के परिपक्व होने पर माता द्वारा उन्हे भुना लिया जाएगा। यह स्कीम उन परिवारों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने 2 बच्चों के परिवार का मानदंड अपना लिया हो। यदि लड़की मेट्रिक की परीक्षा पास करने से पहले पढ़ाई छोड़ देगी अथवा परिवार में तीसरा बच्चा आ जाएगा, तो समाज कल्याण विभाग द्वारा यूनिट वापस ले लिए जाएंगे। वर्ष 1997-98 में 500 लाभभोगियों के लाभ के लिए 25.00 लाख रूपए की राशि खर्च की गई है। राज्य सरकार को राज्य में ऐसे बच्चों का पता लगाना चाहिए और वार्षिक योजना में धनराशि निर्धारित करनी चाहिए। अन्य राज्य सरकारों को भी कन्याओं के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों की कन्याओं के लिए इस प्रकार की स्कीमें अपनानी चाहिएं।

VI आंगनवाड़ियों में अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के लगभग 70 प्रतिशत बच्चों को वर्ष में 300 दिनों के लिए भोजन दिया जाता है। वर्ष 1997-98 में 2.98 लाख लाभभोगियों को कवर करने के लिए 205.80 लाख रूपए व्यय किए गए हैं।

पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम, चंडीगढ़

15.8 पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम को अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास/उत्थान का काम सौंपा गया है। वर्ष 1997-98 तक निगम की चुकता शेयर पूंजी 30.19 करोड़ रूपए (18.18 करोड़ रूपए राज्य सरकार की 12.01 करोड़ रूपए भारत सरकार की) थी। वर्ष 1997-98 में 500.00 लाख रूपए के अनुमोदित परिव्यय (राज्य का हिस्सा) की तुलना में, प्रत्यक्ष ऋणदान स्कीम के अन्तर्गत 115 लाभभोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए 200.00 लाख रूपए (राज्य का हिस्सा) खर्च किए गए।

15.9 वर्ष 1970 में इसकी स्थापना के समय से 31.3.98 तक निगम ने 4,38,673 लाभभोगियों को कवर किया है और 390.64 करोड़ रूपए की सहायता दी है। इसमें सब्सिडी की 114.38 करोड़ रूपए की राशि, बैंक ऋणों के 193.89 करोड़ रूपए और निगम द्वारा दिए गए 82.37 करोड़ रूपए के ऋण शामिल हैं।

15.10 वर्ष 1998-99 के दौरान निगम का 68.45 करोड़ रूपए के ऋणों के संवितरण द्वारा, जिनमें 20.42 करोड़ रूपए की सब्सिडी और 25.40 करोड़ रूपए के बैंक-ऋण शामिल हैं, 28,900 लाभभोगियों को कवर करने का कार्यक्रम था, इसकी तुलना में, निगम ने 28.2.1999 तक 8,946 लाभभोगियों को कवर किया और 17.55 करोड़ रूपए के ऋण मंजूर किए, जिनमें 9.37 करोड़ रूपए के बैंक ऋण, 5.85 करोड़ रूपए की सब्सिडी और 2.33 करोड़ रूपए के निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋण शामिल थे। कम लाभभोगियों को कवर किए जाने का कारण, शेयर-पूंजी का कम होना था।

मैला उठाने वालों और उनके आश्रितों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम

15.11 राज्य में मैला ढोने वालों का एक त्वरित सर्वेक्षण 1992-93 में किया गया था, जिसके निष्कर्ष इस प्रकार थेः-

(क)	जिन परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, उनकी संख्या	12444
(ख)	मैला ढोने वाले उन व्यक्तियों की संख्या, जिन्होंने अन्य व्यवसायों के लिए अपनी पसन्द बताई है।	14283
(i)	कृषि- आधारित क्रियाकलाप	5792
(ii)	उद्योग-आधारित क्रियाकलाप	658
(iii)	व्यापार-आधारित क्रियाकलाप	7734
(iv)	वाहन चलाना	99

15.12 प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, 50,00 रूपए तक का ऋण दिया जाता है। 50 प्रतिशत के बराबर अथवा 10,000 रूपए की, जो भी कम हो, सब्सिडी और 4 प्रतिशत की ब्याज-दर पर 15 प्रतिशत मार्जिन मनी निगम द्वारा दी जाती है और बैंकों से ऋण दिलाए जाते हैं। 12.03.1993 की स्थिति के अनुसार, निगम द्वारा इस स्कीम के अन्तर्गत 408.00 लाख रूपए की राशि रिलीज की जा चुकी थी।

15.13 विभिन्न प्रकार की अन्तर्निहित कठिनाइयों/अड़चनों के कारण, इन स्कीमों में वांछित प्रगति नहीं हुई है। इनमें से कुछ ये हैं-

(i) **इस स्कीम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा स्वीकृत 1,291 मामलों में से किसी भी मामले में 20,000 रूपए से अधिक राशि मंजूर नहीं की गई जिसमें 10,000 रूपए की पूंजी सब्सिडी और निगम द्वारा औसत रूप से दी गई 3500 रूपए की समीन्तकिक राशि (मार्जिन मनी) शामिल है। इस प्रकार, ऋण के रूप में बैंकों को योगदान बिल्कुल अपर्याप्त रहा है।**

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस स्कीम के लिए विशेष रूप से जारी की गई हिदायतों के विपरीत, बैंक लाभभोगी को स्वीकृत ऋण की राशि के लिए प्रतिभूति/ जमानत दिए जाने पर जोर देते रहे हैं।

(iii) इस स्कीम के अन्तर्गत परिवार की नहीं, बल्कि एक व्यक्ति को एक यूनिट माना जाना है। लेकिन, बैंकों ने मैला ढोने वाले किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य के आवेदन पर विचार नहीं किया।

(iv) ऋण रूपी संघटक की राशि पूंजी-सब्सिडी और सीमान्तिक राशि के साथ-साथ् दी जानी चाहिए, ताकि लाभभोगी अपना उद्यम आसानी से शुरू कर सके। लेकिन बहुत से मामलों में, बैंकों ने स्वयं अपने योगदान की राशि को रोक कर, केवल पूंजी- सब्सिडी और सीमान्तिक राशि जारी की है।

(v) मैला उठाने वाले लोग बड़े शहरों की कुछ खास बस्तियों में संकेन्द्रित हैं। सेवा क्षेत्र नीति (सर्विस एरिया एप्रोच) के अन्तर्गत संबंधित बैंक किसी इलाके के सभी लोगों को ऋण देने से झिझकते हैं। इसलिए बैंकों की निकटतम शाखाओं को यह हिदायत दिए जाने की आवश्यकता है कि वे मैला उठाने वाले व्यक्तियों के मामलों को स्वीकार करें।

(vi) लक्ष्यगत समूह में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है और उनमें से लगभग 90 प्रतिशत औरतें अनपढ़ हैं और वे 45 वर्ष से अधिक की आयु की हैं। केवल 15 दिन से एक महीने तक प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें कोई उपयुक्त हुनर सिखाना अथवा उनके किसी मौजूदा कौशल को ऊँचा उठाना बहुत कठिन है। लाभभोगियों के घरों/रिहायशी स्थलों के कारण एक अन्य समस्या पैदा हो जाती है। ये लाभभोगी आमतौर पर छोटे-छोटे कच्चे अथवा पक्के घरों के झुंड में रहते हैं जहां कोई खुला स्थान नहीं होता। परिणामतः, उनके अपने घर से कोई उद्यम/व्यवसाय चलाना सम्भव नहीं होता, जबकि इसके साथ ही वे अपने मुहल्ले/ बस्ती से बाहर कोई स्वतंत्र दुकान चलाने के लिए रजामंद नहीं होते क्योंकि लाभभोगियों में बहुत बड़ी संख्या औरतों की होती है।

15.14 इस स्कीम को अधिक सार्थक ढ़ंग से अमल मे लाने के लिए निम्नलिखित सझाव दिए जाते है:-

i पहले मैला ढोने का काम करने वाले परिवार के केवल किसी एक पात्र पुरूष/महिला सदस्य को किसी लाभदायक, सक्षम आर्थिक उद्यम में लगा कर उसका पुनर्वास करना पर्याप्त होगा। जब ऐसे परिवार के किसी एक सदस्य का पुनर्वास हो जाएंगा, तो वह अपने परिवार का अर्थिक रूप से पोषण करने में समर्थ होगा

ii विशेष केन्द्रीय सहायता की राशियों की मदद से 6 महीने से एक वर्ष तक की अवधि वाले, विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिएं। वजीफे की राशि में समुचित वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। उन लाभभोगियों को, जिन्हें पहले से 15 से 30 दिन का प्रशिक्षण एन.आई.टी.सी.ओ. द्वारा अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग द्वारा दिया जा चुका है, फिर से प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है।

मैला ढोने वाले उन व्यक्तियों की संख्या, जिनका पुनर्वास किया गया है।

वर्ष	मैला ढोने वाले व्यक्तियों की संख्या, जिनका पुनर्वास किया गया है
1992-93	नहीं
1993-94	1138
1994-95	375
1995-96	308
1996-97	552
1997-98	143

अनुसूचित जातियों के शिक्षा और साक्षरता स्तरों को ऊंचा उठाने की स्कीमें

15.15 स्कूलों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कल्याण क्षेत्रक के अन्तर्गत निम्नलिखित स्कीम शुरू की हैं-

क **अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पुस्तकें**

वर्ष 1996-97 के दौरान 495.00 लाख रूपए की राशि खर्च की गई, जिससे अनुसूचित जातियों के 11 लाख विद्यार्थियों को लाभ हुआ।

ख **मेडिकल/इंजीनियरी/पशु-चिकित्सा/कृषि/ पॉलीटेकनिक की पुस्तकों की खरीद के लिए अनुदान**

वर्ष 1996-97 में राज्य में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा-विज्ञान की पुस्तकों के 290 सेट और इंजीनियरी की पुस्तकें 22 संस्थाओं को मुहैया की गई।

ग विधि संबंधी पुस्तकों की खरीद के लिए अनुदान

वर्ष 1996-97 में इस प्रयोजन से 1.00 लाख रूपए की राशि खर्च की गई।

घ अनुसूचित जातियों के मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार (अवार्ड)

वर्ष 1996-97 के दौरान 3333 विद्यार्थियों को कुल 40.00 लाख रूपए की राशि के अवार्ड दिए गए।

ङ आशुलिपि के लिए शिक्षण (कोचिंग)

वर्ष 1996-97 में 1.33 लाख रूपए खर्च किए गए।

च खेल-कूद में भाग लेने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को पुरस्कार (कक्षा 6 से 12)

वर्ष 1996-97 में 19.18 लाख रूपए की राशि खर्च की गई, जिससे 9433 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा।

15.16 एम.बी.बी.एस., बी.ई./बी.एस.सी.(इंजी.), बी.आर्च जैसे जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और पालीटेकनिक संस्थाओं में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या उनके लिए आरक्षित सीटों की निर्धारित प्रतिशतता से कम है। बी.एड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में स्थिति और भी खराब है। इसी प्रकार, उच्च शिक्षा कक्षाओं जैसे एस.काम, एम.फिल, पी.एच.डी., आदि में प्रवेश लेने वालो में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम होती है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित संख्या में जो सीटें आरक्षित है, उन सारी सीटों पर अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए।

15.17 अनुसूचित जातियों के अध्यापकों का प्रतिनिधित्व प्राथमिक स्तर पर 11.22 प्रतिशत, मिडल स्तर पर 8.87 प्रतिशत, और हाई स्कूल और वरिष्ट माध्यमिक (10+2) स्कूल स्तर पर क्रमश 7.27 प्रतिशत है। राज्य में अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए निर्धारित आरक्षण को ध्यान में रखते हुए, इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

सेवाओं में आरक्षण

15.18 सेवाओं में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मात्रा इस प्रकार हैः-

सीधी भर्ती	श्रेणी I से IV	25%
पदोन्नति द्वारा	श्रेणी I और II	14%
	III और IV	20%

15.19 सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन से, राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची में सूचीबद्ध 37 जातियों के लिए सीधी भर्ती के लिए आरक्षित कोटे में से 50 प्रतिशत आरक्षण बाल्मीकि मजहबी सिखों के लिए है। इसका आधार यह है कि यह जाति अनुसूचित जातियों में अधिक पिछड़ी हुई है। जैसाकि आयोग की चौथी रिपोर्ट (खंड - II पंजाब) में कहा गया था,

15.20 यह फिर से दोहराया जाता है कि राज्य सरकार को पिछले पांच वर्षों में सेवाओं में उनके प्रवेश के बारे में अध्ययन करना चाहिए।

15.20 31.3.1997 को विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता इस प्रकार थीः-

श्रेणी	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जातियों के कमर्चारियों की संख्या	प्रतिशतता
I	9650	1472	15.24
II	5343	1019	19.07
III	248884	47224	18.97
IV	60773 (सफाई कर्मचारियों सहित)	25829	42.50

15.21 उपर्युक्त से पता चलता है कि श्रेणी IV की सेवाओं करे छोड़ कर, श्रेणी I, II और IV के पदों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व न तो निर्धारित कोटे के अनुसार है और न ही राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता (28.31 प्रतिशत) के अनुसार है, हालांकि 31.3.97 को राज्य की सेवओं के सभी समूहों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में पहले वर्ष की तुलना में मामूली सा सुधार हुआ है।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार

15.22 पंजाब के अपर महानिदेशक (अपराध) की देखरेख में पुलिस विभाग के राज्य मुख्यालय, चंडीगढ़ में पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों संबंधी एक विशेष कक्ष काम कर रहा है। जिला स्तर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के नियंत्रणाधीन अनुसूचित जाति कक्ष काम कर रहे हैं। राज्य में अनुसूचित जातियों के साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा एक स्थाई समिति गठित की गई है, जिसमें प्रधान सचिव, गृह सचिव, समाज कल्याण विभाग के सचिव, पुलिस के महा निरीक्षक (अपराध) और वित्तीय आयुक्त (राजस्व) शामिल हैं। अत्याचार के मामलों का मानीटरिंग और मूल्यांकन करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है। विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किए गए हैं और इन न्यायालयों जिन मामलों का विचारण किया जाता है, उनकी वकालत सरकारी अभियोजकों द्वारा की जाती है। अनुसूचित जातियों के लोगों को कानूनी सेवाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। राज्य में कोई विशिष्ट अस्पृश्यता/अत्याचार प्रवण क्षेत्र नहीं हैं।

15.23 वर्ष 1996, 1997 और 1998 के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के विभिन्न स्वरूप के अंतर्गत पुलिस के पास क्रमशः 24, 27 और 48 मामले दर्ज कराए गए थे। अनुसूचित जातियों के प्रति मुख्यतः बलात्कार का अपराध किया जाता है। 1998 में पुलिस के पास पंजीकृत 48 मामलों में से 22 मामलों में चालान किए गए, 8 मामले बंद कर दिए गए और 12 मामले लम्बित पड़े थे।

15.24 73 मामलों में से 19 मामले न्यायालयों द्वारा निपटाए गए थे जिसके परिणामस्वरूप 2 गामलों में दोषसिद्धि तथा 17 मामलों में दोष मुक्ति हुई थी। विचारण के लिए लम्बित मामलों की संख्या 54 तक पहुंच गई है। अनुसूचित जातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए

राज्य में किसी विशेष न्यायालय की स्थापना नहीं गई है, तथापि वरिष्ठतम अतिरिक्त सैशन न्यायाधीश को अत्याचार के मामलों पर विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में पद नामित किया गया है।

15.25 यह सूचित किया गया है कि पंजाब सरकार अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को इस तर्क के आधार पर कोई मौद्रिक राहत नहीं देती कि केन्द्रीय सरकार को राहत मुहैया करने पर होने वाला सारा खर्च उठाना चाहिए और राज्य सरकार को व्यय के 50 प्रतिशत भाग की पूर्ति करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

15.26 यह देख कर आश्चर्य होता है कि अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचारों के मामलों की संख्या बहुत कम है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं (क) कि सभी समुदाय सौहार्दपूर्वक रहते हैं और विभिन्न जातियों के बीच आपस में कोई जाति गत वैमनस्य नहीं है (जिसकी संभावना बहुत कम लगती है), अथवा (ख) हालांकि अत्याचार कि घटनाएं होती हैं, लेकिन पुलिस द्वारा इन्हें दर्ज नहीं किया जाता। चाहे जो भी स्थिति हो, अत्याचार के मामलों की संख्या के बहुत कम होने की घटना का सत्यापन किसी स्वतंत्र अभिकरण (किसी सुप्रतिष्ठित सामाजिक/स्वैच्छिक संगठन) द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरे, राज्य सरकार को अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को मौद्रिक राहत अवश्य देनी चाहिए, जैसाकि अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा किया जाता है।

अध्याय XVI

राजस्थान

1991 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा क्रमशः 17.29 प्रतिशत और 12.44 प्रतिशत था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोग मुख्यतः कृषि और उससे संबद्ध क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं और उनमें आधे से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर, 1991 की जनगणना के अनुसार, अन्य समुदायों की 38.55 प्रतिशत की साक्षरता दर की तुलना में क्रमश 26.29 प्रतिशत और 19.44 प्रतिशत थी। अनुसूचित जातियों की महिलाओं की साक्षरता दर 8.31 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की साक्षरता दर केवल 4.42 प्रतिशत थी, जबकि इसकी तुलना में सामान्य साक्षरता दर 20.44 प्रतिशत थी ।

जनजातीय सलाहकार परिषदें

16.2 राजस्थान जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन वर्ष 1952 में भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार किया गया था। भारत सरकार की नीति के अनुसार वर्ष में इसकी कम से कम दो बैठकें होना जरूरी है लेकिन आयोग ने देखा है कि जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठकें नियमित रूप से नहीं हो रही हैं । राज्य सरकार ने उपबंध किया है कि परिषद की कम से कम एक बैठक एक तिमाही में अवश्य होनी चाहिए। ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी वर्ष परिषद की एक भी बैठक नहीं हुई। जनजातीय सलाहकार परिषद को राज्य के जनजातीय लोगों के विकास के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए:-

- i विस्थापित हुए जनजातीय लोगों के पुनर्वास की नीति
- ii जनजातीय भूमि के अतिक्रमण (एलिएशन) से संबंधित मामले
- iii जनजातीय लोगों का प्रव्रजन और उनकी समस्याएं
- iv वन भूमि के आवंटन, गौण वन-उत्पाद, आदि जैसे मामले
- v राज्य में जनजातीय लोगों के विकास के कार्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा और उनका अनुमोदन
- vi राज्य की शिक्षा नीति
- vii राज्य के जनजातीय लोगों की बहुलता वाले क्षेत्रों और गांवों में बुनियादी ढांचे संबंधी सुविधाओं में सुधार।

आर्थिक विकास-एस.सी.पी/टी.एस.पी. का क्रियान्वयन

16.3 वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान एस.सी.पी. और टी.एस.पी. के अंतर्गत धनराशियों का आवंटन और उपयोग इस प्रकार था:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	एससीपी के लिए उपलब्ध राशि	आवंटन की प्रतिशतता	एससीपी का व्यय	एससीपी के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	
					विमोचित	प्रयुक्त
1997-98	3500	660	18.86	607.42	22.80	23
1998-99	4100	689	16.80	607.00	26.40	24

16.4 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की काफी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा एससीपी/टीएसपी के अंतर्गत जो बजट व्यवस्था की गई है, वह उनकी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुपात में नहीं रही । इसी प्रकार, आवंटित राशियों की अपेक्षा कम राशियों का इस्तेमाल किया गया । यह भी देखा गया है कि राज्य का नोडल विभाग, जिसे एससीपी कार्यक्रमों के समन्वय और मॉनीटरिंग का काम सौंपा गया है, यह सुनिश्चित करने में प्रभावकारी नहीं रहा कि क्षेत्रकीय विकास विभागों द्वारा धन का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाए । इन्हीं वर्षों में टीएसपी के लिए धनराशियों का प्रवाह और टीएसपी के लिए विशेष केंद्रीय सहायता इस प्रकार थीः

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी के लिए उपलब्ध राशि	आवंटन की प्रतिशतता	टी.एस.पी का व्यय	टीएसपी के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	
					विमोचित	प्रयुक्त
1997-98	3500	398	12.00	386	23.41	उ. नहीं
1998-99	4100	507	12.50	300*	34.75	उ.नहीं

* फरवरी, 1999 तक

16.5 यह देखा गया है कि विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति 1998-99 में धीमी रही है। परिवहन, संचार, सामाजिक और सामुदायिक सेवा, कृषि ग्रामीण विभाग जैसे क्षेत्र के विभागों का कार्य निष्पादन ठीक नहीं रहा।

एम.ए.डी.ए.

16.6 राज्य के ऐसे कई विभिन्न क्षेत्र हैं, जहां काफी बड़ी संख्या में जनजातीय लोग रहते हैं, जिन्हें जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है । एम.ए.डी.ए. क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों की संख्या, राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या के लगभग 55.32 प्रतिशत के बराबर है । वर्ष 1998-99 में जनजातियों के लाभ वाली विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत कुल 590.66 लाख रूपए की व्यवस्था की गई थी । इसमें केवल 482.62 लाख रूपए वास्तव में खर्च किए गए, जो कुल आवंटन के लगभग 81.71 प्रतिशत के बराबर हैं । क्षेत्रकवार व्यय लघु सिंचाई और शिक्षा के क्षेत्रक में बहुत कम था, जबकि सहकारिता, ग्रामीण पेय जल सुविधा के क्षेत्रकों में व्यय उस वर्ष के बजट में नियत राशि से अधिक था ।

16.7 लिफ्ट सिंचाई, नल कूप, वैयक्तिक और सामूहिक डीजल पम्प सेट जैसी केवल एक अथवा दो स्कीमों के अंतर्गत जनजातीय लोगों को लाभ पहुँच रहा है, जिनसे सुविधाओं में वृद्धि होने से कृषि उत्पादन बढ़ता है और इन लोगों की आय में वृद्धि होती है। लेकिन, एम.ए.डी.ए क्षेत्रों के लिए लक्ष्य केवल 4 लिफ्ट सिंचाई, 5 नल कूप और 120 डीजल पम्पसेट हैं । शेष स्कीमों का सीधा संबंध आय सृजन अथवा आय-उन्मुख स्कीमों से नहीं है । राज्य-प्राधिकारियों को इन स्कीमों के अंतर्गत अधिक धनराशियों का नियतन करना चाहिए ताकि अधिक जनजातीय किसानों को लाभ हो।

छितरी हुई जनजातीय आबादी

16.8 राज्य के 30 जिलों में जनजातीय लोग बिखरे हुए हैं। 1991 की जनगणना में इन छितरे हुए जनजातीय लोगों की कुल संख्या 17.31 लाख थी । वर्ष 1998-99 में 109.14 लाख रुपए के नियतन की तुलना में 138.27 लाख रुपए छितरे हुए जनजातीय लोगों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत खर्च किए गए। अधिक व्यय सामाजिक, सामुदायिक सेवाओं पर और जनजातीय लोगों को सहकारी समितियों की शेयर-पूंजी की खरीद के लिए सहायता देने पर खर्च किया गया । ये स्कीमें एम.ए.डी.ए. की तरह की हैं ।

सहारिया विकास परियोजना

16.9 राजस्थान में सहारिया एकमेव आदिवासी जनजाति है, जो बारन जिले की शाहबाद और कृष्णगंज पंयाचत समितियों में बसती है । सहारिया जाति के लोग गांवों में रहते हैं और उनका रहन-सहन दक्षिणी राजस्थान के भीलों और मीना लोगों की तरह बिखरे हुए ढंग का नहीं है । इस परियोजना के अंतर्गत 439 गांव आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 1091 लाख है, जिनमें सहारिया लोगों की जनसंख्या 1991 की जनसंख्या के अनुसार 0.48 लाख थी ।

16.10 वर्ष 1998-99 में 193.55 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसमें 184.35 लाख रुपए की राशि विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में थी । इसमें से 110.55 लाख रुपए व्यय किए गए, जो केवल 57 प्रतिशत हैं । परियोजना प्राधिकारियों ने बजट में सहारिया विकास परियोजना के अंतर्गत नियत राशि का पूरा उपयोग कभी नहीं किया ।

सामान्य समस्याएं

i जनजातीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि अनुपात कम है, जोत की भूमि का आकार जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में छोटा होता जा रहा है । जनजातीय उप-योजना क्षेत्र में कृषि भूमि का कुल उपयोग कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 26 प्रतिशत के बराबर है ।

ii जनजातियों के किसान पहाड़ी ढलानों पर खेती करते हैं, जहां सिंचाई करना कठिन होता है और इसलिए केवल 33 प्रतिशत भूमि सिंचित भूमि की श्रेणी में आती है । इसने जनजातीय लोगों को खेती की कम उन्नत प्रौद्योगियां अपनाने पर विवश किया है । इसके अलावा, उनके रहन-सहन की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक पद्धतियों के कारण प्रौद्योगिकी के अन्तरण की गति बड़ी धीमी है । इसके परिणामस्वरूप, कृषि के उन्नत तरीकों के सीमित प्रयोग के कारण उत्पादकता कम है।

iii जनजातीय लोग वनों की सन्तान हैं और उनके जीवन और उनकी संस्कृति का विकास तदनुसार होता है । जनजातीय क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण पहले ही हो चुका है, जिसके कारण राज्य में भूमि का कटाव हुआ है, जल स्तर नीचे चला गया है और अन्य प्रकार की पर्यावर्णिक गिरावट आई है । वनों के दोहन के अतिरेक से जनजातीय लोगों की स्थिति भी तेजी से सीमान्तिक बनती जा रही है ।

iv जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और चिक्तिसा की सुविधाओं के अंतर्गत जितनी औसत जनसंख्या कवर होती है, वह राज्य स्तर के अंतर्गत कवर होने वाली जनसंख्या से अधिक है ।

v राजस्थान के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए सुरक्षित पेय जल की उपलब्धता एक बहुत बड़ी समस्या है ।

vi मुश्किल रास्तों और पहाड़ी गांवों, दानियों और गाजरों तक पहुँचने में आने वाली कठिनाइयों के कारण जनजातीय क्षेत्रों में विपणन का जाल (नेट वर्क) भली-भांति विकसित नहीं है । स्थानीय व्यापारी बिक्री और खरीद पर अपेक्षाकृत अधिक मुनाफा लेते हैं और लोगों को अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अधिक अदायगी करनी पड़ती है और उन्हें अपने उत्पादों के लिए कम राशि प्राप्त होती है।

vii इसके अलावा, टी.एस.पी बजट का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाना, राज्य की एक बुनियादी समस्या है, क्योंकि नोडल विभाग का बजट के नियतन और किए जाने वाले व्यय पर कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पूरी तरह से संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है ।

शिक्षा

16.11 राज्य सरकार ने राज्य में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई कदम उठाए हैं । राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, घुमक्कड़ जातियों और गैर-अधिसूचित जनजातियों और मैला ढोने वाली जातियों के लिए 533 सरकारी होस्टल और 78 सहायता प्राप्त होस्टल चलाए जा रहे हैं । होस्टलों में रहने वाले छात्रों को रहने और खाने की मुफ्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए 136 होस्टल चलाए जा रहे हैं । आयोग के माननीय सदस्यों और आयोग के राज्य कार्यालय द्वारा इनमें से कई होस्टलों का दौरा किया गया था । सामान्यतः, यह पाया गया है कि भोजन और कपड़े के लिए जो वजीफा (स्टाइपेंड) दिया जाता है, उसकी राशि बहुत कम है और उसे बढ़ाए जाने की जरूरत है । यह भी देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए होस्टलों की कई इमारतों के निर्माण की मंजूरी दी गई थी, जिनका निर्माण विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जाना था और जिनके लिए धन भी दिया जा चुका है । लेकिन इन होस्टलों का निर्माण बड़ी धीमी गति से हो रहा है । यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के होस्टलों के निर्माण की, जिनके निर्माण का काम विभिन्न अभिकरणों को सौंपा गया है, समीक्षा अविलम्ब आधार पर करनी चाहिए और स्थिति में सुधार के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए । बहुत से होस्टलों में वार्डनों की व्यवस्था नहीं है, जिसके

कारण उनका प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं हो रहा है । राज्य सरकार को प्रत्येक होस्टल में एक वार्डन की नियुक्ति नियमित आधार पर करनी चाहिए । राज्य में शिक्षा के निम्न स्तर को देखते हुए , राज्य सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के होस्टलों के उपयुक्त अनुरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए ।

16.12 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों के बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या बहुत अधिक होना भी एक अतिरिक्त समस्या है । राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बना कर और इस प्रयोजन के लिए अधिक धनराशियों का नियतन करके अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दरों में वृद्धि करने के लिए सुनियोजित प्रयास करने चाहिंए ।

स्वास्थ्य

16.13 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकतर लोग बड़े अस्वास्थकारी माहौल में रहते हैं जहां असुरक्षित पेयजल उपलब्ध होता है, गंदगी होती है और चिकित्सा-सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके कारण मृत्यु और रोगों की दर बहुत ऊंची होती हैं।

16.14 1.4.97 की स्थिति के अनुसार, राज्य में, अनुसूचित जातियों के लोगों के बाहुल्य वाले क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में 613 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र थे, जबकि इसकी तुलना में राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कुल संख्या 1616 थी। इसी प्रकार, इन क्षेत्रों में 3579 उप-केन्द्र चालू थे। जनजातीय क्षेत्रों में क्षय रोग और रोगों की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथों पर अनैतिक देह व्यापार की मात्रा सामान्यतः बहुत अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप एड्स रोग का प्रसार होता है। ट्रक-ड्राइवर आमतौर पर जनजातियों युवतियों का शोषण करते हैं। यह सिफारिश की जाती है कि चिकित्सा विभाग द्वारा राष्ट्रीय और राज्य के राजपथों के साथ-साथ रहने वाले जनजातीय परिवारों की नियमित जांच की प्रणाली शुरू की जानी चाहिए।

राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड

16.15 राजस्थान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए आय- सृजन की विभिन्न स्कीमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 1998 से निगम ने अनुसूचित जनजातियों के लाभभोगियों के लिए भी कुछ कार्यक्रम शुरू किए हैं। नौवीं योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा शेयर-पूंजी के रूप में 510.00 लाख रूपए का अंशदान किए जाने का प्रस्ताव है और उतनी ही राशि का अंशदान भारत सरकार द्वारा किया जाएगा।

16.16 1997-98 के दौरान निगम द्वारा क्रियान्वित विभिन्न स्कीमों की भौतिक प्रगति से यह पता चलता है कि निगम ने कुछ क्षेत्रों में प्रशंसनीय कार्य किया है, जैसे ग्रामीण पी.ओ.पी. आधुनिक कृषि उपकरण, सामुदायिक पम्प सेट, बुनकरों के लिए वर्कशेड, प्रशिक्षण कार्यक्रम और राजस्थान वित्त निगम की स्कीमें अन्य क्षेत्रों, जैसे मैला उठाने वालों का पुनर्वास और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना और ओटो-रिक्शा प्रदान करना आदि के मामलों में निगम को उनके कार्यान्वयन में सुधार करने की आवश्यकता है।

सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

16.17 राज्य सरकार की सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 16 प्रतिशत और 12 प्रतिशत है, जबकि राज्य में काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के विभागों में स्थानीय भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, 17 प्रतिशत निर्धारित की गई है। 16 से 17 प्रतिशत तक बढ़ाई गई इस प्रतिशत का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार को राज्य के अन्दर भी इस प्रतिशतता को 16 से बढ़ा कर 17 प्रतिशत कर देना चाहिए।

16.18 राज्य सरकार ने कर्मचारियों की समूह-वार कुल संख्या और प्रत्येक समूह के अंदर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या की जानकारी नहीं दी हैं। उन्होंने आयोग को 1.1.1996 की स्थिति के बारे में केवल आंशिक सूचना दी है। इससे यह पता चला कि समूह "घ" को छोड़ कर शेष सभी समूहों में अनुसूचित ज़ातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी है।

16.19 आयोग के जयपुर-स्थित राज्य कार्यालय ने उप-निदेशक (शिक्षा) (एम) जयपुर जोन के कार्यालय में आरक्षण की नीति के कार्यान्वयन का जायज़ा लिया लेने के लिए, उस कार्यालय का निरीक्षण किया। यह नोट किया गया कि रोस्टर निर्धारित फार्मेट के अनुसार नहीं रखे जा रहे और विभिन्न पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का बैकलाग का रिकार्ड उपयुक्त रूप से नहीं रखा जा रहा है। सम्पर्क अधिकारी ने शिक्षा विभाग द्वारा रखे गए रोस्टरों का निरीक्षण नहीं किया था और उसके द्वारा शिकायतों का कोई रजिस्टर नहीं रखा जा रहा। **यह सिफारिश की जाती है कि राजस्थान सरकार को नियमों के अनुसार आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिएं और यह रोस्टरों , आदि उपयुक्त अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए ।**

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989

16.20 पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1995 से 1997 तक के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत दर्ज कराए जाने वाले मामलों में कमी हुई है। वर्ष 1995 में पुलिस के पास पंजीयित कराए गए मामलों की संख्या 1567 थी, जो कम हो कर 1996 में 951 ओर 1997 में 808 हो गई।

16.21 भारत सरकार ने इस अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत 31.3.1995 को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) नियम, 1995 अधिसूचित किए और इन नियमों में किए गए विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए इन नियमों को राज्य सरकारों के बीच परिचालित किया। इन नियमों के क्रियान्वयन में प्रगति का मामला राजस्थान सरकार के साथ उठाया गया । दिसम्बर, 1998 में समाज कल्याण विभाग ने आयोग को सूचित किया कि राज्य सरकार इन नियमों के विभिन्न उपबधों की व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन कर रही है और इस संबंध में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया है। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने उत्तर दिया है कि उक्त नियमों के खंड 16 और 17 के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है और संसद सदस्यों और विधान सभा सदस्यों से इस समिति के सदस्य बनने की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। यह स्पष्ट है कि राज्य ने अभी अनुसूचित

जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) नियम, 1995 को अभी कियान्वित करना है। राज्य सरकार को इन नियमों को तुरन्त लागू करने की कार्यवाही करनी चाहिए।

16.22 राज्य सरकार सतर्कता समिति की सिफारिश पर समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार पी.ओ.ए. अधिनियम, 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़ित व्यक्तितयों को मौद्रिक राहत प्रदान करती है, लेकिन राज्य में अत्याचारों के शिकार सभी व्यक्तियों को मौद्रिक राहत प्रदान नहीं की जा रही है। मौद्रिक राहत हत्या के 10 मामलों में 10,000 रूपए की दर से, बलात्कार के 5 मामलों में 5000 रूपए की दर से और गम्भीर चोट के 3 मामलों में 2000 रूपए की दर से उत्पीड़ित व्यक्ति को अथवा उसके सगे-संबधियों को दी गई है। राज्य सरकार पी.ओ.ए. अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी उत्पीड़ित व्यक्तियों को मौद्रिक राहत प्रदान नहीं कर रही है और केवल कुछ चुने हुए मामलों में राहत प्रदान की जाती है, क्योंकि नियमों के अधीन यह जिला कलेक्टर का स्वविवेकाधीन शक्ति है। राज्य सरकार को पी.ओ.ए. अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार राहत सुनिश्चित करनी चाहिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष न्यायालय

16.23 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों का निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अन्तर्गत 14 विशेष न्यायालय काम कर रहे हैं, जबकि शेष जिलों के लिए, संबंधित जिलों के सत्र न्यायालयों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत पंजीयित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है। दिसम्बर 1997 के अंत तक पंजीयित और पंजीयित मामलों की संख्या 7156 थी। इसमें से 2020 मामलों का निपटान इन न्यायालयों द्वारा कर दिया गया है और 5136 मामले लम्बित पड़े थे।

अध्याय XVII

सिक्किम

सिक्किम भारत संघ के सबसे छोटे राज्यों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है। 1991 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या 406457 है, जिनमें से अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या क्रमशः24084 ओर 90901 है, जो कुल जनसंख्या के क्रमशः 5.93 प्रतिशत और 22.36 प्रतिशत के बराबर है। इसकी उत्तरी सीमा पर तिब्बत, पश्चिम सीमा पर नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल स्थित है। यह राज्य चार जिलों में विभाजित है, जो 9 उप-जिलों में बंटे हुए हैं।

जनजातीय उप-योजना

17.2 जनजातीय उप-योजना की कार्य-नीति छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय से अपनाई गई है। राज्य में लगभग 18,000 जनजातीय परिवार हैं, जिनका औसत आकार 5 सदस्यों का है। जनजातीय उप-योजना की सभी योजनाएं कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। यह विभाग पूरी तरह से कल्याण मंत्री के अधीन है। गंगटोक में एक अलग परियोजना कार्यालय है, जिसका अध्यक्ष एक परियोजना निदेशक है, जिसके अधीन 4 जिला कल्याण अधिकारी तथा निरीक्षक हैं। यह परियोजना निदेशक की जिम्मेदारी है कि वह क्षेत्रीय विभागों के जिला अधिकारियों के साथ सलाह करके योजनाएं तैयार करें तथा उन्हें मंजूरी के लिए कल्याण विभाग के सचिव के पास भेजें। परियोजना अधिकारी योजनाओं/ परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। राज्य योजना के अन्तर्गत शामिल सभी विभागीय योजनाओं का कार्यान्वयन जिले के परियोजना अधिकारी और कल्याण अधिकारी के माध्यम से किया जाता है। जनजातीय उप-योजना के लिए दी गई विशेष केंद्रीय सहायता द्वारा वित्तपोषित योजनाओं का कार्यान्वयन आम तौर पर कल्याण अधिकारियों की देख - रेख के अन्तर्गत क्षेत्रकीय विभागों के माध्यम से किया जाता है।

17.3 सिक्किम के जनजातीय लोग उत्तरी जिले को छोड़कर समूचे राज्य में बिखरे हुए हैं, जहां जनजातियों के लोग एक परस्पर गुंथे हुए क्षेत्र में रहते हैं। चूंकि वे गैर-जनजातीय लोगों के साथ-साथ रहते हैं, इसलिए बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाओं के मामले में यह आसानी से नहीं बताया जा सकता है, कि उन्हे कितनी मात्रा में लाभ पहुंचा है। इन ज़मीनी हकीकतों के बावजूद, उन सभी राजस्व जिलों को, जिनमें जनजातीय लोगों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, समूहबद्ध किया गया है और उन्हें आई.टी.डी.पी. क्षेत्र घोषित किया गया है। राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 19.03 प्रतिशत भाग उत्तरी जिले में बसता है तथा उसे जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है। राज्य की जनजातीय उप-योजना में सभी चारों जिलों के जनजातीय लोग शामिल हैं, जिनमें आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों के बाहर बिखरे हुए जनजातीय व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

17.4 निम्नलिखित विवरणों में वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-97के राज्य योजना परिव्यय और जनजातीय उप-योजना के लिए दी गई राशि की जानकारी दी गई है। केवल कृषि, पशुपालन, और पशु-चिकित्सा सेवाओं, समाज कल्याण, सिंचाई, शिक्षा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के क्षेत्रकों के बारे में मात्रा का अनुपात लगाया गया है। सिक्किम सरकार ने जनजातीय उप योजना के लिए एक अलग बजट-शीर्ष "225-02" खोला है।

आठवीं योजना के दौरान जनजातीय उप-योजना के लिए आवंटन और उसके उंतर्गत व्यय

वर्ष	कुल योजना परिव्यय	जनजातीय उप-योजना के लिए दी जाने वाली सम्मत राशि	कुल परिव्यय की तुलना में जनजातीय उप-योजना के परिव्यय की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत व्यय	टी.एस.पी. के लिए सम्मत राशि की तुलना में जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
1994-95	9795.52	1700.30	17.35%	1700.30	100%
1995-96	8123.80	1300.27	16.10%	1300.27	100%
1996-97	4801.30	1155.86	22.41%	1155.86	100%

17.5 यह उत्साहजनक बात है कि वर्ष 1996-97 में जनजातीय उप-योजना के लिए दी गई राशि, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में थी। राज्य सरकार को परवर्ती वर्षों में भी इस गति को बनाए रखना चाहिएं।

व्यावसायिक श्रेणी	सामान्य जनसंख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
I मुख्य कर्मकार	40.79%	37.70%	39.49%
(मुख्य कर्मकारों में कर्मकारों का विभाजन)			
1. किसान	58.22%	52.66%	24.85%
2. कृषि मजदूर	08.01%	08.89%	1.90%
3. घरेलू उद्योग आदि	01.75%	03.65%	0.22%
4. अन्य सेवाए	32.02%	34.02%	34.81%
II सीमान्तिक कर्मकार	12.29%	00.85%	00.96%
III गैर-कर्मकार	46.92%	61.45%	59.55%

17.6 उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि मुख्य कर्मकारों में अनुसूचित जातियों के कृषकों का अनुपात 52.66 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के कृषकों का अनुपात 24.85 प्रतिशत है। ऊबड़-खाबड़ भूमि, सीधी ढ़लान वाली पहाड़ियों और गहरी खाइयां, ऐसी अन्य बातें हैं जो यहां बसने वाले अधिकतर लोगों को कृषि-कार्य करने के लिए विवश करती हैं। अतः राज्य सरकार को कृषि और बाग बानी से संबंधित ऐसी सभी योजनाओं को विशेष ध्यानपूर्वक बढ़ावा देना चाहिए जिससे अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने में पर्याप्त सहायता मिल सके।

जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

17.7 जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एस.सी.ए.) एक अतिरिक्त राशि है और उसका इस्तेमाल मुख्य रूप से परिवारोन्मुख और आर्थिक लाभ वाली उन विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है जो हाशिया राशि और संस्थात्मक वित्त के दौरान 7वीं पंचवर्षीय योजना और आगे से जुड़ी हों। इस सहायता का मुख्य उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जनजाति के गरीब

व्यक्तियों लोगों की पारिवारिक आमदनी को बढ़ाकर उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में मदद देना है। भारत सरकार ने सिक्किम सरकार को वर्ष 1994-95 , 1995-96 , 1996-97 और 1997-98 में विशेष केंद्रीय सहायता के क्रमशः 84.85 लाख रूपए, 120.94 लाख रूपए, 148.66 लाख रूपए और 163.25 लाख रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता रिलीज की और राज्य सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता में से इन वर्षों के दौरान क्रमशः 79.79 लाख रूपए, 82.91 लाख रूपए, 93.75 लाख रूपए और 165.16 लाख रूपए खर्च किए गए। यह देखा गया है कि सिक्किम सरकार, वर्ष 1997-98 को छोड़कर, इन वर्षों में विशेष केन्द्रीय सहायता की राशि को पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकी।

विशेष संघटक योजना

17.8 राज्य की चार प्रमुख अनुसूचित जातियों, जिनकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के लगभग 5.93 प्रतिशत के बराबर है, राज्य भर में बिखरी हुई हैं। लेकिन वे मुख्यतः सिक्किम की विधान सभा के दक्षिणी निर्वाचन-क्षेत्रों, अर्थात रेतपानी और खामडोंग में संकेन्द्रित हैं। सरकार द्वारा इन क्षेत्रों को अनुसूचित जातियों के निर्वाचन-क्षेत्र घोषित किया गया है और इन्हें विशेष संघटक योजना के अंतर्गत विशेष विकास के लिए चुना गया है। सरकार का विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में तीव्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है। विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत योजनाओं को क्षेत्रीय विभागों, जैसे कृषि, समाज कल्याण, शिक्षा, आदि विभागों द्वारा तैयार और क्रियान्वित किया जाता है। राशियों का मात्राकरण राज्य की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जो राज्य की कुल जनसंख्या के 6 प्रतिशत के बराबर है, और मुख्य रूप से कृषि-कार्य करते हैं और अपनी आमदनी की अनुपूर्ति करने के लिए घरेलू पशुओं जैसे सुअर, बकरी,मुर्गी, आदि को पालते हैं। विशेष संघटक योजना लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार की जाती है, ताकि विकास की इन योजनाओं के जरिए उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

17.9 वर्ष 1997-98 में विशेष संघटक योजना के लिए दी गई राशियों की क्षेत्रक-वार जानकारी नीचे दी गई है:

(रूपए लाख में)

क्षेत्रक का नाम	राज्य योजना (वास्तविक)	विशेष संघटक योजना के लिए राशि	प्रतिशतता
कृषि	733.00	52.18	7.12
ए.एच. और वी.एस.	446.00	25.65	5.75
बागबानी	257.00	15.43	6.00
सिचांई	195.00	8.00	4.10
शिक्षा	2982.00	178.92	6.00
कल्याण	137.00	41.45	37.25
समाज कल्याण	50.70	3.04	5.99

17.10 उपर्युक्त सारणी से पता चलता है कि सिवाय सिंचाई के क्षेत्रक के, विभिन्न क्षेत्रकों के अन्तर्गत विशेष संघटक योजना के लिए प्राप्त राशि, राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में थी। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को सिंचाई के अन्तर्गत आबंटित की जाने वाली राशि को भी बढ़ाना चाहिएं।

17.11 विशेष संघटक योजना के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता वित्त पोषणा का एक अतिरिक्त स्रोत है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से परिवार-उन्मुख और आर्थिक विकास वाली उन विभिन्न स्कीमों के लिए किया जाता है, जो हाशिया राशि और संसात्मक वित्त से जुड़ी होती हैं। वर्ष 1997-98 में केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 4.44 लाख रूपए की राशि जारी की गई। सिक्किम सरकार ने 4 प्रमुख परियोजनाओं, अर्थात बुनाई, सिलाई की मशीनों, लोहारगिरी के औजारों के वितरण और ए.एस.एस.सी.डब्ल्यु.ए. को सहायता अनुदान की परियोज़नाओं के कार्यान्वयन के लिए 4.63 लाख रूपए खर्च किए गए। यद्यपि विशेष केंद्रीय सहायता योजना के अंतर्गत 186 परिवार को लाभ पहुँचा है। यह देखने में आया है कि राज्य के अनुसूचित जातियोंके लोगों की बहुत बड़ी संख्या गरीबी की रेखा से नीचे जीवनन्यापन करती है और ये लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि पर निभर हैं। इन लोगों को आर्थिक कठिनाइयों के अलावा, कुपोषण, कमजोर स्वास्थ्य, शिक्षा ओर आवास, आदि की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए, विशेष संघटक योजना के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता का अधिक उपयोग इलायची, अदरक, आलू और फलों आदि की खेती और उनके विपणन को बढ़ावा दे कर, आय सृजन करने वाली योजनाओं के लिए किया जाना चाहिएं।

शिक्षा

17.12 1991 की जनगणना के अनुसार, राज्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में साक्षरता की दर क्रमशः 51.03 प्रतिशत और 59.01 प्रतिशत है, जबकि राज्य की समूची साक्षरता-दर 56.94 प्रतिशत है । अनुसूचित जनजातियों के पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 66.80 प्रतिशत और 50.37 प्रतिशत है, जो राज्य के पुरूषों (65.74 प्रतिशत) और महिलाओं (46.69 प्रतिशत) की साक्षरता दर और अनुसूचित जातियों के पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता दर से, जो क्रमशः 58.69 प्रतिशत और 42.77 प्रतिशत है, ऊंची है।

17.13 राज्य में 723 प्राथमिक पूर्व स्कूल, 525 प्राथमिक स्कूल, 119 जूनियर हाई स्कूल हैं, जिनमें कुल 1,27,966 विद्यार्थियों का नामांकन है। सरकार का 10 और प्राथमिक-पूर्व स्कूल खोजने, 50 प्राथमिक-पूर्व स्कूलों का उन्नयन प्राथमिक सकूलों के रूप में करने और 5 प्राथमिक स्कूलों का उन्नयन जूनियर हाई स्कूलों के रूप में करने का प्रस्ताव है, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण शिक्षा की मांग बढ़ रही है। इसके अलावा, 67 माध्यमिक ओर 24 सीनियर स्कूल हैं, जनमें क्रमशः 8082 और 3554 विद्यार्थियों के नामांकन की क्षमता है। सरकार ने गरीब विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें और वर्दियां मुफ्त देने की शुरूआत की है, ताकि उन्हें शुरू से ही स्कूलों में अपने नाम लिखाने के लिए प्रोत्साहन मिलें। गैर- औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की संख्या को न्यूनतम करना है। स्वीकृत किए गए छः आश्रम स्कूलों में से क़ेवल 3 को पूरा किया गया है। राज्य ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की है और उन्हें इन पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां देना भी शुरू किया है राज्य में दो डिग्री कालेज, एक विधि महा विद्यालय और एक पॉलीटेकनीक संस्था है। अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का अनुपात आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में 1:7 और राज्य के अन्य भागों में 1:20 है।

स्वास्थ्य

17.14 नौवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार सिक्किम सरकार ने विशेष रूप से दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने को प्राथमिकता प्रदान की है।

17.15 स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी/आंकड़ों से राज्य के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का पता चलता है। शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार है। जहां तक दम्पति सुरक्षा दर का संबंध है, वह 21.9 प्रतिशत है, जो अखिल भारतीय औसत दर से बहुत नीचे है। इन बुनियादी निर्देशकों से राज्य के लोगों के लिए स्वास्थ्य उपचार के कार्यक्रम को तैयार करने में सहायता मिलती है।

17.16 लोगों की स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे रोगों के उपचार देशी चिकित्सा पद्धति को लागू करने, क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, संचारी रोगों का निवारण ओर नियंत्रण, और अन्य लोक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 144 प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 49 ऐसे क्षेत्रों में हैं जहां अनुसूचित जनजातियों के लोगों का बाहुल्य है। राज्य में 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें से 10 अनुसूचित जनजाति/आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों में और 3 अनुसूचित जाति क्षेत्रों में हैं; इसके अलावा ग्यालशिंग और मंगन में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

सेवाओं में सुरक्षोपाय

17.17 सिक्किम सरकार ने राज्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में 1995 से दिनांक 21.8.95 की अधिसूचना संख्या 52/जेन/डी.ओ.पी. के जरिए आरक्षण की व्यवस्था की है। सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए क्रमशः 23 प्रतिशत ओर 6 प्रतिशत पद आरक्षित हैं। चालू वर्ष में राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की ग्रेड-वार सूचना उपलब्ध नहीं है।

अत्याचार

17.18 राज्य में अत्याचार के मामलों की संख्या बिल्कुल नगण्य है। फिर भी, जिला कलेक्टरों/ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे तंग किए जाने और अत्याचार किए जाने की शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर करें। राज्य में कोई विशेष कक्ष सथापित नहीं किया गया है, लेकिन एक विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट किया गया है।

संप्रक्षेण

17.18 सिक्किम सरकार को विशेष केंद्रीय सहायता/ अनुसूचित जाति उप-योजना के बारे में वार्षिक आंकड़े, आदि भेजते समय एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि वर्ष 1997-98 की वार्षिक जनजातीय उप-योजना और विशेष संघटक योजना के आंकड़ों में कुछ अन्तर पाए गए हैं। कल्याण विभाग और अन्य क्षेत्रकीय विभागों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण की योजनाओं की प्रगति के बारे में नियतकालिक सूचना आयोग के राज्य कार्यालय को नियमित रूप से नहीं भेजी जाती। सिक्किम सरकार को चाहिएं कि जब वह विकास योजनाओं की प्रगति और धनराशियों के उपयोग संबंधी रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भेजे, तो वह रिपोर्ट आयोग के राज्य कार्यालय के पास भी भेजी जाए। हमारी पिछली रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि आयोग के कलकत्ता में स्थित राज्य कार्यालय के कार्यभारी अधिकारी को राज्य की योजना समिति में शामिल किया जाए, ताकि वह आयोजन की प्रक्रिया में भाग ले सके तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित राशि के उपयोग की अनुवीक्षण और निगरानी कर सके, लेकिन इस सुझाव के बावजूद राज्य सरकार द्वारा इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। यदि राज्य कार्यालय को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, तो वह अपनी राय दे सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि योजनाओं और कार्यक्रमों को तैयार किए जाते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए और वह इस बात पर भी नजर रख सकता है कि विशेष केंद्रीय सहायता/ अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए निर्धारित राशियों का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए न किया जाए।

अध्याय XVIII

तमिलनाडु

1991 की जनगणना के अनुसार, तमिलनाडु राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 19.18 प्रतिशत और 1.03 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता-दर क्रमशः 46.76 प्रतिशत ओर 27.89 प्रतिशत है, जो राज्य की सामान्य जनसंख्या की 62.66 प्रतिशत की साक्षरता-दर से कम है।

18.2 तमिलनाडु में बहुत पहले अर्थात 1949 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण का एक पृथक विभाग स्थापित किया गया था। अन्य राज्यों की तरह, तमिलनाडु में भी विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) के अन्तर्गत नियत धनराशि राज्य की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता से कम है। लेकिन, आवंटित धनराशि के खर्च में बढ़ोतरी हो रही है ओर 1997-98 में यह आवंटित राशि के 96 प्रतिशत के बराबर था। राज्य सरकार को एस.सी.पी. के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के रूप में 29 करोड़ रूपए की राशि दी गई थी। राज्य सरकार ने 23 करोड़ रूपए का उपयोग किया अर्थात् रिलीज की गई राशि के 79 प्रतिशत का इस्तेमाल किया। लेकिन 1997-98 में राज्य सरकार को एस.सी.ए. के रूप में रिलीज की गई लगभग 5.02 करोड़ रूपए की राशि का उपयोग नहीं किया गया। आयोग की पहले की रिपोर्टों में भी यह देखा गया है कि खर्च आमतौर पर, रिलीज की गई राशि से कम हुआ है और राज्य सरकार को लगभग नियत की गई राशि के बराबर खर्च करना चाहिए और भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खर्च सुनियोजित तरीके से और वर्ष में बराबर फैला कर किया जाए।

18.3 यद्यपि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या केवल 1.03 प्रतिशत है, फिर भी राज्य में 9 आई.टी.डी.पी. क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। सरकार टी. एस0पी0 के लिए, जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार, धनराशियों का नियतन करती रही है। लेकिन वास्तविक व्यय बहुत कम है। यहां तक कि टी.एस.पी. के लिए रिलीज की गई एस.सी.ए. की राशि का भी पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा।

शिक्षा

18.4 राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की साक्षरता की दर सामान्य जनसंख्या की साक्षरता की दर से कम है। हालांकि राज्य सरकार ने साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, फिर भी यह देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने वालों की ऊंची दर, आयोग के लिए विशेष चिन्ता का कारण है। यह देखा गया है कि शिक्षा के ऊंचे स्तरों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियोंके अध्यापकों की प्रतिशतता कम है और समूची प्रतिशतता भी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशत की तुलना में कम है। आदिद्रविडार ओर जनजाति कल्याण विभाग नामक्कल जिले की कोल्ली पहाड़ियों में सेनकराई, सेम्मेडू जैसे विभिन्न स्थानों पर बहुत से आश्रम-स्कूल चलाता है। यह विभाग प्रत्येक विद्यार्थी पर खाद्य प्रभारों के संबंध में 225/- रूपए खर्च करता है और अन्य सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे मुफ्त साबुन, नोटबुकें और पाठ्य-पुस्तकें, आदि। आयोग के राज्य कार्यालय ने कुछ आश्रम स्कूलों का दौरा किया है और यह देखा गया कि अध्यापकों की संख्या आमतौर पर अपर्याप्त है और अध्यापकों के कई पद रिक्त पड़े हैं। यह भी देखा गया कि डाक्टर,

छात्रावास और रिहायशी स्कूलों में रहने वालों के स्वास्थ्य की आम जांच करने के वास्ते इन छात्रावास और स्कूलों में नहीं जाते। **इसलिए यह जरूरी है कि सरकार इन रिहायशी स्कूलों के कार्यचालन में सुधार करने के लिए कदम उठाए।**

तमिलनाडु आदि द्रविड़ार आवास ओर विकास निगम लिमिटेड

18.5 तमिलनाडु आदि द्रविड़ार आवास और विकास निगम लिमिटेड (टी.ए.एच.डी.सी.ओ.) की स्थापना 1974 में की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि अनुसूचित जातियों के लोगों को प्रशिक्षण दे कर ओर उन्हें अन्य लाभकारी क्रियाकलापों में लगाकर, जिनमें औद्योगिक व्यवसाय भी शामिल हैं, उन्हें उनके पारम्परिक पेशों से हटाया जाए। यह निगम आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाएं तैयार करता है और उन्हें कार्यान्वित करता है और अनुसूचित जातियों के युवाओं को आय-अर्जित करने के विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण भी देता है। वर्ष 1997-98 में 11410 लक्ष्यगत लाभभोगियों में से, टी.ए.एच.डी.सी.ओ. द्वारा 10668 लाभभोगियों को सहायता दी गई। वर्ष 1998-99 में 8550 लक्ष्यगत लाभभोगियों में से 6845 व्यक्तियों को सहायता प्रदान की गई। कम्पनी को राज्य और केन्द्र दोनों सरकारों से शेयर-पूंजी सहायता के रूप में 51:49 के अनुपात में 650 लाख रूपए प्राप्त हुए हैं, जबकि 1997-98 में 932 लाख रूपए ओर 1998-99 में1078 लाख रूपए मार्जिन मनी सहायता के रूप नें रिलीज किए गए, जिससे यह पता चलता है कि शेयर पूंजी सहायता के रूप में जितनी राशि प्राप्त हुई, उससे कहीं अधिक व्यय हुआ। वर्ष 1997-98 से टी.ए.एच.डी.सी.ओ. अनुसूचित जातियों के लाभभोगियों को परिवहन क्षेत्रक में लारिया, वैन, मिनीबसें, पर्यटन बसें खरीदने और गैर-परिवहन क्षेत्रक में पोली-क्लिनिक, डेरी फार्म, आदि स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी सहायता दे रहा है। यह निगम "वैयक्तिक उद्यमी स्कीम (इन्डिव्यूजुयल एंटरप्रीनीयर स्कीम)" के अन्तर्गत भी अनुसूचित जातियों के लाभभोगियों को सहायता दे रहा है।

बड़े आकार वाली बहुप्रयोजनी सहकारी समितियां (लैम्प)

18.6 **ये समितियां निम्नलिखित चार किस्मों के ऋण प्रदान करती हैः** फसल ऋण, खाली (एम्पटी) ऋण, आभूषण ऋण ओर उपभोग ऋण । प्रत्येक किस्म के ऋण के अनतर्गत, लैम्प समिति प्रति वर्ष क्रमशः 50,000/- रूपए, 18,000/-रूपए, 10,000/-रूपए ओर 500/- रूपए के ऋण प्रदान करती है।

18.7 यह देखने में आया है कि लैम्प समितियां अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो रही हैं, क्योकि इनके सदस्य समिति से लिए ऋण नहीं चुका रहे हैं। इस समय, इनकी अत्ति देय बकाया राशि 80 लाख रूपए की है। इसलिए महसुस किया जाता है कि फिलहाल लैम्प समितियों को अपना ध्यान पिछले ऋणों की वसूली करने की ओर केन्द्रित करना चाहिए। कोल्ली पहाड़ियों के जनजातीय लोगों को अन्ननास, केला और अन्य वाणिज्यिक फसलों की खेती से काफी अच्छे स्तर की आय होती है और इसलिए वे ऋण चुकाने में समर्थ होने चाहिएं।

भूमि-क्रय स्कीम

18.8 तमिलनाडु की सरकार उन गृह-हीन आदि द्रविडारों को, जिनके पास मकान की अपनी भूमि नहीं है, मकानों के लिए भूमि मुहैया करने की एक स्कीम को अमल में ला रही है। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के भूमिहीन लोगों को अधिशेष (सरप्लस) भूमि का वितरण भी करती है। वर्ष 1997-98 में अनुसूचित जातियों के 893 लाभभोगियों को 934 एकड़ अधिशेष भूमि दी गई और अनुसूचित जनजातियों के 2 लाभभोगियों को 2 एकड़ अधिशेष भूमि प्राप्त

हुई। वर्ष 1997-98 में आदि द्रविड़ारें को मकानों के लिए 80806 भू-खंड आवंटित किए गए। यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को मकानों के लिए जो भूमि-स्थल आवंटित किए जाते हैं, वे आमतौर पर गांव/कस्बे के बाहर स्थित होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के रिहायश के इलाके अलग-थलग पड जाते हैं। तमिलनाडु सरकार ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के 50वें वर्ष में पूरा राज्य भर में 50 स्थानों पर "समतुवपुरम ग्राम" स्थापित करने की एक नई स्कीम शुरू की है, जिसकी लागत 17.50 करोड़ रूपए है। यह एक नई किस्म की स्कीम है, जिसके अन्तर्गत सभी लोग एक ही छत के नीचे रह सकते हैं। यह स्कीम जाति-विहीन समाज के निर्माण की दिशा में बढ़ने के लिए शुरू की गई है।

सेवा संबंधी सुरक्षण

18.9 तमिलनाडु में सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है और पदोन्नति के मामले में चुनी हुई श्रेणियों के संबंध में आरक्षण के रोस्टर का पालन किया जाता है। अन्य राज्यों की तरह तमिलनाडु में भी, समूह "क" और "ख" की सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण की समीक्षा करने के लिए सितम्बर, 1997 में एक उच्च-स्तरीय समिति गठित की थी। इस समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि तमिलनाडु में जाति संबधी जाली प्रमाणपत्रों की समस्या बड़ी गम्भीर है। केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार के विभागों/ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे लोगों के बारे में व्यक्तियों/संगठनों द्वारा जाति संबंधी झूठे प्रमाणपत्र दिए जाने के हजारों मामलों की रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं। आयोग ने अपनी पिछली रिर्पोट में राज्य सरकार से पहले से ही यह अनुरोध किया था कि वह इस मामले को गम्भीरता से ले और सुधारात्मक कार्रवाई करे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

18.10 वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 1996 में तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों पर किए जाने वाले अत्याचार के मामलों की संख्या में कमी हुई है। लेकिन, 1997 में इनमें फिर वृद्धि हुई, जब पी.ओ.ए. अधिनियम 1984 के अन्तर्गत 1496 मामले दर्ज कराए गए। वर्ष 1997 में अत्याचार के शिकार व्यक्तियों को मौद्रिक राहत देने के लिए 141.48 लाख रूपए की राशि मंजूर की गई। आयोग का राज्य कार्यालय इस मामले को राज्य सरकार के पास उठा रहा है। यह भी देखा गया है कि पी.ओ.ए. अधिनियम के बारे में आम जनता को और कार्यान्वयन अभिकरणों को भी बहुत कम जानकारी है और इसलिए यह बहुत जरूरी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस अधिनियम के उपबंन्धों के बारे में जागरूकता पैदा की जाए। यह भी देखा गया है कि पी.सी.आर. अधिनियम और पी.ओ.ए. अधिनियम, दोनों के अन्तर्गत दोष-सिद्धि की दर केवल 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक के बीच है। राज्य सरकार को दोष-सिद्धि की कम दर होने के कारणों की जांच करनी चाहिए और स्थिति में सुधार करने के लिए अविलम्ब कदम उठाने चाहिएं।

18.11 पी.सी.आर. अधिनियम 1989 के मामलों की जांच करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों के केवल चार विशेष न्यायालय काम कर रहे हैं। लेकिन, वे बहुत पहले अर्थात 1982 में स्थापित किए गए थे और पिछले 17 वर्षों में कोई नए/ अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किए गए। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन 4 न्यायालयों में भी, जैसाकि पहले बताया गया है, दोष-सिद्धि की दर बहुत कम है।

अध्याय XIX

उत्तर प्रदेश

सबसे अधिक देश की जनसंख्या का 16.44% आबादी वाला राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट स्थान है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है जो कि देश की जनसंख्या का 21.05% है। परंतु राज्य की कुल जनसंख्या में अनु.ज.जा. के लोगों की संख्या केवल 0.21% है। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों में राष्ट्रीय औसत साक्षरता क्रमशः 26.85% तथा 35.7% थी जबकि इसकी तुलना में पूरे राज्य के लिए यह प्रतिशतता 41.60% थी। अनुसूचित जाति की केवल 10.69% तथा अनुसूचित जनजाति की 19.86% महिलाओं को साक्षर के रूप में दर्ज किया गया। स्कूलों में भर्ती न होना और स्कूल बीच में ही छोड़ देना राज्य में अब भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

19.2 व्यावसायिक पैटर्न को देखने से पता चलता है कि अनुसूचित जाति के लगभग 42.63% लोग और अनुसूचित जनजाति के 69.56% लोग काश्तकारों के रूप में काम करते हैं और अनुसूचित जाति के 38.77% लोग तथा अनुसूचित जनजाति के 13.00% लोग कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 95% से अधिक अनुसूचित जाति के काश्तकार तथा लगभग 71% अनुसूचित जनजाति के काश्तकार छोटे और सीमांत किसान है। लगभग अनुसूचित जाति की 59.2% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही है।

विकास और कल्याणकारी कार्यक्रम

19.3 उत्तर प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग जिसमें समाज कल्याण निदेशालय, जनजातीय विकास निदेशालय, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम तथा उ.प्र. समाज कल्याण निर्माण निगम शामिल है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए बड़े कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। नवीं योजना में निम्नलिखित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

i) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना।

ii) सामाजिक भेदभाव दूर करना और सामाजिक तथा आर्थिक गतिशीलता के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित करना।

iii) गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे लोगों के लिए स्व-रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम कार्यान्वित करना और गरीबी दूर करना।

iv) हाथ से झाड़ूकशी समाप्त करना और झाड़ूकशों की मुक्ति के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करना।

19.4 योजना तैयार करने, मानीटर करने और मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने के वास्ते राज्य में "कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ" एक अलग कक्ष स्थापित किया गया है। परंतु पिछले वर्षों की तरह राज्य में टी.एस.पी की भूमिका नगण्य है। वर्ष 1997-98 के दौरान टी.ए.पी. के अधीन

उपलब्ध धनराशि को एस.सी.पी. के साथ मिला दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजातियों पर किए गए व्यय और उन्हें प्राप्त हुए लाभ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

एस.सी.पी./टी.एस.पी.

19.5 वर्ष 1997-98 के दौरान 7164 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय में से 1516 करोड़ रुपए एस.सी.पी. के लिए आवंटित किए गए थे जो 21.16 प्रतिश्त बनते हैं। परंतु इस आबंटन में से एस.सी.पी. के अधीन व्यय केवल 1012 करोड़ रुपए था जो केवल 67% उपयोग दर्शाता है। यद्यपि राज्य सरकार ने राज्य की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपात में धनराशि आवंटित की है। तथापि यह धन का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने में बुरी तरह से असफल रहा है, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परिव्यय और व्यय के आंकड़े नीचे दिए गए हैं -

1997-98 के दौरान क्षेत्रवार परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपयों में)

		परिव्यय	व्यय	व्यय की प्रतिशतता
1.	कृषि और सम्बद्ध क्रिया कलाप	136.95	128.96	94
2.	ग्रामीण विकास	330.65	167.43	51
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	17.00	17.00	100
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	23.64	25.42	108
5.	ऊर्जा	123.83	92.00	74
6.	शिक्षा	53.83	40.00	74
7.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	17.63	8.60	49
8.	जल आपूर्ति और सफाई	78.00	65.00	83

19.6 उपर्युक्त विवरण से देखा जा सकता है कि कृषि सिंचाई और बाढ़ नियत्रण में तो व्यय संतोषजनक है किन्तु ग्रामीण विकास, चिकित्सा सेवाएं और लोक स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य निष्पादन बहुत खराब है यह भी चिंता का विषय है कि चिकित्सा सेवा और लोक स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवंटित धनराशि किसी भी तरह से संतोषजनक नहीं है। राज्य में अनुसूचित जाति के समुदायों के विकास के लिए राज्य सरकार को उचित स्कीमें परिकल्पित और कार्यान्वित करने की और अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

19.7 राज्य सरकार को 1997-98 के दौरान एस सी ए से एस सी पी के तहत 76.45 करोड़ रुपए दिए गए थे। परंतु राज्य सरकार केवल 55.72 करोड़ रुपए का ही उपयोग कर सकी। राज्य सरकार को एस सी ए की स्कीमों को एस सी पी की स्कीमों के साथ जोड़ना होगा ताकि एस सी ए के पूरे फायदे लभग्राहियों को मिल सके।

19.8 1997-98 के दौरान टी एस पी के तहत 32.57 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे जो राज्य के योजना परिव्यय का 0.45 प्रतिशत है। इसमें से 19.29 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया जो टी

एस पी के अधीन आवंटन का केवल 34 प्रतिशत है। राज्य सरकार को 0.64 करोड़ रुपए एस सी ए से एस सी पी के अंतर्गत प्रदान किए गए जिनका अनुसूचित जनजाति लोगों की बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं तथा सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पूरा-पूरा उपयोग किया गया। यहां यह बताना आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की मुख्य समस्या अल्प विकसित कृषि के कारण गरीबी है। यह नितांत आवश्यक है कि अनुसूचित जनजातियों के विकास की कार्यनीति व्यापक आर्थिक और धन संसाधन विकास प्रयासों पर अधारित हो ताकि वे सामान्य आर्थिक विकास कार्यक्रमों से लाभ पाने के लिए योग्यता हासिल कर सकें।

वित्त निगम

19.9 गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रही अनुसूचित जातियां को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति विकास निगम के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । यह निगम बहुत सी स्व-रोजगार स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिनके अंतर्गत परियोजना लागत की 50 प्रतिशत राशि आर्थिक इमदाद के रूप में दी जाती है। 1997-98 के दौरान इस निगम ने इस स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के 87318 लोगों को वित्तीय सहायता दी है। निगम शहरी क्षेत्रों में दुकानों के निर्माण के लिए 5000 रुपए तक निर्माण लागत भी देता है। 1997-98 के दौरान 12.84 लाख रुपए पूंजी निवेश करके कुल 242 दुकानों का निर्माण किया गया। यह झाड़कश्यों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय स्कीम चलाता है जिसके अधीन 1314 व्यक्तियों को 1997-98 के दौरान लगभग 2.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। इस समय, निगम अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। राज्य सरकार निगम के स्थापना संबंधी और अन्य प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए धनराशि नहीं दे रही है सीमांत राशि के ऋणों की वसूली ठीक से न हो पाना भी एक परेशानी है। निगम के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) को बकाया ऋण वापस करना मुश्किल हो गया है जिसके परिणामस्वरूप एन एस एफ डी सी बकाया कर्जों पर निगम से दण्डिक व्याज वसूल कर रहा है। निगम के पास अलग से कोई वसूली की प्रणाली नहीं है। **निगम ऋण मंजूर करने में बैंकिंग संस्थानों के असहयोग से संबंधित समस्याओं से जोर देकर बताता रहा है। निगम की परेशानियों की ओर राज्य सरकार तथा एन एफ डी सी को उचित ध्यान देना चाहिए ताकि यह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके।**

बड़े क्षेत्रों के अधीन कार्य निष्पादन

19.10 बड़े विकास क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य के कार्य निष्पादन पर नीचे चर्चा की गई है।

भूमि

19.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए जमीन पर निर्भर करती है। परंतु इनमें अधिकांश लोग भूमिहीन कृषि श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। कृषि के लिए सबसे पहली बुनियादी आवश्यकता होने के कारण भूमि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए अत्यधिक महत्व रखती है। परंतु कृषि भूमि कम होती जा रही है क्योंकि इसकी अन्य क्षेत्रों के लिए भी आवश्यकता है। राज्य राजस्व बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल चालू जोतों का केवल 16.38 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों की जोतें हैं। हालांकि अनुसूचित जातियों द्वारा 10.48 प्रतिशत क्षेत्र पर कार्य किया जाता है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के पास 0.16 प्रतिशत चालू जोते हैं जबकि उनके द्वारा 0.32 प्रतिशत क्षेत्र पर कार्य किया जाता है। राज्य सरकार ने कई भूमि सुधार नीति संबंधी उपाय किए हैं, जैसाकि अंतः मध्यवर्ती काश्तकारी

समाप्त करना, काश्तकारी सुधार कृषि जोतों के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारण अधिकतम सीमा वाली अधिशेष भूमि और अन्य प्रकार की जमीनों का भूमिहीन लोगों को वितरण। राज्य सरकार ने 5,70,309 एकड़ भूमि अधिशेष भूमि के रूप में घोषित की है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 2,41,206 लोगों में से प्रत्येक को 1.13 एकड़ भूमि वितरित की गई। इसी प्रकार ग्राम सभा की जमीन भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में वितरित की गई। अनुसूजित जाति/अनुसूचित जनजाति के लगभग 18 लाख लोगों को ग्राम सभा की 5,98,905 एकड़ जमीन आवंटित की गई। भूमि समतल बनाने, उर्वरक, बीज खरीदने आदि जेसे कार्यों के लिए अधिकतम सीमा वाली भूमि के आवंटितियों को प्रति एकड़ 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन कर्मकारों को घर बनाने के लिए 150 वर्ग गज जमीन भी प्रदान की जाती हैं। 1997-98 के दौरान 21,50,930 अनुसूचित जाति परिवारों को भू-खंड दिए गए। इंदिरा आवास योजना के तहत भी घर बनाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 99431 लोगों को भू-खंड दिए गए जिनका न्यूतम कृषि क्षेत्र 20 वर्ग मीटर था।

डेरी विकास

19.12 उत्तर प्रदेश देश में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है। डेरी विकास विभाग डेरी सहकारी समितियों के जरिए कई स्कीमें चलाता आया है जैसा कि नई सहकारी समितियां गठित करना, कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था, पशुस्वास्थ्य सुविधाएं, मवेशियों का चारा आदि। आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान 57 जिले कवर किए गए और 51 दुग्ध संघ तथा 12,386 कार्यात्मक समितियां गठित की गई। इस अवधि के दौरान लगभग 1.1 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को लाभान्वित किए जाने का अनुमान है। विभाग के पास नवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम का विस्तार करने की योजनाएं है। अनुसूचित जाति के लाभग्राहियों के साथ-साथ लखीमपुर, खेड़ी, गोंडा तथा बहराइच जिलों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों को भी लाभान्वित किया जाएगा। डेरी चलाना ग्रामीण क्षेत्रों में गौण व्यवसायों में से एक कारगर साधन है और यह विभाग अपने कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने की और उचित ध्यान देता रहा है जो एक सराहनीय बात है। विभाग को इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

19.13 समाज के गरीब वर्गों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। एक कार्यक्रम का उद्देश्य कर्ज और आर्थिक इमदाद के जरिए उत्पादक परिसमपत्तियां देकर ग्रामीण निर्धनी में स्व-रोजगार को बढ़ावा देना है और इन कार्यक्रमों का लक्ष्य रोजगार के अवसर पैदा करना और सामुदायिक परिसम्पत्तियां बनाना है।

19.14 ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के पैकेज में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि जितने कुल परिवरों को सहायता की जाएगी उनमें से कम से कम 50 प्रतिशत परिवार इन समुदायों के होंगे। इस कार्यक्रम के तहत परिसम्पत्तियां सृजित करने तथा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में समर्थ बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के पता लगाए गए गरीब से गरीब परिवारों को कर्ज तथा आर्थिक सहायता दी जाती है।

19.15 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 210 करोड़ का आवंटित किए गए और 212 करोड़ रु. का उपयोग किया गया (101.32%) इस वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि (104.56%) भी लक्ष्य से अधिक रही। 51.45 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार लाभान्वित हुए। निम्नलिखित सारणी 1997-98 के दौरान आईआरडीपी के तहत कार्य निष्पादन दर्शाती है।

क्र.सं.	वर्ग	वित्तीय प्रगति (लाख रुपए में)			वास्तविक प्रगति		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
1.	अनु.जातियां	10081.74	9726.10	96.47	168029	178259	106.09
2.	अनु.जन.जातियां	136.62	132.18	96.75	2277	2421	106.32
3.	अन्य	10770.30	11408.10	105.92	165513	170466	102.99
	कुल	20988.66	21266.38	101.32	335819	351146	104.56

19.16 अभी तक किए गए मूल्यांकन अध्यनों में कई क्षेत्रों में कार्रवाई की जानी की सिफारिश की है, इस संबंध में आयोग राज्य से जोर देकर कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्रवाई की जाए -

(i) **जैसा कि केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं, गरीबी रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों का सर्वेक्षण प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।**

(ii) **लाभग्रहियों की पहचान के विषय में काफी मतभेद है।**

(iii) **स्कीमों का चयन ब्लॉक तथा स्थानीय बैंक द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना चाहिए।**

(iv) **एक से अधिक संबंधित स्कीम में वित्त का प्रावधान होना चाहिए।**

(v) **अनुवर्ती कार्रवाई और वित्तीय अनुशासन के लिए लाभग्राहियों को विकास पुस्तिका जारी की जानी चाहिए।**

(vi) **लाभग्राहियों को ऋण चुकता अनुसूची दी जानी चाहिए।**

(vii) **परियोजनाओं की सफलता के लिए आगे पीछे के संपर्क उपलब्ध किए जाने चाहिए।**

19.17 स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) आई आर डी पी का ही एक घटक है जिसके तहत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के 18 से 35 वर्ष के आयु समूह में आने वाले ग्रामीण युवकों को तकनीकी तथा उद्यम से जुड़े कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाता है। 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम के प्रशिक्षित 65,875 युवकों में से 37,360 (55.71) युवक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के थे।

19.18 जवाहर रोजगार योजना राज्य में मजदूरी से जुड़े रोजगार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों में से प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। 1997-98 के दौरान राज्य ने 473 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 481.2 करोड़ रुपए (101.73%) का उपयोग किया। इस अवधि के लिए 562 लाख श्रम दिवस उत्पन्न करने का लक्ष्य था परंतु वास्तव में पैदा किए गए रोजगार के अवसर 600 लाख श्रम दिवस जो कि 106.73% उपलब्धि दर्शाता है। इस अवधि के दौरान पैदा

किए गए रोजगार के अवसरों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को 50.35% रोजगार मिला। 1997-98 के दौरान प्रगति नीचे सारणी में दर्शाई गई है-

क्र.सं.	श्रेणी	वित्तीय प्रगति (रु. लाखों में)			वास्तविक प्रगति (लाख श्रम दिवसों में)		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिश.	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
1.	अनु.जातियां	10642.85	10827.48	101.73%	123.73	34.86	244.53%
2.	अनु.जन.जा.	36658.71	37294.63	101.73%	438.27	297.63	67.91%
	कुल	47301.56	48122.11	101.73%	561.71	599.49	106.73%

19.19 परंतु सूचना मिली है कि ग्राम पंचायते अपने लेखाओं की समय पर लेखा परीक्षा नहीं करवाती और मजदूरी का भुगतान भी समय पर नहीं किया जा रहा है। इसलिए जे आर वाई के कार्यन्वयन की ध्यानपूर्वक मानीटर करने की आवश्यकता है।

शिक्षा

19.20 राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का शैक्षिक आधार संतोषजनक नहीं है। राज्य सरकार ने कई उपाय शुरू किए हैं जैसे शैक्षिक संस्थान खोलना, प्रोत्साहन देना, अनुशिक्षण और छात्रावास सुविधाएं आदि परंतु वांछित परिणाम हासिल करने के लिए इन उपायों को समन्वित करना और इनमें सामंजस्य स्थापित करना होगा। इन कार्यक्रमों के कारगर होने के रास्ते में आने वाली कमियों का पता लगाने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे ।

19.21 ऐसी सभी जातियों/जनजातियों का पता लगाने की भी आवश्यकता है जिनमें राज्य भर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की औसत साक्षरता दर से बहुत कम है और उनमें साक्षरता बढ़ाने के लिए विशेष उपाय करने की आवश्यकता है।

19.22 प्राथमिक तथा छोटे बुनियादी विद्यालय स्तरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की सकल भर्ती दर नीचे दी गई है:-

क्र.सं.		कक्षा 1 से 5 (6-11 वर्ष)			कक्षा-6 से 7 (11-14 वर्ष)		
	छात्र	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल
1.	अनु.जा.	72.9	35.1	53.3	46.2	14.8	32.1
2.	अनु.जन.जा	85.9	53.2	69.8	51.4	21.4	37.5
3.	सभी	85.2	59.9	73.4	62.4	32.6	49.0

स्रोतः- चुने गए शैक्षिक आंकड़े, 1996-97

19.23 जैसा कि देखा जा सकता है, प्राथमिक तथा माध्यमिक दोंनों स्तरों पर अनुसूचित जाति की लड़कियों की भर्ती बहुत कम है। भर्ती की प्रभाविकता का पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि राज्य सरकार शिक्षा बीच में छोड़ कर जाने वालों के बारे में आंकड़े प्रकाशित नहीं करती है।

19.24 मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां, छात्रावासों के निर्माण, आश्रम विद्यालय आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत 1997-98 के दौरान लगभग 9 लाख छात्र लाभान्वित हुए।

प्रौढ़ शिक्षा

19.25 15-35 वर्ष की आयु समूह में लोगों को शिक्षित करने के लिए राज्य में संपूर्ण साक्षरता अभियान (टी एल सी) चलाया जाता है। इसके अंतर्गत औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा से वंचित बच्चों को भी शिक्षित किया जाता है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को प्राथमिकता देना और उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना है जिनमें अनपढ़ लोगों की बहुतायत है। 1997-98 में यह कार्यक्रम 16 जिलों में कार्यान्वित किया गया और कुल 16,86,387 लोग भर्ती किए गए जिनमें से 6,02,718 (35.74%) लोग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के थे।

सेवा में सुरक्षोपाय

19.26 राष्ट्रीय आयोग ने राज्य सरकार को एक परिपत्र लिखा था जिसमें 1.1.98 को सेवाओं में अनु0 जातियों तथा अनु0 जनजातियों के वास्तुवक प्रतिनिधित्व के बारे में सूचना मांगी गई थी । इससे पहले राज्य कार्यालय ने अपेक्षित सूचना उपलब्ध करने के लिए कार्मिक विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग को भी पत्र भेजे थे । कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है । **राज्य सरकार को यह सूचना संकलित करनी चाहिए और तुरंत आयोग को भिजवानी चाहिए ।**

19.27 राज्य सरकार तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर उपलब्ध नवीनतम आंकडों से यह देखा गया है कि पदों में सभी समूहों में उनके प्रतिनिधित्व में भारी कमी रह गई है । अनुसूचित जातियों के लिए 21 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 प्रतिशत निर्धारित कोटा भरने के लिए विशेष भर्ती अभियानों के जरिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिएं । राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकारी सेवाएं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण अधिनियम के नाम से एक अधिनियम बनाया है । इस अधिनियम में नियोक्ता प्राधिकारियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई का उपबंध है जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करके नियुक्तियां करते हैं । वास्तव में यह एक अच्छा उपाय है और इससे विभिन्न सेवाओं में इन समुदायों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होनी चाहिए ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

19.28 यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राज्य के लगभग सभी भागों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं सूचित की जा रही हैं । अनुसूचित जनजातियों के मामले में जिनकी संख्या केवल 2.87 लाख है, अत्याचार की सूचनाएं आम तौर पर पुलिस के पास नहीं पहुंचती। आयोग के राज्य कार्यालय को दी गई सूचना के अनुसार, यह सूचित किया गया है कि हॉल के वर्षों में अत्याचार के मामले में कुछ कमी आई है। 1996 के दौरान अनुसूचित जातियों पर किए गए अपराधों और अत्याचारों के 11615 मामले पुलिस के पास दर्ज किए गए जबकि 1997 में इनकी संख्या 9256 थी। इनमें अधिकांश मामले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पी ओ ए) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज किए गए हैं। **1996 के दौरान इस अधिनियम के तहत 5631 मामले तथा 1997 में 3439 मामले दर्ज किए गए।** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन पर एक अध्ययन

आरंभ किया है। परंतु आयोग के लिए यह एक चिंता का विषय है कि पुलिस तथा न्यायालयों द्वारा अत्याचार के मामलों का निपटान बहुत धीमा है। अन्वेषण और अभियोजन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार को तुरंत उपाय करने चाहिए।

19.29 राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अत्याचार के शिकार लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती आई है। राहत के भुगतान के संबंध में विस्तृत अनुदेश तारीख 17.10.95 के जी.ओ. सं. 4578/ 26.3.95 (256) में जारी किए गए हैं।

19.30 अत्याचार के शिकार लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है। अत्याचार के शिकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को राहत देने तथा उनके पुनर्वास के लिए राज्य समाज कल्याण विभाग ने एक आपातिक योजना भी तैयार की है। राज्य का यह उपाय सराहनीय है। परंतु राज्य सरकार को इस आयोग का प्रभावी कार्यान्वयन अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय XX

पश्चिम बंगाल

1991की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या 6,80,77,965 थी जिसमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या क्रमशः 1,60,80,611 तथा 38,08,760 थी जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 23.62 प्रतिशत तथा 5.59 प्रतिशत थी। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर क्रमशः 42.21 प्रतिशत तथा 27.78 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में राज्य में समूचे रूप से आम साक्षरता दर 57.7प्रतिशत थी। आम महिलाओं में साक्षरता की दर 45.56 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जाति की महिलाओं में 28.27 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 15 प्रतिशत थी जो विशेष रूप से चिन्ता का विषय है।

आर्थिक विकास - एएसपी/टीएसपी का कार्यान्वयन

20.2 वर्ष 1997-98 के दौरान वार्षिक योजना परिव्यय तथा विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) को धनराशि का प्रवाह नीचे दर्शाया गया है:--

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. का प्रवाह	%	व्यय	%
1997-98	3922	300	7.66	175	4.45

20.3 उपर्युक्त सारणी यह दर्शाती है कि निधियों का प्रवाह बिल्कुल अपर्याप्त है और यह राज्य में अनुसूचित जाति की 24 प्रतिशत जनसंख्या के अनुपात के कही भी निकट नहीं है अत्यंत दुख की बात है कि धनराशी के इस मामूली से प्रवाह का (7.66) भी उपयोग नहीं किया जा सका। केवल 4.45 प्रतिशत राशि ही खर्च की जा सकी जो निर्धारित प्रतिशतता से बहुत ही कम थी। 1998-99 के दौरान एस.सी.पी. को मिलने वाला धनराशि का प्रवाह पिछले वर्ष से कम हो गया अर्थात 5.12 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल सरकार वास्तविक व्यय के आकड़े प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस प्रकार एस.सी.पी. के लिए धनराशि का आबंटन और उनके व्यय की स्थिति चिंताजनक है। यह विषय पश्चिम बंगाल सरकार के ध्यान में लाया गया है जिन्होंने आश्वासन दिया है कि एस.सी.पी./ टी.एस.पी. के अन्तर्गत धनराशि के आबंटन में वृद्धि की जाएगी।

एस.सी.पी. के लिए विशष केंद्रीय सहायता

20.4 वर्ष 1997-98 के लिए भारत सरकार ने एस.सी.पी. तथा टी.सी.पी. को एस.सी.ए. के रूप में क्रमशः 2849 लाख रूपए तथा 1600 लाख रूपए जारी किए । बंगाल सरकार ने जारी की गई पूरी राशि का उपयोग किया। राज्य सरकार ने एक प्रणाली शुरू की है जिसके माध्यम से ब्लॉक स्तर पर स्कीमें बनाई जाती है और इनकी सिफारिश ज़िला कल्याण समिति द्वारा की जाती है। ज़िला कल्याण समिति को इन योजनाओं का अनुवीक्षण और कार्यान्वित करने का काम भी सौपा गया है। पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम द्वारा परिवारों के लिए आर्थिक स्कीमें निष्पादित की जा रही है।

जनजातीय उप योजना

20.5 34 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं है (आईटी.डी.पी.) जो 15 ज़िलों में फैली हैं। लगभग 45 प्रतिशत जनजातीय लोग आई.टी.डी.पी. क्षेत्र से बाहर रहने है, पूरे पश्चिम बंगाल में बिखरी उनकी जनसंख्या के कारण राज्य सरकार ने राज्य योजना में से धनराशि मंजूर की है और भारत सरकार से विशेष केंद्रीय सहायता (एस.सी.ए.) के रूप में धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, आई.टी.डी.पी. क्षेत्रों से बाहर रह रह जनजातीय लोगों को टी.एस.पी. स्कीम का लाभ पहुँचाया जाएगा।

20.6 निम्नलिखित विवरण में वर्ष 1997 के दौरान राज्य योजना परिव्यय, टी.एस.पी. के धनराशि का प्रवाह तथा राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय दिखाया गया है।

(रूपए करोड़ों में)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	टी.एस.पी. के प्रवाह(प्रस्तावित)	%	व्यय	%
1997-98	3922	103	2.63	55	1.39

20.7 उपर्युक्त सारणी से यह पता चलता है कि वार्षिक योजना परिव्यय के अन्तर्गत टी.एस.पी. को धनराशि प्रवाह राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशतता से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त आबंटित की गई राशि में से लगभग 50 प्रतिशत धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। टी.एस.पी./एस.सी.पी. को धनराशि निधियों के प्रवाह की प्रतिशतता 1998-99 में भी नहीं बढ़ाई गई है। इसलिए सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार को एस.सी.पी./टी.एस.पी. कार्यक्रमों में अन्य क्षेत्रक विभागों की योजनाओं को भी शामिल करना चाहिए। राज्य योजना परिव्यव में से भी टी.स.पी./एस.सी.पी. के लिए आवंटन में वृद्धि करने की भी तुरंत आवश्यकता है।

वित्तीय निगम

20.8 गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जनजाति परिवारों को सहायता पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास और वित्त निगम द्वारा दी जा रही है। यह सहायता उन्हें आमदनी जुटाने वाली स्कीमों के लिए मांर्जिन राशि ऋण तथा सब्सिडी देकर दी जाती है।

20.9 वर्ष 1997-98 के दौरान निगम ने परिवारों के लिए आय जुटाने वाली योजनाओं के अन्तर्गत 60375 अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को 20.48 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की।

20.10 यह निगम मुक्त किए गए स्वच्छकारों के पुनर्वास की स्कीमें कार्यान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी भी है। इन स्कीमों के अन्तर्गत सूअर पालन, स्टेशनरी दुकान, फल बेचने, फर्नीचर बनाने, रिक्शा वैन, डेरी, टी-स्टाल आदि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

20.11 इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को सीधे निगम से मार्जिन राशि, सब्सिडी और विशेष ऋण मिलता है और लाभार्थियों को बैंको से वाणिज्यिक ऋण नहीं लेने पड़ते। 1997-98 के दौरान

लाभार्थियों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया किन्तु इस वर्ष के लिए कुल मिला कर 127 लाभार्थियों को 14.47 लाख रूपए के विशष ऋण दिए गए जिसमें से 5.27 लाख रूपए सब्सिडी के रूप में थे।

2012 निगम द्वारा इन.एस.एफ.डी.सी. से संबद्ध स्कीमें भी कार्यान्वित की जा रही है। 1997-98 के दौरान, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 158 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को विभिन्न स्कीमों से लाभान्वित किया गया है जैसा आटो रिक्शा, आटो वैन, पावर टिलर, सिलेसिलाए कपड़े डीजल टैक्सी, कुक्कुट पालन, फोटों कापी आदि। यह लाभ 134.51 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दे कर पहुँचाया गया है जिसमें 11.40 लाख रूपए सब्सिडी के रूप में भी शामिल है।

पश्चिमं बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लि0

20.13 पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम लि0 (डब्लु.बी.टी.डी.डी.सी.) की स्थापना विभिन्न प्रकार की विकास स्कीमों के द्वारा गरीब और शोषित ग्रामीण-जनजातीय लोगों का सहज आर्थिक विकास बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस निगम ने 116 "लैम्पस" (बड़े आकार की बहु-उद्देश्यीय सहकारी समितियां) तथा दो महिला समितियां गठित की है। इनके मुख्य कार्य लघु वन उम्पाद प्राप्त करने और इसकी बिक्री से संबंधित है क्योकि टी.डी.सी.सी. के सभी कार्यकलाप "लैम्पस" तथा महिला समितियों के माध्यम से किए जाते है।

शिक्षा

20.14 राज्य में साक्षरता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए है। प्रत्येक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति गांव में एक प्राथमिक विधालय उपलब्ध कराया गया है और विधालयों में अध्यापको की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता सुदृढ़ की गई है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए और छात्रावास खोलने पर भी जोर दिया गया है। 1124 मैट्रिकोतर छात्रों के लिए राज्य के 8 ज़िलों में 15 केंद्रीय छात्रावास है। इनमें से 4 छात्रावास पूर्णतः अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए तथा 2 अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए है। राज्य सरकार 201 आश्रम छात्रावास भी चला रही है जिनमें से 178 छात्रावास लड़कों के लिए तथा 23 लड़कियों के लिए है इनमें अनुसूचित जाति के 32022 तथा अनुसूचित जनजाति के 28000 छात्र रह सकते है। छात्रवास में रहने वालों को 10मास के लिए 300 रूपए अनुरक्षण भत्ते के रूप में मिलते है। राज्य सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पुस्तक अनुदान, परीक्षा-शुल्क, छूट और विशेष योग्यता छात्रवृत्ति स्कीमें भी चला रही है।

सेवा संबंधी सुरक्षण

20.15 राज्य सरकार पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं तथा पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 1976 के उपबंधों को कार्यान्वित करती चली आई है। सीधी भर्ती और पदोन्नतियों में आरक्षण की सीमा अनुसूचित जातियो के लिए 22 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत है।

20.16 आरक्षण के सांविधिक प्रावधानों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त आरक्षण आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक आरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। जिले में, जिला न्यायाधीशों को यह देखने की जिम्मेदारी सोंपी गई है कि सभी वर्गो के पदों के लिए आरक्षण नीति पूरी तरह से कार्यान्वित की जाती है। वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करना या नियुक्ति रजिस्टर न

रखना और धारा 4 तथा 5 में दिए गए उपबंधों का नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा उल्लंघन, पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं तथा पदों में रिक्तियों का आरक्षण) अधिनियम, 1976 में 1996 के एक संशोधन द्वारा दण्डनीय बना दिया गया है।

20.17 उपयुक्त नियमों और विनियमों के बावजूद राज्य सरकार विभिन्न विभागों में अलग-अलग सेवाओं तथा पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधत्व को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत नहीं कर पाई है।

अत्याचार

20.18 राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार का कोई मामला घटित नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकार ने सभी जिलो को शामिल करते हुए 17 विशेष न्यायालय स्थापित किए है। गृह विभाग तथा पिछड़ें वर्ग कल्याण विभाग ने यह सुनिश्चित किया कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध अपराध का कोई मामला घटित न हो।

अध्याय XXI

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में 572 द्वीप हैं और इसका भौगोलिक क्षेत्र 8249 वर्ग किलोमीटर का है। यह बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग के दक्षिण में 60 ओर 40 के उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है और 700 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1991 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल आबादी 2,80,661 है। यह पांच आदि जनजातियों की मूल भूमि है। ये द्वीप दो समूहों में अलग अलग बंटे हुए हैं, अर्थात अंडमान और निकोबार समूह, जिन्हें चेनल 10 अलग करती है जो लगभग 145 किलोमीटर चौड़ी है। अंडमान द्वीपों का समूह का परिसीमन अंडमान जिले के रूप में किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 6808 वर्ग किलोमीटर है, जबकि निकोबार द्वीपों के समूह से निकोबार जिला गठित होता है, जिसका क्षेत्रफल 1841 वर्ग किलोमीटर है। अंडमान द्वीपसमूह नीग्रो संजाति की चार आदिम जातियों, अर्थात अंडमीनीज़, जाखास, ओंग और संटीनीलीज़ का संक्रमणकालीन निवास-स्थान है और 1991 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या अनुमानतः 426 है। ओंग की मौजूदा जनसंख्या केवल 98 है। यह आदिम जाति दुगोंग उपनदिका और लिटल अंडमान की खाड़ी के दक्षिण में बसी हुई है। ग्रेट अंडमानीज़ स्ट्रेट द्वीप पर बसी हुई है और उनकी अनुमानित जनसंख्या केवल 28 है। जारावास और सेंटीनीलीज़ की अनुमानित जनसंख्या क्रमशः 200 और 100 है।

21.2 मौदगल्य संजाति की दो जातियां निकोबार द्वीपों अर्थात निकोवारीज़ और शोम्फेन्ज़ में रहती हैं। वे निकोबार द्वीपों के, जिसे निकोबार जिला कहते है, 156 गांवों में बिखरी हुई हैं और इन गांवों की कुल 39,208 की जनसंख्या में इनकी अनुमानित जनसंख्या 6000 (1991 की जनगणना) है। शोम्फेन, जिनकी आबादी लगभग 135 है, और अन्य 4 आदिम जातियों के लोग मुख्य रूप से खाद्य एकत्र करने वाले और शिकारी हैं और अर्थव्यवस्था की आदिम अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं। निकोबारीज़ कृषि-कर्मी है और अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत ऊंची अवस्था में रहते है। जारवात दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी तट पर रहते हैं। मध्य अंडमान को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन द्वारा जनजातीय आरक्षित स्थल घोषित किया गया है। इन 5 आदिम जातियों के अलावा, अन्य जनजातियों के लोग भी इन दो द्वीपसमूहों में रहते हैं, जिनकी संख्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 9.54 प्रतिशत के बराबर है। 1991 की जनगणना और अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि इस संघ राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जातियों के कोई लोग नहीं बसते। लेकिन बंगला देश से शरणर्थियों के रूप में आए अनुसूचित जातियों के बहुत से लोगों को भारत सरकार के शरणार्थी सहायता और पुनर्वास विभाग द्वारा वर्ष 1980 में यहां फिर से बसाया गया था। **इस आयोग ने अपनी पहले की रिपोर्टों में इस महत्वपूर्ण समस्या के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त की थी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन और जनगणाना विभाग का ध्यान इस मुद्दे की ओर दिलाया था।**

जनजातीय उप-योजना

21.3 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन ने जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास और अन्हें बाहरी शोषण से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार की जनजातीय उप-योजना की कार्यनीति अपनाई है। समूचा निकोबार जिला, ग्रेट निकोबर द्वीप की तीन पंचायतों को छोड़कर, जनजातीय उप-योजना क्षेत्र है। आई.टी.डी.पी. ऊपर उल्लिखित समूचे क्षेत्र पर लागू होती है।

/निकोबार जिले की कुल जनसंख्या 39208 है, जिसमें जनजातियों की जनसंख्या (1991 की जनगणना के अनुसार) 26,770 है। इन जनजातियों की पारम्परिक संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए, बाहर के गैर-जनजातीय/जनजातीय लोगों को उस क्षेत्र में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं है, जहां आदिम जनजातीय समूहों के लोग बसें हुए है। अंडमान के स्थानीय जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, टी.एस.पी. स्कीमों के शुरू होने के समय से आदिमजाति सेवक समिति बनाई गई है। इस संगठन के अध्यक्ष अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के राज्यपाल हैं। यह संगठन केवल आदिम जातियों के कल्याण के मुद्दों को देखता है। अन्य जनजातीय विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एक आई.टी.डी.पी. समिति द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष निकोबार के डिप्टी कमिश्नर हैं। जनजातीय कल्याण विभाग में एक अनुसंधान कक्ष है जो चल रही स्कीमों के कार्यान्वयन की मानीटरिंग और उनका मूल्यांकन करता है। अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह का प्रशासन समूचे जनजातीय क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक विकास स्कीमें और जनजातीय लोगों के लिए परिवार-उन्मुख और आर्थिक-विकास की स्कीमें कार्यान्वित करता है। इन बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर, स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए टी.एस.पी निधियों विभिन्न क्षेत्रीय विभागों को उपलब्ध की जाती हैं। इस संघ राज्यक्षेत्र में जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई केन्द्रक बजट तैयार नहीं किया जाता इसके स्थान पर, टी.एस.पी. स्कीमों के लिए बजट-व्यवस्था विभागों के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के उप-शीर्षों के अन्तर्गत की जाती है। संघ राज्यक्षेत्र के कुल 31 क्षेत्रकीय विभागों में से केवल 21 विभागों ने जनजातीय लोगों के लिए आवश्यकता-आधरित स्कीमें तैयार की हैं।

21.4 1997-98 में कुल राज्य योजना परिव्यय और टी.एस.पी. के लिए निर्धारित राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कुल योजना	टी.एस.पी. के लिए सम्मत राशि	कुल परिव्यय की तुलना में टी.एस.पी के परिव्यय की प्रतिशतता	वर्ष में टी.एस.पी. के अन्तर्गत किया गया व्यय	टी.एस.पी. के लिए सम्मत राशि की तुलना में टी.एस.पी. के तहत व्यय की प्रतिशतता
1997-98	25735.00	2551.655	9.91	2374.322	93.05

21.4 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय वर्ष के लिए टी.एस.पी. के लिए नियम की गई पूरी राशि जनजातीय लोगों के विकास के लिए खर्च की जाए।

टी.एस.पी. के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

21.5 भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 118.00 लाख रूपए की राशि जारी की गई थी, जिसमें से केवल 97.13 लाख रूपए का उपयोग किया गया। आदिम जातियों के विकास के लिए जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता और सन्दर्भ वित्त वर्ष के दौरान टी.एस.पी. के लिए प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता के क्षेत्रक-वार उपयोग के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्कीम

21.6 अंड्मान-आदिम जनजाति विकास समिति को मुख्य रूप से आदिम जनजातियों के कल्याण का काम और ग्रेड अंडमीनीज़ जारवास, ओंग, सेंटीनीलीज़ आर शेम्पेन के सर्वांगीण आर्थिक विकास

के लिए भारत सरकार द्वारा हर वर्ष दी जाने वाली **विशेष केन्द्रीय** सहायता का उपयोग करने का काम सौंपा गया है।

21.7 ग्रेट अंडमीनीज सबसे छोटे जनजातीय समूहों में से एक है और उनकी कुल जनसंख्या के 28 है। वे स्ट्रेट द्वीप में रहते हैं। उन्हे मुफ्त राशन, कपड़े, प्राथमिक शिक्षा, बिजली युक्त घर, चिकित्सकीय सहायता व मुर्गियों के लिए शेड आदि मुहैया किए जाते है। इसके अलावा, उनकी बस्ती में और उनके चारों और बगान उगाए गए हैं। पिछले वर्ष संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन ने उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण, औजारों के किट, आदि देने का विचार किया था, लेकिन इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि क्या वे स्कीमें क्रियान्वित की गई हैं अथवा नहीं।

21.8 जारावास और सेटीनीलीज़ अंडमान की 5 आदिम जनजातियों में सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण और संकोची जातियां है। उनके प्रतिकूल रवैए के कारण बाहरी लोगों/गैर-जनजातीय लोगों को उनके क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रशासन नारियल, केले, कपड़े, आदि के उपहारों के वितरण द्वारा उनके क्षेत्रों में नियमित रूप से जा कर उनके साथ अधिकारिक सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न करता है। लेकिन अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति ने जारावास जाति के जीवन को गहराई से समझने के लिए एक "प्रायोगिक परियोजना" हाथ में लेने का फैसला किया है। उसने जारावास भाषा का अध्ययन शुरू करने का भी निश्चय किया है और इस हेतु इंडियन इंस्टिट्यूट आफ लेंग्युएज, मैसूर के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है। सेंटीनीलीज़ के साथ सम्पर्क स्थापित करने की कोशिशें भी की जा रही है। इस प्रयोगिक परियोजना को शुरू करने के लिए जारवा जाति के लोगों को नियमित रूप से मैडिकल सेवाएं और अन्य सेवाएं प्रदान करने के वास्ते कदमतला में एक आधार शिविर की स्थापना करने का फैसला किया गया था। खाद्य संसाधनों को बढ़ाने के लिए, जगह-जगह पर बगान लगाए जा रहे हैं। प्रशासन ने इन जातियों के लिए पानी मुहैया करने के लिए पोट्टाटांग और तिरूर गांवों में नाले पर तटबंधों का निर्माण भी किया है।

21.9 ओंग दो स्थानों अर्थात दुगोंग उपनदिका (क्रीक) और लिटल अंडमान की दक्षिणी खाड़ी में बसे हुए हैं। इस जाति के लगभग 98 व्यक्तियों के लिए लकड़ी की झोपड़ियों, नल के पानी, मेडिकल उप-केन्द्र, बिजली, प्राथमिक स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, मछली पकड़ने की नाव और नारियल के बगानों की व्यवस्था की गई है। उनका व्यवसाय शिकार करना, खाद्य सामग्री एकत्र करना और मछली पकड़ना है। ग्रेट निकोबार द्वीप के शोम्पेन जाति के लोग विभिन्न वन-क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं। शोम्पेन लोगों के झोंपड़ियों के काम्पलेक्स में स्कूलों, औषद्यालय और सामुदायिक हाल की व्यवस्था की गई है। चूंकि शोम्पेन की आबादी बहुत बिखरी हुई है, इसलिए उन सबको विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कवर करना संभव नहीं है। वे कैम्पबल खाड़ी में रहते है और उनका व्यवसाय शिकार करना और खाद्य पदार्थ एकत्र करना है। उन्हें सस्ती (सब्सिडाइज्ड) कीमतों पर चावल, कपड़े और अन्य उपयोगी वस्तुएं दी जाती हैं और प्रत्येक वर्ष दवाएं, नारियल और अन्य फल भी सप्लाई किए जाते हैं।

21.10 अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष जिस **प्रयोगिक परियोजना का प्रस्ताव किया गया था, उसकी प्रगति के बारे में कोई** रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

शिक्षा

21.11 जनजातीय लोगों की आदिमकालीन अवस्था को देखते हुए, उनकी 56.62 प्रतिशत की साक्षरता दर प्रशंसनीय है। जैसाकि पहले कहा गया है, यह फिर से दुहराया जाता है कि प्रशासन को 5 आदिम जनजातीय समूहों की शिक्षा के बारे में अलग-अलग आंकड़े एकत्र करने चाहिएं, ताकि

भविष्य में आवश्यकता-आधारित योजना बनाई जा सके। 1991 की जनगणना के अनुसार, संघ राज्यक्षेत्र में 0-6 वर्ष की आयु-वर्ग के लगभग 46,000 बच्चे हैं। इनमें से 15,000 बच्चे 3-5 वर्ष के आयु-वर्ग के हैं, जिन्हें प्राथमिक शिक्षा के फीडिंग और सप्पोर्ट कार्यक्रम की श्रेणी के अन्तर्गत कवर किया गया है। इस समय, 68 स्कूलों (सरकारी और निजी दोनों) में प्राथमिक-पूर्व कक्षांए हैं और एकीकृत बाल विकास स्कीम के अन्तर्गत 255 आंगनबाड़ियां हैं. ताकि इन बच्चों की जरूरतों को पूरा किया जा सके; यह सब पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, शिक्षा निदेशालय के शिक्षा कक्ष के स्थानीय रूप से उपलब्ध प्रशिक्षित पदाधिकारियों की सहायता से, विशेष सहायता शिक्षा कार्यक्रम के कार्यकर्त्ताओं को भागीदारिता कार्यप्रणाली के जरिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सतत् शिखा कार्यप्रणाली के भाग के रूप में, जन शिक्षा निलयम समितियां इस संघ राज्यक्षेत्र में कार्य कर रही है। ऐसी 25 समितियों का वित्तपोषणा केन्द्रीय अनुदानों से और शेष का वित्तपोषण संघ राज्यक्षेत्र की धनराशियों से किया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के 300 लोगों को साक्षर बनाया गया। उन लोगों के लिए औपचारिक शिक्षा केन्द्र उपलब्ध हैं, जिन्हें नियमित सकूलों में जाने में कठिनाई होती है और जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बीच में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। अंडमान ओर द्वीपसमूह के प्रशासन ने जनजातीय लोगो की छोटी-छोटी अलग-अलग बस्तियां में 20 साक्षरता केन्द्र खोलने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मौजूदा स्थान का उपयोग करके या अतिरिक्त कमरों का निर्माण करके 20 प्राथमिक-पूर्व स्कूल खोजने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक मूल्य और आचरण विकसित करना और 20 अंश-कालिकायों खेल-सामग्री, खिलौनों, तस्वीरों वाली पुस्तकों, रेडियो, श्रव्य-हृश्य सामग्री आदि की सहायता से पर्यावर्णिक उद्दीपन प्रदान करना भी है। इस स्कीम के अनतर्गत पहले से नियुक्त पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूल अध्यापकों द्वारा ऐसे प्रयत्न किए जा रहे हैं।

21.12 सभी बच्चों को, जब तक वे 14 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, संविधान के नीति निदेशक तत्वों का एक भाग है। 12वीं कक्षा तक सबके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था है। समूचे राज्यक्षेत्र में पहली से पांचवीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है इस समय, यहां 291 प्राथमिक स्कूल और 114 मिडल स्कूल हैं, जिनमें प्राथमिक स्तर पर 30,930 छात्रों और मिडल स्तर पर 17,908 छात्रों का नामांकन है। अंडमान और निकोबार प्रशासन का प्रस्ताव उन स्थानों पर, जहां एक किलोमीटर के दायरे के अन्दर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करने और प्रत्येक दूसरे प्राथमिक स्तर का उन्नयन मिडल स्कूल के रूप में करने का है, ताकि मिडल स्कूलों और प्राथमिक स्कूलों के बीच का अनुपात 1:2 हो जाए। प्राथमिक स्तर पर 1-1-98 को अनुसूचित जनजातियों के 1835 लड़के और 1585 लड़कियां और मिडल स्तर पर 793 लड़के और 825 लड़कियां दाखिल थीं।

21.13 1997-98 में यहां पर 40 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और 27 माध्यमिक सकूल थे। इन द्वीपों में प्रारम्भिक शिक्षा के विरतार के फलसवरूप, माध्यमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। गैर-आरक्षित क्षेत्रों में जनसंख्या की बहुत कम सघनता के कारण, बच्चों का पर्याप्त संख्या में नामांकन नहीं होता। माध्यमिक स्कूल शिक्षा में तेजी से विस्तार होने के कारण, स्कूलों में पर्याप्त इमारतों, खेल के मैदानों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, आदि की व्यवस्था नहीं की जा सकी। इसके अलावा, मिडल सकूलों का दर्जा ऊंचा करके उन्हे माध्यमिक स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में बदलने की जरूरत है, ताकि 10 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक शिक्षा सुविधाओं की वयवस्था की जा सके। शिक्षा के स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए इन दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए अच्छी योग्यता प्राप्त प्रशिक्षित अध्यापकों को भर्ती किया जाना चाहिए। यह उत्साहजनक बात है कि अंडमान और निकोबार का प्रशासन अपनी छात्राओं को वनस्थली विद्यापीठ,

राजस्थान में भेजता है। व्यय का अधिकतर भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा, जनजातियों के शौक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उन्हें विशेष कोचिंग भी दिया जाता है।

स्वास्थ्य

21.14 जनजातीय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी जरूरतों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र स्थापित करके पूरा किया जाता है। स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए किसी विशिष्ट मानदंड का पालन नहीं किया जाता और कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में जनसंख्या संबंधी मानदंडों का ध्यान रखे बिना स्वास्थय केन्द्र स्थापित किए जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1सी.एच.सी. ओर 29 उप-केन्द्र हैं, और इसके अलावा एक जिला अस्पताल है। जनजातीय क्षेत्र में उप-केन्द्र, प्राथमिक सवास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कवर की गई औसत जनसंख्या क्रमशः 1275, 10500 और 42000 है, जबकि संघ राज्यक्षेत्र में एस.सी., पी.एच.सी. और सी. एच.सी. द्वारा कवर की गई औसत जनसंख्या क्रमशः 2225, 12500 और 65750 है। जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं, प्रशिक्षित कार्मिकों की उपलब्धता, औषधियों, आदि की व्यवस्था पर्याप्त रूप से सुनिश्चित की जाती है। इन द्वीपों में बहु-क्षेत्रकीय कार्यक्रम के रूप में 5 आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं हैं।

वन

21.15 अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह सुरक्षित वन नियम, 1986 की धारा 13 के उपबंधों के अंतर्गत, सभी आदिम जनजातियों के लोगों को अपने वास्तविक घरेलू उपभोग के लिए वनों से कोई भी वन-उत्पाद एकत्र करने की अनुमति है। इन द्वीपों में प्राकृतिक वर्षापोषित वन हैं जो 7171 वर्ग किलोमीटर भूमि में फैले हुए हैं। अनन्य रूप से वनसम्पतियों और पशु-पक्षियों के संरक्षण के लिए, ग्रेट निकोबार में 885.50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को जीवमंडल (बायोस्फीयर) के रूप से अलग आरक्षित किया गया है। जनजातीय लोगो की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जनजातीय क्षेत्र में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए बेंत और बांस जैसे गौण वन उत्पादों को उगाने का काम भी किया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लोगो द्वारा वनों से एकत्र उत्पादों की खरीद और उनके विपणन के विनियमन के लिए अभी तक कोई संस्थात्मक प्रबंध नहीं किए गए है।

सेवा संबंधी सुरक्षोपाय

21.16 प्रशासन भारत सरकार की, समय-समय पर यथा-संशोधित, आरक्षण-नीति का पालन कर रहा है। इस संबंध में कोई अलग अधिनियम/आदेश जारी नहीं किया गया है। इस संघ राज्यक्षेत्र में किसी जाति को अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया गया है। प्रशासन 1.1.91 से अनुसूचित जातियों के लिए समूह "ग" और "घ" के पदों में सीधी भर्ती में 12 प्रतिशत आरक्षण ओर पदोन्नति के संबंध 7.5 प्रतिशत आरक्षण की नीति का पालन कर रहा है। समूह "क" और "ख" के सभी पद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, भारत सरकार की आरक्षण संबंधी नीति का पालन करते हुए, भरे जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए सम्पर्क अधिकारी नियुक्ति के बारे में अभी तक कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए है। रिक्त पदों के अनारक्षण के लिए प्रशासन द्वारा कोई अलग प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनारक्षण के बारे में जारी किए गए अनुदेशों/मार्गनिर्देशों का पालन किया जाता है।

अत्याचार

21.17 रिपोर्टाधीन अवधि में अत्याचार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई। इसलिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपरोधों के बारे में कार्रवाई करने के लिए कोई विशेष न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है। लेकिन पोर्ट ब्लेयर में जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपराधों के निवारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में नामित किया गया है।

टिप्पणियां

21.18 अंड़मान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन को अनुसूचित जातियों के उन लोगों को, जो इस संघ राज्यक्षेत्र में स्थायी रूप से रहते हैं, जनगणना में शामिल करने के भरसक प्रयत्न करने चाहिएं। आदिम जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सभी संभव कदम प्राथमिकता के आधार पर उठाए जाने चाहिएं। आदिम जनजातियों की सामाजिक-सांस्कृतिक विशेषताओं और पर्यावरण संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए इन जनजातीय समूहों के विकास के कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिएं। सर्वोच्च प्राथमिकता आदिम जनजातियों स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को दी जानी चाहिए। विशेषज्ञों की सहायता से, आदिम जनजातियों की संख्या में कमी होने के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए और उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए अविलम्ब कदम उठाए जाने चाहिएं। अंडमान और निकोबार प्रशासन आयोग के कलकत्ता स्थित राज्य कार्यालय के अधिकारी को संघ राज्यक्षेत्र की योजना समिति में सदस्य के रूप में अवश्य शामिल करना चाहिए, ताकि वह जनजातीय उप-योजना को तैयार करने में भाग ले सके।

अध्याय XXII

चंड़ीगढ़

1991 की जनगणना के अनुसार चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 16.51 प्रतिशत के बराबर है। अनुसूचित जातियों के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और कृषि मजदूरों के रूप में काम करना है। आमतौर पर, यह देखा गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विशेष संघटक योजना के लिए दी जाने वाली धनराशि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुरूप नहीं होती। आयोग की पहले की रिपोर्टों में यह कहा गया था कि प्रशासन को विशेष संघटकर योजना के अन्तर्गत नियम की जाने वाली राशि को अवश्य बढ़ाना चाहिए और इसे कम से कम संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप स्तर तक लाना चाहिए।

22.2 अनुसूचित जातियों के लोगों की 55.44 प्रतिशत की साक्षरता काफी ऊंची है। दरअसल, इस संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा की जो सुविधाएं हैं, वे देश में उपलब्ध सर्वोत्तम सुविधाओं में से एक हैं। इस कारण, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र ओर हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के अनुसूचित जातियों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ आते हैं। यह महसूस किया जाता है कि चंडीगढ़ प्रशासन को वोकेशनल/प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संघ राज्यक्षेत्र के मूल में भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कुछ सीटें आरक्षित करने पर विचार करना चाहिए। इसी प्रकार, प्रशासन को अनुसूचित जनजातियों के उन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को भी बहाल कर देना चाहिए, जिन्हें प्रशासन द्वारा उस नई नीति के लागू होने से पहले भर्ती किया गया था, जिसके अन्तर्गत प्रशासन ने अनुसूचित जनजातियों के लिए ग और घ श्रेणी के पदों में कोई आरक्षण नहीं रखा है।

अध्याय XXIII

दादरा तथा नगर हवेली

संघ शासित क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली का क्षेत्रफल केवल 491 वर्ग कि.मी. है और यह गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों से घिरा हुआ है। 1991 की जनगणना के अनुसार 78.99 प्रतिशत लोग अनुसूचित जनजातियों के है और 1.97 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर क्रमशः 77.64 प्रतिशत और 28.21प्रतिशत है, जबकि संघ शासित क्षेत्र में सामान्य जनता में साक्षरता दर 40.71प्रतिशत है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर बहुत कम है। यह पुरूषों के लिए 40.75 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 15.94 प्रतिशत है। संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को अनुसूचित जनजाति की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता स्तर में सुधार हो सकें। क्षेत्र में शिक्षा सुविधाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के बच्चों में स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़नें वाले छात्रों का अनुपात बहुत अधिक है। क्योंकि खराब आर्थिक स्थिति के कारण माता-पिता सामान्यतः अपने बच्चों को विधालय नहीं भेजना चाहते। इसी प्रकार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में उच्च शिक्षा के प्रसार के लिए उच्च शिक्षा संस्थाएं खोलने की तत्काल आवश्यकता है

23.2 संघ शासित क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। अनुसूचित जनजातियों की लगभग 89.36 प्रतिशत आबादी कृषि में लगी हुई है और प्रशासन को चाहिए कि जनजातीय लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए विशेष प्रयास करें। प्रशासन ने कृषि की उत्पादकता बढ़ानें के लिए कुछ उपाय किए हैं यथा फसलों की उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीज़ों का वितरण, उर्वरकों का वितरण पेड़ संरक्षण, उपकरण तथा दवाओं को उपलब्ध कराना, वणिज्यिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहन आदि। कुक्कुट पालन तथा खेती के लिए इमदाद तेल इंजन, विधुत पंप पी.वी.सी. पाइपों आदि की आपूर्ति जैसी स्कीमों को भी लागू किया जा रहा है। फिर भी प्रशासन को चाहिए कि संघ शासित क्षेत्र में जनजातियों के लिए आमदनी पैदा करने वाली स्कीमें शुरू करने के लिए और अधिक राशि आबंटित करे।

23.3 इस संघ क्षेत्र में अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी होने के बावजूद राज्य में कोई जनजातीय उप-योजना नहीं है। यह भी देखा गया है कि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित राशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है।

23.4 इस संघ शासित क्षेत्र के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों को परेशान करने वाली कुछ विशिष्ट समस्याएं है। उनमें से कुछ हैं---

(क) अनुसूचित जाति के लिए पेय जल की अपर्याप्त सुविधाएं, विशेषतः पहाड़ी इलाके में।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आवास की अपर्याप्त सुविधाएं।

(ग) अनुसूचित जनजाति युवाओं में बेरोजगारी।

23.5 इस संघ शासित क्षेत्र के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम ने कुछ आमदनी पैदा करने वाली स्कीमें बनाई तो हैं किंतु वे इन समस्याओं को हल करने में

पर्याप्त प्रभावी नहीं हो पाई हैं। यह देखा गया है कि कम धनराशि के आबंटन और कार्यान्वयन में ढील के कारण अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय की दीर्धकाल से चली आ रही इन समस्याओं को हल करने के लिए संघ शासित क्षेत्र प्रशासन को सतत प्रयास करने होंगे।

23.6 सेवा में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति के 2प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। तथापि पदोन्नति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत तथा 7 प्रतिशत आरक्षण है। वर्ग "क" तथा "ख " में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व 2 प्रतिशत से कम है। प्रशासन को सेवाओं में अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।

23.7 इस संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों की घटनाएं नगण्य है यहाँ प्रशासन ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए एक विशेष अदालत शुरू की है। सिलवासा स्थित दादरा तथा नगर हवेली के जिला एवं सत्र न्यायालय को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पी.ओ.ए., 1989 के अंतर्गत विशेष अदालत निदिष्ट किया गया है।

अध्याय XXIV

दमन तथा द्वीव

संघ शासित-क्षेत्र दमन तथा द्वीव में दो जिले हैं। दमन और द्वीव-जो एक दूसरे से 800 किमी दूर हैं। यह संघ शासित क्षेत्र 30 मई, 1987 को अस्तित्व में आया था। संघ शासित क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमशः 3.84 और 11.54 है। संघ शासित क्षेत्र की कुल जनजातीय जनसंख्या में से लगभग 99 प्रतिशत दमन ज़िले में रहती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सहित संघ शासित-क्षेत्र का साक्षरता स्तर, काफी ऊंचा है। लगभग एक-तिहाई अनुसूचित जाति कार्यकता कृषि मजदूर हैं जो अपेक्षाकृत कम आय वाला व्यवसाय है। जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत आवंटन तथा व्यय 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9.76 प्रतिशत था और 9 वीं योजना में 8.97 प्रतिशत था जो जनजातीय जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में कम है। संघ शासित क्षेत्र को जनजातियों के कल्याण के लिए टी.एस.पी. को राशि का प्रवाह बढ़ाना चाहिए।

24.2 1986 के दौरान ग्राम पंचायते स्थापित कर दी गई थी। वर्ष 1995-96 के दौरान दमन तथा द्वीव ज़िलों के लिए एक सम्मिलित ज़िला पंचायत स्थापित कर दी गई है। दमन को एक सामुदायिक विकास ब्लॉक माना जाता है। ग्रामीण विकास के सभी कार्यक्रम यथा संचार, सिंचाई, सामाजिक कल्याण आदि ब्लॉक विकास अधिकारी के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य हैं कि लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर के ग्रामीण लोगों का जीवन स्तर सुधारा जाए और सामग्रीय तथा मानव संसाधनों का पूरा विकास किया जाए। आई. आर. डी.पी.के अन्तर्गत सभी कार्यक्रम ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अधीन परियोजना अधिकारी, निदेशक, आर.डी.ए. के माध्यम से निष्पादित किए जा रहे हैं। टी.एस.पी. के अंतर्गत जनजातियों के विभिन्न प्रयोजनों के लिए हर पंचायत में एक सामुदायिक केन्द्र की व्यवस्था कर दी गई हैं।

24.3 राज्य सरकार द्वारा 1.1.96 को सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के बारे में दी गई जानकारी के अनुसार वर्ग 'क' तथा 'ख' पदों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। वर्ग 'ग' पदों में भी यह उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है। प्रशासन को सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।

24.4 दमन तथा द्वीव के संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार की घटनाएं नगण्य हैं। 1997-98 के दौरान अत्याचार की किसी घटना की सूचना नहीं है।

अध्याय XXV

दिल्ली

प्रशासनिक रूपरेखा

1993 से पहले दिल्ली में सीमित शक्तियों वाली एक महानगर परिषद थी और उसकी सीमाओं के अन्दर काम करने वाले बहुत से अन्य प्राधिकरण थे। पहली दिसम्बर, 1993 को दिल्ली के लिए एक विधान सभा और उसकी एक अपनी समेकित निधि की व्यवस्था की गई। दिसम्बर 2, 1993 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रि-परिषद का गठन किया गया, जिसका काम उप-राज्यपाल को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए सलाह और सहायता देना था। विधान सभा को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था पुलिस और भूमि को छोड़ कर, राज्य-सूची में उल्लेखित किसी भी मामले के बारे में, जहां तक ऐसा कोई मामला संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता हो, कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये तीनों विषय आरक्षित विषयों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पास रखे गए हैं और उनका सीधा प्रशासन उप-राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के अलावा, तीन स्थानीय निकाय हैं, अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण, जो भारत सरकार के शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालाय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। भारत सरकार भी दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

25.2 डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय का, जो विकास कार्यों के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में है, पहली जनवरी, 1997 को विकेन्द्रीकरण किया गया और लोगों की सहूलियत के लिये उप-रजिस्ट्रारों के 9 कार्यालयों सहित 9 जिले और 27 तहसीलें बनाई गई। सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों के खिलाफ उत्पीड़न और निष्क्रियता, आदि के बारे में लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक लोक शिकायत आयोग गठित किया गया है। सभी विभागों को नागरिकों का चार्टर तैयार करने और कम्प्यूटरीकृत सुविधा केन्द्रों की स्थापना करने की हिदायतें दी गई हैं।

भौगोलिक रूपरेखा

25.3 दिल्ली का, जो भारत संघ की राष्ट्रीय राजधानी है, भौगोलिक क्षेत्रफल 1483 वर्ग किलोमीटर है और लम्बाई तथा चौड़ाई क्रमशः 51.90 किलोमीटर और 48.48 किलोमीटर है। 1483 वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्र में से 685.34 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र है और 797.34 वर्ग किलोमीटर देहाती क्षेत्र है। दिल्ली की सीमाओं के भीतर 209 गांव हैं।

जनांकिकीय रूपरेखा

25.4 दिल्ली की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1981 में इसकी आबादी 62.20 लाख थी, जो बढ़ कर 1991 में 94.21 लाख हो गई अर्थात एक दशक में 51.46 प्रतिशत वृद्धि हुई। इस वृद्धि में स्वाभाविक संवृद्धि और बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी शामिल है। अनुमान है कि हर वर्ष लगभग 2 लाख व्यक्ति दिल्ली में आते हैं और स्थाई रूप से यहां बस जाते है और इस शहर की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में योगदान करते हैं। दिल्ली का शहरी क्षेत्र इसके कुल क्षेत्र के 47.2

प्रतिशत के बराबर है और दिल्ली की लगभग 90 प्रतिशत आबादी यहीं रहती है 1991 की जनगणना के अनुसार, दिल्ली में जनसंख्या का घनत्व 6352 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था।

25.5 दिल्ली में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। 1981 की जनगणना के अनुसार यह 11.22 लाख थी, जो दिल्ली की कुल जनसंख्या के 18.03 प्रतिशत के बराबर थी। तब के बाद बढ़ कर यह 1991 में 17.95 लाख हो गई; जो कुल जनसंख्या के 19.05 प्रतिशत के बराबर है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या में जो असाधारण वृद्धि हुई है, उसका कारण स्वाभाविक संवृद्धि के अलावा, बड़े पैमाने पर अप्रवास होना बताया जाता है।

25.6 दिल्ली में किसी जाति की गणना अनुसूचित जनजाति के रूप में नहीं की गई, क्योंकि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया। दरअसल, दिल्ली में अनुसूचित जनजातियों के बहुत से लोग रहते हैं, जो केन्द्रीय मंत्रालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजन के सिलसिले में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों दिल्ली में आए हैं। इस प्रकार की श्रेणियों के अलावा, अनुसूचित जनजातियों के बहुत से लोग गैर-सरकारी क्षेत्र में, विशेष रूप से भवन-निर्माण उद्योग में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से भी दिल्ली आते हैं।

साक्षरता की स्थिति

25.7 1991 की जनगणना के अनुसार, साक्षरता के क्षेत्र में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में दिल्ली का स्थान पांचवा है। दिल्ली में साक्षरता की दर 75.29 प्रतिशत है। पुरूषों के मामले में यह 82.01 प्रतिशत और महिलाओं में 66.99 प्रतिशत है। इसकी तुलना में, अनुसूचित जातियों की साक्षरता-दर 57.60 प्रतिशत है; पुरूषों की 68.77 प्रतिशत और महिलाओं की 43.83 प्रतिशत।

आर्थिक विकास

25.8 छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ होने के समय से, विशेष संघटक योजना की कार्यनीति के जरिए अनुसूचित जातियों के लोगों के आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान की गई है। इस कार्यनीति के अनुसार सभी विभाज्य क्षेत्रकों में, संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार, परिव्यय अलग से निर्धारित किए जाते हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने भी अपनी वार्षिक योजना की तैयारी के भाग के रूप में विशेष संघटक योजना तैयार की है। विशेष संघटक योजना तैयार करते समय, राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकार को विभिन्न क्षेत्रकों और केन्द्र-प्रयोजित स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित परिव्ययों विशेष केन्द्रीय सहायता(विशेष संघटक योजना के लिए), अनुसूचित जाति विकास निगम को उपलब्ध कराई गई धनराशि, और अनुसूचित जातियो के लाभभोगियों को अपनी आय बढ़ाने और गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के वास्ते बैंक ऋणों के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाले संस्थात्मक वित्त को हिसाब में लेना होता है।

विशेष संघटक योजना

25.9 भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार, विशेष संघटक योजना का परिव्यय कम से कम राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने इन मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के 15,54,128.00 लाख रूपए के कुल अनुमोदित परिव्यय की तुलना में विशेष संघटक योजना के लिए 1,07,632.05 लाख रूपए का परिव्यय रखा गया है, जो कुल अनुमोदित परिव्यय के 6.93 प्रतिशत के बराबर है। वर्ष-वार अनुमोदित परिव्यय और विशेष संघटक योजना का आकार इस प्रकार है:-

(लाख रूपए)

योजना	अनुमोदित परिव्यय	विशेष संघटक योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय	प्रतिशतता
नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)	15,54,128.00	1,07,632.05	6.93
वार्षिक योजना (1997-98)	2,33,173.00	20,501,03	8.79
वार्षिक योजना (1998-99)	2,68,116.00	21,144.98	7.89

25.10 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार के मुख्य सचिव ने अपने दिनांक 17 सितम्बर, 1998 के अर्ध-सरकारी पत्र संख्या 5(1)/98-99/एस.सी.पी.1208 द्वारा आयोग को यह सूचित किया है कि " हम विशेष संघटक योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने में भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का कड़ाई से पालन करते रहे हैं, लेकिन कतिपय मजबूरियों के कारण, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है, विशेष संघटक योजना (एस.सी.पी.) के लिए नियम की जाने वाली राशियां राज्य योजना के लिए नियम की गई कुल राशि के 19 प्रतिशत के बराबर नहीं पहुंच सकी हैं, जो कि दिल्ली की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता है।

25.11 अन्य राज्यो में एस.सी.पी. की स्कीमें " कृषि और संबद्ध सेवाएं " क्षेत्रक में शामिल की जाती हैं, लेकिन दिल्ली में तेजी से हो रहे शहरीकरण और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए भूमि के अभिग्रहण के कारण "कृषि " अब एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नहीं रहा है। परिणामतः, पशुपालन, मछलीपान और मक्खी-पालन जैसे इसके उप-क्षेत्रकों के क्रियाकलापों का दायरा भी बड़ा सीमित है, जिसके फलस्वरूप इस समूचे क्षेत्रक के लिए और इसके परिणामस्वरूप एस.सी.पी. के लिए भी परिव्यय बहुत कम होता है।

25.12 भारत सरकार के राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इन्दिरा आवास योजना, आदि जो मुख्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए हैं और जो अन्य राज्यों में भारी परिव्यय से कार्यान्वित किए जा रहे हैं, दिल्ली में कार्यान्वित नहीं किए जा रहे और इसलिए विशेष संघटक योजना का परिव्यय कम है।

25.13 शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, विद्युत, जल-पूर्ति, आदि जैसे क्षेत्रकों के लिए निर्धारित परिव्यय को विशेष संघटक योजना के परिव्यय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इन

क्षेत्रकों की सेवाओं को सामान्य जनता और अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए सांझा समझा जाता है।

विशेष संघटक योजना के लिए नियत राशि और किया गया व्यय

25.14 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने 1993-94 से 1998-99 तक के वर्षों के दौरान राज्य योजना परिव्यय, विशेष संघटक योजना के लिए दी गई राशियों और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किए गए खर्च के आंकड़े भेजे हैं, जो नीचे की सारणी में दिए गए हैं;

(लाख रूपए)

वर्ष	कुल राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. के लिए सम्मत परिव्यय	कुल योजना परिव्यय की तुलना में एस.सी.पी. के परिव्यय की प्रतिशतता	एस.सी.पी. के अन्तर्गत हुआ व्यय	एस.सी.पी. के अन्तर्गत व्यय की प्रतिशतता
1993-9	1,07,500	9,575.05	8.90	8,159.62	85.22
1994-9	1,56,00	14,031.42	9.00	8,443.53	60.18
1995-9	1,72,000	14,979.50	8.71	10,945.47	73.07
1996-9	2,09,000	18,522.58	8.86	16,420.90	88.65
1997-9	2,33,173	20,501.03	8.79	16,823.50	99.90
1998-9	2,68,116	21,144.98	7.89		

25.15 ऊपर के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य योजना से विशेष संघटक योजना को दी गई राशियों की प्रतिशतता 8 और 9 प्रतिशत के बीच रही है और 1998-99 में यह और घट कर 7.89 प्रतिशत रह गई है, जो गम्भीर चिंता का विषय है। इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम नौवीं योजना के शेष वर्षों में राज्य योजना से विशेष संघटक योजना को दी जाने वाली राशि 19.05 प्रतिशत से कम न हो, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता है। विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत किए गए व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि 1993-94 से 1996-97 तक के किसी एक वर्ष के दौरान भी आवंटित राशियों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार एक ओर तो धनराशियों का नियतन अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार नहीं कर रही है, और दूसरी ओर जो राशियां नियम की जाती हैं उनका भी पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों की उन्नति के लिए बनाए गए विकास कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वर्ष 1997-98 में विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत क्षेत्रकीय आवंटन और व्यय

क्रम संख्या	क्षेत्रक/उप-क्षेत्रक/स्कीम	1997-98 के दौरान आवंटन		व्यय 1997-98 के दौरान	
		कुल राज्य योजना परिव्यय	एस.सी.पी. के लिए राशि	कुल योजना	एस.सी.पी
1.	कृषि और संबद्ध सेवाएं	2730.00	55.49	1155.97	39.38
2.	ग्राम विकास	9893.00	90.00	7970.57	20.80
3.	सहकारिता	200.00	63.31	68.76	61.83
4.	ऊर्जा	39900.00	33.50	29971.55	54.57
5.	उद्योग और खनिज	1000.00	85.05	776.93	97.45
6.	शिक्षा	14727	2783.34	14128.76	1786.31
7.	तकनीकी शिक्षा	4500.00	44.50	4677.26	41.42
8.	चिकित्सा	15017.00	1220.00	11649.39	1288.07
9.	जल पूर्ति और सफाई	30840.00	150.00	27866.15	107.81
10.	आवास	3300.00	714.50	2321.53	209.87
11.	शहरी विकास	38778.00	12193.14	33785.04	11911.10
12.	अनु. जा./ अनु.ज.जा. अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1950.00	1925.00	446.24	577.12
13.	श्रमिक और श्रमिक कल्याण	685.00	7.50	483.38	8.91
14.	पोषाहार	2920.00	1086.50	2025.21	603.26
15.	खेल-कूद और युवा सेवाएं	1400.00	33.00	310.05	12.13
16.	कला और संस्कृति	685.00	16.20	657.21	3.46
	उप-जोड़	168525.00	20501.03	138294.00	16823.50

25.16 धनराशियों के स्थूल क्षेत्रक-वार आवंटन के विश्लेषण से पता चलता है कि विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि के प्रवाह की सर्वोच्च प्रतिशतता पोषाहार (37.20) के क्षेत्रक में थी; उसके बाद सहकारिता (31.65) और शहरी विकास (31.44) का स्थान आता है। अनुसूचित जातियों,

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के क्षेत्रक में यह 98.71 प्रतिशत था। ग्रामीण विकास (0.90), ऊर्जा (0.08), तकनीकी शिक्षा (0.98), जल पूर्ति और सफाई (0.48) के क्षेत्रों में धनराशि का आवंटन बहुत कम था। जहां तक वास्तविक व्यय की प्रतिशतता का संबंध है, सबसे ऊंची प्रतिशतता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के क्षेत्रक (129.32) में थी; इसके बाद सहकारिता (89.92) और पोषाहार (29.78) का स्थान आता है। ग्रामीण विकास (0.26), ऊर्जा (0.18), तकनीकी शिक्षा (0.88), चिकित्सा (0.38) और कला और संस्कृति (0.52) के क्षेत्रों में व्यय की प्रतिशतता बहुत कम थी।

25.17 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत कम व्यय होने के कारणों की सूचना दी है, जो इस प्रकार है-

> " मुख्य कारण यह था कि प्रत्येक क्षेत्रक में समूचे रूप से और विशेष संघटक योजना के अंश वाली स्कीमों के अन्तर्गत भी कुल योजना व्यय मूल अनुमोदित परिव्यय की तुलना में कम हुआ था। इस कमी के कई कारण बताए जा सकते हैं, जैसे ऐसी नई स्कीमों को शामिल किया जाना, जिनके लिए भारत सरकार/दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था। कुछ मामलों में, जिनमें पूंजीगत निर्माण-कार्य शामिल थे, कार्यान्वयन एजेंसी या तो उपयुक्त भूमि प्राप्त नहीं कर सकी अथवा वह भूमि अधिक्रमित थी, अथवा दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली विकास प्राधिकरण- जैसे स्थानीय निकायों का अनुमोदन उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, कुछ मामलों में जनशक्ति की कमी के कारण भी व्यय धीमी गति से हुआ। कुछ मामलों में योजना/वित्त विभाग से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण भी व्यय की गति धीमी रही। चूंकि अनुमोदित परिव्यय की तुलना में व्यय समूचे रूप में कम हुआ, इसलिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की समूची योजना के भाग के रूप में विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत व्यय कम होने के भी यही कारण हैं।"

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

25.18 विशेष केन्द्रीय सहायता की धारणा विशेष संघटक योजना के लिए एक अतिरिक्त राशि के रूप में की गई थी, ताकि अनुसूचित जातियों के परिवार गरीबी की रेखा को पार कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसका इस्तेमाल अनुसूचित जातियों के लोगों के आर्थिक विकास के लिए अभिप्रेत विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए, ताकि अनुसूचित जातियों के लोग अपने सीमित संसाधनों से अपनी उत्पादकता और आमदनी में वृद्धि कर सकें। भारत सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार यह जरूरी है कि विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग केवल आय का सृजन करने/आर्थिक विकास की स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए किया जाए, लेकिन बाद में अनुसूचित जातियों के सामाजिक विकास से संबंधित क्रियाकलापों को भी इसके दायरे में शामिल कर लिया गया। नीचे के विवरण में गत वर्षों में दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता की जानकारी दी गई है:-

(लाख रूपए)

वर्ष	भारत सरकार द्वारा राज्य के लिए निर्धारित कुल विशेष केन्द्रीय सहायता	रिलीज की गई विशेष केन्द्रीय सहायता	विशेष केन्द्रीय सहायता में से किया गया व्यय
1993-94	184.76	60.48	116.94
1994-95	244.42	244.42	206.84
1995-96	231.16	202.33	152.77
1996-97	190.42	100.02	135.14
1997-98	135.43	78.40	91.62
1998-99	201.71	165.96	नहीं

25.19 भारत सरकार ने 1993-94 से 1998-99 तक रिलीज किए जाने के लिए 987.19 लाख रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता निर्धारित की थी, जिसकी तुलना में भारत सरकार ने 685.65 लाख रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता दी। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को मंत्रालय से पता लगाना चाहिए कि कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन होने की संभावना है और अपनी वार्षिक योजना में केवल पुष्ट आंकड़ों को ही शामिल करना चाहिए। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि 1993-94 से 1997-98 तक के दौरान उसे रिलीज की गई राशि में से 703.71 लाख रूपए की राशि इस्तेमाल की गई। यद्यपि इस्तेमाल की गई राशि, रिलीज की गई राशि से अधिक है, लेकिन अतिरिक्त व्यय के कारणों और विशेष केन्द्रीय सहायता से किए गए व्यय की मदों की स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

विशेष केन्द्रीय सहायता से कार्यान्वित की गई स्कीमें और 1997-98 में प्राप्त उपलब्धियां

25.20 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने विशेष केन्द्रीय सहायता की मदद से कुछ स्कीमें कार्यान्वित की हैं। इनका ब्योरा नीचे दिया गया है:-

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	आवंटन (लाख रूपए)	व्यय (लाख रूपए)	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशतता
डी.एस.सी.एफ.डी.सी. लिमिटेड						
1.	अनु. जाति के लोगों की आर्थिक उन्नति	-	-	2200	765	34.7
2.	कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षणों	-	-	500	500	100.00
3.	अन्य विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण	-	-	200	271	135.50
4.	एस.टी.ए. बसों के लिए ब्याज सब्सिडी	76.90	90.40	43	39	90.69
5.	टी.एस.आर. सब्सिडी	-	-	200	30	15.00
6.	एल.सी.वी. और बसों के लिए सब्सिडी	-	-	नहीं	20	-
प्रशिक्षण और तकनीक शिक्षा निदेशालय						
1.	स्व-रोजगार के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के जरिए अनु.जा. के श्रमिकों को प्रशिक्षण	1.50	1.22	नहीं	नहीं	नहीं

25.21 इन स्कीमों के विश्लेषण से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के 2200 लोगों के आर्थिक उत्थान के लक्ष्य की तुलना में, वास्तव में केवल 765 (36.77प्रतिशत) लोगों को लाभ पहुंचा। इसी प्रकार, टी.एस.आर. सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के 200 व्यक्तियों को कवर करने का प्रस्ताव था, लेकिन वास्तविक लाभभोगी केवल 30 (15.00 प्रतिशत) व्यक्ति थे। कम्प्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वस्तुतः केवल 500 व्यक्तियों को लाभ पहुंचा। अन्य व्यवसायों के प्रशिक्षण की स्कीम के अन्तर्गत 200 व्यक्तियों के लक्ष्य की तुलना में, 271 व्यक्तियों (135.50 प्रतिशत) को लाभ पहुंचाया गया। एस.टी.ए. बसों के लिए ब्याज सब्सिडी के मामले में भी कमी रही। वर्ष 1997-98 के लिए 43 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वास्तविक लाभभोगियों की संख्या 39 (90.69 प्रतिशत) थी।

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड

25.22 दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड ने 29 जनवरी, 1983 से काम करना शुरू किया। निगम गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों के परिवारों के आर्थिक विकास के लिए संस्थात्मक ऋण जुटाने में उपयोगी भूमिका निभा रहा है। निगम निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) सामान्य ऋण स्कीमें

(ii) मैला उठाने वाले व्यक्तियों को मुक्त कराने और उनका पुनर्वास करने की राष्ट्रीय स्कीम

(iii) परिवहन ऋण स्कीम

(iv) उच्च अध्ययन के लिए ब्याज-मुक्त ऋण

(v) एन.एस.एफ.डी.सी. के माध्यम से स्व-रोजगार स्कीम

25.23 निगम निम्नलिखित क्षेत्रों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन.एस.एफ.डी.सी.) के सहयोग से विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन भी करता रहा है:

(क) कृषि और संबद्ध सेवाएं

(ख) उद्योग क्षेत्रक के क्रियाकलाप

(ग) व्यापार क्षेत्रक के क्रियाकलाप

(घ) सेवा क्षेत्रक के क्रियाकलाप

25.24 वर्ष **1997-98** और **1998-99** में निगम के स्कीम-वार **वित्तीय और भौतिक** लक्ष्यों और उपलब्धियों की जानकारी **अनुबंध-1** में दी गई है।

25.25 वर्ष 1997-98 में डी.एस.एफ.डी.सी. लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित स्कीमों का वित्तीय परिव्यय 1324.00 लाख रूपए का था। यह बढ़ कर 1998-99 में 1507.00 लाख रूपए हो गया। वर्ष 1997-98 में व्यय परिव्यय के 17.66 प्रतिशत से कम व्यय हुआ, जो 1998-99 में बहुत कम अर्थात केवल 2.79 प्रतिशत हुआ। ये स्कीमें अनुसूचित जातियों के लोगों को स्व-रोजगार के लिए, टी.एस.आर. की खरीद, मैला ढोने वाले लोगों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास, कम्प्युटरीकृत फुटवीयर डिज़ाइनिंग केन्द्र की स्थापना, सूखे शौचालयों को ज़ल वाले शौचालयों में बदलने के लिए वित्तीय सहायता देने

के लिए हैं। अन्य स्कीमों के भौतिक लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किए गए। कोई आर्थिक उद्यम शुरू करने के लिए, कौशल और उद्यम चलाने की योग्यता होना बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। वर्ष 1998-99 में स्व-रोजगार स्कीम के अन्तर्गत 700 व्यक्तियों का प्रशिक्षण देने का भौतिक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक भी व्यक्ति को प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

शैक्षणिक विकास

25.26 किसी समाज की प्रगति को मापने का एक मापदंड है, उसके सदस्यों की शिक्षा का स्तर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच शिक्षा का प्रसार करने के सुनियोजित प्रयास किए हैं, लेकिन अन्य बातों, जैसे गरीबी अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण के उपलब्ध न होने, और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता की राशि के अत्यल्प होने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का शिक्षा का स्तर वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने नौवीं योजना तैयार करने के लिए जो कार्यदल गठित किया था, उसने शिक्षा के उप-क्षेत्रक के लिए ये सिफारिशें दी हैं-

(i) लेखन-सामग्री और पुस्तकों के लिए 10 रूपए या 15 रूपए की जो राशि दी जाती है, वह बहुत कम है। उसे बढ़ाकर आठवीं कक्षा तक के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 30 रूपए मासिक और नौवीं से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 50 रूपए मासिक कर दिया जाना चाहिए।

(ii) कीमतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 300 रूपए और 400 रूपए प्रति वर्ष की योग्यता छात्रवृत्तियों की राशि को बढ़ा कर क्रमशः 500/- रूपए और 600/- रूपए कर दिया जाना चाहिए।

(iii) सामान्य छात्रवृत्ति की मौजूदा दर में भी वृद्धि की जानी चाहिए। मौजूदा दरें और सिफारिश की गई दरें इस प्रकार हैः-

अध्ययन पाठ्यक्रम	**छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी**		**आवासी विद्यार्थी**	
	मौजूदा दर	**सिफारिश की गई दर**	**मौजूदा दर**	**सिफारिश की गई दर**
स्नातक स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रम	635	900	285	400
स्नातकोत्तर तकनीकी पाठ्यक्रम	735	1000	385	500
डिप्लोमा पाठ्यक्रम	435	650	285	400
सर्टिफिकेट पाट्यक्रम	435	650	285	400
निम्नलिखित स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम				
(i) स्नातक स्तर	385	500	180	300
(ii) स्नातकोत्तर स्तर	535	700	300	500

(iv) अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण का उपलब्ध होना, शिक्षा की एक पूर्व-आवश्यकता है। इसलिए नौ जिलों में से प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़के और लड़कियों के लिए कम से कम एक अलग छात्रावास होना चाहिए।

(v) प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा निदेशालय को आई.टी.एस. और पॉलिटेकनीक संस्थानों में "पुस्तक बैंक " की स्कीम शुरू करनी चाहिए, ताकि इन संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को तकनीकी विषयों की पुस्तकें मिल सकें।

(vi) चूंकि उच्च तकनीकी शिक्षा बहुत महंगी है, इसलिए दो विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पुस्तकों के सेट के लिए 7500/- रूपएं की सीमा कुछ कम है, इसलिए इस प्रयोजन के लिए इस राशि की सीमा बढ़ा कर 15,000/- रूपए प्रति वर्ष कर दी जानी चाहिए।

(vii) दिल्ली सरकार द्वारा जो परीक्षा-पूर्व शिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है उसे अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अखिल भारतीय सेवाओं और अन्य सेवाओं, जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., डी.ए.एन.आई.सी.एस., इंजीनियरी और मेडिकल सेवाओं आदि के लिए तैयार करने के लिए शिक्षण देने का काम हाथ में लेना चाहिए।

(viii) शिक्षा के क्षेत्रक के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही स्कीमों का मानीटरिंग सूक्ष्मता से किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन स्कीमों का लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचे और इनकी राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए न किया जाए।

25.27 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग कार्यदल की सिफारिशों का समर्थन करता है और उसकी राय है कि इन सिफारिशों को कारगर ढ़ंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

25.28 वर्ष 1997-98 का अनुमोदित परिव्यय 329.50 लाख रूपए का था, लेकिन केवल 142.93 लाख रूपए व्यय किए गए। इसी प्रकार, 1998-99 का अनुमोदित परिव्यय 440.00 लाख रूपए का था, किन्तु केवल 397.00 लाख रूपए का व्यय होना प्रत्याशित था। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को व्यय कम होने के कारणों की जांच करनी चाहिए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास के लिए नियम की गई पूरी राशि का उपयोग करने के लिए गम्भीर प्रयास करने चाहिएं।

25.29 दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक विकास की स्कीमें बहुत से अभिकरणों, जैसे शिक्षा निदेशालय, प्रशिक्षण और तकनीकी निदेशालय, दिल्ली अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के अन्दर इन कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने और इनका मानीटरिंग करने के लिए कोई उपयुकत तंत्र नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश है कि विभिन्न अभिकरणों के बीच उपयुक्त समन्वय सुनिश्चित करने और शिक्षा क्षेत्रक के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त स्तर पर कम - से - कम तिमाही बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

सामाजिक विकास

25.30 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एकीकरण के उद्देश्य वाले कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। उनमें से कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं-

I गरीब विधवाओं को अपनी बेटियों की शादी करने के लिए वित्तीय सहायता।

इस स्कीम के अन्तर्गत गरीब विधवाओं को 5,000/- रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि वे अपनी बेटियों की शादी कर सकें। वर्ष 1997-98 का अनुमोदित परिव्यय 15.00 लाख रूपए का था, लेकिन वास्तविक व्यय 20.00 लाख रूपए हुआ, जबकि 1998-99 में अनुमोदित परिव्यय 25.00 लाख रूपए का था और प्रत्याशित व्यय 30.00 लाख रूपए था।

II अनाथ लड़कियों को उनकी शादी के लिए वित्तीय सहायता

अनाथ लड़कियों की शादी करने के लिए, अनाथालयों के संरक्षकों, अनाथ लड़कियों के अभिभावकों अथवा स्वयं अनाथ लड़कियों को 5,000/- रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1997-98 का अनुमोदित परिव्यय 1.00 लाख रूपए का था, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष 1998-99 में 3.00 लाख रूपए के अनुमोदित परिव्यय में से केवल 1.00 लाख रूपए का उपयोग किया गया।

III अनुसूचित जातियों के आर्थिक रूप सें कमजोर माता पिता को कन्या शिशु के जन्म पर वित्तीय सहायता।

इस स्कीम के अन्तर्गत माता-पिता को कन्या शिशु का पालन-पोषण करने और उसे उपयुक्त शिक्षा दिलाने में मदद करने के लिए 5,000/- रूपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, ताकि समाज की संतुलित संवृद्धि सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि 1000 पुरूषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 827 है; और लड़कियों की शादी में पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम किया जा सके। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने वर्ष 1997-98 में कोई खर्च नहीं किया, हालांकि 5.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित था। वर्ष 1998-99 में 5.00 लाख रूपए के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में केवल 1.00 लाख रूपए इस्तेमाल किया गया।

IV अन्तर्जातीय विवाहों के प्रोत्साहन पुरस्कार

यह स्कीम अन्तर्जातीय विवाहों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के साथ विवाह को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अन्तर्गत तैयार की गई थी यह दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने इस स्कीम को छोड़ने का फैसला किया है, हालांकि इसके क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की स्वीकृति दे दी गई है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग पुरज़ोर सिफारिश करता है कि इस स्कीम का व्यापक रूप से प्रचार करके इसे फिर से लागू किया जाए।

V अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को दुग्धपान और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता ।

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को नवजात शिशुओं की उन माताओं के पोषाहार के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जो प्रसव के बाद सन्तुलित आहार प्राप्त करने में असमर्थ हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस सहायता का उद्देश्य दुग्धपान की समूची अवधि में दुग्धपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक आहार मुहैया कराना है। सहायता की राशि 500/- रूपए की होती है। वर्ष 1997-98 में दुग्धपान कराने वाली 3000 माताओं के लाभ के लिए 15.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, जिसमें से 10.00 लाख रूपए की राशि विमोचित की गई थी और दुग्धपान और स्तनपान कराने वाली 2000 माताओं को लाभ पहुंचाया गया था। वर्ष 1998-99 में भी 3000 माताओं के लाभ के लिए 15.00 लाख रूपए अनुमोदित किया गया था, लेकिन 2000 माताओं के लाभ के लिए 10.00 लाख रूपए का व्यय होने की प्रत्याशा थी।

VI सूखे शौचालयों को बदलना

वर्ष 1991-92 में भारत सरकार ने मैला ढोने वाले व्यक्तियों को मुक्त कराने और उनके पुनर्वास की एक स्कीम शुरू की थी, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों की एक विशिष्ट जाति द्वारा मैला उठाने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करना था। यह स्कीम दिल्ली में 1994-95 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सभी सूखे शौचालयों को जल वाले शौचालयों में बदलना था। इस स्कीम के अन्तर्गत वैयक्तिक लाभभोगी को सब्सिडी के रूपए में 3500/- रूपए की सहायता दी जाती है। यह स्कीम दिल्ली नगर निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। दिल्ली में लगभग 1.39 लाख सूखे शौचालय है, जिनमें से अधिकतर पूर्वी दिल्ली और अनाधिकृत बस्तियों में स्थित हैं। नवम्बर, 1995 में दिल्ली नगर निगम को 3.00 करोड़ रूपए की राशि रिलीज की गई थी, लेकिन एक भी शौचालय को बदला नहीं गया।

वर्ष 199-98 में 11,000 सूखे शौचालयों को बदलने के लिए 400.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था, लेकिन दिल्ली नगर निगम ने एक भी सूखे शौचालय को नहीं बदला है। वर्ष 1998-99 में 11,000 शौचालयों को बदलने के लिए 500.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस बारे में प्राप्त उपलब्धि की सही स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश है कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को कार्यान्वित न करने के लिए दिल्ली नगर निगम के खिलाफ जांच की जाएं और इसकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। दिल्ली नगर निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को बिना किसी और विलम्ब के कार्यान्वित किया जाए।

VII ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के सदस्यों को आवास सब्सिडी।

इस स्कीम में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने मकान बनाने में सहायता देना है। मकान बनाने की 20,000/- रूपए की कुल लागत में, प्रति लाभभोगी को 10,000/- रूपए की सहायता दी जाती है। वित्तीय सहायता दो किस्तों में रिलीज की जाती है। वर्ष 1997-98 में 20 व्यक्तियों को लाभ देने के लिए 2.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस 2.00 लाख रूपए में

से केवल 4 व्यक्तियों को प्रथम किस्त के रूप में 0.20 लाख रूपए का संवितरण किया गया था। वर्ष 1998-99 में 30 व्यक्तियों के लाभ के लिए 3.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। लाभभोगियों की संख्या की जानकारी नहीं दी गई है।

VIII शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आवास सब्सिडी

इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में अपने मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता देना है। 22.5 वर्ग गज़ अथवा उससे अधिक के भू-खंड पर मकान के निर्माण के लिए 10,000/- रूपए की सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता समान राशि की दो किस्तों में रिलीज़ की जाती है। वर्ष 1997-98 में 30 व्यक्तियों के लाभ के लिए 3.00 लाख रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया था। इस 3.00 लाख रूपए में से 4 व्यक्तियों को पहली किस्त के रूप में केवल 0.20 लाख रूपए दिया गया। वर्ष 1998-99 में 40 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए 4.00 लाख रूपए रखा गया है किन्तु वास्तविक उपलब्धि की जानकारी अभी प्राप्त की जानी है।

सेवाओं में सुरक्षोपाय

25.31 दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में उसी तरह से आरक्षण की व्यवस्था है, जिस प्रकार केन्द्रीय सरकार में है, अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लए 7.5 प्रतिशत। बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद, दिल्ली सरकार ने सेवाओं में 1.1.98 और 1.1.99 को अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक प्रतिनिधित्व की जानकारी नहीं भेजी है।

25.32 जैसाकि आयोग की चौथी रिपोर्ट के दिल्ली संबंधी अध्याय में कहा गया था, दिल्ली सरकार में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व निर्धारित प्रतिशतता से बहुत कम है। अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से बहुत ही कम है। यह 7.5 की निर्धारित प्रतिशतता की तुलना में केवल 2-3 प्रतिशत पाया गया है।

25.33 आयोग अपनी पहले की सिफारिश को फिर से दोहराता है कि चूंकि दिल्ली भारत की राजधानी है इसलिए उसे अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति के मामले में एक उदाहरण कायम करना चाहिए और यदि जरूरी हो तो सेवाओं के विभिन्न समूहों में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का पर्याप्त संख्या में चयन करने के लिए अधिकारियों के एक दल को देश के उन राज्यों में भेजा जाना चाहिए जहां अनुसूचित जनजातियों के लोगों का बाहुल्य है।

अत्याचार

25.34 अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध और अत्याचारों के बारे में दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1997 और 1998 के पंचांग वर्षों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत क्रमशः 13 और 7 मामलों की रिपोर्ट की गई थी। लेकिन, इसी अवधि में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को दिल्ली में अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ किए गए अपराधों और अत्याचारों के बहुत अधिक मामलों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। ये सभी मामले दिल्ली पुलिस के पास तफतीश और रिपोर्ट के लिए भेज दिए गए

हैं, जैसाकि आयोग की चौथी रिपोर्ट में भी बताया गया था। आयोग के पास भेजे गए मामलों की संख्या से संकेत मिलता है कि या तो पुलिस द्वारा मामले दर्ज नहीं किए जाते अथवा अनुसूचित जातियों के उत्पीड़ित व्यक्ति पुलिस थानों में जाने में घबराते हैं और मामले की रिपोर्ट आयोग को देना बेहतर समझते हैं। यह बात फिर से कही जाती है कि गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने चाहिएं कि दिल्ली में प्रत्येक पुलिस थाना अत्याचार के उस प्रत्येक मामले को दर्ज करे, जिसकी रिपोर्ट उसे दी जाए।

25.35 जहां तक पी.सी.आर. अधिनियम और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करने का संबंध है, दिल्ली सरकार ने (i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अपर सत्र न्यायाधीशों के दो न्यायालयों को, और (ii) पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 14 न्यायालयों (मुख्य मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट के एक न्यायालय, मैट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट के एक अपीलीय न्यायालय और मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेटों के बारह न्यायालयों) को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया है।

25.36 आयोग को दी गई सूचना के अनुसार 1998 में इन न्यायालयों के पास पी.ओ.ए. अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित पड़े मामलों की कुल संख्या 16 थी और वर्ष के अंत तक इनमें से किसी भी मामले का फैसला नहीं किया गया है। इसी प्रकार, पी.सी.आर. अधिनियम के अन्तर्गत, न्यायालयों में 26 मामले लम्बित थे और वर्ष के दौरान इनमें से किसी मामले का फैसला नहीं किया गया। स्पष्ट है कि इन मामलों के बारे में कार्रवाई करने की गति बड़ी धीमी है। आयोग अपनी इस पहले की सिफारिश को फिर से दोहराना चाहेगा कि पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत मामलों का फैसला शीघ्र करने के लिए विशेष न्यायालयों द्वारा इन मामलों को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि देरी होने पर गवाहों की दिलचस्पी समाप्त हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप मामलों में हार हो जाती है और अभियुक्त बरी हो जाते हैं।

अध्याय XXVI

लक्षद्वीप

लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र है। कवराती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। 1991 की जनगणना के अनुसार, इसकी जनसंख्या 51,707 है। यहां की जनसंख्या में 93 प्रतिशत भाग मुसलमानों का है और उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की कोई आबादी नहीं है। जनसंख्या में 26.17 प्रतिशत लोग कामगर हैं। संघ शासित क्षेत्र में साक्षरता की दर 81.78 प्रतिशत है (पुरूष 90.18 प्रतिशत और महिलाएं 72.89 प्रतिशत), जो काफी ऊंची है।

26.2 इस संघ शासित क्षेत्र में मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप नारियल की खेती और मछली उद्योग है। भूमि के 86 प्रतिशत भाग में नारियल के पेड़ों के बागान है।

धनराशियों की प्राप्ति

26.3 चूंकि अधिकतर आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, इसलिए उनके विकास के लिए कोई अलग टी.एस.पी. (जनजातीय उप-योजना) तैयार नहीं की जाती। नौवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि (1997-2002) के लिए कुल प्रस्तावित परिव्यव 270.00 करोड़ रूपए का है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-1997) के दौरान 140.33 करोड़ रूपया व्यय किया गया था, जो 120.00 करोड़ रूपए के अनुमोदित परिव्यय और केन्द्रीय सरकार से प्राप्त 3.27 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से अधिक था।

सेवा संबंधी सुरक्षण

26.4 भर्ती में आरक्षण के मामले में भारत सरकार के मार्गनिर्देशों का पालन किया जाता है। 1.1.1996 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न समूहों के 4378 कर्मचारियों में, 3763 (85.95प्रतिशत) अनुसूचित जनजातियों के, 26 (0.6प्रतिशत) अनुसूचित जातियों के और 589 अन्य (13.45 प्रतिशत) हैं। विभिन्न समूहों के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

जाति संबंधी प्रमाणपत्र

26.5 मुख्य भूमि अर्थात केरल में, स्थानान्तरण पर जाने वाले कर्मचारियों के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बारे में एक समस्या है। केरल में जन्में अन्तर्जातीय प्रवासियों के बच्चों को लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता। संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन का मत है कि बच्चा इस द्वीप में पैदा नहीं हुआ था। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा बड़े स्पष्ट मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:-

अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से आए प्रवासियो को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया का उदारीकरण :-

(एल.बी.सी. 16014/1/82-एस.सी.टी.बी.सी.डी.-I, दिनांक 18.11.82)

(एल.बी.सी. 16014/1/82-एस.सी.टी.बी.सी.डी.-I, दिनांक 6.8.82)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन लोगों को, जो रोजगार, शिक्षा, आदि के प्रयोजन से एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए हैं, उस राज्य से जाति/जनजाति का प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है, जहां से वे

आप्रवास (माइग्रेट) करके चले गए हों। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह फैसला किया गया है कि किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का विनिर्दिष्ट प्राधिकरण किसी अन्य राज्य से माइग्रेट करके आए उस व्यक्ति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दे सकता है, जो अपने माता/पिता के मूल राज्य के विनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा उसके माता/पिता को जारी किया गया असली प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दे, सिवाय उस स्थिति के, जहां विनिर्दिष्ट प्राधिकरण का यह विचार हो कि प्रमाणपत्र जारी करने से पहले मूल राज्य के माध्यम से विस्तृत जांच कराया जाना जरूरी है। यह प्रमाणपत्र तब भी जारी किया जाएगा, चाहे संबंधित जाति/जनजाति उस राज्य संघ शासित क्षेत्र में, जहां वह व्यक्ति माइग्रेट करके आया हो, अनुसूचित हो या नहीं। इस सुविधा से किसी एक अथवा अन्य राज्य के मामले में उस व्यक्ति के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के होने की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता।

26.6 **केरल की राज्य सरकार और लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को चाहिए कि वे इस मार्गनिर्देश का व्यापाक रूप से प्रचार करें, ताकि स्थानीय और आप्रवासी जनजातीय लोगों को अपनी बच्चों के लिए अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। केरल की राज्य सरकार को भी इन मार्गनिर्देशों के अनुसार ही कार्य करना चाहिएं।**

बैंक ऋण की स्कीमें

26.7 सिंडीकेट बैंक लक्षद्वीप के समूचे संघ शासित क्षेत्र में काम करने वाला एकमेव बैंक है। पूरे संघ शासित क्षेत्र में इसकी 9 शाखाएं हैं। 11.4.96 से यह बैंक लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र के सारे सरकारी लेनदेनों के भुगतान और लेखाओं का प्रभारी भी है। 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार, बैंक ने कुल 318 लाख रूपए के अग्रिम दिए हुए हैं।

		31.3.1998 को (राशि लाख रूपयों में)
1.	कुल अग्रिम	318
2.	कुल जमा	3836
3.	ऋण जमा अनुपात	8.29 %
4.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम	210
5.	कुल अग्रिमों की तुलना में कुल पी.एस.ए. की प्रतिशतता	66.00%
6.	कुल कृषि अग्रिम	53.50%
7.	कुल अग्रिमों की तुलना में कृषि अग्रिमों की प्रतिशतता	16.82%
8.	डी.आर.आई.अग्रिम	0.84%
9.	कुल अग्रिमों की तुलना में डी.आर.आई.अग्रिमों की प्रतिशतता	0.26%

26.8 उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिम काफी हैं। लेकिन डी.आर.आई. के अन्तर्गत दिए गए अग्रिमों की राशि बहुत कम है। डी.आर.आई. स्कीम के अन्तर्गत इतना कम संवितरण किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया है। ऋण की मांग, गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या आदि के संदर्भ में, इस मामले की जांच किए

जाने की जरूरत है। **संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन को पता लगाना चाहिए कि डी.आर.आई. स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कम ऋण दिए जाने के क्या कारण हैं।**

26.9 लक्षद्वीप विकास निगम को विकास के विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने का काम सौंपा हुआ है। आई.आर.डी.पी. और पी.एम.आर.वाई. के अन्तर्गत ऋणकर्त्ताओं को आटो-रिक्शा और पावर फिटर, आदि जैसी परिसम्पत्तियां मुहैया करने में विलम्ब होता है। डी.आर.डी.ए./उद्योग विभाग को मुख्य भूमि से ऋणकर्त्ताओं को परिसम्पत्तियां दिलाने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिएं।

अध्याय XXVII

पांडिचेरी

पांडिचेरी के संघ राज्यक्षेत्र में चार क्षेत्र अर्थात पांडिचेरी, कराइकल, माहे और यानम शामिल हैं। इस संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या 8.08 लाख है और उनमें अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 1.31 लाख अर्थात संघ राज्यक्षेत्र की कुल जनसंख्या के 16.25 प्रतिशत के बराबर है। कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है।

विशेष संघटक योजना के लिए धनराशि

27.2 विशेष संघटक योजना का कार्यान्वयन अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए क्षेत्रकीय विभागों के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशियां निर्धारित करके किया जाता है। वर्ष 1997-98 और 1998-99 में विशेष केन्द्रीय के लिए निर्धारित राशियों और उसके व्यय की जानकारी नीचे दी गई है:

(करोड़ रूपए)

वर्ष	राज्य योजना परिव्यय	परिव्यय	व्यय	निर्धारित राशि का प्रतिशत
1997-98	218.00	32.58	28.74	88.21
1998-99	241.00	32.68	32.56	99.63

27.3 कृषि, भू-संरक्षण, पशुपालन, वानिकी और वन्य जीव सहकारिता, आई.आर.डी.पी., पिछड़े वर्गों का कल्याण, समाज कल्याण, पोषाहार, आदि जैसे क्षेत्रकों में व्यय की प्रतिशतता निरन्तर 90 प्रतिशत से अधिक रही है। विशेषज्ञ संघटक योजना आयोजन और अनुसंधान विभाग द्वारा तैयार की जाती है, जो पंचवर्षीय योजनाएं और वार्षिक योजनाएं तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है। विशेष संघटक योजना के लिए अलग लेखा-शीर्ष खोला गया है, जिसके अन्तर्गत आठवीं योजना के समय से अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित धनराशियां दिखाई जाती हैं।

विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

27.4 विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत राज्य को आवंटित धनराशियों और उनके उपयोग की जानकारी नीचे दी गई है:

(लाख रूपए)

वर्ष	आवंटन	व्यय
1992-93	13.150	13.150
1993-94	14.810	14.810
1994-95	19.310	19.310
1995-96	17.437	17.437
1996-97	17.461	17.461
	82.168	82.168

27.5 एस.सी.पी. संबंधी विशेष केन्द्रीय सहायता का निरन्तर 100 प्रतिशत उपयोग किया जाता रहा है । इस वारे में संघ राज्य क्षेत्र के प्रयत्न सराहनीय हैं।

शिक्षा

27.6 1991 की जनगणना के अनुसार, **पांडिचेरी में** सामान्य साक्षरता दर 78.20 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों की साक्षरता-दर 56.16 **प्रतिशत है। पुरूषों** और महिलाओं की सामान्य साक्षरता-दर क्रमशः 86.97 प्रतिशत और 69.26 प्रतिशत है। अनुसूचित जातियों के पुरूषों और महिलाओं की साक्षरता-दर क्रमशः 66.50 प्रतिशत और 46.28 **प्रतिशत** है। अरिवोली इयक्कम के अन्तर्गत वर्ष 1991 में इस संघ राज्यक्षेत्र को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था। अनुसूचित जातियों के लोगों, विशेषतः अनुसूचित जातियों की महिलाओं को साक्षरता योजनाओं के अन्तर्गत अवरण किया गया है। नव-साक्षरों के लाभी के लिए साक्षरोत्तर अभियान चलाया जा रहा है।

27.7 वर्ष 1997-98 में शिक्षा के प्राथमिक/मिडल/उच्च और उच्च माध्यमिक स्तरों पर विद्यार्थियों के नामांकन की जानकारी नीचे दी जा रही है:

शिक्षा का स्तर	विद्यार्थियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के विद्यार्थी	प्रतिशतता
प्राथमिक	41,588	11,041	26.55S
मिडल	39,961	9,585	23.99S
उच्च	58,588	12,065	20,59S
उच्च माध्यमिक	67,919	8,364	12.31S

27.8 इस संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा के **प्राथमिक और मिडल** स्तरों पर 1997-98 में बीच में पाठ्यक्रम छोड़ देने वाले विद्यार्थियों का अनुपात इस प्रकार है:

स्तर	सामान्य	अनुसूचित जाति
प्राथमिक	**2.49**	4.49
मिडल	**17.62**	24.93

27.9 प्राथमिक से उच्चमाध्यमतिक स्तर की **सभी शिक्षा संस्थाओं में** अनुसूचित जातियों के **42407** विद्यार्थियों का नामांकन था, जो कुल नामांकन **के 19.87 प्रतिशत** के बराबर है। बस्तुतः अनुसूचित जातियों की बहुलता वाले सभी क्षेत्रों में या तो इलाके के अन्दर या उन स्थानों पर जहां बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं, प्राथमिक से उच्चमाध्यमिक **स्तर की शिक्षा** सुविधाओं की व्यवसथा की गई है। हर वर्ष ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के बाद स्कूलों के **खुलने से पहले** सम्पूर्ण साक्षरता परियोजनाओं के अनतर्गत कार्यक्रम आयोजित करके अथवा विशेष **नामांकन अभियान** चला कर अनुसूचित के स्कूल न जाने वाले बच्चों और बीच में पढ़ाई छोड़ चुके **बच्चों के नामांकन** के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरों पर बीच में **पढ़ाई छोड़ देने** वाले अनुसूचित जातियों के बच्चों की दर काफी कम (प्राथमिक स्तर पर 4.49 **और उच्च प्राथमिक** स्तर पर 24.93) है। स्कूलों में अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई **जारी रखने की** दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से, प्रशासन

द्वारा अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों के छात्रों के कल्याण के लिए निम्नलिखित स्कीमें क्रियान्वित की जाती हैं-

i अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए 5वीं कक्षा तक प्रतिधारण छात्रवृत्तियां (रिटेंशन स्कालरशिप)।

ii कक्षा 6से 8 तक की अनुसूचित जातियों की लड़कियों को छात्रवृत्तियां।

iii 10वीं कक्षा तक स्कूल बैंगों सहित पाठ्यपुस्तकों और लेखन-सामग्री की मुफ्त सप्लाई।

iv 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को दो-दो वर्दियां मुफ्त सप्लाई करना।

v स्कूलों में अनुसूचित जातियों के कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधाएं देना।

vi अनुसूचित जातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए अलग छात्रावास सुविधाओं की व्यवस्था।

vii अनुसूचित जातियों के उन विद्यार्थियों को जो सार्वजनिक (पब्लिक) परीक्षाओं में 65 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करें, तदर्थ योग्यता अनुदान (मैरिट ग्रांट) देना।

viii मैट्रिक-पूर्व और मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करना।

ix व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले, अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए पुस्तक-बैंक की स्कीम चलाना।

x सार्वजनिक परीक्षाओं के शुल्क की प्रतिपूर्ति।

27.10 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह भूरिया ने जून, 1999 में पांडिचेरी के अपने दौरे के समय अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रहीं सामाजिक, आर्थिकऔर शैक्षणिक योजनाओं की समीक्षा की। तथ्थानचावडी छात्रावास और बहोर छात्रावास के निरीक्षण के समय, जिनका संचालन आदि द्रविडार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है, यह देखा गया कि छात्रावास का रखरखाव उपयुक्त रूप से नहीं किया जा रहा है। छात्रावासों में रहने वालें को बिजली, पंखे, जल और सफाई आदि की कमी के कारण बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। किरूमम्बक्कम गांव में, जहां की सारी आबादी अनुसूचित जातियों की है, बुनियादी सुविधाओं, जैसे सड़कों विधुतीकरण, पेयजल, स्कूली-सूविधाओं, स्वास्थ्य, आवास ओर अन्य सुविधाओं का भी निरीक्षण किया गया। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकानों के निर्माण के लिए इस संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन की सराहना की जानी चाहिए। आई.आर.डी.पी. ओर अन्य गरीबी-विरोधी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को पर्याप्त सुविधांए दी गई हैं। मेडिकल, दन्त-चिकित्सा और इंजीनियरी कालेजों में आरक्षित कुल सीटों का पूरा इस्तेमाल किया गया है। आयोग के निष्कर्षों को घ्यान में रखतें हुए पांडिचेरी सरकार ने सूचित किया है कि पांडिचेरी में आदि द्रविडार समाज के विद्यार्थियों के सभी छात्रावासों में पर्याप्त सुधार करने के लिए शीघ्रता से कदम उठाए जाएंगे और अपेक्षित सुधार प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे।

सामाजिक-आर्थिक विकास

27.11 पांडिचेरी आदि द्रविडार विकास निगम आदि द्रविडार लोगों के कल्याण की योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनका उद्देश्य रोजगार के अवसर सृजित करना और ऋण -व-सब्सिडी और हाशिया राशि योजना तथा प्रशिक्षण स्कीम के जरिए इन लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। सहायता का ढ़ांचा (पेटर्न) इस प्रकार हैः .

क) यूनिट लागत को 50 प्रतिशत अथवा 6000/- रूपए की राशि, जो भी कम हो, सब्सिडी के रूप में जारी की जाएगी।

ख) यूनिट लागत की शेष राशि बैंक द्वारा ऋण के रूप में, समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर पर दी जाएगी।

ग) यूनिट लागत की 25 प्रतिशत अथवा 10,000/- रूपए की राशि जो भी कम हो, संबंधित बैंक में मार्जिन मनी के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए अथवा ऋण की वापसी-अदायगी पूरी होने तक, जो भी पहले हो तब तक, जमा कराई जाएगी और उस अवधि में उस पर अर्जित ब्याज लाभभोगी और पांडिचेरी आदि द्रविडार विकास निगम द्वारा आपस में बराबर-बराबर बांटा जाएगा

पिछले तीन वर्षों में हुई उपलब्धियां इस प्रकार हैः

(रू0 लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	लाभभोगियों की संख्या	दी गई सब्सिडी	मार्जिन मनी	बैंक ऋण	जोड़
1.	1996-97	584	30.80	12.48	20.80	51.60
2.	1997-98	493	17.72	9.36	19.73	37.45
3.	1998-99	506	17.90	9.47	20.23	38.13
	जोड़	1583	66.42	31.31	60.76	127.18

27.12 पांडिचेरी आदि द्रविडार विकास निगम पांडिचेरी (पैडको) संघ राज्यक्षेत्र में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सरणीकरण (चेनलाइज़िंग) अभिकरण है। आदि द्रविडार समुदाय के लोग पैडको की मार्फत 5.00 लाख रुप तक की ऋण सुविधाएं 7 प्रतिशत की नाममात्र की ब्याज दर पर प्राप्त करते है। 30.00 लाख रूपए प्रति लाभभोगी तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए मीयादी ऋण सहायता पर विचार किया जाता है, लेकिन शर्त यह होती है कि लाभभोगी/सहकारी समिति या अन्य संगठन के सदस्य की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी की रेखा की सीमा (ग्रामीण क्षेत्रों में 31,952 रूपए और शहरी क्षेत्रों में 42.412 रूपए) के दुगने से अधिक न हो।

पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां इस प्रकार हैः

(रू0 लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	लाभभोगियों की संख्या	ऋण की राशि
1.	1996-97	23	49.62
2.	1997-98	26	27.86
3.	1998-99	27	85.43
जोड़		**76**	**162.91**

27.13 निगम द्वारा जो महत्व मीयादी ऋणी योजनाएं, क्रियान्वित की जाती है, वे टेक्सियों, पर्यटन वैनों, टाइपराइटिंग संस्थानों, इस्पात के फर्नीचर, विनिर्माण, आटो-रिक्शाओं, विधुत टिलरों, छोटा लारियों आदि से संबंधित है।

मैला ढोने वाले व्यक्तियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और उनके पुनर्वास की राष्ट्रीय स्कीम

27.14 वर्ष 1992 में एक सर्वेक्षण किया गया था, जिससे यह प्रकट हुआ कि संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी में मैला उठाने वालों के 118 परिवार रहते हैं, जिनके सदस्यों की संख्या 476 हैं। भारत सरकार ने इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 7.50 लाख रूपए की राशि आवंटित की थी। इस स्कीम के अनतर्गत मैला उठाने वाले जितने व्यक्तियों को सहायता दी गई, उसकी जानकारी इस प्रकार हैः

(रू0 लाखों में)

क्रम संख्या	सहायता का स्वरूप	जितने व्यक्तियों को राहायता दी गई	व्यय
1.	प्रशिक्षण स्कीम	18	1.16
2.	ऋण व सब्सिडी	87	1.78
3.	सरकारी/स्थानीय निकायों में नियोजन	40	-
4.	वृद्धावस्था पेंशन	2	-
	जोड़	147	2.94

27.15 यह स्कीम सफल रही ओर 1.9.93 को भारत सरकार ने पांडिचेरी को "मैला उठाने वालों से मुक्त राज्य" घोषित किया। चूंकि मैला उठाने वाले सभी पात्र व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की सहायता देकर मुक्त करा लिया गया है और उनका पुनर्वास कर दिया गया है, इसलिए बाद के वर्षों में मैला उठाने वालें को और सहायता नहीं दी जा सकती थी। इस कारण, भारत सरकार द्वारा जारी की गई 7.50 लाख रूपए की राशि में से 1996-97 तक केवल 2.94 लाख रूपए का ही इस्तेमाल किया जा सका।

अनुसूचित जातियों के लिए सेवा संबंधी सुरक्षण

27.16 सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित केन्द्र सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाता है। संबंधित विभागों/ नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों को आरक्षण नीति का उचित कार्यान्वयन करने के लिए अधिकार दिए गए हैं। मुख्य सचिवालय में

एक प्रवर्तन प्रकोष्ठ है जो अनवेषण और उसके कार्यान्वयन के लिए अवर सचिव के नियंत्रणाधीन है। विभिन्न सरकारी विभागों में 1-1-98 की स्थिति के अनुसार अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

1-1-1998 की स्थिति के अनुसार राज्य की सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

क्रम सं0	समूह	कर्मचारियों की कुल सं0	कुल में से अनु0 जाति की सं0	अनु0जाति का प्रतिशतता	कुल में से अनु0 जनजाति की संख्या	अनु0 जनजाति का प्रतिशत	आरक्षण का निर्धारित प्रतिशत	
							अनु जाति	अनु0 ज0जा0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	समूह'क '	1153	163	14.14	11	.95		
2.	समूह' ख '	670	85	12.69	9	1.3	सीधी भर्ती के लिए	
3.	समूह' ग '	15302	2049	12.97	79	0.5	16	शून्य
4.	समूह' घ ' सफाई वालों को छोड़कर	7896	1370	17.35	63	0.36	प्रोन्नति के लिए	
5.	समूह' घ ' (सफाई वाले	613	115	18.60	5	0.39	15	7

27.17 **अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व केवल समूह घ पदों में उसकी जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार है। सभी अन्य समूहों में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी है। 1-6-85 से आगे संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में समूह ग और घ पदों के लिए सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि पांडिचेरी में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति नहीं है।**

बधुआ मजदूरी

27.18 बंधुआ मजदूरी (उन्मूलन) आ॰॰ [illegible] ार्यान्वयन के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार एक जिला सतर्कता समिति का गठन किया गया है जिसका क्षेत्राधिकार पाडिचेरी संघ राजय क्षेत्र के पूरे क्षेत्र पर है। उप मंडलीय स्तर पर भी पांडिचेरी, करायकल, महे तथा यनम में भी एक समिति का गठन किया गया है। 22-2-99 के सरकारी आदेश के माध्यम से सतर्कता समितियां

समय-समय पर मिलती हैं तथा बंधुआ मजदूरी स्थिति की समीक्षा करती हैं। जिला सतर्कता समिति के अनुसार पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी का कोई मामला नही है।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार/अस्पृश्यता

27.19 पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 1997 के दौरान पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 21 मामलों की रिपोर्ट की गई। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटलों, रेस्तरां और मन्दिरों में भेदभाव के कारण, अस्पृश्यता की इक्का-दुक्का घटनाएं हुई। इन 21 मामलों में से 8 में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं, 5 विचरण के लिए लम्बित पड़े हैं, 8 में कार्रवाई रोक दी गई है, 2 में तथ्यों की गलती पाई गई है, 3 की जांच की जा रही हैं, 1 में कार्यवाही बन्द पड़ी है ओर 2 में अभियुक्त बरी हो गए हैं। लेकिन 1997 में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई।

समय-समय पर मिलती हैं तथा बंधुआ मजदूरी स्थिति की समीक्षा करती हैं। जिला सतर्कता समिति के अनुसार पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में बंधुआ मजदूरी का कोई मामला नही है।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार/अस्पृश्यता

27.19 पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 1997 के दौरान पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 21 मामलों की रिपोर्ट की गई। सार्वजनिक स्थानों जैसे होटलों, रेस्तरां और मन्दिरों में भेदभाव के कारण, अस्पृश्यता की इक्का-दुक्का घटनाएं हुई। इन 21 मामलों में से 8 में आरोप-पत्र दायर किए गए हैं, 5 विचरण के लिए लम्बित पड़े हैं, 8 में कार्रवाई रोक दी गई है, 2 में तथ्यों की गलती पाई गई है, 3 की जांच की जा रही हैं, 1 में कार्यवाही बन्द पड़ी है ओर 2 में अभियुक्त बरी हो गए हैं। लेकिन 1997 में अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत किसी मामले की रिपोर्ट नहीं दी गई।